



वार्षिक रिपोर्ट

2019 - 2020

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण
पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

मुख्यालय : ए-13, सेक्टर-1, नौएडा-201301 जिला—गौतम बुद्ध नगर (उ. प्र.)
दूरभाष सं. : 0120-2544036, 2543972; फैक्स सं. 0120-2543973, 2521764
ई-मेल : iwainoi@nic.in, वेबसाइट : www.iwai.nic.in

**प्राधिकरण के सदस्य
(वर्ष 2019–20)**

		दूरभाष सं.	फैक्स सं.
अध्यक्ष	डॉ. अमिता प्रसाद, भा.प्र.से. (01.08.2019 से)	0120–2543972	0120–2543973
अध्यक्ष	श्री प्रवीर पाण्डेय, भा.ले.प. एवं ले.से. (01.05.2019 से 31.07.2019)	0120–2543972	0120–2543973
अध्यक्ष	श्री जलज श्रीवास्तव, भा.प्र.से. (01.04.2019 से 30.04.2019)	0120–2543972	0120–2543973
सदस्य	श्री संजय कुमार, भा.प्र.से. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, सङ्केत परिवहन, राजमार्ग एवं पोत परिवहन मंत्रालय (01.01.2020 से)	011–23736455	
सदस्य	श्री रजत सच्चर, भा.आ.से. वरिष्ठ सलाहकार, पोत परिवहन मंत्रालय (14.12.2015 से)	011–23716619	011–23350648
सदस्य	श्री आलोक रंजन, आई.सी.ए.एस. सदस्य (वित्त), भाअजप्रा (01.09.2016 से)	0120–2544009	0120–2544009
सदस्य	श्री विनीत कुमार, आई.आर.एस.ई.ई. अध्यक्ष कोलकाता पत्तन न्यास, कोलकाता (09.10.2017 से)	033–22303451	
सदस्य	श्री एस. के. गंगवार सदस्य (तकनीकी), भाअजप्रा (31.01.2017 से)	0120–2521664	
सदस्य	श्री शशि भूषण शुक्ल, भा.रा.से. सदस्य (यातायात और प्रचालन), भाअजप्रा (01.03.2018 से)	0120–2543994	0120–2543982

अन्य विवरण

दूरभाष सं.

सचिव	कर्नल मनीष पाठक	0120—2543994
अंकेक्षक	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक	011—23509600
बैंकर्स	सिंडिकेट बैंक परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली—110001	011—23717573
	सिंडिकेट बैंक सैक्टर—18, नौएडा—201301	0120—2511026
	बैंक ऑफ बड़ौदा संसद मार्ग, नई दिल्ली—110001	011—23448956
	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सैक्टर—15, नौएडा—201301	0120—2511426
	पंजाब नेशनल बैंक सैक्टर—18, नौएडा—201301	

क्षेत्रीय कार्यालय

	दूरभाष	फैक्स
भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण गायघाट, पोस्ट— गुलज़ारबाग, पटना—800007 (बिहार)	0612—2310026 0612—2310057 0612—2310028 0612—2310067 0612—2630100 (टर्मिनल)	0612—2310029
भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण पी—78, गार्डन रीच रोड, कोलकाता— 700043 (पश्चिम बंगाल)	033—24390393 033—24395577 033—24396055	033—24395570 033—24391710
भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण पांडु पोर्ट कॉम्प्लैक्स, पांडु, गुवाहाटी— 781012 (অসম)	0361—2570109 0361—2676925 0361—2676927 0361—2676929	0361—2570099 0361—2570055
भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय जलमार्ग रोड, एन. एच. 47 बाईपास, कन्नाडिकाडू मरडु, ऎर्नाकुलम — 682304 (കेरल)	0484—2295064 0484—2389804	0484—2389445

उप—कार्यालय / ईकाई

	दूरभाष सं.	फैक्स सं.
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 360 / एफ / 44, नवाब यूसुफ रोड, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद—211006 (उ. प्र.)	0532—2561151 0532—2560537	0532—2561152
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण 52, द्वितीय तल, पटेल नगर, नादेसर, वाराणसी – 221002 (उ. प्र.)	0542—2505329	0542—2505329
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कमरा नं.— 309, द्वितीय तल, च्यू एसडीओ कार्यालय, सक्रोगढ़, साहिबगंज—816109 (झारखण्ड)	07544006484	
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ऑफिस बिल्डिंग नं.—1, एफबीपी ऑफिस कॉम्प्लैक्स, पी. ओ.— फरक्का बैराज, जिला—मुर्शिदाबाद—742212 (पश्चिम बंगाल)	03485—255809	03485—255809
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण फकीरतला, पी. ओ.—महेशगंज, स्वरूपगंज, नादिया —741315 (पश्चिम बंगाल)	09830508079	
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण दुर्गाबाड़ी रोड टिनियाली, ए. टी. रोड, नालियापूल, ডिब्रুগঢ় – 786001 (অসম)	0373—2302540	
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण धुब्री टर्मिनल, फ्री इंडिया घाट, धुब्री—786005	0366—2298111	
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण आई.डब्लू.टी. टर्मिनल सह ऑफिस कॉम्प्लैक्स, आश्रमम, ईएसआई अस्पताल के निकट, कोल्लम—691002	0474—2766460	
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण परिसर सं.—191, प्रथम तल, बाया बाबा मठ लेन, यूनिट नं. 9, राधे कृष्ण मंदिर के निकट, भुवनेश्वर—751 022 (ଓଡିଶା)	0674—2397334	
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भाअजप्रा उप कार्यालय, भूतल, ब्लॉक—।, सिंचाई कार्यालय कॉम्प्लैक्स, गवर्नरपेट, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश— 520002	0866—2575123	
भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण चौथा तल, प्रोग्रेसिव मेंशन पब्लिक स्कूल रोड, सिलचर—788005 (অসম)	—	

विषय—सूची

1. अंतर्देशीय जल परिवहन (अजप) क्षेत्र – सामान्य सूचना	8
2. भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भाअजप्रा) की भूमिका	8
3. राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास	9
4. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)—1	9
5. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)—2	16
6. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)—3	19
7. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)—4	23
8. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)—5	24
9. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)—16 (बराक नदी).....	26
10. नए राष्ट्रीय जलमार्ग	27
11. पारगमन और व्यापार पर भारत—बांग्लादेश प्रोटोकॉल	28
12. भारत—म्यांमार कालादान मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना	32
13. जलीय सर्वेक्षण कार्यकलाप	33
14. राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान (निनी), पटना.....	44
15. यातायात, कार्गो ड्रुलाई का विवरण एवं अन्य विशिष्टताएं	49
16. रा.ज.—1 पर जलमार्ग विकास परियोजना	119
17. वित्तीय कार्य निष्पादन : आय और व्यय.....	135
18. प्राधिकरण में संघ की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन	137
19. कार्मिक और प्रशासन	137
20. तुलन पत्र.....	139
21. आय और व्यय लेखा	141
22. प्राप्ति एवं भुगतान लेखा.....	142
23. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां (अनुसूची—1).....	145
24. लेखा टिप्पणियां वित्तीय विवरणियों का अभिन्न भाग हैं (अनुसूची—2)	148
25. लेखा परीक्षक की रिपोर्ट (अनुबंध—क)	160
26. कार्यालय—वार भूमि विवरण (अनुबंध—ख)	165
27. अचल परिसंपत्तियों की अनुसूची (अनुबंध—ग).....	172
28. तुलन पत्र का अनुसूची अंश (अनुसूची—3 से 12)	182
29. अचल परिसंपत्तियों की अनुसूची (अनुसूची—13)	191
30. तुलन पत्र का अनुसूची अंश (अनुसूची—14 से 23)	194
31. आय और व्यय लेखा का अनुसूची अंश (अनुसूची—24 से 26)	202
32. तुलन पत्र का अनुसूची अंश (अनुसूची—27)	205
33. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अंकेक्षण रिपोर्ट	211
34. प्रबंधन के उत्तर	214

1. अन्तर्देशीय जल परिवहन (अजप) क्षेत्र—सामान्य सूचना

- (i) रेल मार्ग, सड़क मार्ग, समुद्र और तटीय नौवहन, अन्तर्देशीय जलमार्ग, पाइपलाइन और वायुमार्ग को शामिल करते हुए परिवहन क्षेत्र किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए अहम अवसंरचना है। नाव्य जलमार्ग ईंधन—दक्ष, पर्यानुकूल तथा लागत प्रभावी परिवहन माध्यम हैं। जल परिवहन सुरक्षित, सस्ता तथा परिवहन का न्यूनतम कार्बन छोड़ने वाला साधन है। एक विकसित परिवहन प्रणाली, मल्टीमॉडल नेटवर्क में, मामला दर मामला आधार पर सभी साधनों की शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिवहन की ईष्टतम लागत को संभव बनाती है। इन गलियारों में बड़े आकार के नौचालन चैनल के साथ अन्तर्देशीय जलमार्गों का विकास किया जा सकता है, ताकि इन्हें विशेष रूप से बल्क सामान, खतरनाक कार्गो और बड़े आकार के कार्गो की ढुलाई के लिए लागत प्रभावी, पर्यानुकूल और ईंधन दक्ष परिवहन साधन को बढ़ावा देने के लिए वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य बनाया जा सके। कुछ विकसित देशों (जैसे अमेरिका, चीन और अनेक यूरोपीय देशों) में अन्तर्देशीय जल परिवहन (अजप) क्षेत्र का मॉडल शेयर भारत के अजप की तुलना में काफी अधिक है, इसलिए उन देशों की अर्थव्यवस्थाओं में स्व-स्थायी पूरक परिवहन साधन से काफी फायदा हुआ है।
- (ii) भारत में बहुत सी नदियां, नहरें, खाड़ियां तथा अप्रवाही जल हैं जिनके विकसित होने और लागत प्रभावी एवं दक्ष अन्तर्देशीय जलमार्ग के रूप में प्रयोग किए जा सकने की संभावना है। 20वीं शताब्दी तक देश के विभिन्न भागों में अजप का उपयोग यातायात के महत्वपूर्ण साधन के रूप में किया जाता था। हालांकि, विभिन्न कारकों, जिसमें सड़क एवं रेल का तीव्र विकास, देश में अल्प औद्योगिक विकास, अन्तर्देशीय जलमार्गों के संरक्षण एवं विकास पर कम ध्यान दिया जाना आदि शामिल हैं, के कारण कई जलमार्गों ने सड़क एवं रेल माध्यमों की तुलना में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त खो दी है।
- (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्देशीय जल परिवहन (अजप) को राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 (2016 की सं. 17), दिनांक 26.03.2016 के अधिनियमन, जो 12 अप्रैल, 2016 से प्रवृत्त हुआ, के जरिए तीव्र गति प्रदान की गई है। राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 का अधिनियमन होने से राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल संख्या 111 हो गई है जिनमें पहले के अधिनियमों द्वारा घोषित किए गए पांच जलमार्ग शामिल हैं। 111 राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई 20,375 कि.मी. है जो देश के 24 राज्यों में फैले हैं। भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग देश की जीवन रेखा बनने के कगार पर हैं। अंतर्देशीय जल परिवहन (अजप) में भारग्रस्त रेल व भीड़ग्रस्त सड़क मार्ग का विकल्प बनने की संभावना है। माल की ढुलाई के अलावा, राष्ट्रीय जलमार्ग, वाहनों (क्रॉस फैरी के रोल-ऑन-रोल-ऑफ मोड में) के आवागमन तथा आवास एवं मनोरंजन युक्त पर्यटन जैसी गतिविधियों से संबंधित सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं।
- (iv) भारत में अजप क्षेत्र द्वारा वर्तमान में महसूस की जा रही परेशानियों में कम वर्षा वाले मौसम के दौरान नदियों में अपर्याप्त मात्रा में बहाव होने के कारण निश्चित आकार के अजप जलयानों के वर्ष भर प्रचालन के लिए आवश्यक गहराई और चौड़ाई वाले अपर्याप्त फेयरवे, तट अपरदन के कारण हर बार बाढ़ आने के बाद नाव्य चैनल का मंद बहाव, कार्गो चढ़ाने और उतारने के लिए टर्मिनल अवसंरचना का अभाव और सड़क /रेल अवसंरचना के साथ उनकी आद्यन्त सम्बद्धता; दिन और रात के समय सुरक्षित और निर्बाध नौचालन हेतु नौचालन संबंधी सहायता एवं अजप जलयानों की कमी शामिल है। अजप को सुदृढ़ बनाने के लिए अवसंरचना के सृजन (मुख्यतः सार्वजनिक निधि द्वारा) पर मुख्य रूप से जोर देने के साथ-साथ प्राथमिक तौर पर निजी क्षेत्र के जरिए अजप बेड़े को बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

2. भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भाअजप्रा) की भूमिका

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भाअजप्रा) का गठन भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 के तहत 27 अक्टूबर, 1986 को नौवहन और नौचालन के उद्देश्य से अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास और विनियमन के लिए किया गया था। भाअजप्रा अधिनियम, 1985 की धारा 22 के अनुसार, प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान इसकी गतिविधियों का पूरा विवरण देते हुए तैयार की जाती है तथा एक प्रति सरकार को प्रस्तुत की जाती है।

इसके अलावा, भाजप्रा पारगमन और व्यापार हेतु भारत—बांग्लादेश प्रोटोकॉल के तहत देश के अन्तर्देशीय जलयानों को दूसरे देश होकर भारतीय सीमा के विनिर्दिष्ट जलमार्गों का भी विकास और अनुरक्षण कर रहा है तथा कालादान मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना के लिए परियोजना विकास परामर्शदाता के रूप में म्यांमार सरकार का भी सहयोग कर रहा है।

अजप क्षेत्र के समग्र विकास में भाजप्रा की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें व्यापार, वाणिज्य, रोजगार सृजन, पर्यटन, इत्यादि के रूप में भारत की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने तथा समाज के असंख्यक लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए पर्यानुकूल, सस्ता और व्यवहार्य परिवहन साधन के रूप में विकसित होने की पूरी संभावना है।

3. राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास

नौवहन और नौचालन के लिए किसी जलमार्ग को व्यवहार्य बनाने हेतु तीन आधारभूत अवसंरचनाएं आवश्यक हैं। ये हैं— (i) निश्चित आकार के अन्तर्देशीय जलयानों के प्रचालन हेतु पर्याप्त गहराई और चौड़ाई के साथ नौचालन चैनल, (ii) दिन और रात में नौचालन के लिए नौचालन संबंधी सहायता और (iii) जलयानों की बर्थिंग के लिए टर्मिनल, माल / यात्री को चढ़ाना और उतारना और सड़क / रेल सम्बद्धता।

4. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.)—1

हल्दिया (सागर) और इलाहाबाद के बीच (1620 कि.मी.) गंगा—भागीरथी—हुगली नदी प्रणाली की घोषणा राष्ट्रीय जलमार्ग 1 (रा.ज.-1) के रूप में 1986 में की गई थी। तब से भाजप्रा जलमार्ग पर नाव्यता में सुधार के लिए विभिन्न प्रकार के विकासात्मक नदी संरक्षण कार्य यथा बंडालिंग व ड्रेजिंग कर रहा है और साथ ही यह भाजप्रा अधिनियम, 1985 (1985 का 82) में दी गई नौचालन संबंधी सहायता और टर्मिनल सुविधाओं जैसी अन्य अवसंरचना के विकास एवं अनुरक्षण के लिए भी कार्य कर रहा है। इसके अलावा जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) के तहत वाणिज्यिक नेविगेशन को सक्षम बनाने हेतु जलमार्ग क्षमता संवर्द्धन के लिए कई विकासात्मक गतिविधियाँ की जा रही हैं। वर्तमान में जलमार्ग का उपयोग निजी मालवाहक जलयानों, पर्यटक जलयानों, ओडीसी वाहकों और भाजप्रा जलयानों आदि की आवाजाही के लिए किया जा रहा है। इसके अलावा, विभिन्न बिजली कंपनियों ने गंगा नदी अर्थात् राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के साथ / आसपास थर्मल पावर परियोजनाओं की स्थापना के लिए कार्रवाई शुरू की है और एनटीपीसी परियोजनाओं के लिए बड़े आकार के कार्गो (ओडीसी) और आयातित कोयले की व्यापक आवाजाही तथा आने वाले वर्षों के दौरान फ्लाई ऐश की निकासी की योजना है। वर्ष 2019–20 के दौरान रा.ज.-1 पर फेयरवे के विकास और अनुरक्षण, नौचालन संबंधी सहायता तथा टर्मिनल सुविधाओं के लिए किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के ब्यौरे निम्नवत हैं :

4.1 फेयरवे विकास :-

रा.ज.-1 पर सुगम और सुरक्षित नौचालन हेतु लक्षित गहराई और चौड़ाई के साथ फेयरवे का विकास / अनुरक्षण किया जाना है। यह कार्य रा.ज.-1 के त्रिवेणी—वाराणसी खण्ड (लगभग 1200 कि.मी.) में बंडालिंग, ड्रेजिंग जैसे नदी संरक्षण कार्य कराकर हासिल किया गया है। सागर से बलिया तक 1140 किमी के खण्ड में नौचालन सहायता 24 घंटे प्रदान की जा रही है। रा.ज.-1 के संपूर्ण खण्ड में डे चैनल मार्क्स उपलब्ध कराए गए हैं।

वस्तुतः हल्दिया और त्रिवेणी के बीच का खण्ड (196 कि.मी.) ज्वारीय है तथा 3.0 मीटर से अधिक की न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) प्राकृतिक रूप से अनुरक्षित की जाती है। भाजप्रा न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) के लक्ष्य को बनाए रखने के लिए त्रिवेणी—वाराणसी खण्ड में फेयरवे विकास हेतु नदी संरक्षण कार्य कर रहा है। साथ ही, वर्ल्ड बैंक की सहायता से जलमार्ग विकास परियोजना के तहत रा.ज.-1 की संबंधित पहुँच में एलएडी के लक्ष्य को सुनिश्चित करने के लिए



आश्वासित गहराई कॉन्ट्रैक्ट्स को पूरा किया गया।

वर्ष 2019–20 के दौरान, नौचालन चैनल (फेयरवे) के विकास और अनुरक्षण के लिए त्रिवेणी–राजमहल (399 कि.मी.) खण्ड में 4,800 मीटर और राजमहल– वाराणसी (लगभग 801 कि.मी.) खण्ड में 16,110 मीटर के बंडालिंग कार्य किए गए। इसके अतिरिक्त, त्रिवेणी–राजमहल खण्ड में 0.38 लाख मी.³ ड्रेजिंग और राजमहल– वाराणसी खण्ड में 1.62 लाख मी.³ ड्रेजिंग आश्वासित गहराई कॉन्ट्रैक्ट्स के अलावा भाअजप्रा द्वारा लगाए गए ड्रेजर्स द्वारा की गई।



राष्ट्रीय जलमार्ग–1 पर लगाए गए बंडाल



राष्ट्रीय जलमार्ग–1 पर की जा रही ड्रेजिंग

वर्ष 2019–20 के दौरान रा.ज.-1 के विभिन्न खण्डों में अनुरक्षित न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) निम्न प्रकार से हैं:-

(क)	हल्दिया—फरक्का खण्ड	(560 कि.मी.)	—	2.6 मी. से 3.0 मी.
(ख)	फरक्का—बाढ़ खण्ड	(400 कि.मी.)	—	2.1 मी. से 3.0 मी.
(ग)	बाढ़—गाजीपुर खण्ड	(290 कि.मी.)	—	1.5 मी. से 2.5 मी.
(घ)	गाजीपुर—वाराणसी	(140 * कि.मी.)	—	1.0 मी. से 2.20 मी.

राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के वाराणसी – इलाहाबाद / प्रयागराज खण्ड (230 कि.मी.) में प्राकृतिक तौर पर 0.8–1.5 मी. की एलएडी उपलब्ध थी।



राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर बड़े आकार के कार्गो (ओडीसी) की ढुलाई

4.2 पर्यटन विकास :

रा.ज.-1 पर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक जलयान आरवी बंगाल गंगा, आरवी किंडत पांडव, आरवी कथा पांडव और आरवी कालव पांडव की आवाजाही हो रही है और पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, बिहार तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में यह निरंतर बढ़ोत्तरी की ओर अग्रसर है। वर्ष 2019–20 के दौरान विदेशी पर्यटकों वाले इन पर्यटक जलयानों की आवाजाही जारी रही और शेड्यूल के अनुसार अपनी व्यवसायिक यात्राएं सफलतापूर्वक पूरी कीं। इन पर्यटक जलयानों द्वारा कोलकाता से मुर्शीदाबाद / बटेश्वरस्थान / मुंगेर / पटना / वाराणसी के बीच चौरानवे (94) जल यात्राएं की गई हैं।



रा.ज.-1 पर पर्यटक जलयान आरवी बंगाल



रा.ज.-1 पर पर्यटक जलयान गंगा वोयजर



रा.ज.-1 पर पर्यटक जलयान आरवी कालव पांडव



रा.ज.-1 पर पर्यटक जलयान आरवी कथा पांडव

4.3 टर्मिनल सुविधाएं :

निम्नतल और उच्चतल जेटीयाँ गायधाट, पटना (बिहार) में क्रमशः वर्ष 2008 और 2012 से प्रचालन में हैं, जो इस टर्मिनल पर बंकरिंग और भंडारण सुविधा के साथ यांत्रिक कार्गो हैंडलिंग में सक्षम हैं।



रा.ज.-1 पर पटना में निम्नतल जेटी पर जलयानों की बर्थिंग



रा.ज.-1 के पटना में उच्चतल जेटी पर जलयानों की बर्थिंग

सामान्य कार्गो की हैंडलिंग के लिए नवंबर, 2013 से जीआर जेट्टी-2, कोलकाता में एक स्थाई टर्मिनल प्रचालन में है। वर्तमान में इस जेट्टी को पीपीपी मोड पर कार्य करने के लिए भाअजप्रा के साथ एक अनुबंध के तहत मैसर्स समिट एलायंस को दे दिया गया है।



जीआर जेट्टी-2, कोलकाता में स्थाई टर्मिनल

इसके अलावा, रा.ज.-1 पर फरक्का और पाकुड़ में फरक्का बैराज परियोजना (एफबीपी) की स्थायी जेटिट्यां भी विद्यमान हैं, जो ट्रांसपोर्टर/शिपर/क्रूज जलयानों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर हल्दिया और इलाहाबाद के बीच 20 स्थलों पर फ्लोटिंग टर्मिनल प्रचालन में हैं, जिनका उपयोग जलयानों की बर्थिंग, लॉजिस्टिक सपोर्ट और उपयोगकर्ताओं/पर्यटकों द्वारा जहाज पर माल चढ़ाने और उतारने के लिए किया जाता है।



रा.ज.-1 पर फ्लोटिंग टर्मिनल

इन 20 फ्लोटिंग टर्मिनलों का स्थान निम्नानुसार है :

- पश्चिम बंगाल में हल्दिया, बज—बज, बीआईएसएन, बोटेनिकल गार्डन (कोलकाता), शांतिपुर, स्वरूपगंज, कटवा, हजारद्वारी, डाउनस्ट्रीम फरक्का और अपस्ट्रीम फरक्का;
- झारखण्ड में राजमहल (मंगलाहाट) और साहिबगंज (समदाघाट) तथा बिहार में बटेश्वरस्थान, भागलपुर, मुंगेर, सिमरिया और बक्सर; और

(iii) उत्तर प्रदेश में गाजीपुर / राजघाट, रामनगर (वाराणसी) और इलाहाबाद टर्मिनल।

इन फ्लोटिंग टर्मिनलों को राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर विभिन्न स्थलों पर आवश्यकतानुसार पुनःस्थापित किया जा सकता है।

विश्व बैंक की सहायता से जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) के अंतर्गत विडीयो कॉन्फ्रैंसिंग के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 12.09.2019 को राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर साहिबगंज (झारखण्ड) में एक दूसरा मल्टी मोडल टर्मिनल (एमएमटी) का उद्घाटन किया गया था इसके अतिरिक्त, वाराणसी (यूपी) में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 12.11.2018 को एक मल्टी मोडल टर्मिनल (एमएमटी) का उद्घाटन पहले ही किया जा चुका है और यह चालू है।

जलमार्ग विकास परियोजनाओं का विवरण इस रिपोर्ट के एक अलग खण्ड में शामिल किया गया है।

4.4 नौचालन संबंधी सहायता :

24 घंटे नौचालन की सुविधा देने के लिए प्रकाशमान देशी नौका / बांस की संरचना, एमएस पोल और ट्रेसल बीकन टावर युक्त प्रणाली के माध्यम से सागर से बलिया खण्ड (1140 कि.मी.) में नौचालन संबंधी सहायता भी मुहैया की गई हैं और राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के समस्त खण्ड में दिवस चैनल चिन्ह प्रदान किए गए हैं।



दिवस दायां हस्त मार्क



देशी नौका पर लाइट



बीकन टावर पर लाइट



इस्पात पोल पर लाइट

भाअजप्रा पाक्षिक आधार पर नियमित रूप से तलस्पर्शी सर्वेक्षण कर रहा है तथा प्रचालकों/उपयोगकर्ताओं की जानकारी हेतु नदी सूचनाएं भी जारी कर रहा है।



रा.ज. – 1 पर भाअजप्रा जलयानों द्वारा जलीय सर्वेक्षण

भाअजप्रा प्रचालकों को आवश्यकता के आधार पर पायलटेज प्रदान कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, जलमार्ग पर 24 घंटे नौचालन संबंधी सहायता देने के लिए स्वरूपगंज, भागलपुर, पटना और वाराणसी में डिक्रेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम स्टेशन (डीजीपीएस) चालू किए गए हैं तथा ट्रांसपोर्टर/शिपर को प्रयोग हेतु पूरे जलमार्ग को कवर करते हुए इनकी सुविधाएं दी जा रही हैं।

रा.ज.-1 पर विश्व स्तरीय नदी सूचना प्रणाली (आरंआईएस) मुहैया कराने के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना चालू की गई है। हल्दिया-फरक्का खण्ड के बीच इस परियोजना के प्रथम चरण में 2 नियंत्रण स्टेशन एवं 30 जलयान स्टेशन सहित 5 बेस स्टेशन हैं और चालू हैं। फरक्का-पटना प्रखण्ड के बीच 5 बेस स्टेशनों और 1 कंट्रोल स्टेशन युक्त नदी सूचना प्रणाली के चरण—।। का कार्यान्वयन शुरू हो गया है। इसके अतिरिक्त, पटना-वाराणसी के बीच 3 बेस स्टेशन और 1 कंट्रोल स्टेशन युक्त नदी सूचना प्रणाली स्टेशनों का चरण—।।। प्रचालन में है।



फरक्का में नदी सूचना प्रणाली स्टेशन

4.5 कार्गो ढुलाई :

वर्ष 2019–20 के दौरान हल्दिया—राजमहल—वाराणसी खण्ड के बीच राष्ट्रीय जलमार्ग—1 का उपयोग करते हुए स्टोन चीप्स, भवन निर्माण सामग्री, ओडीसी कैरियर, फ्लाई ऐशा आदि को शामिल करते हुए 7.74 लाख एमटी (क्षेत्रीय कार्यालय पटना के अंतर्गत) और 8.20 लाख एमटी (क्षेत्रीय कार्यालय कोलकाता के अंतर्गत) कार्गो की ढुलाई की गई। साथ ही, इस क्षेत्र में 42 टीईयू कंटेनरीकृत कार्गो की ढुलाई की गई।

इसी प्रकार भाजप्रा ने राष्ट्रीय जलमार्ग—1 गंगा सागर मेला के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार को व्यवसायिक सहायता प्रदान की थी।

5. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.) –2

धुब्री के निकट सदिया से बांग्लादेश बॉर्डर तक ब्रह्मपुत्र नदी पर उत्तर—पूर्व क्षेत्र में बनने वाला रा.ज.—2 (891 कि.मी.) सर्वाधिक महत्वपूर्ण अन्तर्देशीय जलमार्ग है, जिसे वर्ष 1988 में राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया। इस महानदी में अनेक नदियां मिलकर इसे मछली की हड्डी के समान संरचना देती हैं। फीडर मार्गों के रूप में विकसित होने की संभावना रखने वाले उत्तर—पूर्व क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र और बराक नदी के करीब 1687 कि.मी. खण्ड की पहचान की गई है। रा.ज.—2 भारत—बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग (1700 कि.मी.) के माध्यम से उत्तर—पूर्व क्षेत्र में वैकल्पिक सम्बद्धता मुहैया कराता है। वर्ष 2019–20 के दौरान रा.ज.—2 पर फेयरवे के विकास एवं अनुरक्षण, नौचालन संबंधी सहायता और टर्मिनल सुविधा हेतु किए गए महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं :—

5.1 फेयरवे विकास :

धुब्री—पांडु खण्ड (255 कि.मी.) और पांडु—नीमाति खण्ड (374 कि.मी.) में 2.5 मीटर न्यूनतम उपलब्ध गहराई और 45 मीटर की न्यूनतम चौड़ाई का नाव्य फेयरवे अनुरक्षित किया गया है। नीमाति—डिबूगढ़ खण्ड में 350 दिनों के लिए 2.0 मीटर न्यूनतम उपलब्ध गहराई अनुरक्षित की गई। डिबूगढ़—सदिया (ओरियमघाट) खण्ड में वर्ष के दौरान नौचालन में 1.5 मीटर न्यूनतम उपलब्ध गहराई अनुरक्षित की गई। इस न्यूनतम उपलब्ध गहराई को अनुरक्षित करने के लिए 54 स्थानों पर 21,000 मीटर के बंडाल लगाए गए और उनका अनुरक्षण किया गया। उपर्युक्त के अतिरिक्त, सीएसडी मंडोवी और सीएसडी ब्राह्मणी नामक दो विभागीय सीएसडी का उपयोग करके 08 स्थानों पर 1,44,333 मी.³ निकर्षण कार्य किया गया था।

फेयरवे में गहराई बढ़ाने के लिए निकर्षण कार्य हेतु “एचएसडी धनसिरी” नामक एक एचएसडी स्थापित किया गया था। बांग्लादेश बॉर्डर और नीमाति के बीच कुछ अस्थिर क्षेत्र (लगभग नौ) हैं जहां गहराई और नदी तल/चैनल में लगातार परिवर्तन होता है।

बुडाबड़ी में बहुसंख्यक चैनल हैं जिससे धुब्री टर्मिनल से जुड़े नौचालन चैनल के अनुरक्षण में कठिनाई होती है। इस समस्या से निपटने के लिए बुडाबड़ी में (धुब्री प्रखण्ड के तहत) नदी के चैनलीकरण के लिए ₹. 21.69 करोड़ की लागत की एक परियोजना जल संसाधन विभाग, असम सरकार के माध्यम से धुब्री टर्मिनल के जरिए नौचालन चैनल की स्ट्रीमिंग का कार्य पूरा हो गया है।



बंडाल का विशिष्ट चित्र



सीएसडी मंडोवी द्वारा पांडु में निकर्षण



5.2

स्थाई टर्मिनल (मौजूदा):

मल्टीमॉडल नदी पत्तन के विकास के लिए रा.ज.-2 पर पांडु (गुवाहाटी) सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थल है। इसीलिए पांडु में चरणबद्ध ढंग से टर्मिनल का विकास करने के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया गया था, तथा तदनुसार उसका विकास किया गया। वर्ष 2009 में एक निम्नतल जेटी को ₹. 40.02 करोड़ की लागत से चालू किया गया था। वर्ष 2014–15 के दौरान ₹. 43.89 करोड़ की लागत पर एक उच्चतल जेटी को भी चालू किया गया था ताकि वर्ष भर यांत्रिक हैंडलिंग सुविधा के साथ जिसमें कंटेनर सुविधा शामिल है, प्रचालन किया जा सके।

पांडु पोर्ट को कामख्या रेलवे स्टेशन (गुवाहाटी) से जोड़ने वाली बड़ी रेलवे लाइन का निर्माण एनएफ रेलवे के माध्यम से ₹. 16.46 करोड़ की लागत पर किया गया और वर्ष 2013 में इसे एनएफ रेलवे द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन हेतु खोल दिया गया है। भाजप्रा ने तीसरी पार्टी द्वारा कार्गो की ढुलाई कराने के लिए बीजी साइडिंग के उपयोग हेतु एनएफ रेलवे के साथ करार हस्ताक्षरित किया है।

वर्ष 2017 के दौरान ₹. 47.00 करोड़ की लागत से धुब्री में स्थायी टर्मिनल का निर्माण कार्य पूरा किया गया जो अब प्रचालित है।



धुब्री में रो-रो टर्मिनल

इससे जोगीघोपा पुल से होकर 220 कि.मी. के घुमावदार सड़क मार्ग से बचने के लिए धुब्री से मेघालय तक (नदी मार्ग द्वारा 29 कि.मी.) सीधी अजप सम्बद्धता मुहैया हुई है। सीपीडब्ल्यूडी ने हत्सिंगीमारी में कार्य प्रारंभ किया था, हालांकि, हत्सिंगीमारी में टर्मिनल निर्माण के लिए चयनित लगभग समस्त भूमि का नदी से अपरदन के कारण वर्तमान परिस्थिति में किसी भी तरह की स्थाई संरचना का निर्माण करना कठिन है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने इस स्थल पर लगभग 5 कि.मी. की लंबाई में तट रक्षण हेतु एक योजना तैयार की है। हालांकि, इस योजना के कार्यान्वयन और तदुपरांत तटरक्षण के कार्य में कुछ समय लगेगा।


5.3 फ्लोटिंग टर्मिनल:

ब्रह्मपुत्र नदी में जल स्तर की भारी भिन्नता (क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों) के कारण स्थायी टर्मिनलों का निर्माण करने में अधिक पूँजी लगती है। इसिलिए पहचाने गए ग्यारह स्थानों यथा हत्सिंगीमारी, धुब्री, जोगीघोपा, तेजपुर, सिलघाट, विश्वनाथघाट, निमाती, सेंगाजन, बोगीबील, डीब्रूगढ़ / ओकलैंड और ओरियम घाट पर फ्लोटिंग टर्मिनल उपलब्ध कराए गए हैं।

जोगीघोपा में 16.47 हेक्टेयर भूमि में से लगभग 8.93 हेक्टेयर भूमि का अपरदन हो गया। निरंतर अपरदन से आस-पास के निवासियों के लिए खतरा उत्पन्न हो गया है। भारतीय जल संसाधन विभाग, असम सरकार के सहयोग से चरणबद्ध ढंग से तटरक्षण संबंधी कार्य करके शेष टर्मिनल भूमि का संरक्षण कर लिया है। इस परियोजना से लगभग 18.63 एकड़ भूमि का बचाव हुआ है, ऐसा न होने की दशा में यह भूमि स्थायी रूप से समाप्त हो जाती। कार्यान्वयन कार्यों को और सुदृढ़ करने के लिए जमा कार्य के आधार पर असम सरकार (डब्ल्यूआरडी) के जरिए नवीकरण कार्य किया गया। वर्ष 2017 में भारी बाढ़ के कारण संबंधित खण्ड के सैंड आइलैंड और नदी चैनल के व्यापक पुनराभिव्यक्ति से नदी विन्यास पूर्णतया परिवर्तित हो गया। तदनुसार, जल संसाधन विभाग (डब्ल्यूआरडी), असम सरकार ने कुछ पॉर्क्यूपाइन स्क्रीन का पुनर्निर्माण किया। यह कार्य प्रगति पर है।

5.4 नौचालन संबंधी सहायता :

संपूर्ण जलमार्ग में दिवस नौचालन हेतु चैनल चिन्ह लगाए गए और अनुरक्षित किए गए। धुब्री और सिलघाट (440 कि.मी.) के बीच रात्रि नौचालन सुविधाएं भी मुहैया कराकर अनुरक्षित की जा रही हैं। संपूर्ण जलमार्ग में पाक्षिक / मासिक तलस्पर्शी सर्वेक्षण किया गया और अजप प्रचालकों को फेयरवे संबंधी सूचना देने के लिए नदी संबंधी सूचनाएं दी गई हैं। इसके अलावा संपूर्ण रा.ज.-2 में डीजीपीएस सम्बद्धता की सुविधा देने के लिए धुब्री, जोगीघोपा, सिलघाट और डीब्रूगढ़ में अत्यधुनिक डीजीपीएस स्टेशन चालू किए गए हैं। सिलघाट पर अत्यधिक अपरदन के कारण डीजीपीएस स्टेशन को विश्वनाथ घाट पर विस्थापित कर दिया गया है।



5.5 नदी पर्यटन :

काजीरंगा एवं ओरंग में वन्य जीव अभ्यारण एवं अन्य पर्यटन स्थलों यथा ब्रह्मपुत्र नदी (रा.ज.-2) के तट पर स्थित सुआलकुची, शिवसागर एवं कमलाबाड़ी ने इस महानदी को अंतर्राष्ट्रीय नदी पर्यटन के रूप में पहचान दिलाने में सहायता प्रदान की है। तीन पर्यटन जलयान अर्थात् असम बंगाल नेविगेशन प्रा. लि. के एमवी चैराइदयू और एमवी चैराइदयू-I, एडवेंचर रिसॉर्ट्स एंड क्रूजिस प्रा. लि. का एमवी महाबाहु और ब्रह्मपुत्र क्रूजिस का एमवी मानसपुत्र प्रत्येक वर्ष बढ़ते विदेशी पर्यटकों के साथ नियमित रूप से धुब्री/पांडु और निमाती के बीच जलयात्रा कर रहे हैं। इससे यह प्रदर्शित होता है कि महानदी ब्रह्मपुत्र में काफी संख्या में सफल जलयात्राएं हो रही हैं जिसमें प्रचालकों ने वर्ष 2019–20 के दौरान सफलतापूर्वक 39 खें पूरी की हैं।



क्रूज जलयान एमवी चैराइदयू अपनी निमाती यात्रा पर

6. राष्ट्रीय जलमार्ग-3 (रा.ज.- 3) :

कोट्टापुरम एवं कोल्लम (168 कि.मी.), उद्योगमंडल कैनाल (23 कि.मी.) एवं चंपाकारा कैनाल (14 कि.मी.) (कुल 205 कि.मी.) के मध्य पश्चिमी तट कैनाल से बने रा.ज.-3 को अप्रैल, 2016 के दौरान कोट्टापुरम से उत्तर की ओर कोझीकोड तक 165 कि.मी. तक विस्तारित कर दिया गया है। विस्तारित प्रखण्ड के विकास के लिए द्विस्तरीय डीपीआर तैयार की जा रही है। रा.ज.-3 पर मूल प्रखण्ड में फेयरवे, टर्मिनल और नौचालन संबंधी सहायता के विकास और अनुरक्षण हेतु वर्ष के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्यों के विवरण नीचे दिए गए हैं :

6.1 फेयरवे विकास :

विनिर्दिष्ट आयामों सहित नौचालन चैनल को विकसित करने के लिए, कायमकुलम कायल में 1.00 कि.मी. तथा एडप्लीकोटा-कोल्लम प्रखण्ड में 1.10 कि.मी. लम्बे छिले स्थान को छोड़कर सभी प्रखण्डों में दिनांक 31.03.2020 तक अनुमानतः 40.16 लाख मी³ भारी निकर्षण पूरा किया जा चुका है। दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार, एडप्लीकोटा-कोल्लम प्रखण्ड में संविदा के जरिए कार्य चल रहा है।

रा.ज.-3 में सुरक्षित नौचालन के लिए अपरदन से कैनाल तट का बचाव एक अन्य महत्वपूर्ण गतिविधि है। भाअजप्रा ने चम्पाकारा और उद्योगमंडल कैनाल के अब तक 15.97 कि.मी. कैनाल तट पर तटरक्षण प्रदान किया है। अलपुङ्गा और कोल्लम के बीच कैनाल के संकरे क्षेत्रों में जहां चौड़ा करने का कार्य किया गया था, 12.44 कि.मी. लंबाई में तटरक्षण किया गया है।

रा.ज.-3 पर वृहद निकर्षण और संकरे भाग को चौड़ा करने की प्रगति में वर्षों से अनेक स्थानीय कारणों जैसे—निकर्षित सामग्री का निस्तारण, खराब निकर्षित एवं अतिरिक्त तट रक्षण की मांग, कार्यों में बारंबार रुकावट और स्थानीय लोगों द्वारा मुकदमेबाजी करने और मछुआरों की ओर से उठाई गई आपत्तियों से विलंब अनुभव किया जा रहा है। गीली भूमियों इत्यादि के संरक्षण से संबंधित नए विनियमनों के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग से निकर्षित सामग्री हेतु निस्तारण स्थल की पहचान करना अत्यंत कठिन हो गया है। ऐसी समस्याओं का समाधान करने और काम को आगे बढ़ाने के लिए भाअजप्रा राज्य सरकारों के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रहा है, लेकिन, निस्तारण स्थलों के आबंटन में लंबे समय से चल रही प्रक्रिया से अभी तक रा.ज.-3 में भाअजप्रा की निकर्षण क्षमता का कम उपयोग किया जा रहा है।

सिंचाई विभाग केरल सरकार को रु. 38 करोड़ की लागत पर त्रिकुणापुङ्गा में नए नेविगेशनल लॉक {61 मी. लम्बाई, 14.75 चौड़ाई और 6 मी. (एचएफएल से ऊपर) उद्धर्वाधर अनुमति के आयाम के साथ} के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा और भाअजप्रा ने केरल सरकार को रुपये 23 करोड़ की कुल राशि जारी की। सिंचाई विभाग, केरल सरकार द्वारा जमा आधार पर लॉक गेट के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।



त्रिकुणापुङ्गा में पाइलिंग कार्य – लॉक गेट का निर्माण कार्य प्रगति पर है।



त्रिकुणापुज्ञा में पाइलिंग कार्य – लॉक गेट का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

सिंचाई विभाग, केरल सरकार को जमा आधार पर रु. 2.85 करोड़ की लागत से थनीरमुक्कोम में 40 फीट चौड़ाई वाले नेविगेशनल लॉक के लॉक शटर के विस्थापन का कार्य सौंपा गया था। जंग से बचने और अनुरक्षण मुक्त निर्बाध संचालन हेतु स्टेनलेस स्टील से बने शटर विस्थापित किए गए। जनवरी, 2020 में कार्य सपन्न हो चुका है।



थनीरमुक्कम में पुनर्निर्मित 40' लॉक का दृष्ट

6.2 अजप टर्मिनल :

नौ स्थानों (कोट्टापुरम, अलुवा, मरडु, वैककोम, थनीरमुक्कम, त्रिकुणापुङ्गा, कायमकुलम, कोल्लम और अलप्पुङ्गा) में कार्गो टर्मिनल का निर्माण किया गया है। फरवरी, 2020 में सीपीडब्ल्यूडी से अलप्पुङ्गा टर्मिनल ले लिया गया। प्रेषकों व प्रेषितियों की ओर से मुख्य रूप से अजप मोड से मॉडल शिफ्ट को स्वीकार करने में अरुचि के कारण उपर्युक्त टर्मिनल में आशानुरूप ढुलाई नहीं हो पा रही है।

6.3 रो—रो टर्मिनल एवं कार्गो ढुलाई :

भारतीय द्वारा कोचीन पत्तन न्यास के माध्यम से कोचीन पत्तन क्षेत्र के अधीन दो रॉल—ऑन—रॉल—ऑफ टर्मिनल, पहला बोलगट्टी में और दूसरा विलिंगटन आईलैंड में आईसीटीटी वल्लारपदम से सम्पर्क स्थापित करने के लिए तैयार किए गए हैं। इस सुविधा के उपयोग से वल्लारपदम की ओर जाने वाले ट्रकों / ड्रेलरों को कोच्चि शहर की भीड़भाड़ वाली सड़कों से नहीं गुजरना पड़ता। ये टर्मिनल फरवरी, 2011 से जून, 2017 तक प्रचालन में थे। इन टर्मिनलों के बीच कुल 2.58 लाख समतुल्य यूनिट (टीईयू) का परिवहन निजी प्रचालक के साथ संविदा पर प्रचालित रो—रो जलयान द्वारा किया गया है, जबकि जून, 2017 में प्रचालक और सीओपीटी के बीच विवाद होने के कारण रो—रो जलयान का प्रचालन प्रतिबंधित कर दिया गया था। वर्ष 2019–2020 के दौरान रा.ज.—3 पर बार्ज द्वारा संगठित रूप में कुल कार्गो की ढुलाई, टनों के संदर्भ में, 5.74 लाख टन की गई थी जिसमें मुख्य रूप से सल्फर, फास्फोरिक एसिड, लिक्वीफाइड अमोनिया गैस, रॉक फास्फोरस आदि शामिल थे।

6.4 रो—रो जलयान

विलिंगडन द्वीप और बोलगट्टी जेटी के बीच तैनाती के लिए कुल रु. 24.57 करोड़ की लागत से दो रो—रो जलयान कोचीन शिपयार्ड में निर्माणाधीन हैं। रो—रो जलयानों का परिचालन 2021 तक होगा।



कोचीन शिपयार्ड में निर्माणाधीन रो—रो जलयान

6.5 नौचालन संबंधी सहायता :

24 घंटे सुरक्षित नौचालन की सुविधा देने के लिए रा.ज.-3 पर भाअजप्रा द्वारा सौर ऊर्जा से प्रकाशमान कुल 312 बोया और 17 बीकन लाईट की व्यवस्था की गई थी।



राष्ट्रीय जलमार्ग-3 में स्थापित सोलर पावर्ड एफ.आर.पी बोया



राष्ट्रीय जलमार्ग-3 में बीकन लैम्प

6.6 केरल में नए राष्ट्रीय जलमार्ग :

अप्रैल, 2016 के दौरान केरल में राष्ट्रीय जलमार्ग-3 के विस्तार के अलावा निम्नलिखित तीन नए राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं :—

- क) अलपुङ्गा—चंगनसेरी जलमार्ग (रा.ज.-8) – 28 कि.मी.
- ख) अलपुङ्गा—कोट्टायम—अथिरामपुङ्गा जलमार्ग (रा.ज.-9) – 38 कि.मी. और
- ग) कोट्टायम—वैक्कोम जलमार्ग (रा.ज.-59) – 28 कि.मी.

केरल के उपर्युक्त सभी नए जलमार्ग वर्तमान रा.ज.-3 से सीधे जुड़े हुए हैं। सभी नए जलमार्गों के विकास हेतु द्विस्तरीय डीपीआर की तैयारी चल रही है। मसौदा व्यवहार्य रिपोर्ट की प्रतियां केरल सरकार के साथ उनकी इन्युट्स और टिप्पणियों हेतु साझा की गई।

6.7 अलपुङ्गा—कोट्टायम—अथिरामपुङ्गा कैनाल (रा.ज.-9)

अलपुङ्गा—कोट्टायम—अथिरामपुङ्गा कैनाल (रा.ज.-9) के 38 किमी प्रखण्ड को अप्रैल, 2016 में रा.ज.-9 के रूप में घोषित किया गया। रा.ज.-9 कोदुर नदी से होकर गुजरता है, जो कोट्टायम पत्तन (आईसीडी) को कोच्ची के साथ कोट्टायम शहर से रा.ज.-3 के जरिए जोड़ती है। मार्च, 2019 में कोट्टायम पत्तन से कोच्ची पत्तन तक कंटेनरों की ढुलाई प्रायोगिक आधार पर की गई तथा 2021 तक कंटेनरों की नियमित ढुलाई अपेक्षित है।

जलमार्ग को खोलने के लिए जलकुंभी को हटाया गया और साथ ही 24 घंटे नौचालन सहायता हेतु बोयाज को रा.ज.-8 और रा.ज.-9 के लिए खरीदा और स्थापित किया गया।

7. राष्ट्रीय जलमार्ग-4 (रा.ज.-4) :


वर्ष 2008 में 1,078 किमी लंबे रा.ज.-4 की घोषणा की गई, जिसमें नहरों और कालू घाटी टैक का

काकीनाडा—पुदुचेरी प्रखण्ड, गोदावरी नदी का भद्राचलम—राजामंड्री प्रखण्ड और कृष्णा नदी का वज़ीराबाद प्रखण्ड शामिल है। साथ ही, कृष्णा नदी में वज़ीराबाद से गालागली (628 किमी) और गोदावरी नदी में भद्राचलम से नासिक (1184 किमी) की अतिरिक्त पहुँच के साथ रा.ज. अधिनियम—2016 के द्वारा प्रखण्ड का विस्तार किया गया है। विस्तार करने पर रा.ज.—4 की कुल लंबाई 2890 किमी है। चरण—। में कृष्णा नदी के विजयवाड़ा से मुक्तयाला (82 कि.मी.) प्रखण्ड के बीच विकास हेतु रु. 96.0 करोड़ की एक परियोजना स्वीकृत की गई है। चरण—। प्रखण्ड में वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं :

- i) छिछले पानी वाले स्थानों पर निकर्षण कार्य चल रहा है।
- ii) मुक्तयाला, हर्षचंद्रपुरम और इब्राहिमपतनम में स्थाई टर्मिनलों के लिए भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है।
- iii) चार फ्लोटिंग टर्मिनलों के निर्माण का कार्य चल रहा है।

विजयवाड़ा — काकीनाडा और राजमुंदरी — पोलावरम में एक व्यापक जलीय और नौचालन अध्ययन, रा.ज.—4 के चरण—।। में पूरा हो गया है।

कृष्णा नदी पर इब्राहिमपतनम से लिंगायपलाम के बीच कार्गो ढुलाई शुरू हुई और वर्ष 2019–20 के दौरान 0.82 लाख टन कार्गो (निर्माण सामग्री) की ढुलाई हुई।



राष्ट्रीय जलमार्ग—4



फ्लोटिंग टर्मिनल

8. राष्ट्रीय जलमार्ग 5 (रा.ज.—5) :

8.1 रा.ज.—5 पर तलचर एवं पारादीप/धामरा के बीच 332 कि.मी. प्रखण्ड को दो चरणों में विकसित करने के लिए, भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा ओडिशा सरकार, पारादीप पोर्ट एवं धामरा पोर्ट कंपनी लिंगो के साथ एक समझौता ज्ञापन दिनांक 30.06.2014 को हस्ताक्षरित किया गया था। पंकपाल एवं पारादीप/धामरा के बीच 211 कि.मी. प्रखण्ड के चरण—। का विकास कार्य पहले से ही चल रहा है। तलचर एवं पंकपाल तथा पूर्वी तटीय कैनाल (धामरा—चरबतिया—जिओनखली) के बीच 131 कि.मी. प्रखण्ड को दूसरे चरण में लिया जाएगा। रा.ज.—5 पर चरण—। के विकास हेतु दिनांक 28.09.2016 को पारादीप पोर्ट के साथ एक अन्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया था जिसमें सभी परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता सेवा शामिल हैं।



8.2 राष्ट्रीय जलमार्ग-5, ओडिशा पर पारादीप/धामरा और पंकपाल प्रखण्ड (चरण- I, 212 कि.मी.) के बीच तीन नौचालन लॉक्स सहित 4 बांधों/बैराजों, नौचालन लॉक सहित दो चैक बांध तथा एक रबड़ बांध के निर्माण कार्य हेतु फ्रंट एंड इंजीनियरिंग डिजाइन (एफईईडी) द्वारा अनुसरित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी के लिए परामर्श सेवा कार्य मैसर्स ट्रेक्टेबैल इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया है। डब्ल्यू1, डब्ल्यू2, डब्ल्यू3, डब्ल्यू4, डब्ल्यू5, सी1 और सी2 का ड्राफ्ट डिजाइन तैयार किया गया है तथा डब्ल्यूआरडी, ओडिशा को दिनांक 03.09.2019, 27.09.2019, 05.11.2019, 22.11.2019 व 06.12.2019 को सूचित करते हुए परीक्षा एवं पुनरीक्षण हेतु सीडब्ल्यूसी को प्रस्तुत किया गया है। सीडब्ल्यूसी, नई दिल्ली से पुनरीक्षा की प्रतीक्षा है।

8.3 पारादीप/धमरा प्रखण्ड के बीच मौजूदा पुलों के लिए, जिसमें राष्ट्रीय जलमार्ग-5, ओडिशा पर आशोधन/पुनर्निर्माण की जरूरत है, विस्तृत इंजिनियरिंग डिजाइन एण्ड ड्रॉइंग (डीईडी एण्ड डी) सहित विस्तृत इंजिनियरिंग रिपोर्ट तैयार करने के लिए परामर्श सेवा कार्य फरवरी, 2018 में मैसर्स एसएम कंसलटेंट, भुवनेश्वर को सौंपा गया था। ड्राफ्ट जीएडी और डिजाइन विवरण संबंधित मालिक संगठनों के साथ साझा किए गए, प्राप्त टिप्पणियों के आधार पर अंतिम रिपोर्ट तैयार की जा रही हैं और संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत की गई हैं। मौजूदा पुलों के विघ्वंस की पद्धति के साथ सभी पुलों के लिए डीईआर के संबंध में ब्लॉक लागत के अनुमान और कार्यान्वयन योजना दिनांक 18.01.2020 को प्राप्त हो गया है, जो संबंधित विभाग (उड़ीसा सरकार) के जांच के अधीन हैं।

8.4 धमरा और अलापुआ एवं मंगलगढ़ी से हंसुआ मुहाने के बीच एचटी/एलटी विद्युत लाईन बदलने के लिए सेन्ट्रल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई यूटिलिटी ऑफ ओडिशा (सीईएसयू) को रु. 20.16 करोड़ की राशि जारी की गई। रा.ज.-5 पर अलापुआ एवं पंकपाल के बीच एचटी/एलटी विद्युत लाईन बदलने के लिए रु. 20.66 करोड़ और रु. 2.86 करोड़ की राशि क्रमशः नॉर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी ऑफ ओडिशा लिमिटेड (नेसको) तथा ओडिशा पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड (ओपीटीसीएल) को जारी की गई है। समस्त कार्य चल रहा है और दिसंबर, 2020 से पहले पूरा हो जाएगा।

8.5 तट विनियमन क्षेत्र (सीआरजेड) और वन्य जीव अनापत्ति हेतु आवेदन ओसीजेडएमए को प्रस्तुत किया गया और

ओसीजे-डॉमेन के विचार प्राप्त किए गए। नई संदर्भ शर्तें (टीओआर) प्राप्त करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। टीओआर मूल्यांकन के लिए 25–26 नवंबर, 2019 को नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई थी।

8.6 पारादीप/धामरा तथा पंकपाल के बीच मासिक देशांतरीय तलस्पर्शी सर्वेक्षण (एमएलटीएस) मैसर्स ग्लोबल मरीन इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड के जरिए करवाया जा रहा है। इस वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 2451.147 कि.मी. लाईन का सर्वेक्षण किया गया था।

8.7 चरण— ।। में विकास के लिए (पंकपाल से तलचर तक) जलीय और स्थलाकृति सर्वेक्षण पूरा हो चुका है।

9. राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.) – 16 (बराक नदी)

वर्ष 2016 में बराक नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग-16 (रा.ज.-16) के रूप में घोषित किया गया। यह असम की कछार घाटी में सिलचर, करीमगंज और बदरपुर को भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्ग के जरिए हल्दिया और कोलकाता के पत्तनों से जोड़ती है। रा.ज.-16 पर भाअजप्रा की उपलब्धियां निम्नलिखित हैं:

फेयरवे विकास

मैसर्स रीच ड्रेजिंग बराक एसपीवी प्राइवेट लिमिटेड को प्रखण्ड-ख {उज्जैनिग्राम (73 किमी) से श्रीधरपुर (95 किमी)} और प्रखण्ड-ग {श्रीधरपुर (95 किमी) से भांगा (121 किमी)} के लिए नौचालन सहायता के प्रावधान के साथ 2 मीटर न्यूनतम उपलब्ध गहराई हेतु निकर्षण और फेयरवे रखरखाव प्रदान करने के लिए क्रमशः कुल रु. 15.36 करोड़ और रु. 15.41 करोड़ की लागत पर कार्य सौंपा गया। दोनों प्रखण्डों में निकर्षण कार्य नवम्बर, 2017 से आरंभ किया गया था।

स्थिति

- i) **प्रखण्ड-ख (22 किमी) अर्थात् उज्जैनिग्राम (चैनेज 73 किमी) से श्रीधरपुर (चैनेज 95 किमी):—** इस प्रखण्ड में नवंबर, 2017 में कार्य शुरू हुआ था और पोत परिवहन मंत्रालय के निर्देशानुसार 04.12.2019 से समाप्त कर दिया/रोक दिया गया है। कुल रु. 14.83 करोड़ (जीएसटी रहित) की लागत पर 6.41 घनमीटर मात्रा का निकर्षण किया गया है।
- ii) **प्रखण्ड-ग (26 किमी) अर्थात् श्रीधरपुर (चैनेज 95 किमी) से भांगा (चैनेज 121 किमी):—** इस प्रखण्ड में भी नवंबर, 2017 में कार्य शुरू हुआ था और यह कार्य संविदाकार मैसर्स आरडीबीएसपीपीएल के द्वारा लगातार किया जा रहा है। कुल रु. 16.51 करोड़ (जीएसटी रहित) की लागत पर मार्च, 2020 तक 7.84 लाख घनमीटर मात्रा का निकर्षण किया गया है।

टर्मिनल

- i) भूमि उपलब्धता बदरपुर 1.34 एकड़ (वेयर हाउस $29.84 \times 16.07 = 479.53$ वर्गमीटर) एनएच-37 से सम्बद्ध और करीमगंज 1.87 एकड़ (वेयर हाउस $85 \times 23 = 1955$ वर्गमीटर, आरसीसी जेट्टी 136.5×14.5 मीटर) एनएच-37 व 8 से सम्बद्ध।
- ii) करीमगंज और बदरपुर टर्मिनलों के उन्नयन/मरम्मत के लिए निविदा प्रक्रियाधीन है। कार्य की अनुमानित लागत रु. 5.42 करोड़ (करीमगंज रु. 2.69 करोड़ और बदरपुर रु. 2.73 करोड़) है।

10. नए राष्ट्रीय जलमार्ग

क) गोवा जलमार्ग— [जुआरी नदी (रा.ज.—101), कंबरजुआ नदी (रा.ज.—27), मंडोवी नदी (रा.ज.—68)] —

भावित परिवहन मंत्री द्वारा रु. 22.65 करोड़ की एक समेकित योजना मंजूर की गई है। जिसमें फ्लोटिंग कंक्रीट जेट्टी रात्रि नौचालन सहायता और लाइट हाउस के प्रावधान शामिल हैं।

माननीय पोत परिवहन मंत्री द्वारा दिनांक 21.02.2020 को 1 फ्लोटिंग कंक्रीट (भारत का पहला कंक्रीट पोंटून) का उद्घाटन किया गया। शेष 3 पांटूनों का उद्घाटन जुलाई, 2020 तक किया जाना था लेकिन लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण इसमें देरी हुई।

रात्रि नौचालन निविदा को मंजूरी दे दी गई और इसे दिनांक 26 मार्च, 2020 तक मंगाई जानी थी लेकिन लॉकडाउन प्रतिबंध के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। नई तारीखों पर विचार किया जा रहा है।

ख) गुजरात जलमार्ग— {नर्मदा नदी (रा.ज.—73) और तापी नदी (रा.ज.—100)} —

संबंधित विवरणों पर कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार के परामर्श से प्रचारित एसएफसी नोट में विकासात्मक गतिविधियों का प्रस्ताव किया गया है।

ग) महाराष्ट्र जलमार्ग — {अम्बा नदी (रा.ज.—10), डाभोल क्रीक—वशिष्ठी नदी प्रणाली (रा.ज.—28), कल्याण — ठाणे — मुम्बई जलमार्ग, वसई क्रीक और उल्हास नदी प्रणाली (रा.ज.—53) तथा रेवाड़-डा क्रीक—कुंडलिका नदी प्रणाली (रा.ज.—85)} —

संबंधित विवरणों पर कार्य किया जा रहा है। राज्य सरकार के परामर्श से प्रचारित एसएफसी नोट में विकासात्मक गतिविधियों का प्रस्ताव किया गया है।

घ) सुंदरबन जलमार्ग (रा.ज.—97) —

सुंदरबन जलमार्ग (रा.ज.—97) सिल्वर ट्री पॉइंट से अथरबंकी खल तक, बांग्लादेश बॉर्डर भारत—बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग का हिस्सा है।

भारत—बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से अजप ढुलाई की मात्रा धीरे—धीरे बढ़ रही है और भारत से बांग्लादेश को बड़ी मात्रा में फ्लाई ऐश कार्गो का निर्यात किया जा रहा है। प्रोटोकॉल मार्ग में काम करने वाले विदेशी ध्वजांकित जलयानों के आवश्यक मूल्यांकन और निरीक्षण के साथ—साथ बाहरी आवक और जावक अनुमतियों की पर्याप्त संख्या भी दैनिक आधार पर संसाधित की जा रही हैं।



रा.ज.-97 के माध्यम से हल्दिया से असम तक आयात—निर्यात माल की छुलाई

11. पारगमन और व्यापार पर भारत—बांग्लादेश प्रोटोकॉल

11.1 भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल

भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल पर पारगमन और व्यापार (पीआइडब्ल्यूटी एण्ड टी) पर एक प्रोटोकॉल 1972 से अस्तित्व में रहा है ताकि अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल के पारगमन और व्यापार के लिए किसी अन्य देश के निर्दिष्ट मार्गों पर एक देश के अंतर्देशीय मालवाहक जलयानों की आवाजाही हो सके। यह कोलकाता और बांग्लादेश के माध्यम से रा.ज.-1 (गंगा), रा.ज.-2 (ब्रह्मपुत्र) और रा.ज.-16 (बराक) को बांग्लादेश और रा.ज.- 97 (सुंदरवन के जलमार्ग) से जोड़ता है। इस प्रोटोकॉल के तहत नामित अंतर्देशीय जलमार्ग हैं:—

- 1 और 2— कोलकाता—सिलघाट और इसके विपरीत
- 3 और 4— कोलकाता—करीमगंज और इसके विपरीत
- 5 और 6—राजशाही—धूलियन और इसके विपरीत
- 7 और 8— सिलघाट—करीमगंज और इसके विपरीत

मौजूदा प्रोटोकॉल जून, 2020 तक मान्य है और इसे तब तक लगातार पांच साल के लिए बढ़ाया जाएगा जब तक कि सरकार या तो समाप्ति के कम से कम 6 महीने पहले अन्य सरकार को समाप्त करने के अपने इरादे की लिखित सूचना देकर प्रोटोकॉल को समाप्त नहीं कर देती। इस प्रोटोकॉल के तहत, दोनों देशों के अंतर्देशीय जलयान निर्दिष्ट प्रोटोकॉल मार्ग पर और प्रत्येक देश में माल की लोडिंग/ अनलोडिंग के लिए अधिसूचित पोर्ट्स ऑफ कॉल पर डॉक कर सकते हैं, पीआइडब्ल्यूटी एण्ड टी के अंतर्गत पोर्ट्स ऑफ कॉल निम्नलिखित हैं:

भारत	बांग्लादेश
कोलकाता	नारायणगंज
हलिदया	खुलना
करीमगंज	मॉंगला
पांडु	सिराजगंज
सिलघाट	आशुगंज
धुबरी	पनगाँव

प्रोटोकॉल मार्ग पर संगठित तरीके से मालवाहक जलयानों के आवागमन में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जो भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र और इसके विपरीत—बांग्लादेश और निर्यात—माल दोनों को पारगमन कार्गो ले जाता है। उत्तर पूर्व क्षेत्र में बिजली परियोजनाओं के लिए भारतीय पारगमन कार्गो मुख्य रूप से कोयला, फ्लाई—ऐश, पीओएल और ओडीसी हैं। ढुलाई के लिए अन्य संभावित कार्गो उर्वरक, सीमेंट, खाद्यान्न, कृषि उत्पाद, कंटेनरीकृत कार्गो आदि हैं।

भारत से बांग्लादेश को जाने वाला माल मुख्य रूप से फ्लाई—ऐश लगभग 3.5 मिलियन टन (3.0 मिलियन टन फ्लाई ऐश) है, जिसकी वित्तीय वर्ष 2019–20 में आईबीपी मार्ग पर ढुलाई की गई और इसमें वित्तीय वर्ष 2018–2019 की तुलना में लगभग 7% वृद्धि दर्ज हुई है।

इसके अलावा, दोनों देशों द्वारा 19वीं और 20वीं बैठक में भारत और बांग्लादेश के बीच पीआइडब्ल्यूटी एण्ड टी पर स्थायी समिति की बैठक, 25 अक्टूबर, 2018 और 04 दिसंबर, 2019 को नई दिल्ली और ढाका में क्रमशः त्रिपुरा में गुमती नदी को शामिल करने पर भी सहमति बनी है। भारत और बांग्लादेश के बीच पीआइडब्ल्यूटी एण्ड टी में दाउदकंडी और सोनमुरा के बीच आईबीपी मार्ग सं. 9 और 10 और मौजूदा प्रोटोकॉल मार्ग सं. 5 और 6 — राजशाही — गोदगरी — धुलियन खंड बांग्लादेश में अरिका तक और पोर्ट्स ऑफ कॉल निम्नलिखित शामिल करने के लिए सहमति हुई है :



INDIAN AND BANGLADESH FLAG VESSELS
FLYING ON IBP ROUTE

भारत		बांग्लादेश	
पोर्ट्स ऑफ कॉल	विस्तारित पोर्ट्स ऑफ कॉल	पोर्ट्स ऑफ कॉल	विस्तारित पोर्ट्स ऑफ कॉल
धूलियन	कोलकाता का त्रिबेनी (बंदेल)	राजशाही	नारायणगंज का घोरासल
माइया		सुल्तानगंज	
कोलाघाट	करीमगंज का बदरपुर	चिलमारी	पनगाँव का मुक्तापुर
सोनमुरा		दाउदकंडी	
जोगीघोपा		बहादुराबाद	

यह शीघ्र ही पीआइडब्ल्यूटी एण्ड टी के तहत पीआइडब्ल्यूटी एण्ड टी के दूसरे परिशिष्ट के माध्यम से शामिल किया जाएगा।




पीआईडब्ल्यूटी और टी के तहत आईबीपी मार्ग

11.2 आईबीपी मार्गों पर यात्री और क्रूज सेवा

क्रमशः 8 अप्रैल, 2017 और 25 अक्टूबर, 2018 को भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग (आईबीपी) पर क्रूज और यात्री जलयान के आवागमन के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच एक समझौता ज्ञापन और एसओपी पर हस्ताक्षर किए गए हैं। चार नदी क्रूज ने कोलकाता - ढाका - गुवाहाटी खंड और इसके विपरीत सफलतापूर्वक अपनी यात्रा पूरी कर ली है।

11.3 उथले झाप्ट पर यांत्रिक जलयानों का संचलन



एक अग्रणी विकास के रूप में, दोनों पक्ष उथले झाप्ट मशीनीकृत जलयानों के उपयोग के माध्यम से चिलमारी (बांग्लादेश) और धुबरी (भारत) के बीच व्यापार शुरू करने के लिए सहमत हुए हैं, बशर्ते कि ये बांग्लादेश के अंतर्रेशीय पोत परिवहन अध्यादेश 1976 या अंतर्रेशीय जलयान अधिनियम, 1917 के तहत प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 1.3 के प्रावधानों के अनुसार और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप पंजीकृत हों। यह पहल बांग्लादेश में स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हुए और भारत के निचले असम क्षेत्र में पत्थर के चिप्स और अन्य भूटानी और उत्तर-पूर्व के कार्गो को बांग्लादेश में निर्यात करने और बांग्लादेश के व्यापारियों के लिए आसान पहुंच की अनुमति देती है। 2019-20 के दौरान धुबरी से चिलमारी तक 1674.54 मीट्रिक टन पत्थर के चिप्स का निर्यात किया गया था।

11.4 भारत—बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग पर जमुना नदी के सिराजगंज से दैखोवा खंड (175 किमी) और कुशियारा नदी के आशुगंज से जकीगंज खंड (295 किमी) तक में फेयरवे विकास

- (i) भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच 08 अप्रैल 2017 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) जमुना नदी के सिराजगंज—दैखोवा खंड (175 किमी) और कुशियारा नदी के आशुगंज—जकीगंज खंड (295 किमी) में 07 साल के लिए 2.5 मीटर गहराई और 30 मीटर चौड़ाई के फेयरवे निर्करण, विकास और अनुरक्षण के लिए हस्ताक्षर किए गए हैं।
- (ii) ये खंड भारत और बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार पर प्रोटोकॉल का हिस्सा हैं जो राष्ट्रीय जलमार्ग –2 (ब्रह्मपुत्र नदी) और राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या –16 (बराक नदी) के माध्यम से पूर्वोत्तर राज्यों को कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं।
- (iii) परियोजना की लागत रु. 305.84 करोड़ (भारतीय रुपये 244.67 करोड़ और बांग्लादेशी रुपये 61.17 करोड़) है और 80:20 के आधार पर भारत सरकार और बांग्लादेश के पीपुल्स रिपब्लिक गणराज्य की सरकार द्वारा साझा किया जाएगा। यह परियोजना भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित है।
- (iv) बांग्लादेश अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन प्राधिकरण (बीआईडब्ल्यूटीए) ने आशुगंज—जकीगंज के लिए दिनांक 04.10.2018 को बीडीटी 95.49 करोड़ की कुल लागत पर तथा सिराजगंज—दैखोवा के लिए दिनांक 11.11.2018 को बीडीटी 227.46 करोड़ की लागत पर 07 वर्षों के लिए खुली निविदा के माध्यम से मैसर्स धरती बंगा जेवी को कार्य सौंप दिया है। निर्करण कार्य आशुगंज—जकीगंज में मार्च, 2019 से तथा आईबीपी मार्ग के सिराजगंज—दैखोवा खण्डों में अप्रैल, 2019 से प्रारंभ हो चुका है।
- (v) भारत और बांग्लादेश से प्रत्येक से 04 सदस्यों वाली एक संयुक्त निगरानी समिति कार्य की प्रगति का पर्यवेक्षण और निगरानी कर रही है।
- (vi) परियोजना प्रबंधन सलाहकार (पीएमसी) की नियुक्ति के लिए चल रहे ड्रेजिंग गतिविधियों के निरीक्षण और निगरानी पर अधिक जोर देने हेतु बीआईडब्ल्यूटीए, बांग्लादेश द्वारा निविदा मंगाई गई है। एमईए ने अतिरिक्त लागत (निविदा लागत रुपये 258.84 करोड़ का 6%+ जीएसटी) रुपए 12.4 करोड़+जीएसटी (एमईए शेयर कुल लागत रु. 15.5 करोड़ के 80% दर पर, बांग्लादेश सरकार का शेयर बीडीटी 3.1 करोड़ है) का सैद्धांतिक अनुमोदन कर दिया है। बांग्लादेश सरकार की बीडीटी 3.1 करोड़ है जो ड्रेजिंग परियोजना की निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए भारत सरकार और बांग्लादेश सरकार के बीच 80:20 के आधार पर साझा किया जाता है।
- (vii) एक बार जब ये खंड पूर्णतया नौगम्य हो जाते हैं, तो वे उत्तर पूर्व क्षेत्र (रा.ज.-1 (गंगा नदी), रा.ज.-2 (ब्रह्मपुत्र नदी) और रा.ज.-16 (बराक नदी) को जोड़कर) में बांग्लादेश जलमार्गों के माध्यम से कार्गो ढुलाई की लॉजिस्टिक लागत काफी कम करने में मदद करेंगे। साथ ही, उत्तर पूर्व भारत को और से निर्बाध नौचालन और सिलिगुड़ी कॉरिडोर (चिकन्स नेक) के माध्यम से भीड़ में कमी होगी।

12. भारत—म्यांमार कालादान मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना

इस परियोजना का कार्यान्वयन म्यांमार में कालादान नदी एवं सितवे पत्तन के जरिए उत्तर पूर्व को वैकल्पिक संबद्धता प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। इस परियोजना में मिजोरम से पलेतवा (म्यांमार) तक सड़क संबद्धता, तदोपरांत पलेतवा से सितवे (म्यांमार) तक जलमार्ग संबद्धता एवं सितवे से भारत में किसी भी पत्तन एवं भारत में किसी भी पत्तन से सितवे तक तटीय संबद्धता सन्निहित है।

म्यांमार में कालादान मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना के पत्तन एवं अजप संघटकों के कार्यान्वयन हेतु, भाअजप्रा, विदेश मंत्रालय का परियोजना विकास परामर्शदाता (पीडीसी) है। इस परियोजना का संचालन तथा वित्त—पोषण विदेश मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस संबंध में विदेश मंत्रालय तथा भाअजप्रा के बीच एक करार 19 मार्च, 2009 को हस्ताक्षरित किया गया था।

भाअजप्रा की देखरेख में म्यांमार में कार्यान्वयन किए जा रहे कार्यों के लिए मैसर्स एस्सार प्रोजेक्ट (इंडिया) लि. (ईपीआईएल) को विदेश मंत्रालय द्वारा मुख्य संविदाकर्ता नियुक्त किया गया है। इस परियोजना के लिए मैसर्स यूआरएस स्कॉट विल्सन इंडिया प्रा. लि., गुडगांव को भाअजप्रा का पर्यवेक्षण परामर्शदाता बनाया गया है।

परियोजना के चरण—। का कार्य पूरा हो चुका है। चरण—। के कार्यों की विशेषताएं निम्नानुसार हैं :—

क) चरण—। के कार्य

1. सितवे

- रब्बलयुक्त डाइक का निर्माण
- पत्तन और अजप जेट्टी दोनों के लिए संपर्क जेट्टी
- सितवे में पत्तन का निर्माण
- सितवे में अजप टर्मिनल का निर्माण
- सितवे पोर्ट में निकर्षण पहुंच चैनल तथा पोर्ट बेसिन
- बैकअप सुविधा ढांचा (पत्तन कार्यालय, अजप कार्यालय, आच्छादित भंडार, विद्युतीय एवं जनरेटर कक्ष, कैंटीन / आराम कक्ष आदि) का निर्माण
- पोर्ट जेट्टी में 10टी लेवल लफिंग क्रेन की स्थापना तथा सितवे एवं पलेतवा के लिए अन्य कार्गो हैंडलिंग हेतु उपकरणों की आपूर्ति।

2. पलेतवा

- अजप टर्मिनल
- अजप कार्यालय, आच्छादित भंडार, विद्युतीय एवं जनरेटर कक्ष, कैंटीन / आराम कक्ष आदि जैसे बैकअप सुविधा कार्य

3. नदी निकर्षण कार्य।

4. 300 टन क्षमता के 6 बार्ज का निर्माण।
5. नौवालन सहायता का संस्थापन।

उपर्युक्त के अलावा, सितवे एवं पलेतवा में चरण—। के कार्य के तहत कुछ अतिरिक्त कार्य ईपीआईएल के माध्यम से भी पूरा किया गया है।

ख. चरण—॥ के कार्य

चरण—॥ में शामिल कार्य निम्नानुसार हैं :

- क) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को तैयार करने सहित सितवे / पलेतवा में कंटेनर हैंडलिंग सुविधा का निर्माण – डीपीआर तैयार की गई।
- ख) सितवे पोर्ट बेसिन क्षेत्र से क्षतिग्रस्त पोत के मलवे को हटाना:— सितवे पोर्ट बेसिन क्षेत्र से क्षतिग्रस्त पोत मलवे को हटाने का कार्य पूरा किया।
- ग) पूर्ण परियोजना घटकों के प्रचालन एवं प्रबंधन (ओ एंड एम) – विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने ओ एंड एम एजेंसी के माध्यम से चरण—। में बनाई गई परिसंपत्तियों के रखरखाव और संचालित करने के लिए 22 अक्टूबर 2018 को म्यांमार सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया।

तदनुसार, चरण—। के तहत पूरी की गई संपत्ति 31 जनवरी, 2020 को म्यांमार सरकार के विभागों के माध्यम से मैसर्स ए टू जेड एकिजम को सौंप दी गई है और 1 फरवरी 2020 से संचालन और रखरखाव शुरू हो गया है।

भाइज़प्रा ने परियोजना विकास परामर्शदाता की अपनी भूमिका में विदेश मंत्रालय, भारत—यंगोन दूतावास, पोत परिवहन मंत्रालय, उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय, म्यांमार सरकार, परियोजना के कार्यान्वयन हेतु संविदाकर्ताओं तथा परामर्शदाताओं जैसे सभी संबंधित हितधारकों के साथ नियमित समन्वय बनाए रखा है।

13. जलीय सर्वेक्षण कार्यकलाप

हाइड्रोग्राफी वह विज्ञान है जो पृथ्वी की सतह और उससे सटे तटीय क्षेत्रों के नौगम्य भाग की भौतिक विशेषताओं का मापन और वर्णन करता है। जलीय सर्वेक्षक पानी के इन निकायों का अध्ययन करने के लिए देखते हैं कि “फ्लोर” कैसा दिखता है। जल निकायों की गहराई और निचले विन्यास को मापने के लिए जलीय सर्वेक्षण किया जाता है। उस डेटा का उपयोग समुद्री चार्ट को अपडेट करने और हाइड्रोग्राफिक मॉडल को विकसित करने के लिए किया जाता है। यह जानकारी महासागर और हमारे देश के जलमार्गों के नौचालन के लिए महत्वपूर्ण है।

जलमार्ग विकास के अध्ययन और नौचालन की सुरक्षा के लिए जलीय सर्वेक्षण आवश्यक है। जलीय सर्वेक्षण मापतोल तथा विशेषताओं का वर्णन करने वाला विज्ञान है जो नौचालन मरीन निर्माण, निकर्षण, जलमग्न क्षतिग्रस्त पोत तथा अन्य विशिष्ट सीमांकन तथा संबंधित गतिविधियों को प्रभावित करता है। जलीय सर्वेक्षण, निर्णय लेने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे यह नियोजन और विकासात्मक एवं अनुरक्षण संबंधी गतिविधियों का कार्यान्वयन हो, सुरक्षित नौचालन की सहायता के रूप में नाविकों/समुद्र का उपयोग करने वालों, सामुद्रिक मानचित्र का प्रकाशन

“दुनिया के चार्ट में बहुत सारे रिक्त स्थान। इन सभी के भरे जाने से पहले बहुत अधिक सर्वेक्षण करना होगा।”
— जॉन ब्लेन, द फैट्म शार्क



करने वालों इत्यादि को सूचना मुहैया कराना हो। जलीय पक्ष नाविकों को अतिरिक्त पूरक जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों से संबंधित पायलट और नौचालन मानचित्र का प्रकाशन भी करता है।

सटीक सर्वेक्षण करने के लिए स्वचालित जलीय सर्वेक्षण प्रणाली युक्त ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम का उपयोग करके आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। जलीय प्रक्रिया के अंतिम स्तर पर सूचना में जलीय सर्वेक्षण के जरिए संग्रहित कच्चे आंकड़ों का उपयोग किया जाता है जिसका उपयोग अंतिम उपयोगकर्ता विश्लेषण तथा सुरक्षित नौचालन करने के लिए करता है। जलीय सर्वेक्षण क्षमताओं को नवीनतम सर्वेक्षण उपकरण यानी बाथी-स्वाथ मल्टीबीम इको-साउंडर, अकूस्टिक डॉप्लर करेंट प्रोफाइलर (एडीसीपी), साइड स्केन सोनार और सब-बॉटम प्रोफाइलर द्वारा बढ़ाया जा रहा है।

13.1 राष्ट्रीय जलमार्ग –1 (सागर–प्रयागराज)

➤ तलस्पर्शी सर्वेक्षण

वर्ष के दौरान कम बरसात के दिनों में पाक्षिक एवं बाढ़ के दौरान मासिक तौर पर विभागीय रूप से तलस्पर्शी (देशान्तरीय) सर्वेक्षण कराए गए थे एवं अजप उपयोगकर्ताओं को नदी सूचनाएं (हिंदी व अंग्रेजी दोनों में) जारी की गई थीं। वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 27,470 लाइन–कि.मी. तलस्पर्शी सर्वेक्षण कराए गए।


➤ विस्तृत/बंडालिंग/निकर्षण सर्वेक्षण

वर्ष 2019–20 के दौरान विभागीय तौर पर पूर्व एवं उत्तर बंडालिंग/निकर्षण और विस्तृत सर्वेक्षण 97 द्विदले स्थानों और 37 अलग अन्य सर्वे कराए गए थे, जिसका विवरण बार चार्ट के रूप में नीचे दर्शाया गया है।

➤ टर्मिनल सर्वेक्षण

वर्ष 2019–20 के दौरान 03 मौजूदा टर्मिनल/प्रस्तावित टर्मिनलों पर टर्मिनल सर्वेक्षण किया गया था।

रा.ज.–1 में विभिन्न सर्वेक्षण गतिविधियों को चित्रित करता ग्राफ निम्नानुसार दर्शाया गया है:



13.2 राष्ट्रीय जलमार्ग –2 (ब्रह्मपुत्र नदी)

➤ तलस्पर्शी सर्वेक्षण

वर्ष 2019–20 के दौरान विभागीय तौर पर तलस्पर्शी सर्वेक्षण कम वर्षा के मौसम में पाक्षिक रूप से और बाढ़ के मौसम में मासिक रूप से कराए गए और नदी संबंधी सूचनाएं (अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में) जारी की गई। वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 14,389 लाइन–कि.मी. तलस्पर्शी सर्वेक्षण कराए गए थे।


➤ विस्तृत/बंडलिंग/निर्कर्षण सर्वेक्षण

वर्ष 2019–20 के दौरान आर.सी. कार्यों को करने तथा सुचारू नौचालन सुनिश्चित करने के लिए 100 द्विदले स्थानों पर पूर्व/उत्तर बंडलिंग / निर्कर्षण और विस्तृत सर्वेक्षण और विभागीय तौर पर 2 अन्य सर्वे कराए गए। जिसका विवरण बार–चार्ट के रूप में दर्शाया गया है।

➤ टर्मिनल सर्वेक्षण


वर्ष 2019–20 के दौरान मौजूदा/प्रस्तावित टर्मिनलों के स्थलों पर 11 टर्मिनल सर्वेक्षण किए गए थे।

रा.ज.–2 में विभिन्न सर्वेक्षण गतिविधियों को चित्रित करता ग्राफ निम्नानुसार दर्शाया गया है :



13.3 डीजीपीएस आधारित नौचालन प्रणाली :-

भारतीय जलमार्ग प्राधिकरण ने राज. 1 और 2 में अधिक विश्वसनीय और सुरक्षित अंतर्देशीय नौचालन विधियों के लिए अपनी प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए डीजीपीएस (डिफरेंशियल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) तकनीक के साथ नौचालन प्रारंभ किया है। इस परियोजना के अंतर्गत राज. 1 में स्वरूपगंज, भागलपुर, पटना और वाराणसी तथा राज. 2 में धुब्री, जोगीघोपा, विश्वनाथ और डिब्रूगढ़ में पहले ही डीजीपीएस स्टेशन स्थापित किए गए हैं और ये कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में, डीजीपीएस संबद्धता राज. 1 (1547 कि.मी.) तथा राज. 2 (891 कि.मी.) के पूरे प्रखण्ड के लिए उपलब्ध है।



डीजीपीएस स्टेशन के कार्य सिद्धांत

राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (हल्दिया और प्रयागराज के बीच गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली) और राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (सदिया और धुब्री के बीच ब्रह्मपुत्र नदी) में जलयानों की सफल यात्रा में डीजीपीएस नेटवर्क सुविधा प्रदान कर रहा है।

धुब्री स्थित अतिरिक्त स्टेशन की मदद से भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्गों में सुरक्षित और प्रभावी नौचालन किया जा रहा है। इन स्टेशनों का नियोजन इस तरह से किया गया है कि सब-मीटर में परिशुद्धता के साथ लगभग 150 कि.मी. के परिधि क्षेत्र में कवरेज प्राप्त किया जा सके।

13.4 राष्ट्रीय जलमार्ग -3 (पश्चिम तटीय कैनाल, उद्योगमंडल एवं चम्पाकारा कैनाल)

➤ तलस्पर्शी सर्वेक्षण

विभागीय तलस्पर्शी सर्वेक्षण कोट्टापुरम-कोच्चि-कोल्लम प्रखण्ड (उद्योगमंडल और चंपाकारा कैनाल सहित पश्चिम तट कैनाल) में मासिक आधार पर किए जाते हैं तथा नदी संबंधी सूचनाएं (अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में) जारी की गई। वर्ष 2019-20 के दौरान कुल 2,337.00 लाइन-कि.मी. तलस्पर्शी सर्वेक्षण कराए गए।


➤ विस्तृत सर्वेक्षण

वर्ष 2019–20 के दौरान पूर्व और उत्तर निकर्षण सर्वेक्षण 16 स्थानों पर किए गए थे।

➤ टर्मिनल सर्वेक्षण

वर्ष 2019–20 के दौरान मौजूदा टर्मिनलों के स्थलों पर 1 टर्मिनल सर्वेक्षण किया गया थे।


रा.ज.-3 में विभिन्न सर्वेक्षण गतिविधियों को चित्रित करता ग्राफ निम्नानुसार दर्शाया गया है :



13.5 राष्ट्रीय जलमार्ग- 4 (एकीकृत नहरों का काकीनाड़ा—पुदुचेरी प्रखण्ड, गोदावरी नदी का भद्राचलम – राजमुंद्री प्रखण्ड और कृष्णा नदी का वजीरा—विजयवाड़ा प्रखण्ड)

वर्ष 2019–20 के दौरान, कुल 164.00 लाइन–किमी का 2 तलस्पर्शी सर्वे किया गया। वर्ष 2019–20 के दौरान 5 पूर्व और 10 उत्तर निकर्षण सर्वेक्षण 4 स्थानों पर टर्मिनल सर्वे किए गए थे।

रा.ज.-4




13.6 राष्ट्रीय जलमार्ग—5 (ब्रह्मणी और महानदी डेल्टा के साथ पूर्वी तट नहर)

वर्ष 2019–20 के दौरान, कुल 2,451.147 लाइन–किमी के 12 तलस्पर्शी सर्वे किए गए थे।

पंकपाल से तलचर – लंबाई 120 किमी तक 01 विस्तृत सर्वेक्षण पूरा किया गया था।


01 पंकपाल टर्मिनल सर्वेक्षण (स्थलाकृतिक) भी पूरा किया गया था।

रा.ज.-5




13.7 राष्ट्रीय जलमार्ग—8

वर्ष 2019–20 के दौरान, कुल 29.00 लाइन–किमी का 1 तलस्पर्शी सर्वेक्षण किया गया।



13.8 राष्ट्रीय जलमार्ग—9


वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 100.00 लाइन–किमी के 4 तलस्पर्शी सर्वेक्षण किए गए। वर्ष 2019–20 के दौरान 2 स्थानों (पट्टामुल्ला और अलापुङ्गा) पर विस्तृत जलीय सर्वेक्षण किए गए।



13.9 राष्ट्रीय जलमार्ग—16 (बराक नदी)

वर्ष 2019–20 के दौरान, कुल 847.00 लाइन–किमी के 7 तलस्पर्शी सर्वे किए गए थे।


बराक नदी की सर्वेक्षण गतिविधियाँ (रा.ज. 16)



13.10 राष्ट्रीय जलमार्ग-86 (रुपनारायण नदी)

वर्ष 2019–20 के दौरान, कुल 350.00 लाइन–किमी के 10 तलस्पर्शी सर्वे किए गए थे।

रुपनारायण नदी की सर्वेक्षण गतिविधियाँ (रा.ज. 86)




13.11 भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग (सुंदरबन— रा.ज. —97)

वर्ष 2019–20 के दौरान भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग में सिल्वर ट्री पॉइंट से अथरबंकी खल तक 201 किमी की लंबाई के लिए 12 मासिक तलस्पर्शी सर्वेक्षण किए गए थे और एलएडी तथा नदी सूचनाओं को भाजप्रा वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था। वर्ष 2019–20 के दौरान तलस्पर्शी सर्वेक्षण के कुल 2,412 लाइन–किमी का सर्वेक्षण किया गया। आई.बी.पी. मार्ग के तहत सुंदरबन जलमार्ग में 1 विस्तृत सर्वेक्षण किया गया था।

भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग संख्या 5 और 6 में राजशाही से धुलियान तक 14 मासिक तलस्पर्शी सर्वेक्षण किया गया और वर्ष 2019–20 के दौरान तलस्पर्शी सर्वेक्षण की कुल 140 लाइन–किमी सर्वेक्षण किया गया।

सुंदरबन प्रोटोकॉल मार्ग की सर्वेक्षण गतिविधियाँ (सुंदरबन— रा.ज. —97)



13.12 सर्वेक्षण जलयान

भाजप्रा ने आंकड़ा संग्रहण, प्रसंस्करण और प्रिंटिंग के लिए डिजिटल ईको साउंडर, डीजीपीएस रिसीवर, लैपटॉप / डेस्कटॉप और करेंट-मीटर युक्त स्वचालित जलीय सर्वेक्षण प्रणाली जैसे अत्याधुनिक सर्वेक्षण सुविधा युक्त 18 सर्वेक्षण जलयान तैनात किए हैं।

अत्याधुनिक सर्वेक्षण उपकरणों से युक्त 02 सर्वेक्षण जलयान अर्थात् एस.एल. गंगा और एस.एल. जाह्वी भी जलमार्ग विकास परियोजना के तहत रा.ज. -1 में तैनात हैं।

विभिन्न जलमार्गों में निम्नलिखित सर्वेक्षण जलयान प्रचालन में हैं और सर्वेक्षण कार्य के लिए तैनात हैं :—

राष्ट्रीय जलमार्ग	जलयान का नाम			
रा.ज.-1	1) एस. एल. कोयल	2) एस. एल. गंडक	3) एस. एल. मेघना	4) एस. एल. अनुपल्लव
	5) एस. एल. कमला	6) एस. एल. घाघरा	7) एस. एल. मंदाकिनी	8) एस. एल. द्वारकेश्वर
	9) एस. एल. पुनपुन	10) एस. एल. रिहंद	11) एस. एल. दिहंग	12) एस. एल. गंगा
	13) एस. एल. जाह्वी			
रा.ज.-2	1) एस. एल. लोहित	2) एस. एल. बराक	3) एस. एल. सुबानसिरी	4) एस. एल. बूढ़ी दिहिंग
	5) एस. एल. दिबांग	6) एस. एल. कोसी		
रा.ज.-3	1) एस. एल. पम्बा			

13.13 हल्दिया—फरक्का, फरक्का—पटना और पटना—वाराणसी खण्ड में नदी सूचना प्रणाली (आरआईएस) की स्थापना

भाजप्रा ने जलयान यातायात प्रबंधन प्रणाली (वीटीएमएस) के क्रम में नदी सूचना प्रणाली (आरआईएस) लॉन्च की है। भाजप्रा ने भारत में पहली बार राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा) पर नदी सूचना सेवा प्रणाली स्थापित करने की तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण उपर्युक्त परियोजना को अपनाया है। परियोजना तीन चरणों अर्थात् हल्दिया—फरक्का, फरक्का—पटना और पटना—वाराणसी में कार्यान्वित की जा रही है। इनका विवरण निम्नानुसार है :—


		<u>चरण- II :</u> फरक्का—पटना	<u>चरण- III :</u> पटना—वाराणसी
<u>कवरेज</u>	545 कि.मी.	410 कि.मी.	353 कि.मी.
<u>अवसंरचना</u>	<ul style="list-style-type: none"> ● 7 बेस स्टेशन ● 2 कंट्रोल स्टेशन ● 30 जलयान स्टेशन ● 27.04.2014 को कार्य आबंटित 	<ul style="list-style-type: none"> ● 6 बेस स्टेशन ● 1 कंट्रोल स्टेशन ● 05.06.2015 को कार्य आबंटित 	<ul style="list-style-type: none"> ● 4 बेस स्टेशन ● 1 कंट्रोल स्टेशन ● 03.03.2016 को कार्य आबंटित
<u>स्थिति</u>	दिनांक 06.01.2016 को प्रारंभ	दिनांक 15.03.2018 को प्रारंभ	संस्थापन प्रगति पर है।

इस प्रणाली से पत्तन/नदी में अन्तर्राष्ट्रीय नौचालन सुरक्षा को बढ़ाने में आसानी होगी और यह अन्तर्राष्ट्रीय जल परिवहन को निम्नलिखित जोखिम से बचाकर सक्षम बनाती है:

- क) जलयान से जलयान की टक्कर
- ख) जलयान—पुल की टक्कर
- ग) ग्राउंडिंग्स



जलयान पर नदी सूचना प्रणाली (आरआईएस)
उपकरण



नदी सूचना प्रणाली बेस स्टेशन पर प्रदर्शन

13.14 मानचित्र संबंधी प्रकोष्ठ / सेमिनार / प्रशिक्षण

भाअजप्रा मुख्यालय, नौएडा में मानचित्र संबंधी प्रकोष्ठ, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) और सीएआरआईएस, ईआरडीएएस इमेजिन, ऑटोकैड, इत्यादि जैसे ईमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर द्वारा डिजिटल चार्ट को तैयार करने के लिए आधुनिक उपकरण और सॉफ्टवेयर से सुसज्जित है। भाअजप्रा के कार्टोग्राफर जीआईएस सॉफ्टवेयर और ईमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इत्यादि का उपयोग करने हेतु प्रशिक्षित किए गए हैं।

मानचित्र संबंधी प्रकोष्ठ में नए 106 जलमार्गों का अन्वेषण किया गया और नए जलमार्गों के इंडेक्स मानचित्र तैयार करने के लिए मानचित्र प्रयोगशाला में स्थापित आधुनिक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर नदी मार्गों को डिजिटलीकृत किया गया है।

भाअजप्रा राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास हेतु वर्ष 1986 से सर्वेक्षण कर रहा है। भाअजप्रा अधिनियम, 2016 की धारा 14(2)(ग) के अंतर्गत जलीय सर्वेक्षण कर रहा है और नदी चार्ट प्रकाशित कर रहा है तथा भाअजप्रा ने सुरक्षित नौचालन के प्रयोजन से नदी एटलस और नदी पायलट राष्ट्रीय जलमार्ग-1, 2, 3 और सुन्दरबन को निम्नवत प्रकाशित किया है :

क्रम सं.	राष्ट्रीय जलमार्ग	विवरण	चार्ट की सं.
1.	रा. ज. 1	सागर से इलाहाबाद (पेपर चार्ट)	103
2.	रा. ज. 2	बांगलादेश बॉर्डर से सदिया (पेपर चार्ट)	40
3.	रा. ज. 3	कोट्टापुरम से कोल्लम जिसमें चम्पाकारा और उद्योगमण्डल कैनाल शामिल हैं (पेपर चार्ट)	49
4.	सुन्दरबन	नामखाना से अथारबंकीखान	25
5.	रा. ज. 1	सागर से फरक्का (पेपर चार्ट) का अद्यतन नए इएनसी का निर्माण	66
6.	रा. ज. 1	फरक्का से पटना (पेपर चार्ट एवं इएनसी)	

जलमार्ग के लिए नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, हैदराबाद से सेटेलाइट डेटा प्राप्त किए गए और इन्हें जीआईएस सॉफ्टवेयर के प्रयोग से संसाधित व डिजिटलीकृत किया गया है। लैंड मार्क, सर्वे ऑफ इंडिया की भौगोलिक विशेषताओं के डिजिटल डेटा के साथ ही फील्ड सर्वे डेटा (हाईपैक से) और इलेक्ट्रॉनिक चार्ट तैयार करने के लिए अद्यतन एनआरएससी डेटा संकलित किए गए थे।

भाअजप्रा आईएनसीए का कॉर्पोरेट सदस्य है और भाअजप्रा ने 18–20 दिसम्बर, 2019 के दौरान देहरादून में आयोजित 39वीं आईएनसीए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेस में सहभागिता की है।

13.14.1 वर्ष 2019–20 मानचित्र, एटलस तथा नौचालन संबंधी उत्पादों की बिक्री

वर्ष 2019–20 में भाअजप्रा प्रचालक उपयोगकर्ता, प्राइवेट तथा सरकारी विभागों को मानचित्र, एटलस तथा नौचालन संबंधी उत्पादों की बिक्री से रु. 60,643.00 मात्र की राशि संग्रहित की गई। जिसका विवरण निम्नवत हैः—

क्र. स.	विवरण मानचित्र / एटलस / पायलट	राशि रु. में	मात्रा	जीएसटी @18%
1	एटलस, राष्ट्रीय जलमार्ग–1	25,000.00	2	59,000.00
2	नदी पायलट, रा. ज.–1	650.00	1	758.00
3	नदी पायलट, रा. ज.–2	350.00	1	413.00
4	नदी पायलट, रा. ज.–3	400.00	1	472.00
कुल				60,643.00
(साठ हजार छह सौ तीनालीस)				

14. राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय नौवहन संस्थान (निनी), पटना

राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय नौवहन संस्थान (निनी) की स्थापना भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण (भाअजप्रा) द्वारा फरवरी, 2004 में पटना, बिहार में अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन क्षेत्र हेतु मानव संसाधन विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। यह संस्थान पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण (भाअजप्रा) द्वारा प्रबंधित है। वर्ष 2019–20 के दौरान महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नलिखित हैंः—

क) गतिविधियां

(i) निम्नलिखित प्रशिक्षण गतिविधियों का संचालन किया गया :

- प्रारंभिक प्रशिक्षण जीपी रेटिंग कोर्स (31वां और 32वां बैच)
- जनरल परपस रेटिंग इंडक्शन पाठ्यक्रम के लिए आंतरिक अंतिम परीक्षा (लिखित एवं मौखिक) का संचालन जुलाई, 2019 और जनवरी, 2020 में किया गया।
- प्रशिक्षण जलयान 'सर्वेक्षक', सीएसडी बक्सर, अन्तर्राष्ट्रीय जलयान प्रशिक्षण सिमुलेटर और ड्रेजिंग सिमुलेटर पर जीपी रेटिंग (अंतर्राष्ट्रीय जलयान) प्रशिक्षुओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया।
- नाव सर्वेक्षक और पंजीकरण अधिकारी हेतु बिहार सरकार के कार्मिकों के लिए एक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किया गया था।

- “सुरक्षित तैराकी” कार्यक्रम के लिए मास्टर ट्रेनर पाठ्यक्रम हेतु बिहार सरकार के कार्मिकों के लिए एक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किया गया था।
- भारतीय कार्मिकों के लिए हाइड्रोग्राफी पैक कोर्स हेतु एक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किया गया था।
- भारतीय कार्मिकों के लिए नदी नौचालन पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किया गया था।
- अंतर्देशीय जल परिवहन, असम कार्मिकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण हेतु एक पाठ्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किया गया था।
- निम्नलिखित डीजी अनुमोदित पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया गया था :
 - प्रारंभिक प्राथमिक उपचार (ईएफए)
 - आग की रोकथाम और अग्निशमन (एफपीएफएफ)
 - व्यक्तिगत उत्तरजीविता तकनीक (पीएसटी)
 - व्यक्तिगत सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी (पीएसएसआर)
 - शिप मैन्यूवरिंग सिम्युलेटर (एसएमएस)
 - ब्रिज टीम प्रबंधन (बीटीएम)

(ii) अन्तर्देशीय जलयान सक्षमता प्रमाणपत्र हेतु प्रारंभिक पाठ्यक्रम

- अन्तर्देशीय जलयान परीक्षाओं हेतु निम्नलिखित प्रारंभिक पाठ्यक्रम संचालित किए गए :–
 - सेरांग
 - मास्टर क्लास— ||
 - मास्टर क्लास— |
 - सेकेण्ड क्लास इंजन ड्राइवर
 - फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर
 - अंतर्देशीय अभियंता

(iii) बिहार सरकार की ओर से अन्तर्देशीय जलयान परीक्षा का संचालन

- बिहार सरकार के अन्तर्देशीय जलयान नियम के अनुसार सक्षमता प्रमाणपत्र प्राप्त करने के इच्छुक उम्मीदवारों हेतु निम्नलिखित विभिन्न श्रेणियों की परीक्षाएं संचालित की गई :–
 - सेरांग
 - मास्टर क्लास— ||
 - मास्टर क्लास— |
 - सेकेण्ड क्लास इंजन ड्राइवर
 - फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर
 - अंतर्देशीय अभियंता

	सेरांग	मास्टर क्लास— ॥	मास्टर क्लास —।	इंजन ड्राइवर क्लास—॥	इंजन ड्राइवर क्लास—।	IV अभियंता
कुल उत्तीर्ण	189	77	151	223	74	8

(ख) प्रशिक्षण

निनी द्वारा नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाता है और वह अपने पाठ्यक्रमों का विज्ञापन सामुद्रिक पत्रिकाओं और राष्ट्रीय समाचार पत्रों में देता है।

- डेक और इंजन पर कराए गए प्रारंभिक पाठ्यक्रम में शामिल प्रशिक्षुओं की निजी बार्ज ऑपरेटर की मदद से प्लेसमेंट।
- सीओसी परीक्षा का डेटाबेस और प्रमाण पत्र अनुरक्षित किया जा रहा है।

वित्त वर्ष 2019–20 का कुल प्रशिक्षण विवरण

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	प्रशिक्षुओं की सं.
1	अंतर्देशीय जलयान जीपी रेटिंग के लिए इडक्शन पाठ्यक्रम	55
2	सेरांग के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम	17
3	मास्टर – ॥ के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम	37
4	मास्टर – । के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम	26
5	इंजन ड्राइवर – ॥ के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम	11
6	इंजन ड्राइवर – । के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम	14
7	अंतर्देशीय जलयान अभियंता के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम	4
8	अंतर्देशीय जलयान कौशल सिम्युलेटर पाठ्यक्रम	26
9	वोट सर्वेयर पाठ्यक्रम के लिए मास्टर ट्रेनर	48
10	ब्रिज टीम प्रबंधन (बीटीएम)	2
11	शिप कौशल सिम्युलेटर (एसएमएस)	11
12	“सुरक्षित तैराकी” कार्यक्रम के लिए मास्टर ट्रेनर पाठ्यक्रम	209
13	मूल सुरक्षा पाठ्यक्रम (एसटीसीडब्ल्यू)	239
14	भाअजप्रा कार्मिकों के लिए हाइड्रोग्राफी पैक कोर्स	26
15	अंतर्देशीय जल परिवहन, असम कार्मिकों के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम	24
16	भाअजप्रा कार्मिकों के लिए नदी नौचालन पाठ्यक्रम	8
17	बोट स्वामी और बोट मैन हेतु मास्टर ट्रेनर पाठ्यक्रम	11
कुल		768

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान निनी में विभिन्न पाठ्यक्रमों में कुल प्रशिक्षित उम्मीद्वारों की संख्या 768 है।

ग) मानव संसाधन

संस्थान के प्रबंधन के लिए संस्थान में संकाय सदस्यों और प्रशिक्षकों का एक पूल विकसित किया गया है। संस्थान तीन श्रेणियों अर्थात् नियमित परामर्शी संकाय, नियमित अतिथि संकाय और आवश्यकता आधारित अतिथि संकाय में संकाय को तैनात करता है।

घ) एफिलिएशन्स एवं एसोसिएशन्स:

- संस्थान के निरीक्षण के बाद अमेरिकन ब्यूरो ऑफ शिपिंग (एबीएस) द्वारा आईएसओ 9001:2015 प्रमाण पत्र नवीकृत किया गया।
- निनी द्वारा अजप, बिहार की ओर से निनी कैम्पस में सीओसी (सक्षमता प्रमाण पत्र) परीक्षा आयोजित की जाती है।



बेसिक सेफटी कोर्स, सेफ स्विम कोर्स और अन्य पाठ्यक्रमों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण



माननीय अध्यक्षा / अध्यक्ष, भाऊजप्रा और पोत परिवहन मंत्रालय से प्रतिनिधि का दौरा

15. यातायात, कार्गो ढुलाई का विवरण एवं अन्य विशिष्टताएं


अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन (अजप) परिवहन का सबसे अधिक लागत प्रभावी और पर्यावरण के अनुकूल माध्यमों में से एक है। विश्व बैंक के एक अध्ययन के अनुसार, सड़क के लिए यूएस \$ 0.033 / टन किमी और रेल के लिए 0.02 / टन किमी की तुलना में अजप मोड में यूएस \$ 0.015 / टन किमी की सबसे कम प्रचालन लागत है। विश्व स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों को इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए परिवहन के एक मोड के रूप में पहचाना और विकसित किया गया है। भारत में लगभग 14,500 किमी के नौगम्य जलमार्ग हैं जिनमें परिवहन माध्यम के रूप में विकसित की जाने वाली महत्वपूर्ण क्षमता वाली नदियाँ, नहरें, बैकवाटर, क्रीक आदि शामिल हैं। स्वतंत्रता पूर्व के वर्षों में, अजप मोड का उपयोग देश के विभिन्न हिस्सों में यात्रियों और माल दोनों के परिवहन के लिए बढ़े पैमाने पर किया गया था। हालांकि, स्वतंत्रता के बाद, इस क्षेत्र के विकास पर पर्याप्त ध्यान न देने के कारण, अजप मोड ने परिवहन के एक मोड के रूप में पहचान खो दी। परिणामस्वरूप, अंतर्रिहित लाभ के बावजूद, भारत में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग परिवहन (अजप) मोड की हिस्सेदारी वर्तमान में लगभग 2% है। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण (भाअजप्रा), की स्थापना 1986 में पोत परिवहन मंत्रालय के अधीन नौवहन और नौचालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों को विकसित और विनियमित करने के लिए की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों के लाभों और महत्व को पहचानते हुए और इसके सामान्य हिस्से को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार ने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के माध्यम से 106 नए जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) के रूप में घोषित किया, जिससे कुल राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 111 हो गई। 111 राष्ट्रीय जलमार्गों में से विभिन्न तकनीकी—आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययनों के आधार पर, भाअजप्रा ने आगे के विकास के लिए 22 राष्ट्रीय जलमार्गों की पहचान की है। इन राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास के लिए, भाअजप्रा विस्तृत तकनीकी और वाणिज्यिक अध्ययन सहित विभिन्न गतिविधियों को निष्पादित करने का कार्य कर रहा है। साथ ही, विकास के लिए परियोजनाओं की पहचान और कार्गो के परिवहन तथा अजप मोड का उपयोग करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए पर्याप्त फेरवे, लॉक्स, नदी सूचना प्रणाली, टर्मिनलों और संबद्ध बुनियादी ढांचे के रूप में नौवहन संबंधी बुनियादी ढांचा प्रदान करता है। अजप सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भाअजप्रा द्वारा संचालित विभिन्न बाजार आउटरीच गतिविधियों के साथ इन हस्तक्षेपों का प्रभाव और धीरे—धीरे उद्योग द्वारा परिवहन के वैकल्पिक मोड के रूप में अजप मोड की पहचान के रूप में होता है।

यह रिपोर्ट वित्त वर्ष –20 में 16 चालू राष्ट्रीय जलमार्गों पर यातायात आवाजाही का विस्तृत विश्लेषण करती है और पिछले साल के यातायात की मात्रा और प्रचालन के बारे में विवरण, कमोडिटी प्रोफाइल तथा प्रमुख मूल और गंतव्य जेटी / स्थानों को कवर करती है।

राष्ट्रीय जलमार्गों पर आवागमन


वित्त वर्ष –20 में राष्ट्रीय जलमार्गों पर कुल यातायात आवाजाही 73.64 मिलियन टन दर्ज की गई, जबकि वित्त वर्ष – 19 में यह 72.3 मिलियन टन थी, इस प्रकार लगभग 2% वृद्धि हुई। निम्न तालिका विभिन्न राष्ट्रीय जलमार्गों पर यातायात आवाजाही का विवरण प्रस्तुत करती है।

क्र.सं.	राष्ट्रीय जलमार्ग	मात्रा टन में		परिवर्तित %
		वित्त वर्ष-19	वित्त वर्ष-20	
1	रा.ज.-1 (गंगा—भागीरथी—हुगली नदी)	6,793,981	9,114,957	34%
2	रा.ज.-2 (ब्रह्मपुत्र नदी)	502,003	392,767	-22%
3	रा.ज.-3 (पश्चिम तट नहर, चम्पाकारा नहर और उद्योगमंडल नहर)	408,790	546,051	34%
4	रा.ज.-4 (कृष्णा नदी)	452,066	82,226	-82%
कुल (राष्ट्रीय जलमार्ग 1,2,3,4)		8,156,840	10,136,001	24%
महाराष्ट्र जलमार्ग				
5	रा.ज.-10 (अम्बा नदी)	22,381,100	22,014,464	-2%
6	रा.ज.-83 (राजपुरी क्रीक)	816,205	666,755	-18%
7	रा.ज.-85 (रेवडंडा क्रीक और कुंडलिका नदी)	1769,947	1,592,477	-10%
8	रा.ज.-91 (शास्त्री नदी—जयगढ़ फोर्ट क्रीक)	3374,399	119,443	-96%
कुल		28,341,651	243,93,139	-14%
गोवा जलमार्ग				
9	रा.ज.-68 (मंडोवी नदी)	1,653,751	1,575,640	-5%
10	रा.ज.-111 (जुआरी नदी)	2,104,219	1,358,202	-35%
कुल		3,757,970	2,933,842	-22%
गुजरात जलमार्ग				
11	रा.ज.- 73 (नर्मदा नदी)	40,941	99,614	143%
12	रा.ज.- 100 (तापी नदी)	28,780,183	30,916,062	7%
कुल योग		28,821,124	31,015,676	8%
13	रा.ज.- 97 (सन्दर्भन)	3,227,460	3,461,280	7%
14	रा.ज.- 6 (बराक नदी)	-	4,418	NA
15	रा.ज.- 44 (इच्छामती नदी)	-	898,642	NA
16	रा.ज.- 94 (सोन नदी)	-	800,000	NA
सकलयोग (टन में)		72,305,045	73,642,998	2%



चित्र 1: राष्ट्रीय जलमार्ग—वार यातायात का हिस्सा

वित्त वर्ष –20 में समग्र अजप यातायात के 75% से अधिक का गुजरात जलमार्ग (2) और महाराष्ट्र जलमार्ग (4) से हुआ।



चित्र 2— राष्ट्रीय जलमार्ग—यातायात की कमोडिटी प्रोफाइल

मुख्य रूप से कोयला, कोक, लौह अयस्क, फ्लाई ऐश और चूना पत्थर आदि थोक वस्तुओं की दुलाई में भारत में अजप मोड का उपयोग किया जा है और यह समग्र यातायात का 90% से अधिक है।

वित्त वर्ष-20 में राष्ट्रीय जलमार्गों पर दर्ज की गई यातायात आवाजाही के मुख्य पहलू निम्नानुसार हैं:

1. वित्त वर्ष -19 में वित्त वर्ष -20 की तुलना में चालू राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 13 से बढ़कर 16 हो गई है। वित्त वर्ष-20 में, रा.ज.-16 (बराक नदी), रा.ज.-44 (इच्छामती नदी) और रा.ज.-94 (सोन नदी) पर यातायात आवाजाही शामिल थी।

2. रा.ज.-1 के मामले में, भारत – बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्ग पर नियमित यातायात आवाजाही के अलावा, कोलकाता पोर्ट से संबंधित ट्रांसशिपमेंट यातायात, साहिबगंज में रो-रो यातायात – मनिहारी क्षेत्र और ओ-डीस के लिए कुछ देशांतरीय यातायात हल्दिया और वाराणसी के बीच, यातायात आवाजाही को दर्ज किया गया है और वित्त वर्ष -20 में शामिल किया गया है। आँकड़े एकत्र करने के लिए सूचना और निगरानी प्रणाली की कमी के कारण वित्त वर्ष -19 तक इन आवाजाही को दर्ज नहीं किया जा रहा था।

- क. बिहार में सोन नदी (रा.ज.-94) से रा.ज.-1 पर विभिन्न गंतव्यों के लिए मशीनीकृत / गैर-मशीनीकृत नावों द्वारा रेत की ढुलाई।
- ख. कोलकाता-राजमहल खंड पर स्थित कई ओ-डीएस के बीच रो-रो प्रचालन के माध्यम से माल की आवाजाही
- 3. रा.ज.-1 के मामले में, भूटान से निकलने वाले स्टोन चिप्स / बोल्डर के संचलन और आईबीपी मार्ग के माध्यम से बांग्लादेश जाने के कारण कर्षण प्राप्त हुआ है। वित्त वर्ष -20 में उथले मसौदा जलयानों का उपयोग करके भारतीय राजमहल से 10 से अधिक शिपमेंट हुए और इन आवाजाही के नियमित होने की उम्मीद है। इसके अतिरिक्त, कोयला और कंटेनरीकृत कार्गो को ले जाने वाली पांच ढुलाई को वर्ष के दौरान हल्दिया और गुवाहाटी के बीच सफलतापूर्वक पूरा किया गया। ये आवाजाही आने वाले वर्षों में अजप मोड का उपयोग करके उत्तर पूर्व क्षेत्र के / से यातायात को बढ़ाएंगी।
- 4. वित्त वर्ष -20 में कई स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर की घटनाओं के कारण विभिन्न रा.ज. पर यातायात आवाजाही की गति बाधित हुई है। रा.ज.-1 पर, साहिबगंज-मनिहारी क्षेत्र में रो-रो यातायात मानसून के मौसम में भारी बाढ़ के कारण प्रचालन के निलंबन के कारण प्रभावित हुआ था। स्थानीय गड्ढबड़ी और अमरावती में कैपीटल सिटी के निर्माण कार्यों के निलंबन के कारण रा.ज.-4 पर यातायात आवाजाही स्थगित हो गई। राज्य में लौह अयस्क खनन पर प्रतिबंध के कारण गोवा जलमार्ग पर यातायात पिछले कुछ वर्षों में काफी कम हो गया है। कोविड -19 के प्रकोप के कारण राष्ट्रव्यापी बंद के साथ, जलयानों की आवाजाही निलंबित हो गई जिसके परिणामस्वरूप मार्च 2020 में यातायात में तेजी से गिरावट आई।

राष्ट्रीय जलमार्ग-1


गंगा – भागीरथी – हल्दिया (सागर) और इलाहाबाद (1,620 किमी) के बीच हुगली नदी प्रणाली को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1 (रा.ज.-1) के रूप में घोषित किया गया है। रा.ज.-1 के हल्दिया-वाराणसी खंड को जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) के तहत नौवहन उद्देश्यों के लिए विकसित किया जा रहा है। रा.ज.-1 पर यातायात को 4 अलग-अलग वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है अर्थात् भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्ग पर यातायात की आवाजाही, जो मुख्य रूप से कोलकाता / हल्दिया से बांग्लादेश के विभिन्न हिस्सों में यातायात की

चालू राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 16 हो जाने से, अजप यातायात ने कई व्यापार संबंधी चुनौतियों के बावजूद वित्त वर्ष - 20 में मध्यम 2% की वर्षानुवर्ष वृद्धि प्रदर्शित की है।

आवाजाही, परिवहन / लाइटर यातायात कोलकाता / हल्दिया बंदरगाह पर, रा.ज.-1 पर रो-रो यातायात और हल्दिया और वाराणसी के बीच देशांतरीय यातायात। नीचे दिए गए रेखांकन और तालिका वित्त वर्ष -19 और वित्त वर्ष -20 में इन 4 खंडों के बीच यातायात के विभाजन को दर्शाते हैं।



चित्र 3— रा.ज.-1: वाराणसी में मल्टीमॉडल टर्मिनल



*- वित्त वर्ष-20 के लिए यातायात में मार्च 20 के महीने में केओपीटी का ट्रांशिपमेंट यातायात शामिल नहीं है

चित्र 4— रा.ज.-1: खंड-वार यातायात (वित्तीय वर्ष-19 और वित्तीय वर्ष-20)

क्र.सं.	रा.ज. -1 सेक्सन	मात्रा मिलियन टन में	
		वित्त वर्ष - 19	वित्त वर्ष -20
1	भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्ग	3.22	3.46
2	केओपीटी (द्रांसशीपमेंट / लाइटरेज)	2.54	1.95*
3	रो-रो	1.03	2.88
4	देशांतरीय (हल्दिया एवं वाराणसी के बीच)	0.004	0.82
कुल		6.79	9.11

* – मार्च 20 के आकँड़ों में केओपीटी के आँकड़े शामिल नहीं हैं।

यह देखा जा सकता है कि भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग पर चलने वाला यातायात रा.ज.-1 यातायात का प्राथमिक योगदानकर्ता है, इसके बाद रा.ज.-1 पर रो-रो / क्रॉस तट यातायात आता है। रा.ज.-1 पर रो-रो संचलन मुख्य रूप से दो विशिष्ट क्षेत्रों में हो रहा है:

क. साहिबगंज (झारखंड) और मनिहारी (बिहार) के बीच स्टोन चिप्स की ढुलाई।

ख. कोलकाता और राजमहल (झारखंड) के बीच स्थित कई ओडी के बीच विविध वस्तुओं और यात्रियों का आवागमन। कोलकाता और राजमहल के बीच कई ओडीएस के बीच आवागमन वित्त वर्ष –20 में दर्ज किया गया है और यह वित्त वर्ष –19 के लिए उपलब्ध नहीं है।

हल्दिया और वाराणसी के बीच रा.ज.-1 के साथ देशांतरीय आवाजाही मुख्य रूप से कोइलवर (बिहार में गंगा और सोन नदी के संगम बिंदु) से उत्पन्न होने वाले रेत की ढुलाई से संबद्ध है और गंगा नदी (रा.ज.-1) पर स्थित विभिन्न बिंदुओं की यात्रा की जा रही है। इन यातायात आवाजाही को वित्तीय वर्ष – 20 के यातायात में दर्ज और शामिल किया गया है और यह वित्त वर्ष –19 के लिए उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा, ओडीसी, स्टोन चिप्स, इस्पात उत्पादों और कंटेनरीकृत कार्गो को ले जाने वाली कुछ ढुलाई रा.ज.-1 पर हुई हैं।

आईबीपी मार्ग, रो-रो यातायात और वित्त वर्ष –20 में रा.ज.-1 पर देशांतरीय यातायात पर यातायात का विस्तृत विश्लेषण नीचे दिया गया है।


भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग

भारत और बांग्लादेश ने अंतर्देशीय जल पारगमन और व्यापार (पीआईडब्ल्यूटी एण्ड टी) पर प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं जिसके तहत एक देश के अंतर्देशीय जलयान दूसरे देश के निर्दिष्ट प्रोटोकॉल मार्गों से पारगमन कर सकते हैं। पीआईडब्ल्यूटी एण्ड टी के तहत प्रत्येक देश में छह पोर्ट्स् ऑफ काल घोषित किए गए हैं। भारत में पोर्ट्स् ऑफ कॉल हल्दिया (पश्चिम बंगाल), कोलकाता (पश्चिम बंगाल), धुब्री (असम), पांडु (असम), करीमगंज (असम) और सिलघाट (असम) हैं। बांग्लादेश में पोर्ट्स् ऑफ कॉल नारायणगंज, खुलना, मोंगला, सिराजगंज, आशूगंज और पंगून हैं। भाअजप्रा और बीआईडब्ल्यूटीए के सहयोगात्मक प्रयासों से आईबीपी मार्ग पर यातायात में लगातार वृद्धि हो रही है और दोनों देशों ने पीआईडब्ल्यूटी एण्ड टी के तहत जलमार्गों के वृद्धि / विस्तार के साथ-साथ 7 नए बंदरगाहों को जोड़ने पर सहमति व्यक्त की है।



चित्र 5: पीआईडब्ल्यूटी एण्ड टी के तहत भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग

वित्त वर्ष –20 में आईबीपी मार्ग पर लगभग 3.5 मिलियन टन यातायात हुआ और वित्त वर्ष –19 से लगभग 7% अधिक की वृद्धि प्रदर्शित की गई है।



* प्रदर्शन के उद्देश्य से वास्तविक संख्याओं को निकटतम हजार की संख्या में पूर्णकित किया गया है


चित्र 6— आईबीपी मार्ग : माहवार यातायात (वित्तीय वर्ष–19 और वित्तीय वर्ष–20)

आईबीपी मार्ग पर मुख्य रूप से कोलकाता / हल्दिया से बांग्लादेश में स्थित गंतव्यों के लिए फ्लाई ऐश की ढुलाई शामिल है। बांग्लादेश में फ्लाई ऐश की ढुलाई सीमेंट संयंत्रों की आवश्यकता के अनुरूप है।



चित्र 7— आईबीपी मार्ग पर जलयान संचलन

नीचे दिया गया ग्राफ वित्तीय वर्ष –20 में आईबीपी मार्ग पर संभाले हुए यातायात के कमोडिटी प्रोफाइल को दर्शाता है।



चित्र 8— आईबीपी मार्ग: यातायात की कमोडिटी प्रोफाइल (वित्तीय वर्ष –20)


यह देखा जा सकता है कि आईबीपी मार्ग पर लगभग 97% यातायात फ्लाई ऐश का है। मूल स्थानों पर फ्लाई ऐश को संभालने वाली जेटिट्यों में भारजप्रा हल्डिया जेट्टी (30%), बज बज, कोलकाता (24%), टी.टी. शेड (18%) और जी.आर. जेट्टी 2 (14%) हैं। गंतव्य स्थानों पर जेटिट्यों के बीच, नारायणगंज में इस फ्लाई ऐश का 84% हिस्सा और इसके के बाद खुलना में शेष 16% प्राप्त किया जाता है। फ्लाई ऐश के अलावा आईबीपी मार्ग पर यातायात के लगभग 3% अन्य वस्तुओं में कोयला उच्चतम (1.4%) है, उसके बाद बड़े आकार के कार्गो (ओडीसी) (1.11%) हैं। इस्पात सामग्री, स्टोन चिप्स और कंटेनर यातायात का 1% से कम बनता है।

नीचे दिए गए ग्राफ में मुख्य शिपर्स को दिखाया गया है जिन्होंने वित्त वर्ष –20 में ढुलाई के लिए आईबीपी मार्ग का उपयोग किया है।

आईबीपी मार्ग पर यातायात आवाजाही का लगभग 85% रा.ज.–1 पर 4 जेटिट्यों से होता है, जबकि लगभग आईबीपी का 98% यातायात बांग्लादेश के नारायणगंज और खुलना में अनलोड हो जाता है।


आईबीपी मार्ग : शिपर–वार यातायात (वित्त वर्ष–20)

- IRC Commercial Pvt Ltd
- ICM(India) Pvt Ltd
- Tirupati Vancom Pvt Ltd
- Marshall Corporation Ltd.
- Netincon Marketing Pvt.Ltd.
- Novel Engineering
- Neotech Engineers
- Tirupati Hitech Pvt Ltd
- Rafflesia Trading Pvt.Ltd.
- KYD Exports
- Pioneer Enterprises
- Haque Traders
- Aadarsh Tradlink Ltd.
- Others



चित्र 9— आईबीपी मार्ग : शिपर–वार यातायात (वित्तीय वर्ष–20)

यह देखा जा सकता है कि कई शिपर हैं जो आईबीपी मार्ग का उपयोग करके अपने कार्गो को स्थानांतरित करते हैं। इनमें से अधिकांश शिपर्स फ्लाई ऐश के निर्यातक हैं। आईबीपी मार्ग पर लगभग 39 शिपर्स हैं, जिनमें से शीर्ष 13 यातायात का 93% हिस्सा होते हैं। शेष 25 शिपरों में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (ओडीसी, स्टीम टर्बाइन और इस्पात), जिंदल स्टील एंड पावर (इस्पात सामग्री) और टाटा स्टील (हॉट रोल्ड स्टील कॉइल्स) जैसी बड़े पैमाने की कंपनियां भी शामिल हैं। नीचे दिए गए ग्राफ से वित्त वर्ष –20 में आईबीपी मार्ग पर मूल और गंतव्य दोनों स्थानों पर संभाले गए कार्गो की जेट्टी वार हिस्सेदारी प्रदर्शित होती है:




चित्र 10— आईबीपी मार्ग: मूल और गंतव्य स्थान पर यातायात की जेट्टी—वार हिस्सेदारी (वित्त वर्ष-20)

यह देखा जा सकता है कि मूल जेट्टी / बंदरगाहों (भारतीय पोर्ट्स ऑफ कॉल) के बीच, आईबीपी मार्ग पर 85% यातायात को 4 जेट्टियों अर्थात् भाअजप्रा हल्दिया जेट्टी, बज बज—कोलकाता, टीटी शेड—कोलकाता और जीआर जेट्टी 2—कोलकाता में संभाला जाता है। इन 4 में से, शीर्ष 2 जेट्टी, भाअजप्रा की हल्दिया जेट्टी और बज बज जेट्टी केवल फ्लाई ऐश और स्टीम कोयला का संचालन करते हैं। टी. टी. शेड मुख्य रूप से ओडीसी और भाप कोयले की थोड़ी मात्रा के साथ फ्लाई ऐश को संभालता है, जबकि भाअजप्रा की जी.आर. जेट्टी 2 कई प्रकार की वस्तुओं को संभालती है। शेष जेट्टी में से, एचडीसी फ्लाई ऐश जेट्टी और भाअजप्रा की बीआईएसएन जेट्टी ने 13% यातायात किया। केपीडी, कोलकाता, एनएस डॉक, कोलकाता और एचडीसी, कोलकाता जेट्टी जैसी अन्य जेट्टीयों ने मुख्य रूप से परियोजना कार्गो और इस्पात सामग्री से युक्त यातायात का 2% संभाला है।

गंतव्य जेट्टी / बंदरगाहों (बांग्लादेश पोर्ट ऑफ कॉल) के संदर्भ में, नारायणगंज और खुलना ने 98% से अधिक यातायात को संभाला है। इन दोनों जेट्टियों में मुख्य रूप से प्रोजेक्ट कार्गो, इस्पात सामग्री और स्टोन चिप्स की थोड़ी मात्रा के साथ फ्लाई ऐश अनलोड करना शामिल है।

वित्त वर्ष -20 में आईबीपी मार्ग के लिए रा.ज.-1 पर कुल 12 जेट्टी लदे हुए यातायात से युक्त हैं, जिनमें से 6 जेट्टियों 98% यातायात से युक्त हैं। नीचे दिए गए यातायात को इन 6 जेट्टियों द्वारा नियंत्रित किया गया है:

आईबीपी मार्ग: जेट्टी प्रदर्शन (लोडिंग टन में)*




* – उपर्युक्त दर्शाई गई जेटिट्यॉं ने केओपीटी के ट्रांसशिपमेंट यातायात (लाइटरेज कार्गो) को भी संभाला है, हालाँकि इस निर्धारण में इसे शामिल नहीं किया गया है।

चित्र 11– आईबीपी मार्ग: जेटिट्यॉं का कार्गो हैंडलिंग प्रदर्शन (वित्त वर्ष–19 और वित्त वर्ष–20) (शीर्ष 6 जेट्टीयॉं)

ऊपर दर्शाई गई 6 जेट्टी में से, भाअजप्रा की हल्दिया जेट्टी और बज बज जेट्टी ने यातायात के महत्वपूर्ण अनुपात को संभाला है। इन 6 जेट्टी में से 3 जेट्टी, भाअजप्रा हल्दिया जेट्टी, भाअजप्रा बीआईएसएन जेट्टी और जीआर जेट्टी 2 भाअजप्रा के स्वामित्व में हैं। भाअजप्रा की हल्दिया जेट्टी ने वित्त वर्ष –19 के विरुद्ध वित्त वर्ष –20 में संभाले गए यातायात में कमी प्रदर्शित की है, जबकि भाअजप्रा की जीआर जेट्टी 2 और भाअजप्रा बीआईएसएन जेट्टी ने उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई है।

नीचे दिया गया ग्राफ, रा.ज.–1 पर शेष 6 जेटिट्यॉं जो आईबीपी मार्ग पर चलते हुए यातायात के लगभग 2% को संभालती हैं, को दर्शाता है।

आईबीपी मार्ग: जेट्टी प्रदर्शन (लोडिंग टन में)*



* – उपर्युक्त दर्शाई गई जेटिट्यॉं ने केओपीटी के ट्रांसशिपमेंट यातायात (लाइटरेज कार्गो) को भी संभाला है, हालाँकि इस निर्धारण में इसे शामिल नहीं किया गया है।


चित्र 12– आईबीपी मार्ग: जेटिट्यॉं का कार्गो हैंडलिंग प्रदर्शन (वित्त वर्ष–19 और वित्त वर्ष–20) – शीर्ष 6 जेट्टी को छोड़कर

इन 6 जेटिंटों में से, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से संबंधित किडरपोर डॉक और एचडीसी ने यातायात का अधिकतम हिस्सा संभाला है। फाल्टा और भाअजप्रा बीटीपीएस जेट्टी ने वित्त वर्ष -19 में किसी भी कार्गो को नहीं संभाला है, हालांकि उन्होंने वित्त वर्ष -20 में यातायात को संभालना शुरू कर दिया है, जिससे निर्यातकों को अधिक विकल्प मिल सकें। विभिन्न जेट्टीयों के विवरण अनुलग्नक में दिए गए हैं।

यद्यपि मुख्य रूप से भारत से बांग्लादेश तक माल की आवाजाही के लिए आईबीपी मार्ग का उपयोग किया जाता है, लेकिन इस मार्ग का उपयोग उत्तर पूर्व क्षेत्र को / से घरेलू पारगमन यातायात की आवाजाही के लिए भी किया जाता है। भारत के उत्तर पूर्वी राज्य बांग्लादेश, म्यांमार, भूटान और चीन से घिरे हुए हैं और भारत के भीतर से इन राज्यों के लिए एकमात्र भूमि मार्ग का उपयोग चिकन नेक कॉरिडोर (सिलीगुड़ी गलियारे) के माध्यम से होता है, जो पहाड़ी इलाकों से खड़ी सड़कों के साथ और कई घुमावदार मोड़ों से होकर गुजरता है। इस क्षेत्र से / को रेलवे और सड़क मार्ग से परिवहन होता है और उत्तर पूर्व में विकासात्मक गतिविधियों में वृद्धि के कारण गलियारे पर दबाव बढ़ रहा है। प्रत्येक वर्ष मानसून के मौसम के दौरान, गलियारे को बंद होने की घटना से सामना करना पड़ता है और ट्रकों की असामान्य प्रतीक्षा देरी का कारण बनती है। ये चुनौतियां भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में नियमित पहुंच के लिए आईबीपी मार्ग को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती हैं। वर्ष भर नौचालन के लिए, आईबीपी मार्ग पर दो खंडों अर्थात सिराजगंज – दैखोवा और और बांग्लादेश में आशूगंज – जकीगंज को कुल रु. 305.84 करोड़ की 80 : 20 की लागत के साझाकरण के आधार पर (भारत द्वारा 80% और बांग्लादेश द्वारा 20% वहन किया जा रहा है) विकसित (2.5 मीटर एलएडी) किया जा रहा है। इन दोनों खंडों के विकास से आईबीपी मार्ग से जलमार्ग के जरिए उत्तर पूर्व भारत से / को निर्बाध नौचालन की सुविधा मिलेगी। उत्तर पूर्व क्षेत्रों से / के लिए यातायात के परिवहन हेतु आईबीपी मार्ग के उपयोग को बढ़ाने के लिए, भाअजप्रा ने बांग्लादेश के जलमार्गों में प्रलेखन प्रक्रियाओं को आसान करने और नौचालन सहायक सेवाओं में सुधार करने के लिए सीमा शुल्क, बीआईडब्ल्यूटीए आदि जैसे हितधारकों के साथ परामर्श शुरू किया है।

रो-रो यातायात

वित्त वर्ष-20 में, रा.ज.-1 पर रो-रो प्रचालन के माध्यम से लगभग 2.9 मिलियन टन यातायात का आवागमन हुआ। कोलकाता और राजमहल (झारखण्ड) के बीच के खंड पर स्थित विभिन्न बिंदुओं के मध्य 2.2 मिलियन टन रो-रो यातायात का आवागमन हुआ। इसके अतिरिक्त, रो-रो यातायात का 0.7 मिलियन टन साहिबगंज (झारखण्ड) से मनिहारी (बिहार) तक किया गया, जिसमें स्टोन चिप्स से लदे ट्रक रा.ज.-1 (दक्षिण तट) के साहिबगंज की तरफ रो-रो जलयानों पर चढ़ जाते हैं और मनिहारी साइड (उत्तर तट) पर जलयान से उत्तर जाते हैं। नीचे दिया गया ग्राफ साहिबगंज और मनिहारी के बीच माहवार रो-रो यातायात आवाजाही प्रस्तुत करता है।



* प्रदर्शन उद्देश्यों के लिए वास्तविक ऑँकड़ों को निकटतम हजार तक पूर्णांकित किया गया है। यह ऑँकड़े कोलकाता-राजमहल खंड पर ओ-डीएस के बीच हो रही आवाजाही का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

चित्र 13- रा.ज.-1: महावार रो-रो यातायात (साहिबगंज – मनिहारी) (वित्त वर्ष-19 और वित्त वर्ष-20)

यह देखा जा सकता है कि वित्त वर्ष –20 में यातायात वित्त वर्ष 19 की इसी अवधि में यातायात की तुलना में कम था। समग्र यातायात में 28% की कमी हुई, यह वित्त वर्ष –19 में 1.03 मिलियन टन से घटकर वित्त वर्ष –20 में 0.74 मिलियन टन हो गया।




कोलकाता में रो–रो पोत को हरी झंडी



चित्र 14—रा.ज. –1: रो–रो पोत लोडिंग ऑपरेशन

नीचे दिया गया ग्राफ वित्त वर्ष –20 में रो–रो यातायात के लिए मूल / गंतव्य स्थानों (जेट्टी / लैंडिंग पॉइंट) पर यातायात की भागीदारी प्रस्तुत करता है।




वित्र 15— रा.ज.–1: रो–रो यातायात – मूल और गंतव्य स्थानों पर जेट्टी–वार भागीदारी (वित्त वर्ष–20)

रा.ज.–1 पर 10 लैंडिंग बिंदु हैं जहां रो–रो जलयानों को लोड किया जाता है। इन 10 में से, कटवा में लोडेड ट्रैफिक का सबसे ज्यादा हिस्सा समदाघाट (साहिबगंज), गुप्तिपारा और कलना का है। ये 4—मूल लैंडिंग पॉइंट ऑन—लोडेड कुल ट्रैफिक का 65% हैं। समदाघाट और ग्रामधाट को छोड़कर इन 10 स्थानों में से 8, कोलकाता और राजमहल के बीच स्थित हैं।

रा.ज.–1 पर 9 लैंडिंग पॉइंट हैं जहां रो–रो जलयान ऑफ—लोडेड हैं। इनमें से, मनिहारी में बल्लभगढ़, शांतिपुर और नृसिंहपुर के बाद सबसे अधिक ऑफ—लोडेड यातायात की भागीदारी है। ये 4 जेट्टी कुल ऑफ—लोडेड यातायात के 73% के प्रति उत्तरदायी हैं।

नीचे दिया गया ग्राफ वित्त वर्ष –20 में रो–रो यातायात के लिए मूल / गंतव्य स्थानों (जेट्टी / लैंडिंग पॉइंट) पर यातायात प्रस्तुत करता है।




*– 18 मार्च 2020 तक उपलब्ध रो-रो यातायात आकड़ों के अनुसार

चित्र 16— रा.ज.-1: रो-रो यातायात – जेट्टी / लैंडिंग पॉइंट (वित्त वर्ष-20) का यातायात नियंत्रण प्रदर्शन

समदाघाट और ग्रामघाट को छोड़कर मूल स्थानों से, प्याज, आलू, निर्माण सामग्री, स्टोन चिप्स, फर्नीचर, लकड़ी और घरेलू वस्तुओं जैसे वस्तुओं को तट के स्थानों को पार करने के लिए ले जाया जाता है। समदाघाट और ग्रामघाट से स्टोन चिप्स को मनिहारी ले जाया जाता है।

नीचे दिया गया ग्राफ वित्त वर्ष -20 में रो-रो यातायात के लिए यात्री यातायात को मूल / गंतव्य स्थानों (जेट्टी / लैंडिंग पॉइंट) पर प्रस्तुत करता है



*– 18 मार्च 2020 तक उपलब्ध रो-रो यातायात आकड़ों के अनुसार

चित्र 17— रा.ज. -1: रो-रो यातायात – जेट्टी / लैंडिंग पॉइंट्स (वित्त वर्ष-20) का यात्री यातायात नियंत्रण प्रदर्शन

यह देखा जा सकता है कि लगभग 18.5 मिलियन यात्री एलसीटी / रो-रो के माध्यम से ले जाए गए थे और कोलकाता और राजमहल के बीच के खंड पर स्थित विभिन्न बिंदुओं के बीच यात्रा का शुभारंभ किया गया। शीर्ष तीन जोड़े स्थान, जिनके बीच यात्रा यातायात की आवाजाही सबसे अधिक थी, गुप्तपुर से शांतिपुर (7.2 मिलियन पैक्स), कटवा से बल्लभगढ़ (4.6 मिलियन पैक्स) और कालनां से नृसिंहपुर (4.5 मिलियन पैक्स) थे।

देशांतरीय आवाजाही (हल्दिया और वाराणसी के बीच)

वित्त वर्ष-20 में, रा.ज.-1 पर हल्दिया और वाराणसी के बीच 8,16,502 टन यातायात की देशांतरीय रूप से आवाजाही हुई और इसमें प्रायोगिक के साथ-साथ वाणिज्यिक आवाजाही का समावेश हुआ है।

यातायात की कुल आवाजाही में, लगभग 800,000 टन रेत की ढुलाई सोन नदी और गंगा नदी के संगम पर कोइलवर से हुई और रा.ज.-1 के विभिन्न हिस्सों की यात्रा हुई। ये आवाजाही 8 माह (गैर-मॉनसून मौसम) और नौका के लिए सक्रिय होती हैं और लगभग 100,000 टन प्रति माह ढुलाई होती है। शेष यातायात (16,502 टन) को हल्दिया और वाराणसी के बीच 20 देशांतरीय आवाजाही के माध्यम से संचालित किया गया था। इन 20 आवाजाही में से 2 प्रायोगिक और 18 व्यावसायिक आवाजाही हुई। साहिबगंज में एमएमटी के संचालन के साथ, स्टोन चिप्स के नियमित नौवहन होने लगे हैं और वित्तीय वर्ष-20 में रा.ज.-1 पर कई लदान कारागोला भेजे गए थे। सभी आवाजाही का विवरण नीचे दिया गया है।




चित्र 18: साहिबगंज में मल्टीमॉडल टर्मिनल

क्र. सं.	माह	ढुलाई	मूल स्थल	गंतव्य स्थल	वस्तु	मात्रा (टन में)	दूरी (किमी में)
1	अप्रैल	वाणिज्यिक	राजमहल	बेगुसराय	क्रेन	110	233
2	मई	प्रायोगिक	फरक्का	नारायणगंज	ब्लास्ट (स्टोन)	1,050	544*
3	जुलाई	प्रायोगिक	हल्दिया	साहिबगंज एमएमटी	खाद्य तेल (कंटेनर)	1,300	920
4	नवम्बर	वाणिज्यिक	हल्दिया	डोरीगंज	कार्बामेट कंडेन्सर	487	965
5	दिसम्बर	वाणिज्यिक	साहिबगंज एमएमटी	कारागोला	स्टोन चिप्स	1,145	43
6	दिसम्बर	वाणिज्यिक	राजमहल	डोरीगंज	अमोनिया कन्वर्टर	574	417
7	दिसम्बर	वाणिज्यिक	राजमहल	डोरीगंज	यूरिया स्ट्रीपर	712	417
8	दिसम्बर	वाणिज्यिक	गायघाट (पटना)	राघोपुर	टीएमटी बास	1,208	10
9	जनवरी	वाणिज्यिक	साहिबगंज एमएमटी	कारागोला	स्टोन चिप्स	1,566	43

क्र. सं.	माह	दुलाई	मूल स्थल	गंतव्य स्थल	वस्तु	मात्रा (टन में)	दूरी (किमी में)
10	जनवरी	वाणिज्यिक	साहिबगंज एमएमटी	कारागोला	स्टोन चिप्स	1,014	43
11	जनवरी	वाणिज्यिक	गायधाट	राघोपुर	टीएमटी बार्स	381	10
12	फरवरी	वाणिज्यिक	गायधाट	राघोपुर	टीएमटी बार्स	1,220	10
13	फरवरी	वाणिज्यिक	साहिबगंज एमएमटी	कारागोला	स्टोन चिप्स	1,575	43
14	फरवरी	वाणिज्यिक	डायमंड हार्बर	साहिबगंज	सेकेन्ड्री रिफॉर्मर मेन एक्यूपर्मैट एण्ड फ्लेआर केओ	275	554
15	फरवरी	वाणिज्यिक	डायमंड हार्बर	सेमरिया	ड्रम	276	789
16	फरवरी	वाणिज्यिक	डायमंड हार्बर	साहिबगंज	अमोनिया वेन्ट ड्रम	47	554
17	फरवरी	वाणिज्यिक	डायमंड हार्बर	सेमरिया	अमोनिया कन्वर्टर	641	789
18	फरवरी	वाणिज्यिक	डायमंड हार्बर	सेमरिया	अमोनिया कन्वर्टर	421	789
19	मार्च	वाणिज्यिक	साहिबगंज एमएमटी	कारागोला	स्टोन चिप्स	1,300	43
20	मार्च	वाणिज्यिक	साहिबगंज एमएमटी	कारागोला	स्टोन चिप्स	1,200	43

* – उल्लिखित दूरी रा.ज.-1 के खंड (फरक्का से सागर) के लिए है

नीचे दिया गया ग्राफ देशांतरीय यातायात के लिए मूल / गंतव्य स्थानों (जटेटी / लैंडिंग पॉइंट) पर यातायात प्रस्तुत करता है।



चित्र 19— देशांतरीय कार्गो आवाजाही के लिए रा.ज.-1 पर जेट्टीवार प्रदर्शन

यह देखा जा सकता है कि साहिबगंज एमएमटी पर बहुसंख्यक देशांतरीय माल की लदाई की जाती है, उसके बाद गायघाट, साहिबगंज एमएमटी ने अगस्त 2019 से अपना प्रचालन शुरू किया और वर्तमान में कारागोला में नियमित रूप से आवाजाही हो रही है। अधिकांश अन्य जेट्रिट्यों ने भी ओडीसी कार्गो को संभाला है। विभिन्न जेट्री का विवरण अनुलग्नक में दिए गए हैं।

बड़े आकार के कार्गो (ओडीसी) की ढुलाई

अंतर्रेशीय जलमार्ग परिवहन (अजप) मोड बड़े आकार के कार्गो (ओडीसी) के परिवहन के लिए एक पसंदीदा तरीका है क्योंकि भूतल परिवहन की तुलना में इसमें कई लाभ हैं। मानक वैगन आकारों के कारण ओडीसी कार्गो को समायोजित करने के लिए रेल परिवहन में पर्याप्त लचीलापन नहीं होता है। सड़क परिवहन महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करता है जैसे मार्ग और समय प्रतिबंध, कई अनुमतियों की आवश्यकता और ओडीसी कार्गो को ले जाने के लिए मार्ग सर्वेक्षण करने में महत्वपूर्ण प्रयास इसमें शामिल हैं। अजप मोड अपेक्षाकृत सुविधाजनक तरीके से ओडीसी कार्गो की आवाजाही की अनुमति देता है।

वित्त वर्ष-20 में, सात पोत लदानों के जरिए लगभग 3,500 टन बड़े आकर के कार्गो की रा.ज.-1 पर ढुलाई हुई है।



चित्र 20— रा.ज.-1: ओडीटी कार्गो ढुलाई

वित्त वर्ष -20 में कार्बामेट कंडेनसर, अमोनिया कंडेनसर, अमोनिया कनवर्टर आदि जैसे उत्पादों को कोलकाता / हल्दिया बंदरगाह से अजप मोड का उपयोग करके रा.ज. -1 के साथ गंतव्यों तक पहुंचाया गया, जहां इन उत्पादों को उर्वरक विनिर्माण इकाई की स्थापना के लिए आयात किया गया था।


राष्ट्रीय जलमार्ग-2

राष्ट्रीय जलमार्ग -2 धुब्री और सदिया के पास बांग्लादेश की सीमा के बीच ब्रह्मपुत्र नदी का 891 किमी लंबा खंड है। रा.ज.-2 ऐतिहासिक रूप से असम राज्य (उत्तर पूर्व भारत) के लिए परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन रहा है और अब भी

है। भाइजप्रा वर्षभर रा.ज.-2 पर खड़—वार न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) बनाए रखता है, जिसके परिणामस्वरूप नियमित यातायात आवाजाही होती है। रा.ज.-2 पर यातायात में मुख्य रूप से यात्री, वाहन और माल की आवाजाही होती है जो कि घाट से होकर जाती है।




वित्त वर्ष –20 में रा.ज.-2 पर लगभग 50 मूल—गंतव्य स्थान जोड़े के बीच लगभग 0.39 मिलियन टन का आवागमन हुआ। नीचे दिया गया ग्राफ वित्त वर्ष –19 की तुलना में वित्त वर्ष –20 के लिए माहवार यातायात को प्रस्तुत करता है।



* प्रदर्शन संबंधी उद्देश्यों के लिए वास्तविक संख्या को निकटतम हजार तक पूर्णांकित किया गया है। मार्च के लिए यातायात आँकड़े 18 मार्च 2020 तक हैं।


चित्र 21— रा.ज.-2 माहवार यातायात (वित्त वर्ष–19 और वित्त वर्ष–20)

वित्त वर्ष –20 में कुल यातायात में लगभग 22% की कमी आई है। यह वित्त वर्ष –19 में 0.5 मिलियन टन से, वित्त वर्ष –20 में 0.39 मिलियन टन हो गया है। दिसंबर 2018 में ब्रह्मपुत्र नदी (रा.ज.-2) पर बोगीबील पुल के निर्माण के बाद जलमार्ग से सड़क पर यातायात के परिवर्तन के कारण यातायात में कमी आई है। यातायात का बोगीबील पुल के जरिये सड़क पर आने के बजह से बोगीबील, डिबूगढ़, ओरियमघाट और आसपास के क्षेत्रों में नदी के घाटों पर रा.ज.-2 आधारित नदी पार फेरी के माध्यम से आवागमन बंद हो गया है। जुलाई 2019 में, भूटानी स्टोन चिप्स और बोल्डर की दुलाई में धुबरी से बांग्लादेश में गंतव्यों तक अजप मोड का उपयोग शुरू किया गया है। नीचे दिया गया ग्राफ, वित्त वर्ष –20 में रा.ज.-2 पर चलते हुए यातायात की रूपरेखा प्रस्तुत करता है।



चित्र 22—रा.ज.-2: यातायात का रेखाचित्र (वित्त वर्ष–20)

रा.ज.-2 पर यातायात आवाजाही की यात्रियों (51%) की उच्चतम भागीदारी के बाद माल (40%) की आवाजाही का योगदान है। रा.ज.-2 पर माल की आवाजाही व्यक्तिगत वस्तुओं, सब्जियों आदि सहित असंगठित प्रकृति की है। नीचे दिया गया ग्राफ वित्त वर्ष –20 के लिए रा.ज.-2 पर मूल और गंतव्य स्थानों पर जेट्टी की भागीदारी प्रस्तुत करता है।




चित्र 23—रा.ज.-2: मूल तथा गंतव्य स्थलों पर जेट्टीवार यातायात की हिस्सेदारी (वित्त वर्ष-20)

यह देखा जा सकता है कि रा.ज. -2 पर चलने वाले कुल यातायात का 51.1% हिस्सा धुबरी का प्रमुख मूल स्थान है। धुबरी से 17 गंतव्य स्थानों के लिए यातायात की आवाजाही होती है। धुबरी के बाद नेमाटी (21%) और जोगीघोपा (8%) हैं, और ये 3 मूल स्थान वित्त वर्ष -20 में मूल यातायात का 80% हैं। कुल 46 गंतव्य स्थानों के साथ गंतव्य स्थान अत्यधिक खंडित हैं। इन 46 स्थानों में से कमलाबाड़ी में 17.1% और नेमाटी में 5.1% की हिस्सेदारी है। शेष 44 स्थानों में 5% से कम यातायात है।

वित्त वर्ष -20 में, राष्ट्रीय जलमार्ग -2 पर यातायात लगभग 60 जेट्टियों पर दर्ज किया गया है। ये जेट्टियाँ माल, वाहनों और यात्रियों को मुख्य रूप से घाट के माध्यम से संभालती हैं। शीर्ष 4 जेट्टियों पर संभाला गया यातायात निम्नलिखित ग्राफ में दर्शाया गया है।



चित्र 24—रा.ज.-2: पांडु टर्मिनल पर कोयला नियंत्रण प्रचालन



चित्र 25—रा.ज.-2: जेटिट्यों का यातायात नियंत्रण प्रदर्शन (वित्त वर्ष-19 और वित्त वर्ष-20)

रा.ज.-2 पर जेटटीयों के बीच, धुबरी ने अधिकतम लोड किए गए यातायात को संभाला, लेकिन वित्त वर्ष-19 की तुलना में वित्त वर्ष-20 में यातायात में गिरावट देखी गई। नेमाती और गोलपाड़ा ने लोड किए गए यातायात में थोड़ी वृद्धि देखी, जबकि जोगीघोपा और भोमोरागुड़ी ने वित्त वर्ष-19 की तुलना में लोड किए गए यातायात में थोड़ी कमी देखी है।

रा.ज.-2 पर जेटटी पर उतारने वाले यातायात को ध्यान में रखते हुए, कमलाबाड़ी ने अधिकतम यातायात को संभाला और वित्त वर्ष-19 की तुलना में इसके यातायात में वृद्धि देखी गई। बिरसिंग चार ने अनलोड किए गए यातायात में भारी वृद्धि देखी, जबकि कृष्णाई, फूलबाड़ी और सालमारा ने वित्त वर्ष-19 की तुलना में अनलोड किए गए यातायात में कमी देखी। विभिन्न जेट्टी का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

रा.ज.-2 पर पहली बार कंटेनरीकृत ढुलाई

रा.ज.-2 पर पहली कंटेनरीकृत ढुलाई के सफल निष्पादन ने वित्त वर्ष-20 को अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन के लिए एक ऐतिहासिक वर्ष के रूप में चिह्नित किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) की कनेक्टिविटी में सुधार पर सरकार के ध्यान के अनुरूप, 4 नवंबर 2019 को रा.ज. -2 पर हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स (एचडीसी) से भाइजप्रा के पांडु पोर्ट (गुवाहाटी) के लिए एक लैंडमार्क कंटेनर कार्गो की खेप रवाना हुई। श्री गोपाल कृष्ण, सचिव (पोत परिवहन) ने अंतर्देशीय पोत एमवी माहेश्वरी को रा.ज.-1, रा.ज. -97 (सुंदरवन), आईबीपी मार्ग और रा.ज. -2 के माध्यम से यात्रा के लिए 48 टीईयू (खाद्य और पेय, खाद्य तेल आदि) के साथ रवाना किया।



चित्र 26— रा.ज.-2 पर पहली कंटेनरीकृत ढुलाई

भाजप्रा (पोत परिवहन मंत्रालय) द्वारा अजप मोड के माध्यम से उत्तर पूर्व में कंटेनरीकृत ढुलाई शुरू करने की इस पहल को सभी हितधारकों ने बड़े उत्साह के साथ सराहा है। भाजप्रा यातायात के मोडल शिफ्ट के लिए उद्योग में विश्वास पैदा करने के लिए एनईआर के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग कनेक्टिविटी की तकनीकी और वाणिज्यिक व्यवहार्यता को प्रदर्शित करने हेतु इस तरह की ढुलाई को शुरू करने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है और साथ ही साथ बीआईडब्ल्यूटीए, सीमा शुल्क अधिकारियों जैसे हितधारकों के साथ जुड़ा है, और प्रचालन तथा प्रक्रियात्मक बाधाओं को हल करने के लिए उद्योग कर रहा है।

रा.ज.-2 के माध्यम से भूटान-बांग्लादेश व्यापार को सक्षम करना

भूटान, बांग्लादेश में विभिन्न निर्माण परियोजनाओं के लिए भूमि मार्ग के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में पत्थर का निर्यात कर रहा है। पत्थर के निर्यातकों ने अंतर्देशीय जलमार्ग की पहचान परिवहन के एक वैकल्पिक मोड के रूप में जलमार्ग मोड से जुड़े लाभों जैसे कि कम परिवहन लागत, सड़क की तुलना में बड़े लदान आकार, भूमि मार्गों पर भीड़ से बचना आदि को ध्यान में रखते हुए की है।

अपनी तरह की इस पहली ढुलाई में, भूटान से उत्पन्न 1,005 टन क्रस्ड स्टोन के समुच्चय को दिनांक 11 नवंबर, 2019 को भाजप्रा की रा.ज.-2 पर धुबरी (असम) में स्थित जेटटी से को बांग्लादेश के नारायणगंज तक ले जाया गया। भूटान स्थित पत्थर की खदानों से भाजप्रा की धुबरी जेटी तक पत्थर के समुच्चय का ट्रकों से परिवहन किया गया और बाद में यांत्रिक लदाई प्रणाली का उपयोग करके भाजप्रा के पोत एमवी एआई पर लोड किया गया।

इस ढुलाई ने भूटानी निर्यातकों को जलमार्ग मोड की ओर तेजी से परिवर्तित करने और भूटान और बांग्लादेश के बीच पत्थर समुच्चय और अन्य वस्तुओं के व्यापार को बढ़ाने के लिए उनमें विश्वास पैदा किया है। पहली ढुलाई की सफलता के परिणामस्वरूप, धुबरी और चिलमारी (बांग्लादेश) के बीच पत्थर समुच्चय की ढुलाई नियमित हो गयी और वित्त वर्ष -20 में लगभग 100-300 टन आकार के 10 से अधिक पोतलदान पूरे किए हैं।


थोक और कंटेनरीकृत कार्गो के लिए पांच प्रायोगिक ढुलाई के सफल समापन के साथ, वित्त वर्ष-20 में बांग्लादेश में भूटानी स्टोन चिप्स की 10 से अधिक ढुलाई, और आईबीपी मार्ग के महत्वपूर्ण खण्डों के विकास के साथ आने वाले वर्षों में रा.ज.-2 पर यातायात बढ़ने की उम्मीद है।



चित्र 27—रा.ज.—2: धुबरी जेटटी पर लदाई कार्य

राष्ट्रीय जलमार्ग—3

चंपाकारा नहर और उद्योगमंडल नहर के साथ पश्चिम तट नहर के कोट्टापुरम—कोल्लम खण्ड को राष्ट्रीय जलमार्ग—3 (रा.ज.—3) घोषित किया गया है। वित्त वर्ष—20 में रा.ज.—3 पर लगभग 0.55 मिलियन टन यातायात का आवागमन हुआ। रा.ज.—3 पर अधिकांश यातायात के आवागमन में मैसर्स फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड (फैक्ट) से संबंधित कच्चे माल का कोचीन बंदरगाह से फैक्ट कारखानों स्थित जेटटी तक की गई ट्रूलाई का योगदान है। नीचे दिया गया ग्राफ वित्त वर्ष—20 में रा.ज.—3 पर माहवार यातायात के आवागमन को प्रस्तुत करता है—




*— प्रदर्शन प्रयोजनों के लिए यातायात आंकड़ों को निकटतम हजार तक पूर्णांकित किया गया है

चित्र 28— रा.ज.—3: महावार यातायात (वित्त वर्ष—19 और वित्त वर्ष—20)

वित्त वर्ष—20 में कुल यातायात में लगभग 34% की वृद्धि हुई है। यह वित्त वर्ष—19 में लगभग 0.41 मिलियन टन से बढ़कर वित्त वर्ष—20 में लगभग 0.55 मिलियन टन हो गई है।

4. नीचे दिया गया ग्राफ वित्त वर्ष –20 में रा.ज.–3 पर यातायात का कमोडिटी प्रोफाइल प्रस्तुत करता है।




चित्र 29— रा.ज.–3: यातायात का कमोडिटी प्रोफाइल (वित्त वर्ष–20)

रा.ज.–3 पर चलने वाले यातायात में मुख्य रूप से फर्टिलाइजर और केमिकल्स त्रावनकोर (फैक्ट) द्वारा अपने प्लांट्स को और उनके बीच में ले जाया जाने वाला कच्चा माल है। यातायात का उच्चतम हिस्सा एलएजी (44%) है इसके बाद फॉस्फोरिक एसिड (24%) और रॉक फॉस्फेट (21%) है। एलएजी को फैक्ट के कोचीन डिवीजन और पेट्रोकेमिकल डिवीजन में पहुँचाया जाता है; फॉस्फोरिक एसिड और सल्फर को फैक्ट के कोचीन डिवीजन और उद्योग मंडल डिवीजन में ले जाया जाता है, जबकि ज्यादातर रॉक फॉस्फेट को फैक्ट के कोचीन डिवीजन के जेट्टी में ले जाया जाता है।



चित्र 30— रा.ज.–3 पर जलयान यात्रा

नीचे दिया गया ग्राफ वित्त वर्ष-20 में रा.ज.-3 पर यातायात में मूल और गंतव्य पर जेट्टी-वार भागीदारी प्रस्तुत करता है।




वित्र 31— रा.ज.-3: मूल और गंतव्य स्थलों पर जेट्टी वार भागीदारी (वित्त वर्ष-20)

यह देखा जा सकता है कि रा.ज.-3 पर यातायात का एक बड़ा हिस्सा क्यू10 बर्थ-कोचीन बंदरगाह और एफएसीटी, पीडी (पेट्रोकेमिकल डिवीजन) जेट्टी से निकलता है। क्यू10 बर्थ-कोचीन पोर्ट का उपयोग फॉस्फोरिक एसिड, रॉक फॉस्फेट और सल्फर को कई गंतव्य स्थानों पर ले जाने के लिए किया जाता है। एफएसीटी, पीडी जेट्टी का उपयोग एलएजी के परिवहन के लिए किया जाता है, जबकि एफएसीटी अमोनिया जेट्टी का उपयोग एलएजी, फॉस्फोरिक एसिड, रॉक फॉस्फेट और सल्फर के परिवहन के लिए किया जाता है। गंतव्य स्थानों के बीच, एफएसीटी, सीडी (कोचीन डिवीजन) जेट्टी यातायात के सबसे बड़े हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं और कई वस्तुओं अर्थात् रॉक फास्फेट, सल्फर, एलएजी और फॉस्फोरिक एसिड को संभालता है। इसके बाद एफएसीटी, यूडी (उद्योग मंडल डिवीजन) जेट्टी है, जो फॉस्फोरिक एसिड, रॉक फॉस्फेट, सल्फर प्राप्त करती है और एफएसीटी, पीडी जेट्टी, जो केवल एलएजी प्राप्त करती है।

रा.ज.-3 पर यातायात में मुख्य रूप से मैसर्स एफएसीटी के विभिन्न प्रभागों से संबंधित औद्योगिक उत्पाद शामिल हैं। कोचीन बंदरगाह के साथ केरल में जलमार्ग कनेक्टिविटी अजप मोड को एक अलग महत्व प्रदान करती है।


नीचे दिए गए ग्राफ रा.ज.-3 पर विभिन्न जेटियों (निजी जेटियों सहित) पर यातायात नियंत्रण को दर्शाता है।



चित्र 32— रा.ज.-3: जेटियों का यातायात नियंत्रण प्रदर्शन (वित्त वर्ष-19 और वित्त वर्ष-20)

उपरोक्त ग्राफ से यह देखा जा सकता है कि वर्तमान में रा.ज.-3 पर यातायात संचालन 7 जेटी पर हो रहा है। वित्त वर्ष-20 में एफएसीटी, सीडी जेटी में कार्गो उतारने में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जबकि क्यू10 बर्थ-कोचीन पोर्ट द्वारा कार्गो लोडिंग में पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में वित्त वर्ष-20 में कमी आई है। एफएसीटी, पीडी जेटी का उपयोग वित्त वर्ष-20 में लोडिंग पॉइंट के रूप में किया गया था, जबकि वित्त वर्ष-19 में इसे केवल अनलोडिंग पॉइंट के रूप में इस्तेमाल किया गया था।


नीचे दिया गया ग्राफ रा.ज.-3 पर जेट्टी/ पत्तन-वार सम्बाली गई वस्तुओं को दर्शाता है।



चित्र 33— रा.ज.-3: जेट्टी-वार लोड हुई वस्तुएं (वित्त वर्ष-20)

उर्वरक और कंटेनर त्रावणकोर (एफएसीटी) रॉक फॉस्फेट, सल्फर और एलएजी को उद्योग मंडल डिवीजन (यूडी) और कोचीन डिवीजन (सीडी) में पेट्रोकेमिकल डिवीजन (पीडी), विलिंगटन द्वीप (अमोनिया जेट्टी) और क्यू10 बर्थ—कोचीन पोर्ट पर जेट्टी का उपयोग परिवहन के लिए करता है। कोचीन पोर्ट में क्यू10—बर्थ का उपयोग फॉस्फोरिक एसिड, रॉक फॉस्फेट और सल्फर को कई स्थानों पर ले जाने के लिए किया जाता है। एफएसीटी पीडी (पेट्रोकेमिकल डिवीजन) जेट्टी का उपयोग विशेष रूप से एलएजी के परिवहन के लिए किया जाता है, जबकि एफएसीटी अमोनिया जेट्टी (विलिंगटन द्वीप) का उपयोग एलएजी, फॉस्फोरिक एसिड, रॉक फॉस्फेट और सल्फर के परिवहन के लिए किया जाता है।

नीचे दिया गया ग्राफ रा.ज.-3 पर जेट्टी/ पत्तन-वार अनलोडेड वस्तुओं को दर्शाता है।




चित्र 34— रा.ज.-3: जेट्टी वार अनलोडेड वस्तुएं (वित्त वर्ष-20)

यह देखा जा सकता है कि एफएसीटी, सीडी (कोचीन डिवीजन) अनलोड यातायात के सबसे बड़े हिस्से के लिए उत्तरदायी है और कई वस्तुओं अर्थात् रॉक फार्स्फेट, सल्फर, एलएजी और फस्फोरिक एसिड को सम्भालता है, जिसमें जेटटी पर एलएजी सबसे अधिक सम्भाली गई वस्तु है। इसके बाद एफएसीटी, सीडी (उद्योग मंडल डिवीजन) जेटटी है, जो मुख्य रूप से फस्फोरिक एसिड और रॉक फार्स्फेट की सीमित मात्रा के साथ सल्फर प्राप्त करता है। एफएसीटी, सीडी (पेट्रोकेमिकल डिवीजन) जेटटी केवल एलएजी संभालती है।

राष्ट्रीय जलमार्ग – 4

राष्ट्रीय जलमार्ग 4 (रा.ज.-4) एक 2,890 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है जिसमें कृष्णा नदी, गोदावरी, कम्मूर नहर और बकिंघम नहर के खंड शामिल हैं। यह भारतीय राज्यों तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पुडुचेरी के केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरता है।

नीचे दिया गया ग्राफ वित्त वर्ष –20 में रा.ज.-4 पर माहवार चलने वाले यातायात आवाजाही को प्रस्तुत करता है।




*- प्रदर्शन संबंधी उद्देश्यों के लिए यातायात के आंकड़ों को निकटतम हजार में पूर्णांकित किया गया है।

चित्र 35— रा.ज.-4: माह-वार यातायात (वित्त वर्ष–19 और वित्त वर्ष–20)

रा.ज.-4 पर यातायात की आवाजाही रो-रो प्रचालन के माध्यम से होती है जिसमें निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों को रो-रो अंतर्देशीय जलयानों का उपयोग करके इब्राहिमपटनम से लिंगायपलाम तक ले जाया जाता है। वित्त वर्ष–19 में, रा.ज.-4 पर संभाला गया यातायात 452,066 ठन था, जबकि वित्त वर्ष–20 में यातायात 82,226 ठन तक कम हो गया था, क्योंकि स्थानीय मुद्दों और अमरावती में केपिटल सिटी के निर्माण कार्यों को निलंबित करने के कारण प्रचालन स्थगित कर दिया गया था।



चित्र 36— रा.ज.-4 रो रो जलयान प्रचालन



चित्र 37— रा.ज.-4: जेटिटयों / लैंडिंग पॉइंट्स का यातायात हैंडलिंग प्रदर्शन (वित्त वर्ष-19 और वित्त वर्ष-20)

रा.ज.-4 पर लगभग 2 किमी का केवल सीमित खण्ड यातायात के साथ रो-रो प्रचालन के लिए उपयोग किया जा रहा था, जिसमें केवल 2 जेटिटयों अर्थात् इब्राहिमपटनम जिसे लोडिंग पॉइंट के रूप में प्रयोग किया जाता है और लिंगायपलम जिसे अनलोडिंग पॉइंट के रूप में उपयोग किया जाता है। दोनों स्थानों को निर्माण सामग्री ले जाने वाले ट्रकों की आवाजाही के लिए रो-रो जेटी / लैंडिंग पॉइंट के रूप में उपयोग किया जाता है।

महाराष्ट्र जलमार्ग


महाराष्ट्र में 4 चालू राष्ट्रीय जलमार्ग यथा रा.ज.-10 (अम्बा नदी), रा.ज.-83 (राजपुरी क्रीक), रा.ज.-85 (रिवाडंडा क्रीक / कुंडलिका नदी) और रा.ज.-91 (शास्त्री नदी / जयगढ़ फोर्ट क्रीक) हैं। वित्त वर्ष -20 में देश के सभी राष्ट्रीय जलमार्गों पर संभाला गये कुल यातायात का लगभग 33% हिस्सा महाराष्ट्र जलमार्गों द्वारा संभाला गया। महाराष्ट्र जलमार्गों पर कुल यातायात का 90% के करीब रा.ज.-10 संभालता है इसके बाद रा.ज.-85 कुल यातायात का लगभग 7% संभालता है।



चित्र 38— महाराष्ट्र रा.ज. : चालू जलमार्ग

वित्त वर्ष 19 में, महाराष्ट्र जलमार्ग पर यातायात लगभग 28.3 मिलियन टन था, जबकि वित्त वर्ष – 20 में यातायात मुख्य रूप से आयात / निर्यात यातायात में कमी के कारण 24.4 मिलियन टन तक कम हो गया।


नीचे दिया गया ग्राफ वित्त वर्ष–20 में महाराष्ट्र जलमार्ग पर यातायात की कमोडिटी प्रोफाइल प्रस्तुत करता है।



चित्र 39— महाराष्ट्र रा.ज. : यातायात का कमोडिटी प्रोफाइल (वित्त वर्ष–20)

यह देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र जलमार्ग पर हुए 84% यातायात में कोयला (51%) इसके बाद लौह अयस्क (33%) की ढुलाई की गई। चूना पत्थर और स्टील यातायात में प्रत्येक के 5% की ढुलाई की गई, जबकि डोलोमाइट, किलंकर और लॉस सीमेंट जैसी अन्य श्रेणी की अधिकांश वस्तुएं इसमें हैं।

नीचे दिया गया ग्राफ वित्त वर्ष –20 में महाराष्ट्र जलमार्ग पर मूल और गंतव्य पर यातायात की जेटी-वार हिस्सेदारी को प्रस्तुत करता है।




चित्र 40— महाराष्ट्र रा.ज. : मूल तथा गंतव्य स्थलों पर यातायात की जेटी वार हिस्सेदारी (वित्त वर्ष–20)

महाराष्ट्र जलमार्गों पर जाने वाले कुल यातायात में से लगभग 40% महाराष्ट्र जलमार्ग पर मौजूद जेट्टी से उत्पन्न होते हैं जबकि 60% या तो विदेशी बंदरगाहों से या भारत के तटीय बंदरगाहों से उत्पन्न होते हैं। यह 40% जो महाराष्ट्र जलमार्ग पर उत्पन्न होता है, लगभग 96% जयगढ़ द्वारा और करीब 4% रेवाड़ंडा सालव जेट्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। दिघी या सानेगांव जेट्टी से कोई यातायात उत्पन्न नहीं होता है, जबकि धरमतार उत्पन्न यातायात का बहुत सीमित हिस्सा संभालता है। महाराष्ट्र जलमार्ग पर जाने वाले कुल यातायात में से, 99% महाराष्ट्र जलमार्ग पर मौजूद जेट्टी संभालती है जबकि शेष 1% भारत के तटीय बंदरगाहों के लिए नियत है। इस 99% में से धरमतार 91%, सानेगांव 5% संभालता है, दिघी 3% संभालता है और रेवांडडा सालव जेट्टी 2% संभालती है।

नीचे दिए गए ग्राफ, महाराष्ट्र जलमार्गों पर संभाले गये यातायात का जेट्टी / पतन वार प्रदर्शन प्रस्तुत करता है।

महाराष्ट्र जलमार्ग पर भारत में समस्त अजप यातायात का लगभग 33% हिस्सेदारी है। तटीय और अंतर्रेशीय जलमार्ग के इंटरफ़ेस पर स्थित औद्योगिक इकाइयां / पतन / लाइटरेज पॉइंट इस यातायात का निर्वहन करते हैं।




चित्र 41 – महाराष्ट्र रा.ज. : जेट्टीयों का यातायात हैंडलिंग प्रदर्शन (वित्त वर्ष-19 और वित्त वर्ष-20)

यह देखा जा सकता है कि धरमतार (रा.ज.-10 पर) ने महाराष्ट्र जलमार्गों पर अनलोड यातायात का अधिकांश भाग वित्त वर्ष -19 में 80% और वित्त वर्ष -20 में 91%, जबकि लोडेड यातायात जयगढ़ (रा.ज.-91 पर) ने वित्त वर्ष -19 में यातायात 92% और वित्त वर्ष -20 में 80% मुख्य रूप से संभाला है। धरमतार में यातायात में वृद्धि देखी गई है, जबकि जयगढ़ में यातायात में भारी कमी देखी गई है। महाराष्ट्र जलमार्ग पर अन्य जेट्टी / पतन रा.ज.-83 पर दिघी पतन, रा.ज. -85 पर

रेवाडंडा सालव जेट्टी और सानेगांव जेट्टी हैं। वित्तीय वर्ष –19 में दिघी ने अपना यातायात सीमित कर दिया था, हालांकि वित्त वर्ष –20 में इसका इस्तेमाल केवल उत्तराई के लिए किया जाता था। रेवाडंडा सालव जेट्टी का उपयोग लोडिंग और अनलोडिंग जेट्टी दोनों के रूप में किया जाता है, जबकि सानेगांव का उपयोग केवल उत्तराई के लिए किया जाता था। रेवाडंडा सालव जेट्टी, जयगढ़ और दिघी में विगत वर्ष की समान अवधि में यातायात में कमी देखी गई है।


नीचे दिया गया ग्राफ महाराष्ट्र जलमार्ग पर विभिन्न जेट्टी/पतन पर लोड की गई वस्तुओं के रेखा चित्र को दर्शाता है।



चित्र 42 – महाराष्ट्र जलमार्ग : जेट्टी वार लोड हुई वस्तुएं (वित्त वर्ष–20)

महाराष्ट्र जलमार्ग पर जेट्टियों के बीच, जयगढ़ के बाद रेवाडंडा सालव जेट्टी लोड किए गए यातायात के उच्चतम हिस्से के लिए जिम्मेदार है। कोयले का अधिकांश हिस्सा जयगढ़ में लोड किया जाता था और उसके बाद लौह अयस्क और इन दोनों वस्तुओं को मुख्य रूप से धरमतार बंदरगाह पर ले जाया जाता था। रेवाडंडा सालव जेट्टी का उपयोग मुख्य रूप से धरमतार बंदरगाह के लिए लौह अयस्क फाईन लदान के लिए एक लदान बिंदु के रूप में किया गया है। धरमतार बंदरगाह में लौह अयस्क के रेवाडंडा तक यातायात की ढुलाई सीमित थीं, जबकि दिघी और सानेगांव में वित्त वर्ष –20 में कोई माल लोड नहीं हुआ।

नीचे दिया गया ग्राफ महाराष्ट्र जलमार्ग पर विभिन्न जेट्टी / पतन पर अनलोडेड कमोडिटीज की प्रोफाइल को दर्शाता है।




चित्र 43 – महाराष्ट्र रा.ज.: जेट्टी वार अनलोड हुई वस्तुएं (वित्त वर्ष-20)

महाराष्ट्र जलमार्ग पर उतारने के लिए उपयोग किए जाने वाले जेट्टी के संदर्भ में, धरमतार के बाद सानेगांव जेट्टी को सबसे अधिक अनलोड किए गए यातायात के लिए जिम्मेदार माना गया है। धरमतार को मुख्य रूप से जयगढ़, तटीय बंदरगाह जैसे पारादीप और विजाग और विदेशी बंदरगाहों जैसे मूल बिंदुओं से कोयला, लौह अयस्क और चूना पत्थर प्राप्त हुआ है। रेवाडंडा एंकोरेज में मालवाहक नौका प्रचालन के माध्यम से सानेगांव को कोयला प्राप्त हुआ। दिघी का उपयोग मुख्य रूप से हजीरा से स्टील कॉइल प्राप्त करने के लिए किया जाता है और रेवाडंडा एंकोरेज में मालवाहक नौका प्रचालन के माध्यम से रेवाडंडा सालव जेट्टी को लौह अयस्क प्राप्त होता है।


गोवा जलमार्ग

गोवा में 2 चालू राष्ट्रीय जलमार्ग हैं, अर्थात् रा.ज.-68 (मंडोवी नदी) और रा.ज.-111 (जुआरी नदी)।



चित्र 44


वित्त वर्ष –20 में लगभग 2.9 मिलियन टन के यातायात आवागमन में, सभी राष्ट्रीय जलमार्गों पर कुल यातायात का लगभग 4% गोवा जलमार्ग पर आँका गया। गोवा जलमार्गों पर कुल यातायात का 51% (लगभग 1.6 मिलियन टन) रा.ज.-68 पर संभाला गया था, जबकि शेष 49% (लगभग 1.3 मिलियन टन) रा.ज.-111 पर संभाला गया था। नीचे दिया गया ग्राफ वित्त वर्ष–20 में गोवा जलमार्ग पर माहवार चलने वाले यातायात को प्रस्तुत करता है।



*- प्रदर्शन संबंधी उद्देश्यों के लिए यातायात के आंकड़ों को निकटतम हजार में पूर्णकिंत किया गया है।

चित्र 45 – गोवा रा.ज. : माहवार यातायात (वित्त वर्ष–19 और वित्त वर्ष–20)

राज्य में लौह अयस्क खनन पर प्रतिबंध के बाद गोवा जलमार्ग पर यातायात लगातार घट रहा है। वित्त वर्ष –19 के लगभग 3.7 मिलियन टन यातायात से घटकर वित्त वर्ष –20 में लगभग 2.9 मिलियन टन हो गया है। हालाँकि, लौह अयस्क गोवा जलमार्ग पर जाने वाली प्रमुख वस्तु है, लेकिन कई अन्य औद्योगिक वस्तुएं हैं जो गोवा में अजप मोड़ का उपयोग करती हैं। नीचे दिया गया ग्राफ वित्त वर्ष –20 में गोवा जलमार्ग पर यातायात की कमोडिटी प्रोफाइल प्रस्तुत करता है।



चित्र 46 – गोवा रा.ज.: यातायात का कमोडिटी प्रोफाइल (वित्त वर्ष–20)

यह देखा जा सकता है कि गोवा जलमार्ग पर शीर्ष दो वस्तुएं लौह अयस्क (54%) और कोयला (27%) हैं। प्रायः लौह अयस्क का निर्यात मोरमुगाओं बंदरगाह से विदेशों को किया जाता है, जबकि कोयला विदेशी बंदरगाहों से मोरमुगाओं बंदरगाह तक आयात किया जाता है। अन्य वस्तुओं में, बाक्साइट का आयात विदेशी बंदरगाहों से एल्यूमीनियम निर्माताओं जैसे हिंडाल्को द्वारा किया जाता है।


गुजरात जलमार्ग

गुजरात में 2 चालू राष्ट्रीय जलमार्ग हैं अर्थात् रा.ज.-73 (नर्मदा नदी) और रा.ज.-100 (तापी नदी)। वित्त वर्ष -20 में लगभग 31 मिलियन यातायात में सभी राष्ट्रीय जलमार्गों पर कुल यातायात का 42% गुजरात जलमार्गों पर हुआ। गुजरात जलमार्ग का 99% से अधिक यातायात रा.ज.-100 (तापी नदी) पर संभाला जाता है।



चित्र 47— गुजरात जलमार्ग : चालू राष्ट्रीय जलमार्ग


नीचे दिया गया ग्राफ वित्त वर्ष -20 में रा.ज.-100 (तापी नदी) पर माहवार चलने वाले यातायात आवागमन को प्रस्तुत करता है।



चित्र 48—रा.ज.-100 महावार यातायात (वित्त वर्ष-20)

वित्त वर्ष - 20 में 30.09 मिलियन टन के कुल यातायात के साथ, वित्त वर्ष -19 में लगभग 28.70 मिलियन टन के यातायात के विरुद्ध रा.ज.-100 पर लगभग 7% यातायात की वृद्धि प्रदर्शित हुई।


नीचे दिया गया ग्राफ वित्त वर्ष –20 में रा.ज.–73 (नर्मदा नदी) पर माहवार यातायात आवागमन को प्रस्तुत करता है।



चित्र 49— रा.ज.–73 माहवार यातायात (वित्त वर्ष–20)

रा.ज.–73 पर वित्तीय वर्ष 19 में 40,941 टन यातायात की तुलना में वित्त वर्ष –20 में 99,614 टन यातायात हुआ था, जिससे 143% की वृद्धि हुई।

नीचे दिया गया ग्राफ वित्त वर्ष –20 में गुजरात जलमार्ग पर यातायात की कमोडिटी प्रोफाइल प्रस्तुत करता है।




चित्र 50— गुजरात रा.ज. : यातायात का कमोडिटी प्रोफाइल (वित्त वर्ष–20)

यह देखा जा सकता है कि शीर्ष दो वस्तुओं अर्थात् लौह अयस्क (42%) और कोयला (29%) रा.ज. –100 (तापी नदी) पर जाने वाले कुल यातायात का 71% हिस्सा हैं। इसके बाद हॉट रोल्ड कॉइल्स और लाइमस्टोन हैं जो क्रमशः 8% और 7% यातायात के लिए जिम्मेदार हैं। रा.ज.–100 पर जाने वाली अन्य वस्तुओं में कोक, किलंकर, सीमेंट आदि हैं।


वित्त वर्ष–20 में रा.ज. –73 (नर्मदा नदी) पर केवल 3 वस्तुओं को ले जाया गया था, जिसमें एथिलीन (86%) कुल यातायात का उच्चतम हिस्सा था, जिसके बाद विनील वलोराइड, वीसीएम (9%) और प्रोपलीन (5%) थे। यातायात को गुजरात जलमार्ग पर जेटिंगों के दो समूहों अर्थात मैगडल्ला (रा.ज.–100 पर) और दाहेज (रा.ज.–73 पर) में संभाला जाता है। नीचे दिया गया ग्राफ गुजरात जलमार्ग पर जेटिंगों के इन समूहों में संभाला गया यातायात दर्शाता है।

भारत में, वित्त वर्ष –20 में समस्त अजप यातायात का 43% गुजरात जलमार्ग पर हुआ। उद्योगों ने अपने कच्चे माल और तैयार माल को संभालने के लिए अपनी निजी और कैप्टीव जेटिंगों की स्थापना की है।



चित्र 51— गुजरात रा.ज. : जेटिंगों का यातायात हैंडलिंग प्रदर्शन (वित्त वर्ष–19 और वित्त वर्ष–20)

मगदल्ला स्थित जेटिंगों ने गुजरात जलमार्ग के कुल यातायात का 99% से अधिक हिस्सा संभाला है। ये जेटिंगों मुख्य रूप से विभिन्न आवक वस्तुओं के लिए उपयोग की जाती हैं, जो मुख्य रूप से इस्पात और धातु उद्योगों द्वारा कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष –20 में, मगदल्ला स्थित जेटिंगों पर सामूहिक रूप से क्रमशः लोड और अनलोड यातायात में 17% और 5% की वृद्धि देखी गई है। इस प्रकार, दाहेज स्थित जेटिंगों में भी यातायात में भारी वृद्धि देखी गई है, फिर भी समग्रतः मगदल्ला स्थित जेटिंगों द्वारा संभाले गए यातायात की तुलना में यह अधिक नहीं है। नीचे दिया गया ग्राफ रा.ज.–100 पर लोड और अनलोड की गई वस्तुओं के नियंत्रण को प्रदर्शित करता है।




चित्र 52— रा.ज. –100 : मगदल्ला स्थित जेटिंगों— लोड और अनलोड हुई वस्तुएं (वित्त वर्ष–20)

रा.ज.-100 पर लोड की गई प्रमुख वस्तु हॉट रोल्ड कॉइल है, जिन्हें तटीय नौवहन मार्ग से कई भारतीय बंदरगाहों तक पहुँचाया जाता है। इसके अतिरिक्त, स्लैग को विदेशी बंदरगाहों में भेजा जाता है और लौह अयस्क को प्रायः तटीय नौवहन के माध्यम से विजाग, पारादीप और एन्नोर में भेजा जाता है।

रा.ज.-100 पर अनलोड की गई प्रमुख वस्तु लौह अयस्क है, जिन्हें विजाग और पारादीप पोर्ट से तटीय मार्ग द्वारा और कोयला व चूना पत्थर को कई विदेशी बंदरगाहों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है।

नीचे दिया गया ग्राफ वित्त वर्ष –20 में रा.ज.-73 पर संभाली गई वस्तुओं को दर्शाता है।



चित्र 53— रा.ज. -73 : दहेज स्थित जेट्रियाँ— लोड और अनलोड हुई वस्तुएं (वित्त वर्ष—20)

गुजरात जलमार्ग पर कुल यातायात का 1% से भी कम दाहेज स्थित जेट्री पर हुआ है। बंदरगाह पर यातायात में मुख्य रूप से ईथीलीन की बाहरी ढुलाई और प्रोपलीन की आवक ढुलाई हुई है।

नए चालू राष्ट्रीय जलमार्ग

वित्त वर्ष –20 में चालू राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है जिसमें रा.ज.-16 (बराक नदी), रा.ज.-44 (इच्छामती नदी) और रा.ज.-94 (सोन नदी) पर यातायात शामिल है। इन नए शामिल राष्ट्रीय जलमार्गों पर हुए यातायात का विवरण निम्नानुसार है:

- रा.ज.-16 (बराक नदी) :** वित्त वर्ष –20 में, लगभग 4,400 टन यातायात हुआ जिसमें रा.ज.-16 पर ढुलाई किए गए यातायात में अदरक और फल (नारंगी, अनानास, अंगूर) शामिल हैं। यह यातायात छोटी देशी नौकाओं पर हुआ, जिसका प्रचालन भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्ग के माध्यम से करीमगंज (असम, भारत) और जाकिगंज (बांग्लादेश) के बीच हुआ है।
- रा.ज.-44 (इच्छामती नदी) :** वित्त वर्ष –20 में, लगभग 0.9 मिलियन टन यातायात हुआ जिसमें रा.ज.-44 पर ढुलाई किए गए यातायात में ईंट, पत्थर के चिप्स, रेत और सीमेंट जैसी निर्माण सामग्री शामिल हैं। यह

यातायात बशीरहाट से शुरू हुआ और रा.ज.-1 पर यथा दयापुर / सज्जलिया / पथाकली / रघुनाथगंज / नामखाना (सुंदरबन डेल्टा द्वीपसमूह) जैसे विभिन्न गंतव्यों तक और रा.ज.-44 पर बशीरहाट ईंट भट्टों के आसपास पहुंचाया गया।

3. **रा.ज.-94 (सोन नदी):** वित्त वर्ष -20 में, लगभग 0.8 मिलियन टन यातायात (मुख्य रूप से रेत) रा.ज.-94 पर प्रचालन हुआ। इस यातायात दुलाई को मशीनीकृत / गैर-मशीनीकृत नावों का उपयोग करते हुए बिहार क्षेत्र में कोइलवर (बिहार में गंगा और सोन नदी का संगम बिंदु) से गंगा नदी (रा.ज.-1) के साथ स्थित डोरीगंज, अवतारनगर, पेहलेजा, गंगाजल, मतुरापुर, कालीघाट, तिवारीघाट, जाहजघाट, मसानघाट और सबलपुर जैसे कई गंतव्य स्थलों पर ले जाया गया।

राष्ट्रीय जलमार्गों पर यातायात में वृद्धि के लिए पहल

राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो और यात्रियों के परिवहन के उपयोग को बढ़ाने के लिए भारतीय विभिन्न हितधारकों के परामर्श से कई पहल कर रहा है। इन पहलों को संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया गया है।

1. **फेयरवे विकास कार्य :** रा.ज.-1 पर फेयरवे विकास हेतु हल्दिया-बाढ़ में 3.0 मीटर, बाढ़-गाजीपुर में 2.5 मीटर, और गाजीपुर-वाराणसी खण्डों में 2.2 मीटर की न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) सुनिश्चित करने का कार्य भारतीय द्वारा विश्व बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) के अंतर्गत प्रगति पर है। इसी प्रकार, भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग के माध्यम से रा.ज.-1 और रा.ज.-2 / रा.ज.-16 के बीच संपर्क को बेहतर बनाने के लिए, प्रोटोकॉल मार्ग संख्या 1 और 2 पर सिराजगंज और दैखोवा के बीच महत्वपूर्ण और उथले खण्डों व बांग्लादेश में प्रोटोकॉल मार्ग संख्या 3 और 4 पर आशुगंज व जाकीगंज को भारत और बांग्लादेश द्वारा संयुक्त रूप से वर्ष भर नौगम्य क्षमता (2.5 लाख टन के लक्षित एलएडी) के लिए विकसित किया जा रहा है। इसी प्रकार, भारत - बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग पर जलयानों के सुचारू नौचालन के लिए सुंदरवन में रा.ज.-97 पर फेयरवे विकास कार्य किए जा रहे हैं।
2. **निजी ऑपरेटरों द्वारा भारतीय जलमार्गों का संचालन और प्रबंधन :** भारतीय जलमार्गों पर निजी ऑपरेटरों को अपने टर्मिनल सौंपने की प्रक्रिया में है। वाराणसी में नवनिर्मित मल्टीमॉडल टर्मिनल (एमएमटी) (क्षमता 1.26 मिलियन टन), साहिबगंज (क्षमता 3.03 मिलियन टन) और हल्दिया (क्षमता 3.18 मिलियन टन) जे एम वी पी के तहत रा.ज.-1 पर प्रचालन और रखरखाव के लिए पीपीपी आधार पर निजी ऑपरेटरों को देने हेतु निविदा की प्रक्रिया में हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग - 1 पर गायघाट (पटना) में और राष्ट्रीय जलमार्ग - 2 पर धुबरी, पांडु (गुवाहाटी) के भारतीय टर्मिनलों के लिए इसी तरह का प्रयास जारी है। इसके बाद, रा.ज.-3 और रा.ज.-16 पर भारतीय जलमार्ग के टर्मिनलों को भी प्रचालन एवं प्रबंधन के लिए निजी खिलाड़ियों को सौंपने की योजना है। प्रचालन एवं प्रबंधन ऑपरेटरों की नियुक्ति आवश्यक संचालन और विपणन अनुभव लाएगी और अजप मोड पर यातायात बढ़ाने में योगदान करेगी।
3. **निजी जेट्टीयों / टर्मिनल के लिए विकास की नीति :** रा.ज. पर अजप यातायात के विकास के साथ, निजी संस्थाओं ने रा.ज. पर निजी टर्मिनलों के निर्माण और संचालन के लिए रुचि दिखाई है। टर्मिनलों के निर्माण, संचालन और प्रबंधन के लिए निजी संस्थाओं को आवंटित करने से रा.ज. पर टर्मिनल नेटवर्क का तेजी से विकास हो सकेगा। रा.ज. पर टर्मिनलों के विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी से जुड़े फायदों के

मद्देनजर, भाअजप्रा ने निजी क्षेत्र को अपनी स्वयं की जेट्टीयाँ विकसित करने और उन्हें वाणिज्यिक आधार पर संचालित करने की अनुमति देने का प्रस्ताव किया है। हाल ही में भाअजप्रा ने अस्थायी आधार पर लैंडिंग बिंदु के रूप में तटों पर अपनी भूमि का उपयोग करते हुए रा.ज.-1 पर निजी ऑपरेटरों द्वारा रो-रो संचालन की अनुमति दी है। इस पहल से अजप के पक्ष में कार्गो के बुनियादी ढाँचे और मोडल शिफ्ट के विकास को बढ़ाने में निजी क्षेत्र की अति आवश्यक भागीदारी होने की उम्मीद है।

4. **फोकल और एलएडी पोर्टलों का विकास :** भाअजप्रा द्वारा एक समर्पित पोर्टल अर्थात् फोकल (फोरम ऑफ कार्गो ओनर्स एंड लॉजिस्टिक्स ऑपरेटर्स) को अजप मोड का उपयोग करके अपने माल की आवाजाही में रुचि रखने वाले कार्गो स्वामियों और जलयान प्रचालकों जो राष्ट्रीय जलमार्ग (रा.ज.) में जलयानों का प्रचालन कर रहे हैं को जोड़ने के लिए विकसित किया गया था। पोर्टल पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को विभिन्न रा.ज. पर अपनी परिवहन आवश्यकता और जलयानों की स्थिति साझा करने की अनुमति देता है। इसके अलावा, भाअजप्रा ने आंतरिक रूप से एक पोर्टल 'एलएडी' विकसित किया है, जो रा.ज. पर आने वाले अंतर्देशीय जलयानों के दिन-प्रतिदिन के संचालन की सुविधा प्रदान करता है। यह पोर्टल सेवा और संचालन में किसी भी बाधा से बचने के लिए रा.ज. पर सहज संचालन को प्राप्त करने हेतु सूचना के आदान-प्रदान की विश्वसनीयता और दक्षता को बढ़ाता है, इसके अलावा जलयानों की आवाजाही के दौरान होने वाली समस्याएँ भी हो सकती हैं।
5. **अजप उपयोगकर्ताओं को सूचना के प्रसार के लिए डिजिटल पोर्टल :** भाअजप्रा वर्तमान में विभिन्न हितधारकों के लिए मुख्य व्यवस्थित और समग्र नदी और रा.ज. से संबंधित नौचालन संबंधी जानकारी का प्रसार करने के लिए एक डिजिटल पोर्टल विकसित कर रहा है। यह पोर्टल भारत के विभिन्न राष्ट्रीय जलमार्गों पर फेयरवे (एलएडी इत्यादि), अवसंरचना सुविधाओं (जेट्टी, पंटून, कार्गो हैंडलिंग उपकरण, भंडारण सुविधा), क्रॉस नदी संरचना (ब्रिज लोकेशन लॉक, बार्ज), जेट्टी से कनेक्टिविटी, आपातकालीन सेवाओं, राष्ट्रीय जलमार्गों के माध्यम से कार्गो और अन्य जलयानों के परिवहन की सुविधा के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। यह विभिन्न हितधारकों को रा.ज. की प्रमुख विशेषताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा जो कि अजप मोड के उपयोग पर निर्णय लेने के लिए आवश्यक है।
6. **स्थानीय समुदाय द्वारा कार्गो परिवहन की सुविधा :** अजप को पारंपरिक रूप से स्थानीय समुदाय द्वारा उनके उत्पाद और यात्रियों के परिवहन के लिए उपयोग किया जाता है। अर्थ गंगा विजन के हिस्से के रूप में जलमार्गों और स्थानीय स्तर पर माल की आवाजाही की सुविधा अजप के भावी उपयोग को बढ़ाएगी।
7. **अजप मोड का उपयोग करके क्षेत्रीय व्यापार वृद्धि :**
- (क) **भारत और बांग्लादेश में पीआईडब्ल्यूटी एण्ड टी के तहत नए बंदरगाहों और मार्गों में वृद्धि :** भारत और बांग्लादेश के बीच पीआईडब्ल्यूटी एण्ड टी के तहत जलमार्गों के वृद्धि / विस्तार के साथ-साथ 7 नए बंदरगाहों को एक साथ जोड़ने पर सहमति हुई। अजप मोड की पहुंच से भारत और बांग्लादेश के बीच व्यापार के बढ़ने की उम्मीद है और फलस्वरूप राष्ट्रीय जलमार्गों पर यातायात में वृद्धि होगी। एक ऑकलन

पोत परिवहन के लिए फेयरवे विकास, क्षेत्र विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी और सूचना पहुंच और प्रचालन योजना के लिए डिजिटल पोर्टल अजप प्रणाली तक पहुंचाने में आसानी को बढ़ावा देगा।

के अनुसार, बांग्लादेश में अरिका तक राजशाही–धूलियान मार्ग के विस्तार के साथ अजप मोड में लगभग 2.5 मिलियन टन यातायात के आने की उम्मीद है।

- (ख) **भारत नेपाल व्यापार संधि में अजप मोड का समावेश :** भारत और नेपाल के बीच व्यापार संधि में शामिल करने के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग मोड पर सहमति हुई है। इससे नेपाल के कार्गो को (कोलकाता बंदरगाह के माध्यम से तीसरे देश से आने वाले और भारत के निर्यात) साहिबगंज एमएमटी (झारखंड), पटना (बिहार) के निकट प्रस्तावित कालुघाट टर्मिनल और वाराणसी एमएमटी (यूपी) तक जलमार्ग से ले जाया जाएगा और नेपाल के लिए आगे की ढुलाई सड़क के माध्यम से होगी। अजप मार्ग यातायात के लिए एक वैकल्पिक विकल्प प्रदान करेगा, जो वर्तमान में रेल और सड़क मोड पर भीड़ और देरी जैसी महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करता है।
- (ग) **भूटान और बांग्लादेश के बीच व्यापार :** भूटान के पत्थर निर्यातकों ने जलमार्ग मोड से जुड़े लाभों यथा कम परिवहन लागत, सड़क की तुलना में बड़े शिपमेंट का आकार, भूमि मार्गों पर भीड़ से बचना आदि के दृष्टिगत अंतर्देशीय जलमार्ग की पहचान परिवहन के एक वैकल्पिक मोड के रूप में की है। भाअजप्रा की देखरेख में जुलाई 2019 में पहली ढुलाई सफलतापूर्वक निष्पादित की गई थी। इस ढुलाई ने भूटानी निर्यातकों को जलमार्ग मोड में तेजी से स्थानांतरित करने और भूटान और बांग्लादेश के बीच पत्थर समुच्चय और अन्य वस्तुओं के व्यापार को बढ़ाने के लिए विश्वास पैदा किया। पहली ढुलाई की सफलता के परिणामस्वरूप, पत्थर समुच्चय का परिवहन धुब्री और चिलमारी (बांग्लादेश) और लगभग 10 से अधिक शिपमेंट के बीच नियमित हो गया और वित्तीय वर्ष – 20 में लगभग 100–300 टन आकार के 10 पोत लादान पूरे हो चुके हैं। आने वाले वर्षों में अजप मोड का उपयोग करने वाले इस व्यापार को जारी रखने और एक महत्वपूर्ण पैमाने पर पहुंचने की उम्मीद है।
8. **आईबीपी मार्ग के जरिए बांग्लादेश के माध्यम से पारगमन माल के परिवहन के लिए सीमा शुल्क की प्रक्रियाओं की परिसीमन और छूट :** आईबीपी मार्ग (पीआईडब्ल्यूटी और टी के तहत) के माध्यम से भारत के उत्तर पूर्व राज्यों से माल की आवाजाही के लिए अजप मोड के उपयोग को और सुविधाजनक बनाने के लिए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), वित्त मंत्रालय (भारत सरकार) के साथ भाअजप्रा ने सीमा शुल्क प्रक्रिया को रद्द करने और संभावित छूट पर विचार करने के लिए परामर्श किया। इसके दृष्टिगत सीबीआईसी ने 21 फरवरी 2021 को माल परिवहन (विदेशी क्षेत्र के माध्यम से), विनियम, 2020 जारी किया है। इन विनियमों ने आईबीपी मार्ग से गुजरने वाले पारगमन माल के लिए व्यापार द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का परिसीमन किया है और साथ ही विषयांतर्गत विनियमों के उद्देश्य से सीमा पर प्रमाणपत्र की आवश्यकता को समाप्त किया है।
9. **रो–रो / रो–पैक्स यातायात की सुविधा :** भाअजप्रा ने रा.ज.-1, 2 और 3 के प्रचालन के लिए रो–रो और रो–पैक्स जलयानों की अधिप्राप्ति की है। इन जलयानों को प्रचालित करने और अनौपचारिक क्षेत्रों के प्रचालन को नियमित करने के लिए कई राज्य सरकारों के साथ चर्चा चल रही है।
10. **अजप के माध्यम से कोचीन बंदरगाह और कोट्टायम बंदरगाह के बीच कंटेनर ढुलाई :** वर्ष 2019 में प्रायोगिक ढुलाई की सफलता के बाद, कोचीन बंदरगाह और कोट्टायम बंदरगाह के बीच रा.ज.-3 और रा.ज.-9 के माध्यम से कंटेनरीकृत ढुलाई आने वाले वर्षों में नियमित हो जाने की उम्मीद है, जिससे यातायात आवागमन सड़क से अजप मोड की ओर स्थानांतरित होगा और यह सड़क की भीड़ को कम करने में सहायक है।

11. **नए राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास :** भारतीय जलमार्गों को नौगम्य बनाने हेतु तकनीकी हस्तक्षेप करने के लिए 20–25 नए राष्ट्रीय जलमार्गों (रा.ज.) को तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन के माध्यम से पहचाना है। एक बार तैयार होने के बाद, ये नए जलमार्ग संबंधित भौगोलिक क्षेत्रों में परिवहन का एक वैकल्पिक मोड़ प्रदान करेंगे।
12. **हितधारक परामर्श :** भारतीय जलमार्गों का वित्त वर्ष –20 में छह विभिन्न स्थानों (कोलकाता, कोच्चि, मुंबई, पटना, गोवा और ढाका) में हितधारकों से परामर्श किए। इन परस्पर परिचर्चाओं ने जलमार्ग को परिवहन के एक साधन के रूप में बढ़ावा देने और अपेक्षाओं और हितधारकों की प्रतिक्रिया को समझने में मदद की है। भारतीय जलमार्गों पर यातायात को बढ़ाने के लिए प्राप्त की गई अपेक्षा और प्रतिक्रिया को पूरा करने के लिए लक्षित पहल कर रहा है।

उपरोक्त पहल से अजप्रणाली तक पहुँच और उपयोग में आसानी को बढ़ावा मिलेगा, इसके अलावा प्रचालन की दक्षता और सुरक्षा को बढ़ाने और आने वाले वर्षों में राष्ट्रीय जलमार्ग पर यातायात में वृद्धि होगी।

अनुबंध

क. राष्ट्रीय जलमार्गों पर भारतीय जलमार्गों की स्थाई जेट्टीयों का विवरण

राष्ट्रीय जलमार्ग–1				
स्थल	जेट्टी टर्मिनल	भंडारण सुविधा	उपस्कर	अन्य सुविधाएं
वाराणसी एमएमटी	आरसीसी जेट्टी (लंबाई – 200 मी, चौड़ाई – 35मी) यात्री जेट्टी (फ्लोटिंग पांटून – लंबाई – 20मी, चौड़ाई – 10मी)	कोई आच्छादित भंडारण सुविधा नहीं। आच्छादित भंडारण के विकास हेतु स्थान उपलब्ध है।	प्रत्येक 50 एमटी क्षमता की दो मोबाइल हार्बर क्रेन	
गायघाट, पटना	निम्न बाढ़ तल आरसीसी जेट्टी (लंबाई – 46मी, चौड़ाई – 15मी) उच्च बाढ़ तल आरसीसी जेट्टी (लंबाई – 70मी, चौड़ाई – 30मी)	पारगमन शेड (लंबाई – 45मी, चौड़ाई – 15मी)	70 एमटी क्षमता की एक रबर टायर मोबाइल क्रेन और 30 एमटी क्षमता की दो रबर टायर मोबाइल क्रेन	
साहिबगंज एमएमटी	आरसीसी जेट्टी (लंबाई – 270मी, चौड़ाई – 25मी)	भण्डारण शेड (132 मी X 30 मी), स्टोन चिप्स एवं कोयले के लिए स्टॉक याड़ का विकास : 50,000 वर्ग मी.	एक मोबाइल हार्बर क्रेन, आठ फ्रंट एण्ड लोडर्स, फिक्स हॉपर के साथ कन्वेयर प्रणाली (1,200 टीपीएच), टू वे ब्रिज	
गार्डन रीच जेट्टी – II, कोलकाता	आरसीसी जेट्टी (लंबाई – 70 मी)	भण्डारण शेड (~1,100 वर्ग मी.)	स्क्रू कम्प्रेसर, लोडर, क्रेन, मेट्रेरियल, हैण्डलर	सीमा शुल्क द्वारा अधिसूचित

राष्ट्रीय जलमार्ग-2

स्थल	जेव्ही टर्मिनल	भंडारण सुविधा	उपस्कर	अन्य सुविधाएं
पाण्डु गुवाहाटी	निम्न तल आरसीसी जेव्ही (लंबाई – 50 मी, चौडाई–20मी) उच्च तल आरसीसी जेव्ही (लंबाई – 50 मी, चौडाई–20मी)	2 भण्डारण शेड (प्रत्येक 75मी X 21 मी), खुला भण्डारण क्षेत्र : 553.90 वर्ग मी.	20 एमटी और 75 एमटी क्षमता की दो हाईड्रोलिक शोर क्रेन, 100 एमटी क्षमता के बन वे ब्रिजः	रेलवे ब्रोड गेज (बीजी) साइडिंग सीमा शुल्क द्वारा अधिसूचित
धुब्री	रो–रो आरसीसी जेव्ही (लंबाई – 186 मी, चौडाई–15.6मी)	2 पारगमन शेड (प्रत्येक 25मी X 15मी), खुला भण्डारण क्षेत्र : 553.90 वर्ग मी.	20 एमटी क्षमता की एक शोर क्रेन, 60 एमटी क्षमता के बन वे ब्रिजः	सीमा शुल्क द्वारा अधिसूचित

राष्ट्रीय जलमार्ग-3

स्थल	जेव्ही टर्मिनल	भंडारण सुविधा	उपस्कर	अन्य सुविधाएं
कोट्टापुरम	आरसीसी जेव्ही : लंबाई – 30 मी	आच्छादित भंडारण –300 वर्ग मी, खुला भंडारण –800 वर्ग मी	18 एमटी क्षमता की एक मोबाइल हाईड्रोलिक क्रेन, 3 एमटी क्षमता की एक फॉर्कलिफ्ट	
अलुवा	आरसीसी जेव्ही : लंबाई – 30 मी	आच्छादित भंडारण –300 वर्ग मी, खुला भंडारण –1500 वर्ग मी	18 एमटी क्षमता की एक मोबाइल हाईड्रोलिक क्रेन, 3 एमटी क्षमता की एक फॉर्कलिफ्ट	
सीएसईजेड (काकानाडा)	केवल भूमि अस्थाई बर्थिंग जेव्ही – लंबाई – 10 मीटर	शून्य	शून्य	
मरडू	आरसीसी जेव्ही : लंबाई – 30 मी	आच्छादित भंडारण –300 वर्ग मी, खुला भंडारण –2000 वर्ग मी	18 एमटी क्षमता की एक मोबाइल हाईड्रोलिक क्रेन, 3 एमटी क्षमता की एक फॉर्कलिफ्ट	
वैक्कोम	आरसीसी जेव्ही : लंबाई – 30 मी	आच्छादित भंडारण –300 वर्ग मी, खुला भंडारण –800 वर्ग मी	18 एमटी क्षमता की एक मोबाइल हाईड्रोलिक क्रेन, 3 एमटी क्षमता की एक फॉर्कलिफ्ट	

थनेरमुक्कम	आरसीसी जेट्टी : लंबाई — 30 मी	आच्छादित भंडारण —300 वर्ग मी, खुला भंडारण —800 वर्ग मी	18 एमटी क्षमता की एक मोबाइल हाईड्रोलिक क्रेन, 3 एमटी क्षमता की एक फॉर्कलिफ्ट	
अल्लापुज्जा	आरसीसी जेट्टी : लंबाई — 30 मी	आच्छादित भंडारण —300 वर्ग मी, खुला भंडारण —2000 वर्ग मी	शून्य	
त्रिकुनापुज्जा	आरसीसी जेट्टी : लंबाई — 30 मी	आच्छादित भंडारण —300 वर्ग मी, खुला भंडारण —800 वर्ग मी	18 एमटी क्षमता की एक मोबाइल हाईड्रोलिक क्रेन, 3 एमटी क्षमता की एक फॉर्कलिफ्ट	
कायमकुलम	आरसीसी जेट्टी : लंबाई — 30 मी	आच्छादित भंडारण —300 वर्ग मी, खुला भंडारण —2000 वर्ग मी	18 एमटी क्षमता की एक मोबाइल हाईड्रोलिक क्रेन, 3 एमटी क्षमता की एक फॉर्कलिफ्ट	
चावड़ा	केवल लैंड	शून्य	शून्य	
कोल्लम	आरसीसी जेट्टी : लंबाई — 30 मी	आच्छादित भंडारण — 300 वर्ग मी, खुला भंडारण —2000 वर्ग मी	18 एमटी क्षमता की एक मोबाइल हाईड्रोलिक क्रेन, 3 एमटी क्षमता की एक फॉर्कलिफ्ट	
बोलगद्वी	रो—रो / लो—लो लैंडिंग प्वाइंट	शून्य	शून्य	
विलिंगडन द्वीप	रो—रो / लो—लो लैंडिंग प्वाइंट	शून्य	शून्य	

राष्ट्रीय जलमार्ग—16

टर्मिनल स्थल	जेट्टी	भंडारण सुविधा	उपस्कर (प्रस्तावित)	अन्य सुविधाएं
बद्रपुर	आरसीसी जेट्टी (लंबाई — 91 मी, चौड़ाई—37मी)	आच्छादित भण्डारण (29.84मी X 16.07 मी), खुला स्टेक क्षेत्र	एक शोर क्रेन, एक फ्लोटिंग पांटून, एक फॉर्कलिफ्ट	
करीमगंज	आरसीसी जेट्टी (लंबाई — 136.5 मी, चौड़ाई—14.5मी)	आच्छादित भण्डारण (85मी X 23 मी), खुला स्टेक क्षेत्र : 553.90 वर्ग मी.	एक शोर क्रेन, एक फ्लोटिंग पांटून, एक फॉर्कलिफ्ट	सीमा शुल्क द्वारा अधिसूचित

ख. रा.ज.-1 व रा.ज.-2 पर अन्य टर्मिनल, जेट्टीयां (स्थायी व अस्थायी), लैंडिंग प्लाइट और घाट

राष्ट्रीय जलमार्ग	स्थल
	भाअजप्रा हल्दिया फ्लाइ ऐश जेट्टी, हल्दिया*
	एचडीसी फ्लाइ ऐश जेट्टी, हल्दिया *
	बज बज जेट्टी, कोलकाता*
	भाअजप्रा बीआईएसएन जेट्टी, कोलकाता *
	किद्विरपुर डोक, कोलकाता (केओपीटी)
	टी. टी. शेड, कोलकाता*
	नेताजी सुभाष डोक, कोलकाता (केओपीटी)*
	हल्दिया डोक कॉम्प्लेक्स, कोलकाता (केओपीटी)*
	मंगल घाट (हावड़ा)
	भाअजप्रा बीटीपीएस जेट्टी, बंडील*
	फालता जेट्टी (साउथ 24 परगना)
	श्रीरामपुर* (साउथ 24 परगना)
	सूरीनाम* (साउथ 24 परगना)
	पाकुर (पुतीमारी)* (मुर्शीदाबाद)
	फरक्का बार्ज परियोजना (आरसीसी व टर्मिनल घाट)* (मुर्शीदाबाद)
	केटीपीएस, कोलाघाट* (पूर्व मेदिनीपुर)
	कटवा (पूर्व बर्धमान) (रो-रो)
	गुप्तीपुरा (हुगली) (रो-रो)
	दैनहाट (पूर्व बर्धमान) (रो-रो)
	नरकेलबाड़ी (मुर्शीदाबाद) (रो-रो)
	कलना (पूर्व बर्धमान) (रो-रो)
	पालासेय (नदिया) (रो-रो)
	शांतिपुर (नदिया) (रो-रो)
	मेदिनीपुर (नदिया) (रो-रो)
	रामनगर (पूर्व मेदिनीपुर) (रो-रो)
	बल्लभपाड़ा (नदिया) (रो-रो)
	नरसिंघपुर (नदिया) (रो-रो)
	मानिकचक (मालदा) (रो-रो)
	मगनापाड़ा (मुर्शीदाबाद) (रो-रो)
	मनिहारी (रो-रो) (कटिहार) (रो-रो)
	समदाघाट (साहेबगंज) (रो-रो)
	गरम घाट(साहेबगंज) (रो-रो)
	राजमहल (साहेबगंज)
	टिनटांगा (भागलपुर)
	गायघाट (पटना)
रा.ज.-1	बेगुसराय

डोरीगंज (सारण)
कारागोला (कटिहार)
राघोपुर (वैशाली)
सेमरिया (सिवान)

* सीमा शुल्क द्वारा अधिसूचित

राष्ट्रीय जलमार्ग	स्थल
रा.ज.—2	बोगीबील (डिबूगढ़) तेजपुर (सोनितपुर) जोगीघोपा (बोंगईगांव) सेंगाजन (गोलाघाट) सिलघाट* (नगांव) बिश्वनाथ घाट (बिश्वनाथ) डिबूगढ़ ओरियमघाट (गोलाघाट) भोमरागुड़ी (सोनतीपुर) गोलापाड़ा गुवाहाटी कमलाबाड़ी (जोरहाट) करेन चापड़ी (धीमाजी) नेमाती (जोरहाट) फुलानी (नगांव) सलमारा (साउथ सलमारा मनकाचर) बागबोर (बारपेटा) बालूगुड़ी (तिनसुकिया) चैखोवा (तिनसुकिया) चापड़ (धुब्री) चुनारी (गोलापाड़ा) डोलगामा (गोलापाड़ा) हत्सिंगमारी (साउथ सलमारा मनकाचर) हाजिरहाट (धुब्री) जलेश्वर (गोलापाड़ा) कदमतला (बारपेटा) कारीखेती (बारपेटा) खनखावा (धुब्री) कृष्ण (गोलापाड़ा) माजेर चार (धुब्री) मंत्रीचार (धुब्री)

मोइमबाड़ी (बारपेटा)
मोंदिया (धुब्री)
पानपुर (सोनीतपुर)
फुलबाड़ी (सोनीतपुर)
पोराबीता (धुब्री)
राजादौड़ (नॉर्थ गुवाहाटी)
सिंगीमारी (धुब्री)
सुकचार (धुब्री)
ऊमानन्द (नॉर्थ गुवाहाटी)
मध्यमखण्डा (कामरूप)
मजगांव (बारपेटा)

* सीमा शुल्क द्वारा अधिसूचित

हितधारक सम्मेलन

यात्रियों और कार्गो की आवाजाही के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग पर अजप को बढ़ावा देने के लिए, भाजप्रा विभिन्न व्यापार संगठनों और उद्योग भागीदारों द्वारा आयोजित सम्मेलनों / सेमिनारों और कार्यशालाओं में भाग लेता है और इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए अजप क्षेत्र में विभिन्न विकास गतिविधियों को प्रस्तुत करता है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, उद्योग संघों, राज्य सरकारों और अन्य महत्वपूर्ण संगठनों के साथ साझेदारी में भाजप्रा द्वारा हितधारक सम्मेलन आयोजित किए गए थे। इन सम्मेलनों के व्यापक उद्देश्य थे :

- क. यात्रियों और माल की आवाजाही के लिए घरेलू और क्षेत्रीय संपर्क स्थापित करने हेतु एक संबल के रूप में अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देना
- ख. व्यापार और पर्यटन के लिए परिवहन के एक अतिरिक्त साधन के रूप में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देना
- ग. अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास और उपयोग के लिए हितधारकों के समक्ष आए मुद्दों और चुनौतियों की पहचान करना
- घ. निजी निवेश, नीति प्रोत्साहन और नए व्यवसाय मॉडल के साथ जुड़कर अजप क्षेत्र में अवसर पैदा करने के लिए रणनीतियों की पहचान करना।
- ड. संभावित क्षेत्रों को नियोजित करने और आदान–प्रदान करने के लिए नवीनतम विकास, नीति अद्यतन, बाजार अंतर्दृष्टि और व्यावसायिक संभावनाओं को साझा करना।

निम्नलिखित स्थानों पर हितधारक सम्मेलन आयोजित किए गए :

#	दिनांक	स्थल	भागीदारी
1.	30 नवम्बर 19	गोवा	सीआईआई
2.	05 दिसम्बर 19	द्वाका	भारतीय उच्चायोग
3.	17 दिसम्बर 19	कोलकाता	सीआईआई
4.	24 जनवरी 20	कोच्ची	ऐशोचेम
5.	07 फरवरी 20	मुम्बई	ऐशोचेम
6.	11 फरवरी 20	पटना	फिक्की

इन 6 स्थानों पर सम्मेलनों ने बुनियादी ढांचे और चुनौतियों का सामना करने में प्रमुख रुझानों और विकास पर विचार–विमर्श किया और कार्गो परिवहन, बुनियादी ढांचे के विकास, नवीन वित्तीय मॉडल और नदी पर्यटन में उभरते अवसरों पर प्रकाश डाला।

1. 30.11.2019 को गोवा में हितधारक सम्मेलन

भाजप्रा ने लॉजिस्टिक्स पर भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ पाँचवें सीआईआई सम्मेलन के आयोजन में भागीदारी की: सम्मेलन सत्र 30 नवंबर 2019 को गोवा में 'पोर्ट लेड डेवलपमेंट के लिए रोडमैप, अंतर्देशीय जलमार्ग और मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स' पर आधारित थे। सम्मेलन सत्र निम्नलिखित विषयों पर आधारित थे :

- क. अजप क्षेत्र का विकास : कार्गो के मोडल शिफ्ट के लिए उभरते अवसरों और निजी निवेश को प्रोत्साहित करना।
- ख. सागरमाला कार्यक्रम का महत्व और पोर्ट लेड डेवलपमेंट के तहत शुरू की गई पहल।
- ग. गोवा में माल की निर्बाध आवाजाही के लिए मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स का विकास।
- घ. नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अजप की भूमिका

सम्मेलन का उद्घाटन माननीय पत्तन मंत्री, अपशिष्ट प्रबंधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और गोवा के ग्रामीण विकास मंत्री, श्री माइकल लोबो के साथ—साथ गोवा के परिवहन और विधायी मामलों के मंत्री, श्री मौविन गोडिन्हो द्वारा किया गया था। सम्मेलन में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, डीजी शिपिंग, भाजप्रा, सीमा शुल्क, रेल मंत्रालय, कई व्यापार संघों और कार्गो मालिकों / ऑपरेटरों ने भाग लिया।

1.1. मुख्य आकर्षण

■ **गोवा सरकार के माननीय मंत्रियों द्वारा उद्घाटन भाषण :** उद्घाटन भाषण पत्तन, अपशिष्ट प्रबंधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और गोवा के ग्रामीण विकास मंत्री, श्री माइकल लोबो के साथ—साथ परिवहन और विधायी मामलों के मंत्री, श्री मौविन गोडिन्हो द्वारा किए गए थे। श्री लोबो ने खनन गतिविधियों को रोकने के कारण वर्तमान में गोवा खनन उद्योग द्वारा सामना किए जाने वाले मुख्य मुद्दों पर प्रकाश डाला और आश्वासन दिया कि खनन और संबंधित आर्थिक गतिविधि फिर से शुरू हो जाएगी क्योंकि इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा ईमानदारी से प्रयास किए गए हैं। श्री लोबो ने यह भी घोषणा की कि गोवा सरकार अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से पर्यटन स्थलों पर पर्यटन गतिविधियों में अपनी नदियों की क्षमता का पता लगाने के लिए व्यापक अध्ययन करेगी। श्री गोडिन्हो ने कहा कि राज्य सरकार निजी खिलाड़ियों के सहयोग के लिए तत्पर है और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में उनकी भागीदारी पर जोर दिया गया है।

■ **गोवा जलमार्ग पर अध्यक्ष, भाजप्रा द्वारा प्रस्तुति :** अध्यक्ष, भाजप्रा ने मुख्य रूप से मांडोवी और जुआरी नदी पर गोवा जलमार्ग की वर्तमान यातायात दुलाई के बारे में हितधारकों को अवगत कराया। तत्पश्चात् उन्होंने 22.65 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत के साथ डेमो, सीओपी, ओल्ड गोवा और चपोरा में 4 कंक्रीट फ्लोटिंग पांडूनों के निर्माण के लिए और आईएएलए मानकों के अनुसार मांडोवी, जुआरी और कंबरजुआ नदियों पर आरआईएस और नौचालन सहायता की स्थापना के बारे में भाजप्रा द्वारा किए गए प्रस्तावित हस्तक्षेपों को विस्तार से बताया। उन्होंने फेयरवे विकास और रखरखाव, जहाज निर्माण और मरम्मत सुविधाओं, टर्मिनल संचालन और नदी क्रूज पर्यटन के क्षेत्रों में निजी खिलाड़ियों के लिए उभरते अवसरों के बारे में भी बताया। उन्होंने गोवा में उपलब्ध अंतर्देशीय बार्ज के उपयोग को बढ़ाने के लिए तटीय और अंतर्देशीय जलमार्गों के एकीकरण पर जोर दिया।

■ **नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देना और नए अजप टर्मिनलों का विकास :** सम्मेलन के दौरान, हितधारकों ने व्यक्त किया कि गोवा में अंतर्देशीय जलमार्ग राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, लंबे और दर्शनीय नदी मार्गों, प्राकृतिक स्थलों और लुभावने दृश्यों के प्रदर्शन के लिए अवसर प्रदान करते हैं जिससे राज्य में नदी क्रूज पर्यटन के लिए अपार संभावनाएं पैदा हो सकती हैं। हितधारकों ने तिसवाड़ी, पोंडा, मोरमुगाओ, साल्केते, सांगेम, क्यूपैम और कोरटालिम के

तालुकाओं में जुआरी नदी पर और अधिक जेव्ही बनाने की आवश्यकता व्यक्त की। इस संबंध में, निजी क्षेत्र से आग्रह किया गया था कि वह पर्यटकों को आकर्षित करने और स्थानीय लोगों के बीच रोजगार का सृजन करने के लिए मंडोवी, कंबरजुआ नहर और जुआरी नदी पर 3–5 दिन के परिभ्रमण का पता लगाए। राज्य सरकार ने घोषणा की कि देश की पहली कंक्रीट फ्लोटिंग क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देगा*। हितधारकों ने राज्य सरकार और सीमा शुल्क विभाग से यात्री टर्मिनलों और सुविधाओं को शीघ्र विकसित करने के लिए अनुरोध किया। इसके अलावा, गोवा के राष्ट्रीय जलमार्गों पर 40 नई जेव्ही विकसित करने के लिए कैप्टन ऑफ पोर्ट्स (सीओपी), गोवा ने भारत सरकार से सहायता मांगी। सीओपी ने साल नदी (रा.ज.-27) पर निकर्षण के लिए भाऊजप्रा से भी सहायता मांगी थी। *इसके बाद दिनांक 21.02.2020 को श्री मनसुख मंडाविया, माननीय पोत परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) द्वारा उद्घाटन किया गया।

- गोवा में खनन बंद करने के कारण बार्ज संचालकों के मुद्दे :** फरवरी, 2018 में गोवा में लौह अयस्क खानों को बंद करने के उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद से उद्योग हितधारकों ने यातायात में कमी के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की, जिसके परिणामस्वरूप बार्ज संचालकों को व्यापार का नुकसान हुआ है। राज्य सरकार ने बताया कि बार्ज संचालकों की सहायता हेतु, बार्ज कर की छूट के लिए फाइल भेजी गई है और वित्त विभाग के पास विचाराधीन है। राज्य सरकार ने यह भी बताया कि गोवा मैरीटाइम बोर्ड का गठन किया जाएगा, और बार्ज उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए सहयोग का आश्वासन दिया। बार्ज संचालकों ने वैकल्पिक उपयोग के लिए निष्क्रिय पड़े बार्जों को लगाने के लिए सुलभ ऋणों की आवश्यकता भी व्यक्त की। उन्होंने डीजी शिपिंग के 2018 के आदेश संख्या 8 के द्वारा अनुपालन के विवरण के तहत तटवर्ती यातायात कॉरिडोर के 5 समुद्री मील की दूरी के भीतर अपने जलयानों को अपग्रेड करके समुद्र के योग्य बनाने के लिए वित्तीय सहायता भी मांगी। इससे उन्हें तटीय नौवहन / ट्रांसशिपमेंट कार्गो में कैटरिंग द्वारा व्यापार में वापस आने में मदद मिलेगी।

- गोवा के लिए व्यापक लॉजिस्टिक नीति की आवश्यकता पर चर्चा :** यह चर्चा की गई कि गोवा राज्य को कृशल लॉजिस्टिक समाधानों के लिए एक व्यापक “लॉजिस्टिक नीति” की आवश्यकता है जो गोवा में उद्योग और व्यापार के विकास के लिए हाथों – हाथ ली जाएगी। राज्य सरकार ने लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निजी खिलाड़ियों की भागीदारी पर जोर दिया और कहा कि इस हेतु ठोस प्रस्तावों की जरूरत है। इस संबंध में, उद्योग ने राज्य सरकार से वर्ना में अवरुद्ध भूमि को मुक्त करने और लॉजिस्टिक तथा अन्य क्षेत्रों के लाभ के लिए एसईजेड को विकसित करने हेतु आवंटित करने का अनुरोध किया।

- कौशल विकास कार्यक्रमों को मजबूत बनाना :** कौशल विकास के मोर्चे पर, राज्य सरकार से स्थानीय युवाओं के लाभ के लिए लॉजिस्टिक और संबद्ध गतिविधियों में एक विशेष संस्थान शुरू करने का आग्रह किया गया था। यह उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करेगा, जिससे ग्रेडिंग, छंटाई, लेबलिंग, सीमा शुल्क पैकेजिंग आदि जैसे गोदाम संचालन के कार्यों में दक्षता बढ़ेगी।

2. दिनांक 05.12.2019 को ढाका में हितधारक सम्मेलन

क्षेत्रीय संपर्क के प्रवर्तक के रूप में आईबीपी मार्ग को बढ़ावा देने के लिए, 5 दिसंबर, 2019 को ढाका में भारतीय उच्चायोग की साझेदारी के साथ एक हितधारक सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसके बाद भारत में और भारत से माल की आवाजाही हेतु चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट के उपयोग के लिए पोत परिवहन सचिव स्तर की वार्ता (एसएसएलटी), और अंतर सरकारी समिति (आईजीसी) की बैठक तथा भारत और बांग्लादेश के बीच पीआईडब्ल्यूटी एंड टी की 20वीं रथायी समिति (एससीएम) की बैठक आयोजित हुई। इस आयोजन का उद्घाटन भारत सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय के सचिव श्री गोपाल कृष्ण और उनके समकक्ष मोहम्मद अब्दुस समद, सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय, बांग्लादेश सरकार ने किया। अन्य गणमान्य व्यक्तियों में श्री भोला नाथ डे, अपर सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय, बांग्लादेश, श्री रजत सच्चर, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत और दोनों पक्षों के अन्य वरिष्ठ सरकारी अधिकारी शामिल थे।



इस कार्यक्रम में बांग्लादेश के 50 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिन्हें आईबीपी मार्ग द्वारा सक्षम क्षेत्रीय कनेक्टिविटी से अवगत कराया गया था। अध्यक्ष, भाजप्रा ने आईबीपी मार्ग के प्रचालन के साथ बांग्लादेशी हितधारकों के लिए अवसरों के उद्भव के बारे में एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने दोनों सरकारों द्वारा वर्ष के दौरान नौवहन क्षमता सुनिश्चित करने के लिए किए गए संयुक्त फेयरवे विकास कार्यों को भी विस्तार से बताया। इसके अलावा, उन्होंने भारत और बांग्लादेश के बीच नदी—आधारित क्रूज सेवाओं को शुरू करने के बारे में हितधारकों को सूचित किया कि जलमार्ग सांस्कृतिक, प्राचीन और वन्यजीव महत्व के विभिन्न स्थानों से होकर गुजरते हैं और इस क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ा सकते हैं और रोजगार पैदा कर सकते हैं।

2.1 मुख्य आकर्षण

सचिव (पोत परिवहन) ने एसएसएलटी के लिए 04–05 दिसंबर, 2019 को ढाका के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और भारत से और भारत को माल की आवाजाही के लिए चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट के उपयोग पर पीआईडब्ल्यूटी एंड टी के तहत एससीएम की 20वीं बैठक और आईजीसी की पहली बैठक में भाग लिया। चर्चा के दौरान निम्नलिखित समझौते हुए थे।

- बांग्लादेश में चटोग्राम और मोंगला बंदरगाहों के माध्यम से उत्तर पूर्व क्षेत्र (एनईआर) के लिए भारतीय पारगमन कार्गो की आवाजाही पर, दोनों देश जनवरी–फरवरी 2020 से प्रायोगिक ढुलाई शुरू करने के लिए सहमत हुए।
- वर्तमान में भारत और बांग्लादेश में पीआईडब्ल्यूटीटी के तहत छह पोर्ट ऑफ कॉल (पीओसी) हैं और दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ाने के लिए अन्य महत्वपूर्ण स्थानों को शामिल करने के लिए दोनों पक्षों के पोर्ट ऑफ कॉल को बढ़ाने का निर्णय लिया गया था*।
- तटीय नौवहन समझौते के तहत, भारतीय पूर्वी तट पर तीन और बंदरगाह, अर्थात् धमरा, एन्नोर और तूतीकोरिन और बांग्लादेश के दो बंदरगाहों अर्थात् कॉक्स बाजार और मुक्तरपुर को पीओसी के रूप में शामिल करने पर सहमति हुई है।
- पीआईडब्ल्यूटीटी के तहत एक नए मार्ग के रूप में इच्छामती नदी (राष्ट्रीय जलमार्ग – 44) को शामिल करने पर नौचालन संबंधी तकनीकी व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए जलीय सर्वेक्षण करने के लिए एक संयुक्त तकनीकी समिति (जेटीसी) का गठन किया।
- बांग्लादेश अंतर्देशीय जल परिवहन प्राधिकरण (बीआईडब्ल्यूटीटी) एनईआर के लिए जलयानों की सुचारू कनेक्टिविटी और नौचालन के लिए भारत–बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्गों पर आवश्यक नौचालन संबंधी सहायता और पायलट सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत हुआ।
- चट्टोग्राम और मोंगला पोर्ट्स के माध्यम से एनईआर के लिए भारत के पारगमन कार्गो की आवाजाही के लिए बांग्लादेश द्वारा ली जाने वाली प्रशासनिक शुल्क की मात्रा पर, बांग्लादेश अपने प्रस्ताव की समीक्षा करने के लिए सहमत हो गया क्योंकि प्रस्तावित उच्च शुल्क उद्योग के लिए न्यूनतम दूरी मार्ग को अपनाने के लिए लागू नहीं होगा।
- पहली आईजीसी बैठक के दौरान, एक अतिरिक्त नए मार्ग – नाकुगाँव के माध्यम से डालु के लिए चट्टग्राँव / मोंगला को शामिल करने का प्रस्ताव किया गया था और वर्ष 2020 में अगले एसएसएलटी के अनुसार समझौते में संशोधन करने के लिए सहमति व्यक्त की गई थी। मेघालय – बांग्लादेश की सीमा पर दावकी के पश्चिम में एक एलसीएस डालू / नाकुगाँव है।
- दोनों देशों के बीच सीमा पार व्यापार को बढ़ावा देने के लिए उथले ड्राफ्ट के छोटे आकार के जलयानों को

अनुमति देने पर सहमति हुई।

‘ 20 मई, 2020 को पीआईटी एण्ड टी के दूसरे परिशिष्ट पर हस्ताक्षर करने के साथ, घोषित प्रोटोकॉल मार्ग हैं:-

- (i) कोलकाता – सिलघाट – कोलकाता भारत में कोलाघाट तक फैला हुआ है (आईबीपी मार्ग 1 और 2)
- (ii) कोलकाता – बद्रपुर – कोलकाता (आईबीपी मार्ग 3 और 4)
- (iii) आरिचा – धूलियन – अरिका (आईबीपी मार्ग 5 और 6)
- (iv) बद्रपुर – सिलघाट – बद्रपुर (आईबीपी मार्ग 7 और 8)
- (v) सोनमुरा – दाउदकंडी – सोनमुरा (आईबीपी मार्ग 9 और 10)

इसके अलावा, पांच नए ‘पोर्ट्स ऑफ कॉल’ और दो ‘एक्सटेंडेड पोर्ट्स ऑफ कॉल’ को हर तरफ जोड़ा गया है, जिससे प्रत्येक पक्ष पर पोर्ट ऑफ कॉल की कुल संख्या में 13 (विस्तारित पोर्ट्स ऑफ कॉल सहित) तक की वृद्धि होगी। ये पोर्ट्स ऑफ कॉल भारत में कोलकाता, हल्दिया, धुब्री, पांडु, सिलघाट, करीमगंज, धूलियान, माया, कोलाघाट, जोगीघोपा और सोनमुरा, और बांग्लादेश में नारायणगंज, खुलना, मोंगला, सिराजगंज, आशुगंज, पंगां, राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी, दाउदकंडी और बहादुरबाद हैं। विस्तारित पोर्ट्स ऑफ कॉल भारत में त्रिबेनी (बंडेल) और बद्रपुर, तथा बांग्लादेश में घोरासल और मुक्तपुर हैं।

पीआईडब्ल्यूटी एण्ड टी के तहत 2 परिशिष्ट में हस्ताक्षर किए गए अग्रणी विकास के रूप में, दोनों पक्ष उथले झापट मशीनीकृत जलयानों के उपयोग के माध्यम से चिलमारी (बांग्लादेश) और धुब्री (भारत) के बीच व्यापार शुरू करने के लिए सहमत हुए हैं, बशर्ते कि ये प्रोटोकॉल के अनुच्छेद 1.3 के प्रावधानों के अनुसार बांग्लादेश के अंतर्देशीय पोत परिवहन अध्यादेश 1976 या भारत के अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 1917 के तहत पंजीकृत हों और सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुरूप हों। इस पहल से बांग्लादेश में स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ाते हुए और भारत के निचले असम क्षेत्र में पत्थर के चिप्स और अन्य भूटानी और उत्तर पूर्व माल का निर्यात और बांग्लादेश के व्यापारियों के लिए आसान पहुंच की अनुमति दी जाएगी।

3. कोलकाता में दिनांक 17.12.2019 को हितधारकों का सम्मेलन

इस क्षेत्र में हितधारकों की पर्याप्त एकाग्रता का लाभ उठाने के लिए, भाअजप्रा ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के साथ साझेदारी में 17 दिसंबर, 2019 को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में “अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्क को सुगम बनाने” के दृष्टिगत एक हितधारक सम्मेलन का आयोजन किया। बातचीत में मुख्य रूप से भारत के समुद्री क्षेत्र के संचालन हेतु सरकार की कई पहलों पर ध्यान केंद्रित किया गया है और अपने पड़ोसी सहयोगियों के साथ संपर्क को बढ़ाया जा रहा है और भारत, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के बीच और उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए कार्गो की आसान, निर्बाध आवाजाही के लिए रास्ता बना रहा है। भारत की बैठक में 100 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया और अजप के बारे में जानकारी प्राप्त की। अंतर्देशीय जलमार्गों और वर्तमान बुनियादी ढांचे के उपयोग और लॉजिस्टिक क्षमता में सुधार लाने के लिए विकास योजनाओं और इस तरह क्षेत्रीय देशों की प्रतिस्पर्धात्मकता के बारे में विचार-विमर्श किया गया।

सम्मेलन में भाअजप्रा, केओपीटी, नेपाल सरकार और बांग्लादेश और उद्योग के वरिष्ठ अधिकारियों ने विधिवत रूप से भाग लिया। उद्घाटन सत्र अध्यक्ष सीआईआई पश्चिम बंगाल द्वारा दिए गए भाषणों के साथ शुरू हुआ। इसके बाद बांग्लादेश सरकार के पोत परिवहन मंत्रालय के प्रतिनिधि; नेपाल सरकार के संयुक्त सचिव, जल संसाधन और अंत में अध्यक्ष, भाअजप्रा द्वारा अंतर्देशीय जलमार्ग प्रणालियों के माध्यम से क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के सम्मेलन का संदर्भ निर्धारित किया। उद्घाटन सत्र के



बाद, नीचे वर्णित विभिन्न विषयों पर हितधारकों के दृष्टिकोण को अधिकृत करने के लिए 3 सत्र आयोजित किए गए थे।

- क. क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय नौवहन का एकीकरण,
- ख. रा.ज. – 1 पर मल्टीमॉडल बुनियादी ढांचा और रसद सुविधाएं
- ग. नदियों की नौगम्यता बनाए रखने के लिए फेयरवे विकास का महत्व।
- घ. नदी क्रूज पर्यटन का विकास।

3.1 मुख्य आकर्षण

- **क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर अध्यक्ष, भाअजप्रा द्वारा प्रस्तुति :** अध्यक्ष भाअजप्रा ने सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा सक्षम क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने उल्लेख किया कि भारत और बांग्लादेश के बीच तटीय मार्गों के साथ जलमार्ग कनेक्टिविटी भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अन्य दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच कार्गो डुलाई के लिए एकीकृत जलमार्ग मार्गों को विकसित करने की प्रयाप्त क्षमता प्रदान करती है। उन्होंने यह भी कहा कि अजप अन्य भीड़भाड़ और अधिक कार्बन वाले माध्यमों से यातायात को हटाने और महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधियों को उत्पन्न करने और क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को काफी बढ़ावा देने में मदद करेगा। इसके अलावा, उन्होंने भारत के पारगमन कार्गो के लिए बांग्लादेश में चटगांव और मोंगला पोर्ट के उपयोग पर समझौते और एसओपी पर हस्ताक्षर करने के बारे में हितधारकों को अवगत कराया, जो उत्तर पूर्व क्षेत्र (एनईआर) से / के लिए पारगमन कार्गो के आवागमन को लाभान्वित करेगा। भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र को सी पोर्ट्स तक तेजी से पहुंचने का लाभ मिलेगा, जबकि बांग्लादेश के उद्योगों को बांग्लादेश के भीतर सभी प्रकार के परिवहन के माध्यम से माल परिवहन के लिए लॉजिस्टिक्स सेवाओं की मांग में वृद्धि के साथ लाभ होगा।
- **नेपाल के साथ अजप कनेक्टिविटी :** नेपाल सरकार के प्रतिनिधि और अन्य हितधारकों ने कहा कि नेपाल एक भूमि से घिरा देश है और समुद्र के लिए नेपाल की एक निर्बाध पहुंच कोसी, करनाली और गंडक जैसी नदियों को विकसित करके हासिल की जा सकती है जो रा.ज.-1 में विलय हो जाती है। भारत नेपाल संधि वर्तमान में दोनों देशों के बीच कार्गो परिवहन के लिए सड़क मार्ग और रेल मार्ग के उपयोग की आवश्यकता पर बल देती है। वर्तमान में, तीसरे देशों से / के लिए नेपाली व्यापार मुख्य रूप से कोलकाता बंदरगाह (केडीएस और एचडीसी) का उपयोग करता है और सड़क और रेल माध्यमों का उपयोग करके तटवर्ती परिवहन होता है। संधि में अजप मोड को शामिल करने से हल्दिया / कोलकाता से जलमार्ग मार्ग से नेपाल बाध्य कार्गो (कोलकाता बंदरगाह के माध्यम से 3 जी से / में) की आवाजाही की अनुमति होगी। इस बात पर जोर दिया गया था कि रा.ज.-1 के विकास से न केवल समुद्र के साथ नेपाल की कनेक्टिविटी में सुधार होगा, बल्कि परिवहन समय और लागत में भी काफी कमी आएगी। कोलकाता और हल्दिया बंदरगाहों से माल साहिबगंज एमएमटी, कालूघाट आईएमटी (विकास के अधीन) और वाराणसी एमएमटी के लिए आगे बढ़ सकता है। संधि में जलमार्गों के शामिल होने से नेपाल की लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी और दोनों देशों के व्यापार हित समान रूप से आगे बढ़ेंगे।
- **रा.ज.-1 पर असंगत एलएडी :** उद्योग के हितधारकों ने पानी के गहराई स्तर के मौसमी बदलाव के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की कि पानी के कम बहाव, गाद और चैनलों की शिपिटंग के कारण, अजप मोड में कार्गो को बदलने में रुचि में कमी आ रही है। पानी की लगातार और पर्याप्त गहराई की उपलब्धता जलमार्ग पर

वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य कार्गो आवाजाही के नियमितीकरण के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। सीआईआई ने रा.ज.-1 पर एलएडी भिन्नता पर एक चार्ट प्रस्तुत किया और जोर देकर कहा कि पटना से वाराणसी के बीच का एलएडी आम तौर पर 2 मी. से नीचे है और कभी-कभी 1 मी से नीचे आ जाता है जो वर्ष की एक बड़ी अवधि (अक्टूबर से मई) के लिए रा.ज.-1 को नौगम्य नहीं बनाता है। जब तक कि पूरे वर्ष के लिए एलएडी में सुधार करके उद्योग का विश्वास बहाल नहीं किया जाता है, तब तक साहिबगंज के अतिरिक्त अजप मोड में उद्योग से कोई निवेश की उम्मीद नहीं की जा सकती है।

- **बाढ़ के मौसम के दौरान रा.ज.-1 पर अपर्याप्त वायु ढांचे की उपलब्धता :** उद्योग प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि रा.ज. -1 के राजमहल – भागलपुर और सैदपुर – वाराणसी खण्डों पर उच्च बाढ़ स्तर के दौरान पुलों के साथ ऊर्ध्वाधर निकासी क्रमशः लगभग 3.3 मीटर और 6.5 मीटर है। जलयान निकासी के लिए ये निकासी स्तर अपर्याप्त हैं क्योंकि 1200–1500 डीडल्यूटी क्षमता के जलयानों के सुरक्षित नौचालान के लिए 8.5 से 10 मीटर की न्यूनतम हवाई निकासी की आवश्यकता होती है। जलमार्गों पर अपेक्षित ऊर्ध्वाधर निकासी स्तरों के कम होने की बाधा पर ध्यान दिया जाना चाहिए और इसे संबंधित राज्य सरकारों के साथ समन्वय से हल किया जाना चाहिए ताकि जलमार्गों पर आद्यंत और निर्बाध जलयान नौचालन सुनिश्चित हो सके।
- **जेटिटयों / टर्मिनलों पर कुशल कार्गो हैंडलिंग उपकरणों की कमी और सीमित परिचालन घंटे:** हितधारकों ने चिंता व्यक्त की कि जेटिटयों पर उपलब्ध कार्गो हैंडलिंग उपकरणों की सीमित कार्गो हैंडलिंग क्षमता है और कई बार ये गैर-कार्यात्मक पाए गए हैं। यद्यपि वाराणसी जैसे नए टर्मिनल आधुनिक लाइब्रेरर मोबाइल हार्बर क्रेन (एलएचएम 180) से लैस हैं, जिनकी अधिकतम भार उठाने की क्षमता लगभग 60 टन है। पटना और गुवाहाटी के टर्मिनलों पर कुशल उपकरण और जनशक्ति नहीं है। इन चुनौतियों के कारण, कार्गो मालिकों को अपने उपकरणों और ऑपरेटरों की व्यवस्था करनी होती है, जो उपयोगकर्ताओं को अजप मोड में शिपिटिंग के आकर्षण से हटाते हैं। इसके अलावा, वर्तमान में कार्गो हैंडलिंग संचालन अधिकतम 12 घंटों के लिए टर्मिनलों पर किया जाता है। कम कार्गो हैंडलिंग दरों से यात्रा में जहाज और चालक दल के चार्टर दिनों की संख्या में वृद्धि होती है, जिसके परिणामस्वरूप प्रति टन लागत में वृद्धि हुई है।
- **उच्च प्रथम / अंतिम मील परिवहन लागत में कमी (रा.ज. -1, आईबीपी मार्ग और रा.ज. -2 पर) :** परिवहन के विभिन्न तरीकों के माध्यम से शुरू से अंत तक लॉजिस्टिक्स लागत उद्योग के लिए अपने पसंदीदा मोड पर जाने का निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण मानदंड है। यद्यपि स्वयं का साबित करने के आधार पर अजप मोड किफायती है, तथापि मूल / गंतव्य और पहले / अंतिम मील परिवहन में कार्गो हैंडलिंग से जुड़ी लागत के कारण, शुरू से अंत तक लॉजिस्टिक्स लागत बढ़ जाती है और आईटीटी मोड की लागत प्रतिस्पर्धात्मकता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। सीआईआई द्वारा यह आकलन किया गया है कि अजप मोड का उपयोग करके 1,000 किमी से अधिक 2,000 एमटी कार्गो आवाजाही की व्यवहार्यता के लिए, प्रथम और अंतिम मील की कुल दूरी 60 किलोमीटर के भीतर होनी चाहिए।
- **नदी क्रूज पर्यटन से संबंधित मुद्दे :** पर्यटन उद्योग के हितधारकों ने कई मुद्दों को उठाया, जिन पर नदी क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। निजी खिलाड़ियों से निवेश को बढ़ावा देने के लिए और आपूर्तिकर्ताओं द्वारा उत्थान सुनिश्चित करने के लिए और साथ ही मांग पैदा करने के लिए, पर्यटन महत्व के स्थानों पर यात्री चढ़ने / उतरने की सुविधाओं और अन्य सुख-सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार की आवश्यकता है। सीमा पार (भारत-बांग्लादेश) क्रूज सेवाओं के मामले में, विभिन्न

एजेंसियों यथा अप्रवासन, राज्य सरकार और जलमार्ग अधिकारियों के बीच समन्वय से यात्रियों को असुविधा से बचने और हेमनगर (सुंदरबन जलमार्ग पर भारत—बांग्लादेश सीमा) में आव्रजन सेवाओं के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रक्रियाओं में सुधार करना चाहिए। इस बात पर जोर दिया गया कि क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए क्रूज जलयानों के लिए बर्थिंग स्पेस पर्याप्त रूप से बनाया जाना चाहिए।

- **भारत बांग्लादेश प्रोटोकॉल (आईबीपी) मार्ग पर सूचना की कम पहुंच :** हितधारकों ने यह भी कहा कि आईबीपी मार्ग पर एलएडी उपलब्धता, शुल्क, प्रलेखन आवश्यकता जैसी जानकारी सुलभ नहीं है और इसके लिए कार्गो मालिकों / जलयान प्रचालकों को अभिकर्ताओं पर निर्भर रहना पड़ता है। कई अवसरों पर, अभिकर्ताओं को भ्रामक जानकारी साझा करने और उनकी सेवाओं जैसे प्रलेखन, सीमा शुल्क निकासी और आईबीपी मार्ग पर पायलट की व्यवस्था आदि के लिए अतिरिक्त राशि वसूलते पाया गया है।
- **एलएनजी नेटवर्क का विकास :** मैसर्स जेएम बकरी ने व्यक्त किया कि अंतर्देशीय जलमार्ग एलएनजी आपूर्ति श्रृंखलाओं का एक अभिन्न हिस्सा बनने के एक अवसर के रूप में है। एमएमटी में एलएनजी बंकरिंग को स्थापित करने और एलएनजी सक्षम जलयानों का उपयोग करने का भी सुझाव दिया गया है।

4. कोच्चि में दिनांक 24.01.2020 को हितधारक सम्मेलन

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडिया (एसोचैम) के साथ साझेदारी में, “केरल में अंतर्देशीय जलमार्ग प्रणाली के विकास हेतु हितधारक परिचर्चा” का आयोजन किया गया। उद्घाटन सत्र में विधिवत रूप से वाणिज्य मंत्रालय के विशेष सचिव लॉजिस्टिक, श्री एन. शिवसैलम, भाप्रसे ; डॉ अमिता प्रसाद, भाप्रसे, अध्यक्ष, भाअजप्रा; डॉ विश्वास मेहता, भाप्रसे, अध्यक्ष, केरल शिपिंग एंड इनलैंड नेविगेशन कॉर्पोरेशन एण्ड एडीशनल सीएस, जल संसाधन, तटीय नौवहन और इनलैंड नेविगेशन, केरल सरकार; डॉ एम. बीना, भाप्रसे, अध्यक्ष, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट; श्री मधु एस. नायर, सीएमडी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड; कैप्टन संदीप मेहता, अध्यक्ष एसोचैम, नेशनल काउंसिल ऑन पोर्ट्स एंड शिपिंग एंड अध्यक्ष अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड और केरल शिपिंग उद्योग से अन्य प्रमुख हितधारकों ने भाग लिया। सम्मेलन में 80 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उद्घाटन सत्र के बाद, नीचे वर्णित विभिन्न विषयों पर हितधारक दृष्टिकोण को अधिकृत करने के लिए 3 सत्र आयोजित किए गए थे।

- क. अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय नौवहन का एकीकरण
- ख. रोडवेज और रेलवे के साथ मॉडल प्रतियोगिता की चुनौतियां
- ग. फेरयर्वे विकास से संबंधित मुद्दे
- घ. जलयान और टर्मिनल अवसंरचना

4.1 मुख्य आकर्षण

- **केरल जलमार्ग पर अध्यक्ष, भाअजप्रा द्वारा प्रस्तुति :** अध्यक्ष भाअजप्रा ने केरल में अंतर्देशीय जलमार्ग प्रणालियों के विकास पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने कहा कि केरल में तटीय नौवहन के साथ अंतर्देशीय जलमार्ग की कनेक्टिविटी ने भारत के दक्षिणी क्षेत्र में हितधारकों के लिए व्यापार की कई संभावनाएं खोल दी हैं, कोच्चि एकीकृत जलमार्ग विकास के लिए केंद्र बिंदु है। कोच्चि भारत और मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के बीच कार्गो आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है। रा.ज.—३ पर अन्य अजप टर्मिनलों द्वारा

समर्थित सीपीटी, आईसीटीटी और कोट्टायम पोर्ट तीनों का समूह, कुशल और तेज कार्गो निकासी के लिए पश्चभूमि और तटीय नौवहन के बीच एक मजबूत जलमार्ग कनेक्टिविटी प्रदान करता है। उन्होंने उल्लेख किया कि रा.ज. के निकट निकटता में स्थित इंजीनियरिंग, धातु, कृषि, पेपर मिल, पीओएल आदि जैसे उद्योग अपने माल की आवाजाही के लिए जलमार्ग का उपयोग करने की संभावना तलाश सकते हैं। उन्होंने भाअजप्रा द्वारा रा.ज.-3, रा.ज.-8 और रा.ज.-9 पर चौबीसों घंटे उपलब्ध करवाई जा रही नौचालान संबंधी सहायता के बारे में भी हितधारकों को अवगत कराया। उन्होंने राज्य सरकार से रा.ज.-8, रा.ज.-9 और रा.ज.-59 के डीपीआर को अंतिम रूप देने, निकर्षण सामग्री के लिए निपटान स्थलों की पहचान और मौजूदा अजप टर्मिनलों के उपयोग के लिए सहायता मांगी। अध्यक्ष, भाअजप्रा ने इस पर जोर दिया कि राज्य सरकार को रा.ज. -3 पर रो-रो और फेरी सेवाएं संचालित करने के लिए आगे आना चाहिए। भाअजप्रा अजप को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार के प्रयास में निश्चित रूप से सहायता करेगा।

- **केरल में अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय नौवहन का एकीकरण :** हितधारकों ने एक मत से कहा कि आयात-निर्यात कार्गो की तेजी से निकासी को प्राप्त करने के लिए तटीय जलमार्ग के साथ अंतर्देशीय जलमार्ग को एकीकृत करने की आवश्यकता है। अन्तर्देशीय जलयानों के वर्ष 2018 के परिपत्र सं-8 के तहत डीजी शिपिंग द्वारा 5 समुद्री मील की दूरी के भीतर अंतर्देशीय जलयानों के लिए दी गई छूट तटवर्ती यातायात कॉरिडोर अजप और तटीय यातायात का निर्बाध एकीकरण प्रदान करता है। आईसीटीटी, वल्लारपदम 14 मीटर के ड्राफ्ट के साथ, अंतर्देशीय टर्मिनलों को सीधे परिवहन हेतु छोटे अंतर्देशीय बार्जों के लिए कार्गो परिवहन की सुविधा प्रदान कर सकता है। आईसीटीटी टर्मिनल के माध्यम से कार्गो निकासी का समर्थन करने के लिए बोलघाटी और विलिंगडन द्वीप समूह के बीच रो-रो सेवा केएसआईएनसी की सहायता से वित वर्ष 20-21 के दौरान पुनरारम्भ करने के लिए निर्धारित है। हालांकि, इन छोटे बंदरगाहों पर पोर्ट ऑपरेटरों को समर्थन के मूल्यांकन करने की आवश्यकता है और कोट्टायम, कोल्लम, बेयपोर और एझिकल में “कोई सीमा शुल्क कोड नहीं” से संबंधित मुद्दों को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की मदद से हल करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, आईसीटीटी ने भारत सरकार से तब तक समर्थन करने का भी अनुरोध किया, जब तक व्यापार की एक स्थायी मात्रा हासिल नहीं हो जाती।
- **रा.ज.-3 पर फेरवरे विकास से संबंधित मुद्दे :** उद्योग के हितधारकों ने प्रस्तुत किया कि कुछ स्थानों पर अपर्याप्त एलएडी की वजह से रा.ज.-3 और केरल के अन्य रा.ज. पर ग्राउंडिंग / टचिंग की घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा, स्थानीय सरकारी निकायों द्वारा विगत वर्षों में बनाए गए कई पुलों के कारण कम वायु ड्राफ्ट के साथ-साथ नहरों पर अतिक्रमण और बेदखली के मामले भी सामने आए हैं। नहर से निकर्षित कीचड़ का परिवहन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह पानी से युक्त होती है, जिसे बाहर निकाले जाने की आवश्यकता है। इस प्रयोजन के लिए, डंपिंग यार्ड की आवश्यकता होती है, जिसके लिए प्रायः स्थानीय निवासियों द्वारा आपत्ति की जाती है। राज्य सरकार ने वेस्ट कोस्ट कैनाल में नदी तल के रखरखाव और तट संरक्षण से संबंधित फेरवरे विकास कार्यों पर एक प्रस्तुति दी और कहा कि इस कीचड़ को डंप करने के उद्देश्य से आर्द्धभूमि / सरकारी भूमि का उपयोग करने के लिए तलाश की जा रही है। राज्य सरकार ने घनी आबादी वाले क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाने और सिवागिरी और चिलकुर सुरंगों, पुलों, लॉक्स और विद्युत लाइनों जैसे अवरोधों को हटाने सम्बन्धी मुद्दों को विकास कार्य करते समय सामने आने के बारे में भी चिंता व्यक्त की। क्रूज टूर ऑपरेटरों ने फेरवरे से मछली पकड़ने के जाल को हटाने और मानकीकृत फेरवरे विकास कार्यों को अपनाने के लिए अनुरोध किया, ताकि उन्हें एकीकृत क्रूज पर्यटन (समुद्र, नदी और नहरों) प्रदान करने में सक्षम बनाया जाए जो और अधिक पर्यटकों को क्रूज के चयन की ओर आकर्षित करेंगे। इसके अलावा, यह

चर्चा की गई कि रा.ज.-3, रा.ज.-8 और रा.ज.-9 की फेयरवे विकास योजना को राज्य सरकार के साथ इसके विकास के साथ ही प्रत्याशित कार्गो के संबंध में समग्र रूप से समीक्षा करने की आवश्यकता है। इसके अलावा, फेयरवे विकास तंत्र को संस्थागत बनाने और निर्कर्षण अनुबंधों को प्रदान करने से पहले निर्कर्षित सामग्री के निपटान के लिए उपयुक्त भूमि की पहचान करने की आवश्यकता है।

- **बार्ज संचालकों और जलयान मालिकों द्वारा उठाए गए मुद्दे** – हितधारकों ने लागत में कमी की आवश्यकता व्यक्त की जो रिटर्न कार्गो की अनुपलब्धता जैसे मुद्दों का समाधान करेगी और उपयोगकर्ताओं को अपने प्रचालन को अंतर्देशीय जलमार्ग पर स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित करेगी। जलयानों और खाली कंटेनरों की पार्किंग की उच्च लागत को परिवहन के अन्य साधनों के विरुद्ध प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए भी ध्यान देने की आवश्यकता है। डबल हैंडलिंग और जलयानों की खाली वापसी, रेल / सड़क कार्गो ट्रूलाई के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती है।
- **जल मेट्रो सेवा का विकास** : राज्य सरकार ने अपनी आगामी जल मेट्रो परियोजना के बारे में गहराई से जानकारी दी। कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड जर्मन बैंक, केएफडब्ल्यू से वित्तीय सहायता के साथ रुपये 747 करोड़ की लागत से एकीकृत जल परिवहन परियोजना को लागू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह परियोजना 16 चिन्हित मार्गों के विकास की परिकल्पना करती है, 10 द्वीपों को मार्गों के एक नेटवर्क से जोड़ती है, जो 76 किमी तक फैला है। इस परियोजना का उद्देश्य 38 जेटिटों में 78 तीव्र, ईंधन-कुशल, वातानुकूलित फेरीज के बेड़े में लाना है, जिनमें से 18 को मुख्य नाव हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जबकि शेष 20 पारगमन सेवाओं के लिए माइनर जेटटी होंगी। आधुनिक वाटरकाफट के साथ जल मेट्रो से 100,000 से अधिक द्वीपवासियों को लाभ होने की उम्मीद है। यह भी चर्चा की गई कि परिवहन के सभी साधनों के एकीकरण के लिए, शहरी क्षेत्रों से मांग की पहचान करने की आवश्यकता है और निर्दिष्ट स्थानों पर तदनुसार परिवहन के अन्य साधनों से कनेक्टिविटी प्रदान की जानी चाहिए।
- **जलयान निर्माण में वित्तपोषण की उपलब्धता से संबंधित मुद्दे** : उद्योग, जलयान निर्माण गतिविधियों के लिए दीर्घकालिक ऋण प्रदान करने में उद्यमियों की सहायता करने का अनुरोध करता रहा है। वर्तमान में भारत में बैंकों द्वारा जलयान निर्माण के लिए ऋण वित्तपोषण का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसका समुद्री और लॉजिस्टिक क्षेत्र के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। लॉजिस्टिक्स सचिव ने कहा कि इस मुद्दे के समाधान के लिए इकिवटी वित्तपोषण और मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड के सृजन की भूमिका का पता लगाया जा सकता है। केरल सरकार अंतर्देशीय परिवहन के लिए सतत लाभ सुनिश्चित करने हेतु केरल राज्य सरकार के साथ भी इसका अनुसरण किया जा सकता है। अन्य संबंधित राज्य सरकारें, संबंधित राज्यों में ऐसी योजनाओं को लाने के लिए अनुसरण कर सकती हैं। एक और चिंता जो उठाई गई थी वह यह थी कि किसी भी सब्सिडी या प्रोत्साहन की अनुपस्थिति जिसके कारण, निवेशक / पोत संचालक अंतर्देशीय जलयानों में निवेश करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।

5. 07.02.2020 को मुंबई में हितधारकों का सम्मेलन

भारत के अंतर्देशीय जलमार्ग पर अंतर्देशीय कार्गो यातायात का लगभग 80% गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र के जलमार्ग द्वारा होता है। इन जलमार्गों से दुलाई किए जाने वाली प्रमुख जिसों में खनिज, कोयला, इस्पात उत्पाद, सीमेंट, विलंकर और अन्य थोक माल थे। इस क्षेत्र का केंद्र बिंदु होने के नाते मुंबई का इस क्षेत्र में अजप के उन्नयन, जहाज निर्माण और निवेश के लिए एक रणनीतिक महत्व है।

हितधारकों तक पहुँचने के लिए, एसोचैम के साथ साझेदारी में भाअजप्रा ने 7 फरवरी, 2020 को मुंबई में “अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय नौवहन के माध्यम से व्यापार क्षमता बढ़ाने” के लिए हितधारक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें भाअजप्रा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य (यातायात एवं प्रचालन) और जलीय मुख्य जैसे वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। सम्मेलन का आयोजन शीर्ष स्तर पर किया गया था, जिसके उद्घाटन सत्र में श्री संजय बंदोपाध्याय, भाप्रसे, भारत सरकार के अपर सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय; श्री संजय कुमार, एएस एंड एफए, पोत परिवहन मंत्रालय; डॉ अमिता प्रसाद, भाप्रसे, अध्यक्ष, भाअजप्रा; श्री संजय भाटिया, भाप्रसे, अध्यक्ष, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट; श्री अमिताभ कुमार, महानिदेशक, शिपिंग, भारत सरकार; श्रीमती एच. के. जोशी, सीएमडी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया; मो. मंजूरुल कबीर, मुख्य अभियन्ता, डीजी शिपिंग बांग्लादेश तथा शिपिंग उद्योग के अन्य वरिष्ठ सदस्य उपस्थित थे।

उद्घाटन सत्र, अध्यक्ष, एसोचैम नेशनल काउंसिल ऑन पोर्ट्स एंड शिपिंग द्वारा स्वागत उद्बोधन के साथ शुरू हुआ, इसके बाद उपरोक्त उल्लिखित अन्य गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्बोधन किया गया और अंत में अध्यक्ष, भाअजप्रा द्वारा मुख्य भाषण के साथ सम्मेलन का संदर्भ निर्धारित किया गया। उद्घाटन सत्र के बाद, नीचे वर्णित विभिन्न विषयों पर हितधारकों के दृष्टिकोण को अधिकृत करने के लिए 2 सत्र आयोजित किए गए थे।

- क. अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय नौवहन के माध्यम से व्यापार क्षमता को बढ़ाना
- ख. अंतर्देशीय जलयान बिल 2020 की मुख्य विशेषताएं
- ग. रा.ज.-1 की नौगम्यता को बनाए रखने के लिए फेरवरे विकास योजना।
- घ. अजप और मल्टीमॉडल प्रचालन का व्यवसायीकरण।

5.1 मुख्य आकर्षण

- **राष्ट्रीय जलमार्ग यातायात पर अध्यक्ष, भाअजप्रा द्वारा प्रस्तुति :** अध्यक्ष, भाअजप्रा ने तीन राज्यों यथा—गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र में राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो दुलाई पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने हितधारकों को अवगत कराया कि ये जलमार्ग बल्क कार्गो के परिवहन के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने व्यक्त किया कि इस क्षेत्र, विशेष रूप से गुजरात में औद्योगिक विकास के अनुरूप यातायात बढ़ने की उम्मीद है। इस क्षेत्र में अजप की वृद्धि के लिए एचआर कॉइल, खनन खनिज, सीमेंट, भारी मशीनरी और आयतित कोयला जैसी वस्तुओं का प्रमुख रूप से योगदान है। इसके अलावा, उन्होंने पूर्वी भारत क्षेत्र में अजप के विकास के लिए भाअजप्रा की पहलों के बारे में भी हितधारकों को अवगत कराया। पड़ोसी देशों के साथ विभिन्न व्यापार समझौतों पर संक्षिप्त जानकारी देते हुए, उन्होंने उल्लेख किया कि भारत और बांग्लादेश के बीच एकीकृत जलमार्ग संपर्क ने नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ जलमार्ग—आधारित व्यापार मार्गों का पता लगाने के नए अवसर खोले हैं। जलमार्ग—आधारित परिवहन मार्ग, लैंड कस्टम स्टेशनों (एलसीएस) से होकर गुजरने वाले भीड़भाड़ वाले सड़क मार्गों, जहाँ माल दुलाई में लम्बा प्रतीक्षा समय, कई कार्गो हैंडलिंग, नुकसान आदि जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, के लिए एक वैकल्पिक मार्ग



प्रदान करते हैं। व्यापार के लिए विकल्पों की अधिक संख्या लॉजिस्टिक लागत को कम करेगी और परिणामस्वरूप अजप मोड का उपयोग करके यातायात आवाजाही में वृद्धि होगी।

- **महाराष्ट्र में राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो :** वित्त वर्ष 2018–19 में महाराष्ट्र जलमार्गों पर कुल यातायात 22.3 एमएमटी था। रा.ज. 10 – अम्बा नदी पर यातायात हिस्से में सर्वाधिक भागीदारी बनती है, इसके बाद रा.ज.–85 की भागीदारी है। जेएसडब्ल्यू ने हाल के दिनों में अंतर्देशीय जलमार्ग और तटीय नौवहन के माध्यम से कार्गो की एकीकृत दुलाई की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वित्त वर्ष 2018–19 के दौरान जेएसडब्ल्यू के बल्क कार्गो लगभग 12 एमएमटी को रा.ज.–10 पर ले जाया गया और इसके अगले कुछ वर्षों में 30 एमएमटी तक बढ़ने की उम्मीद है। इन मात्राओं को पूरा करने के लिए, जेएसडब्ल्यू ने भारतीय और कोरियाई शिपयार्ड से 18 मिनी–बल्क कैरियर का आदेश दिया है। जेएसडब्ल्यू ने व्यक्त किया कि जहाजों को पानी में उतारने की लागत बहुत अधिक है और केवल समर्पित है, बड़े कार्गो इस प्रकार के निवेश के औचित्य को सही ठहरा सकते हैं। जेएसडब्ल्यू ने पारादीप बंदरगाह में इस्पात, लौह अयस्क और कोयले सहित तटीय कार्गो के परिवहन के लिए भी निवेश किया है।
- **अन्तर्देशीय जल परिवहन के लिए कार्गो के मोडल शिफ्ट पर चर्चा :** राष्ट्रीय जलमार्गों पर बल्क कार्गो की आवाजाही को और बढ़ावा देने के लिए, उद्योग के हितधारकों ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार बल्क कार्गो का कम से कम 15 – 20% वॉल्यूम की अनिवार्य रूप से जलमार्ग के माध्यम से दुलाई करने के लिए अधिदेश देकर प्रारंभिक जोर दे सकती है। आदर्श वस्तुओं में सार्वजनिक क्षेत्र से खतरनाक सामान, कोयला, उर्वरक, सीमेंट, फ्लाई ऐश, अयस्क, स्टील, पीओएल बड़े आकार के कार्गो और खाद्यान्न हो सकते हैं। बल्क कार्गो के अलावा, हितधारकों ने अंतर्देशीय जलमार्ग / तटीय आवाजाही के लिए पर्याप्त बैग या कंटेनर कार्गो की कमी के बारे में चिंता जताई क्योंकि छोटी उपज और कम मात्रा के सामान के लिए अच्छी संचय सेवाओं का अभाव है। किसानों, एमएसएमई निर्माताओं और व्यापारियों के माल को अजप सहित मल्टी मोडल परिवहन के माध्यम से एकत्र और परिवहन करने की आवश्यकता है। इसके समाधान के लिए, इस बात पर चर्चा की गई थी कि कृषि उत्पाद और निर्मित सामानों की आपूर्ति श्रृंखलाओं को राज्य सरकारों के सहयोग से पहचाना जाना चाहिए और बाद में इन आपूर्ति श्रृंखलाओं में अजप की भूमिका को स्पष्ट किया जाना चाहिए और तदनुसार विपणन किया जाना चाहिए।
- **भारत में कंटेनर विनिर्माण की कमी पर चर्चा:** उद्योग हितधारकों ने बताया कि भारत में कंपनियां चीन और दक्षिण कोरिया से कंटेनर आयात करती हैं क्योंकि भारत में विनिर्माण की तुलना में लागत लगभग 20–25% कम है। अधिकांश कंपनियां जिनके पास थोक शुष्क कंटेनर आवश्यकता होती है वे इन बाजारों से आयात करती हैं। इसलिए, भारतीय निर्माताओं को प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल लगता है। उद्योग भारतीय कंटेनर निर्माता से कंटेनर केवल तभी खरीदता है जब कम मात्रा, और विशेष रूप से निर्मित कंटेनरों की आवश्यकता होती है। भारत में कंटेनरों के बाजार विकास विशेषण और मांग और आपूर्ति में परिवर्तन को प्रभावित करने वाले कारकों पर एक अध्ययन करने का सुझाव दिया गया है। इसके बाद इसे लागत में कमी के संभावित समाधानों पर चर्चा के लिए वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है।
- **क्रूज का उपयोग करके यात्री परिवहन:** एमबीपीटी कैब / ट्रेनों की तुलना में इसे सस्ता और तीव्र बनाने की चुनौती के साथ जल परिवहन प्रणाली द्वारा यात्री आवाजाही को विकसित करने और प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुंबई और मांडवा / अलीबाग के बीच रो-पैक्स सेवाएं शुरू हो गई हैं। एमबीपीटी ने गंतव्य बिंदुओं तक तेजी से पहुंचने के लिए होवरक्राफ्ट भी पेश किए हैं।

वर्तमान में 12 पैक्स क्षमता वाले 22 होवरक्राफ्ट रूपये 350 की मामूली कीमत पर डीसीटी (भूखाधक्का) और नदी मुंबई/नेरुल / वाशी/ एरोली/ नए हवाई अड्डे के बीच में चल रहे हैं। इसी के लिए कम्प्यूटेशन का समय घटाकर सिर्फ 25–30 मिनट कर दिया गया है। एमबीपीटी ने सुझाव दिया कि इस तरह के होवरक्राफ्ट को तटीय क्षेत्रों पर या नदी के किनारे स्थित अन्य शहरों में दोहराया जा सकता है।

- **व्यापार को सुगम बनाने को मजबूती प्रदान करना :** अडानी लॉजिस्टिक्स ने कहा है कि वर्तमान में अजप के माध्यम से माल की लंबी ढुलाई के परिवहन के लिए सड़क मार्ग और रेल मार्ग की तुलना में लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि हाल ही में लंबे समय तक ढुलाई की परिवहन आवाजाही (रा.ज. -1, आईबीपी मार्ग और रा.ज. -2 पर आवाजाही) ने मार्ग पर कई जाँचों और बाधाओं का सामना किया, जो गंतव्य पर कार्गो के आगमन में देरी करता है। यह सुझाव दिया गया था कि व्यवसाय की आसानी को बढ़ावा देने के लिए इन बाधाओं की समग्र रूप से समीक्षा और सरलीकृत करने की आवश्यकता है। अडानी ने अजप टर्मिनलों पर सेवा क्षमता पर भी चिंता जताई और टर्मिनलों पर कष्टदायक बिंदुओं को महसूस करने और हटाने की समीक्षा के लिए अनुरोध किया।
- **नदी सूचना प्रणाली को मजबूत बनाना :** हितधारकों ने यह भी व्यक्त किया कि महत्वपूर्ण सूचना जैसे कि एलएडी स्थिति और नदी सूचना भाअजप्रा वेबसाइट पर काफी देरी से प्रकाशित होती हैं। उद्योग को एलएडी की सुनिश्चित और अन्य नौवहन सूचनाओं के आश्वासन और लाइव स्थिति की आवश्यकता होती है ताकि यात्राओं की योजना बनाई जा सके और उन्हें सुरक्षित तरीके से पूरा किया जा सके। इसके अलावा, अजप मोड का मूल्यांकन करने के लिए उद्योग के लिए आवश्यक जानकारी की उपलब्धता भाअजप्रा की वेबसाइट के माध्यम से आसानी से उपलब्ध नहीं है। बुनियादी जानकारी जैसे राष्ट्रीय जलमार्ग पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बुनियादी ढांचे जैसे जेट्टी, कार्गो हैंडलिंग उपकरण, भंडारण सुविधाओं आदि के लिए कार्गो मालिक / जलयान ऑपरेटर के लिए अजप आधारित समाधान डिजाइन करने के लिए एक ही स्थान पर उपलब्ध नहीं हैं और भाअजप्रा की वेबसाइट के माध्यम से आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। उद्योग को इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए भाअजप्रा के कार्यालयों को कॉल या विजिट करना होगा। भाअजप्रा ने कहा कि हल्दिया से वाराणसी तक 24 नदी सूचना स्टेशनों (आरआईएस) को रखा गया है। यह जल प्रवाह (यूनिट मीटर / सेकंड) और इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन चार्ट सहित जानकारी प्रदान करता है। हालांकि, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 पर बड़ी संख्या में जलयान स्थित हैं, जिनके पास स्वचालित सूचना प्रणाली (एआईएस) नहीं है, जो नदी सूचना प्रणाली (आरआईएस) पर डेटा साझा करने और किसी भी चुनौती का जवाब देने के लिए उन्हें पटना में राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय नौवहन संस्थान (एनआईएनआई) में नाविकों और ऑपरेटरों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक किया जा सकता है।

6. पटना में दिनांक 11.02.2020 को हितधारक सम्मेलन

हल्दिया से इलाहाबाद तक चार राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरने वाली लगभग 1,620 किलोमीटर की दूरी की राष्ट्रीय महत्व की गंगा—भागीरथी—हुगली नदी प्रणाली को 1986 में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (रा.ज.-1) के रूप में घोषित किया गया। जलमार्ग संभावित रूप से मुख्य शहरों हल्दिया, हावड़ा, कोलकाता, त्रिबेनी, कटवा, बेहरामपुर, फरवका, राजमहल, साहिबगंज, भागलपुर, पटना, बलिया, बक्सर, गाजीपुर, वाराणसी और इलाहाबाद, उनके औद्योगिक इलाकों और गंगा क्षेत्र के साथ स्थित कई उद्यागों के लिए सेवा प्रदान कर रहा है। गंगा का नदी क्षेत्र उपजाऊ है

और कृषि के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप परिवहन की महत्वपूर्ण मांग है। नदी प्रणाली प्राकृतिक रूप से संपन्न प्राकृतिक आरक्षित क्षेत्रों के साथ—साथ बड़ी संख्या में औद्योगिक इकाइयों में भी काम करती है जिसमें थर्मल पावर प्लांट, लोहा और इस्पात संयंत्र, चीनी मिल, सीमेंट उद्योग, लघु उद्योग आदि शामिल हैं।

जहाज पर एक पहल के साथ सभी मौजूदा अजप हितधारकों और संभावित व्यवसायों को समझने के लिए और रा.ज.-1 पर अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन का लाभ उठाने और तटीय शिपिंग के साथ एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए, भाअजप्रा ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैर्चर्स ऑफ कॉर्मस एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के साथ साझेदारी में “राष्ट्रीय जलमार्ग –1 में कार्गो आवाजाही के विकास और संवर्धन के लिए हितधारक परिचर्चा का आयोजन 11 फरवरी को पटना में किया। जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी), वाराणसी, हल्दिया और साहिबगंज में मल्टी मोडल टर्मिनलों के निर्माण, अन्य के बीच रो-रो टर्मिनलों के विकास जैसी विभिन्न पहलों के माध्यम से सरकार द्वारा शुरू की गई प्रेरक पहल ने हाल के दिनों में निजी क्षेत्र में रुचि पैदा की है। यह मंच हितधारकों के लिए सामूहिक विचार और इन पहलों का मूल्यांकन करने और परिवहन के किफायती, कुशल और पर्यावरण के अनुकूल मोड के विकास के लिए रोडमैप को परिभाषित करने का एक अवसर था।

उद्घाटन सत्र अंतर्देशीय जलमार्ग पर उप—समिति फिक्की के अध्यक्ष द्वारा दिए गए भाषणों के साथ शुरू हुआ, इसके बाद पोत परिवहन मंत्रालय और बिहार राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और अंत में अध्यक्ष, भाअजप्रा द्वारा सम्मेलन का संदर्भ निर्धारित करने के लिए भाषण दिए गए। उद्घाटन सत्र के बाद, विभिन्न विषयों पर हितधारक के दृष्टिकोण को अधिकृत करने के लिए 2 सत्र आयोजित किए गए। जिन प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- क.** राष्ट्रीय जलमार्ग – 1: परिवहन के एक वैकल्पिक मोड पर व्यापार बढ़ाना
- ख.** अंतर्देशीय जलमार्ग पर कार्गो की आवाजाही के लिए अपनाई जाने वाली वैशिक सर्वोत्तम कार्यप्रणली
- ग.** रा.ज. – 1 की नौगम्यता को बनाए रखने के लिए फेयरवे विकास योजना
- घ.** निकर्षण और प्रचालन में सुधार
- ङ.** कार्गो की सुरक्षित आवाजाही के लिए नौचालन सहायता
- च.** रा.ज. – 1 के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया और आपदा प्रबंधन योजना
- छ.** जलमार्ग परियोजनाओं का सामाजिक–आर्थिक प्रभाव
- ज.** भाअजप्रा का गायघाट जेह्वी (पटना) – प्रस्तावित पीपीपी ढांचा


6.1 मुख्य आकर्षण

- **रा.ज.-1 पर भाअजप्रा द्वारा प्रस्तुति:** रा.ज.-1 के विकास के लिए भाअजप्रा की पहलों के बारे में हितधारकों को संबोधित करते हुए, अध्यक्षा ने कहा कि भाअजप्रा अंतर्देशीय जलमार्ग के माध्यम से अगले 5 वर्षों में वर्तमान 2% से कुल कार्गो आवाजाही के लिए 2.5% का लक्ष्य बना रहा है। उन्होंने कहा कि सड़क और रेलव मार्ग के साथ—साथ, अंतर्देशीय जलमार्ग को कार्गो और यात्रियों की आवाजाही के लिए परिवहन के एक अतिरिक्त माध्यम के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि विश्व बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता के साथ राष्ट्रीय जलमार्ग –1 (रा.ज.-1) के हल्दिया वाराणसी खंड पर नौचालन क्षमता संवर्द्धन के लिए रु. 5369 करोड़ की अनुमानित लागत पर जलमार्ग विकास परियोजना लागू की जा रही है। उन्होंने बताया कि यह परियोजना मार्च 2023 तक पूरी की जानी है। लगभग रु. 1800 करोड़ की परियोजना को वैधानिक मंजूरी के बाद तीन साल की समय अवधि हेतु जमीनी तौर पर शुरू किया जाना है। योजना के पूरा होने पर, जलमार्ग विकास परियोजना परिवहन का एक पूरक, लागत प्रभावी, सुरक्षित और

पर्यावरण के अनुकूल मोड प्रदान करेगा, जिससे कार्गो ऑपरेटर को परिवहन का विकल्प मिलेगा और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में सामाजिक-आर्थिक विकास को सक्षम बनाया जा सकेगा। उन्होंने इसे राष्ट्रीय जलमार्ग –1 द्वारा दिए गए विभिन्न अवसरों जैसे जलमार्गों के रखरखाव, निकर्षण, टर्मिनल प्रचालन, जहाज निर्माण और जहाज की मरम्मत, पर्यटन सहित अन्य अवसरों का हवाला देकर संपन्न किया।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष ने राष्ट्रीय जलमार्ग –1 के निकर्षण प्रबंधन के लिए भाजप्रा के दृष्टिकोण पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी। उन्होंने इस उल्लेख के साथ शुरुआत की कि दुनिया भर में अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन की आर्थिक वापसी दर 12% है जबकि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन की आर्थिक वापसी दर 21.44% है जिसे अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन की एक अच्छी वापसी दर माना जाता है। इसके बाद उन्होंने फेयरवे विकास से संबंधित विभिन्न चुनौतियों यथा नदी के गादकरण, तलछट भार, मेंडरिंग और शोल_गठन के बारे में बताया। इन मुद्दों को दूर करने के लिए, उन्होंने इस बात से अवगत कराया कि भाजप्रा ने गंगा नदी के कुछ हिस्सों पर सुनिश्चित गहराई आधारित निकर्षण को अपनाया है और राष्ट्रीय जलमार्गों पर एलएडी को सुनिश्चित करने के लिए सौंपे गए अनुबंधों के कुशल प्रबंधन सह पर्यवेक्षण की सुविधा के लिए मैसर्स इनरोस लेकनर एसई को तकनीकी सहायता सेवा सह परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है।


- **पंटून पुलों पर मशीनीकृत आईआईटी केजीपी द्वारा समाधान:** स्थानीय लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पॉटून पुलों के होने के कारण वाराणसी और बाढ़ के बीच गंगा नदी के विभिन्न खण्डों पर जलयानों की आवाजाही बाधित होती है। जलयानों को मार्ग देने के लिए पुलों पर यातायात रोकने के बाद इन पंटून पुलों के एक हिस्से को गैस कट और वेल्ड किया जा रहा है। इस कार्यवाही का स्थानीय लोगों द्वारा बहुत प्रतिरोध किया जा रहा है जिससे इसके पूरा होने में देरी हो रही है और जलयानों को अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने में देरी होती है। इस मुद्दे को हल करने के लिए, आईआईटी केजीपी ने पंटून पुल के एक खंड को खोलने और बंद करने के लिए यंत्रीकरण विकसित करने पर एक प्रस्तुति दी, जो जलयानों को मार्ग देने के लिए टर्नअराउंड समय को काफी कम कर देगा। आईआईटी केजीपी के साथ इस नवीन प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाया जा सकता है और आगे इसे उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य सरकारों के साथ कार्यान्वित किया जा सकता है।



- **राष्ट्रीय जलमार्ग–1 के लिए आपदा प्रबंधन योजनाओं पर चर्चा :** केआईटीसीओ (किटको) के प्रतिनिधि ने राष्ट्रीय जलमार्ग –1 के लिए आपदा प्रबंधन योजनाओं पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। इस प्रस्तुति में आपात स्थिति और जलयानों की प्रचालन रूपरेखा के कारणों पर जोर दिया। तत्पश्चात् केआईटीसीओ (किटको) ने रा.ज.–1 पर हॉटस्पॉट पर गाद, नाजुक मोड़, अवरोध, नौका पार करने, जलयानों से अपशिष्ट निपटान, कृषि दखल, जलीय जैव विविधता, मंदिर, औद्योगिक प्रतिष्ठान, आम सार्वजनिक उपयोगिताओं आदि पर अपने अवलोकन के बारे में बताया। केआईटीसीओ (किटको) ने आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत

संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत की जिसमें अधिनियम, नोडल मंत्रालय और विभाग, प्रारंभिक चेतावनी एजेंसियां, घटना रिपोर्टिंग संरचना और भाअजप्रा से आवश्यक प्रमुख हस्तक्षेप शामिल हैं।

- **बिहार राज्य सरकार की प्रतिक्रिया :** बिहार राज्य सरकार ने बिहार राज्य में अंतर्देशीय जलमार्ग क्षेत्र की क्षमता पर जोर दिया और बताया कि कैसे वह अपनी क्षमता को अनलॉक करने का प्रयास कर रहा है। आगे यह उल्लेख किया गया कि राज्य वर्तमान में उचित सङ्क और रेलवे के बुनियादी ढांचे की कमी के कारण कार्गो परिवहन से संबंधित विभिन्न चिंताओं का सामना कर रहा है। अंतर्देशीय जलमार्ग आवश्यक बुनियादी ढांचे के विकास और केंद्र और राज्य सरकार से वित्तीय सहायता के माध्यम से इन मुद्दों से निपटने में मदद कर सकता है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने बिहार राज्य में कार्गो और यात्रियों के परिवहन के लिए रो-रो सेवाओं में मौजूद अवसरों के बारे में बताया। राज्य सरकार ने सभी हितधारकों के आर्थिक मूल्यवर्धन के लिए तकनीकी – वाणिज्यिक समाधान के साथ मिलकर एक स्वस्थ मॉडल स्थापित करने हेतु भाअजप्रा और विश्व बैंक की सराहना की। आगे उल्लेख किया गया कि यदि अंतर्देशीय जलमार्गों को बुनियादी ढांचे के इनपुट के रूप में उपयोग किया जाता है तो सेक्टोरल को-लिंकिंग और एक एकीकृत अंतःविकसित दृष्टिकोण के माध्यम से मध्यम अवधि में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 1.33 प्रतिशत की ठोस अतिरिक्त वृद्धि हो सकती है।
- **अडानी पोर्ट्स की प्रतिक्रिया :** अडानी पोर्ट्स और एसईजेड ने कहा कि भारत का समुद्री क्षेत्र उच्च विकास पथ पर है, इसका मुख्य कारण सरकार द्वारा कार्गो आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए अंतर्देशीय जलमार्गों को पुनर्जीवित करना और उद्योग द्वारा इसका स्वागत किया जाना है। नदी के बंदरगाहों और जेटियों को अच्छी तरह से विकसित किया गया है जिससे राष्ट्रीय जलमार्गों पर लंबी दूरी के कार्गो परिवहन को बढ़ावा देने में मदद मिली है। आगे यह भी कहा गया है कि उद्योग छोटी दूरी के कार्गो परिवहन को बढ़ावा देने के लिए नदी तट के साथ छोटी जेटियों के विकास को उत्सुकता से देख रहा है जो इस क्षेत्र में भाग लेने के लिए और अधिक उद्योग खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेगा।
- **भारत में मजबूत अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन विकसित करने पर विश्व बैंक द्वारा समाधान:::** विश्व बैंक के प्रतिनिधि ने भारत में अंतर्देशीय जलमार्ग के विकास के लिए महत्वपूर्ण सफल कारकों पर एक प्रस्तुति दी और कई सामाजिक-आर्थिक आयामों पर जोर दिया, जिस हेतु व्यापक योजना की आवश्यकता है; जिसमें नेटवर्क स्तर की योजना, जलवायु अनुकूलन, जलीय जैव विविधता, सांस्कृतिक मूल्य, बाजार विकास, नदी तट भूमि उपयोग प्रबंधन, लघु समुद्री नौवहन एकीकरण, मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी, पोत डिजाइन, स्थायी लागत वसूली तंत्र और प्रदर्शन आधारित प्रचालन एवं प्रबंधन प्रणाली को अपनाना शामिल है। अन्य महत्वपूर्ण सफल कारकों जैसे कि कुशल जनशक्ति, निरंतर अनुसंधान और विकास / नवाचार, मजबूत नदी सूचना प्रणाली और आपदा प्रबंधन प्रणाली पर पुनः जोर दिया गया।



चित्र प्रदर्शनी



श्री माइकल लोबो, माननीय मंत्री, पत्तन, अपशिष्ट प्रबंधन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा गोवा ग्रामीण विकास गोवा, गोवा में उद्घाटन भाषण देते हुए



श्री मौरिन गौडीन्हो, गोवा के परिवहन और विधायी मामलों के माननीय मंत्री, गोवा में उद्घाटन भाषण देते हुए



डॉ. अमिता प्रसाद, अध्यक्ष, भावजप्रा, गोवा सम्मेलन में गोवा जलमार्ग पर एक प्रस्तुति देते हुए



श्री शशि भूषण शुक्ल, सदस्य (यातायात एवं प्रचालन) गोवा सम्मेलन के दौरान कार्गो के मोडल शिफ्ट के लिए आने वाले अवसरों पर एक सत्र का संचालन करते हुए



श्री माइकल लोबो और गोवा सरकार के अन्य अधिकारियों के साथ भावजप्रा की बैठक



गोवा बार्ज ओनर्स एसोसिएशन के साथ भावजप्रा की बैठक



भारत और बांग्लादेश के बीच एसएसएलटी



भारत से आने-जाने के लिए माल की ढुलाई हेतु चट्टोग्राम और मोंगला बंदरगाहों के उपयोग पर आईजीसी की पहली बैठक



पीआईडब्ल्यूटी एण्ड टी के 20वें एससीएम पर भारत और बांग्लादेश से प्रतिनिधि



डॉ. अमिता प्रसाद, अध्यक्ष, भाजपा, हितधारक सम्मेलन में आईबीपी मार्ग के प्रचालन के कारण उभरते अवसरों पर एक प्रस्तुति देते हुए

4.4 चित्र प्रदर्शनी



डॉ. अमिता प्रसाद, अध्यक्ष, भारजप्रा, कोलकाता के उद्घाटन सत्र के दौरान अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा सक्षम क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पर एक प्रस्तुति देते हुए।



श्री शिशिर कोइराला, संयुक्त सचिव, जल संसाधन, नेपाल सरकार कोलकाता में उद्घाटन सत्र के दौरान संबोधित करते हुए



श्री विनीत कुमार, अध्यक्ष, केओपीटी कोलकाता में उद्घाटन सत्र के दौरान संबोधित करते हुए



श्री शशि भूषण शुक्ल, सदस्य (यातायात एवं प्रचालन), भारजप्रा कोलकाता में अजप के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने पर एक मुख्य भाषण देते हुए।



कोलकाता में उद्घाटन सत्र के दौरान वक्तागण



कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग के माध्यम से क्षेत्रीय कनेक्टिविटी बढ़ाने पर सत्र के दौरान वक्तागण

5.4 चित्र प्रदर्शनी



डॉ. अमिता प्रसाद, अध्यक्ष, भाजप्रा, केरल के कोच्चि में अंतर्रेशीय जलमार्ग प्रणालियों के विकास पर उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए



श्री संजय बंदोपाध्याय, भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय कोच्चि में उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए



श्री एन शिवसैलम, विशेष सचिव लॉजिस्टिक्स, वाणिज्य ममंत्रालय कोच्चि में उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए



श्रीमती एम बीना, सीएमडी, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोच्चि में उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए



डॉ. विश्वास मेहता, अध्यक्ष, केरल पोत परिवहन एवं अंतर्रेशीय नौवहन कार्पोरेशन और अतिरिक्त मुख्य सचिव, जल संसाधन, तटीय पोत परिवहन और अंतर्रेशीय नौवहन, केरल सरकार उद्घाटन सत्र कोची को संबोधित करते हुए



श्री शशि भूषण शुक्ल, सदस्य (यातायात एवं प्रचालन,) भाजप्रा कोच्चि में शहरी परिवहन, पर्यटन और क्रूज के लिए अजप, केरल पर एक सत्र का संचालन करते हुए

6.4 चित्र प्रदर्शनी



सरकार और उद्योग के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सम्मेलन का उद्घाटन



श्री संजय बंदोपाध्याय, अपर सचिव, पोत परिवहन मंत्रालय सत्र के उद्घाटन सत्र के दौरान संबोधित करते हुए



डॉ. अमिता प्रसाद, अध्यक्ष भाजप्रा मुंबई में उद्घाटन सत्र के दौरान संबोधित करते हुए



श्री संजय कुमार, एएस एंड एफए, पोत परिवहन मंत्रालय सत्र के उद्घाटन सत्र के दौरान संबोधित करते हुए



श्री प्रवीन पाण्डेय, उपाध्यक्ष भाजप्रा रा.ज.-1 पर फेयरवे डेवलपमेंट वर्क्स पर स्टेकहोल्डर्स के साथ बातचीत करते हुए



श्री शशि भूषण शुक्ल, सदस्य (यातायात एवम प्रचालन) तटीय शिपिंग और ट्रांसशिपमेंट के माध्यम से व्यापार क्षमता को बढ़ाने के लिए सत्र का संचालन करते हुए

7.4 वित्र प्रदर्शनी



डॉ. अमिता प्रसाद, अध्यक्ष, भाअजप्रा, मुंबई में उद्घाटन सत्र के दौरान संबोधित करते हुए



मुंबई में उद्घाटन सत्र के दौरान सरकार और उद्योग के वक्तागण



श्री प्रवीर पाण्डेय, उपाध्यक्ष भाअजप्रा मुंबई में ड्रेजिंग के लिए भाअजप्रा के दृष्टिकोण पर प्रस्तुति देते हुए



श्री संजय कुमार अग्रवाल, सचिव, परिवहन विभाग, बिहार सरकार, मुंबई में उद्घाटन सत्र के दौरान संबोधित करते हुए

16. रा.ज.-1 पर जलमार्ग विकास परियोजना :

- 16.1 मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण, विश्व बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता से रा.ज.-1 (हल्दिया—वाराणसी खण्ड) पर नौचालन क्षमता संवर्धन के लिए जलमार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) को कार्यान्वयित कर रहा है।
- 16.2 परियोजना निर्माण के लिए रा.ज.-1 पर विस्तृत इंजीनियरिंग और एफईईडी, ईएसआईए तथा अजप क्षेत्र के विकास की रणनीति और व्यवसाय विकास संबंधी अध्ययन किए गए थे। इन अध्ययनों के परिणामों के आधार पर रु. 5,369.18 करोड़ की अनुमानित लागत पर जेएमवीपी के कार्यान्वयन के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया गया था। इस प्रस्ताव के अनुसार, जेएमवीपी ने गंगा—भागीरथी—हुगली नदी प्रणाली के हल्दिया—वाराणसी खण्ड पर राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (रा.ज.-1) की नौवहन क्षमता में सुधार की परिकल्पना की है –
- (i) **फेयरवे विकास :** हल्दिया—वाराणसी खण्ड पर 2.2 / 3 मीटर की एलएडी का प्रावधान है, जिसमें तल के चैनल की चौड़ाई 35 / 45 मीटर है। इस घटक में नदी मोड़, निकर्षण, बंडलिंग, तटरक्षण कार्य की री—इंजीनियरिंग भी शामिल हैं; साथ ही, नदी सूचना प्रणाली (आरआईएस) और जलयान यातायात प्रबंधन प्रणाली (वीटीएमएस) आदि का प्रावधान है।
 - (ii) **सिविल निर्माण कार्य :** वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में मल्टी—मोडल टर्मिनलों; गाजीपुर और कालूघाट में इंटरमॉडल टर्मिनल; राजमहल, माणिकचक, समदाघाट, मनिहारी, कहलगांव, तिनटंगा, हसनपुर, बर्खियारपुर, बक्सर और सरायकोटा में रो—रो टर्मिनल; फरक्का में एक नए नौचालन लॉक; और साहिबगंज तथा गायघाट में जलयान मरम्मत और रखरखाव परिसर का निर्माण कार्य।
 - (iii) **संस्थागत सुदृढीकरण और इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट सुधार; जलयान डिजाइन और खरीद; और निर्माण ढांचा।**
- 16.3 नदियों में निकर्षण रखरखाव के लिए पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता के अफसोसजनक मामलों को भी सुलझाया गया और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एण्ड सीसी) ने इस निर्णय से अवगत कराया कि नदियों में निकर्षण रखरखाव के लिए पूर्व पर्यावरण मंजूरी की आवश्यकता नहीं है और एमओईएफ एण्ड सीसी द्वारा निर्धारित कुछ पर्यावरण सुरक्षा उपायों को लागू करने के लिए भाअजप्रा के अधीन जेएमवीपी को कार्यान्वयन हेतु मंजूरी दे दी है। इसके अलावा, माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (प्रधान पीठ), नई दिल्ली ने दिनांक 01.11.2018 के आदेश के माध्यम से भाअजप्रा तथा अन्य के खिलाफ श्री भरत झुनझुनवाला तथा अन्य द्वारा दायर वर्ष 2015 की ओ.ए. संख्या 487 जिसमें समय—समय पर यथा संशोधित, 2006 की ईआईए अधिसूचना के तहत जेएमवीपी के लिए पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने हेतु उत्तरदाताओं को निर्देश देने की मांग की थी, को खारिज़ कर दिया गया।
- 16.4 पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड द्वारा किए गए मूल्यांकन और सिफारिश पर आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने रु. 5,369.18 करोड़ की अनुमानित लागत से जेएमवीपी के कार्यान्वयन का प्रस्ताव निम्नलिखित फंडिंग पैटर्न के साथ दिनांक 03.01.2018 को अनुमोदित किया था :
- (क) आईबीआरडी ऋण – रु. 2,512.00 करोड़ (यूएस\$ 375.00 मिलियन);
 - (ख) भारत सरकार की समकक्ष निधि (बजटीय आवंटन और इंफ्रास्ट्रक्चर बांड जारी करने से प्राप्त होती है : रु. 2,556.00 करोड़ (यूएस\$ 380.00 मिलियन); और

(ग) पीपीपी मोड के तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी : रु. 301.00 करोड़ (यूएस\$ 45.00 मिलियन)।

- 16.5 भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच समुचित वार्ता के पश्चात्, पुनर्निर्माण और विकास हेतु इंटरनेशनल बैंक के कार्यकारी निदेशकों के बोर्ड ने दिनांक 12.04.2017 को परियोजना के लिए यूएस\$ 375 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी। विश्व बैंक और भारत सरकार के बीच ऋण समझौते तथा विश्व बैंक और भाअजप्रा के बीच परियोजना समझौते पर दिनांक 02.02.2018 को हस्ताक्षर किए गए। ऋण समझौता और परियोजना समझौता दिनांक 23 मार्च, 2018 से प्रभावी हो गया।
- 16.6 जेएमवीपी पूरा होने पर यह परिवहन का एक वैकल्पिक, लागत प्रभावी, सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल मोड प्रदान करेगा और परियोजना गलियारे में और उसके आसपास के उद्योगों और लॉजिस्टिक खिलाड़ियों के लिए एक आकर्षण होगा, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल राज्यों को कवर करने वाले क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास को सक्षम करेगा।
- 16.7 परियोजना कार्यान्वयन का कार्य दिसम्बर, 2023 तक पूरा हो जाने की योजना है और इस निर्धारित समय के अनुसार कार्य प्रगति पर है। दिनांक 23–24 अगस्त, 2018 को चेन्नई में आयोजित विश्व बैंक की चालू परियोजनाओं की त्रिपक्षीय परियोजना समीक्षा बैठक में किए गए जेएमवीपी कार्यान्वयन पर निम्नलिखित अवलोकन भाअजप्रा द्वारा की गई सराहनीय उपलब्धियों को मान्य करते हैं:
- “परियोजना, इस स्तर पर, निर्धारित योजना से आगे बढ़ रही है। हालांकि, इस गति को बनाए रखने के लिए, विशेषकर कालुघाट में टर्मिनलों की समय पर खरीद को प्रभावित करने वाले लंबित भूमि अधिग्रहण के मुद्दों को यथाशीघ्र हल करने की आवश्यकता है।”
- 16.8 रिपोर्टर्डीन अवधि के दौरान जेएमवीपी के प्रत्येक घटक के तहत हुई प्रगति को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

I. फेयरवे विकास

(i) एलएडी का प्रावधान :

- दिनांक 02.06.2017 को आयोजित हुई 164वीं बोर्ड बैठक में भाअजप्रा बोर्ड द्वारा अनुमोदित रा.ज.-1 के लिए निकर्षण प्रबंधन योजना और रणनीति, कार्यसूची के बिंदु 164.20 के तहत कार्यान्वयन के लिए लिया गया।
- कार्य निष्पादन आधारित आश्वासित निकर्षण के माध्यम से फरकका—कहलगांव प्रखण्ड (146 किमी) पर 3 मीटर की न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) और 35 / 45 मीटर चौड़े निचले चैनल के प्रावधान के लिए रु. 150.00 करोड़ की लागत पर दिनांक 09.04.2018 को मैसर्स अडानी पोर्ट्स एण्ड एसईजेड लिमिटेड को अनुबंध प्रदान किया गया।
- कार्य निष्पादन आधारित आश्वासित निकर्षण अनुबंध के माध्यम से दिनांक 06.03.2019 को सुल्तानगंज—महेंद्रपुर (74 किमी) और महेंद्रपुर—बाढ़ (71 किमी) के दोनों प्रखण्डों के लिए 3 मीटर न्यूनतम उपलब्ध गहराई (एलएडी) और 35 / 45 मीटर चौड़े निचले चैनल के प्रावधान के लिए खरीद प्रक्रिया का कार्य सौंपा गया था।
- मात्रा आधारित अनुरक्षण निकर्षण अनुबंध (मिक्स एण्ड मैच—भाअजप्रा निकर्षक + एसपी – सीएसडी सेवा प्रदाताओं से) के माध्यम से बाढ़—मझुआ (167 किमी) और मझुआ—गाजीपुर (121 किमी) प्रखण्डों में 2.5 मीटर एलएडी और 35 / 45 मीटर चौड़े निचले चैनल का प्रावधान; मात्रा आधारित एलएडी अनुरक्षण हेतु कार्य निष्पादन मानदण्ड के साथ प्रचालन एवं प्रबंधन के आधार पर विभागीय निकर्षकों की तैनाती के माध्यम से गाजीपुर—सैदपुर प्रखण्ड

(76 किमी) में 2.2 मीटर एलएडी और 35 / 45 चौड़े निचले चैनल का प्रावधान; और कार्य निष्पादन आधारित आश्वासित निकर्षण अनुबंध के माध्यम से सैदपुर—वाराणसी प्रखण्ड (57 किमी) में 2.2 मीटर एलएडी और 35 / 45 चौड़े निचले चैनल का प्रावधान अंतिम चरण की प्रक्रिया में है।

(ii) तट रक्षण कार्य:

- फरक्का फीडर कैनाल (9.438 किमी.), फरक्का से हल्दिया खंड (33.095 किमी.) और फरक्का में नदी मोड़ (3.20 किमी.) में तटरक्षण कार्य के लिए अपेक्षित स्थल पहचाने गए हैं।
- फरक्का फीडर कैनाल और फरक्का में नदी मोड़ का भू—तकनीकी अन्वेषण पूरा हो चुका है।
- विश्व बैंक, फरक्का बार्ज परियोजना और आईआईटी, मद्रास से प्राप्त इनपुट्स के आधार पर मसौदा डीपीआर और ड्राइंग कार्य पूरा कर लिया गया है।
- कार्यों को करने के तौर—तरीकों पर चर्चा करने के लिए अपर मुख्य सचिव, (आई एण्ड डब्ल्यूडी, पश्चिम बंगाल सरकार), कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट और भाअजप्रा की एक संयुक्त समिति दिनांक 17.03.2018 को गठित की गई। दिनांक 19.06.2018 और 18.01.2019 को समिति की बैठक हुई।
- फरक्का फीडर नहर के बारे में – 20 और 21 फरवरी 2020 को हुई बैठक में फरक्का बैराज परियोजना (एफबीपी) की तकनीकी सलाहकार समिति ने निर्णय किया कि एफबीपी को नियमित रूप से इस तरह के रखरखाव कार्य को कार्यान्वित करना चाहिए। इसके अलावा, परियोजना के मालिक होने के नाते एफबीपी की फीडर नहर के लंबे समय तक अनुरक्षण करने की जिम्मेदारी है।
- भागीरथी हुगली नदी प्रणाली में तट संरक्षण कार्यों के बारे में : पोत परिवहन मंत्रालय के पत्र दिनांक 02.12.2019 के तहत सूचित किया गया है कि नदी प्रणाली के तट संरक्षण कार्य अपने स्वयं के बजटीय संसाधनों से बाहर मुर्शिदाबाद और नादिया जिले में उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लिए जाएंगे।

(iii) नौचालन संबंधी सहायता और आरआईएस:

- स्थान निर्धारण में सब—मीटर शुद्धता प्रदान करने के लिए स्वरूपगंज में एमएफ लिंक वाले डीजीपीएस रेफरेंस स्टेशन स्थापित किए गए ताकि प्रचालकों को नौचालन चैनल के साथ अपने जलयान सुचारू एवं प्रभावी रूप से चलाने की सुविधा दी जा सके।
- हल्दिया, गार्डन रीच जेटी (जीआर), त्रिवेणी, स्वरूपगंज, कुमारपुर, बलिया और फरक्का स्थित सुदूर स्टेशनों के जरिए जलयान आवाजाही की निगरानी के लिए नदी सूचना प्रणाली को पूरी तरह प्रचालित किया गया। इन स्टेशनों को फरक्का और जीआर जेटी स्थित दो नियंत्रण स्टेशनों में एकीकृत किया गया। दोनों नियंत्रण स्टेशन ऑटोमेटिक आईडेंटीफिकेशन सिस्टम (एआईएस) के जरिए इस नदी प्रखण्ड में चलने वाले जलयानों की निगरानी करेंगे और वीएचएफ के जरिए जलयानों से संपर्क स्थापित करेंगे। 30 भाअजप्रा जलयान अंतर्देशीय एआईएस प्रणाली, कम दूरी के रडार और वीएचएफ युक्त होंगे।



II. सिविल निर्माण कार्य :

(i) वाराणसी में मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण :

- 1.26 एमटीपीए की टर्मिनल क्षमता वाले मल्टी मॉडल टर्मिनल का निर्माण दो चरणों में रुहेल्पुर खास, रामनगर, वाराणसी में किया जा रहा है। 67.12 हेक्टेयर भूमि के अनुमानित परिसीमन में से चरण-।। और चरण-।। के लिए 20.039 हेक्टेयर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के लिए सड़क संपर्क हेतु अधिग्रहण किया गया है और भाअजप्रा के नाम पंजीकृत किया गया है।
- टर्मिनल के चरण-। के लिए सिविल निर्माण कार्य, रु. 169.70 करोड़ की लागत पर मई, 2016 में मैसर्स एएफसीओएनएस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. को प्रदान किया गया। माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 12.11.2018 को माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश, माननीय केन्द्रीय मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग, पोत परिवहन तथा जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा कायाकल्प तथा माननीय सांसद, चंदौली की उपस्थिति में टर्मिनल का उद्घाटन किया। टर्मिनल दिनांक 23.08.2019 को ठेकेदार द्वारा सौंप दिया गया।
- दिसम्बर, 2018 में राष्ट्रीय राजमार्ग-7 के लिए सड़क संपर्क का कार्य पूरा हो गया था।
- ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (ईडीएफसी) पर अपज टर्मिनल से जियोनाथपुर रेलवे स्टेशन तक रेल कनेक्टिविटी की योजना है। मैसर्स ईपीआईएल और मैसर्स आरवी एसोसिएट्स, परामर्शदाता ने डीएफसीसीआईएल द्वारा अनुमोदित मार्च 2018 में रेलवे कनेक्टिविटी के लिए डीपीआर प्रस्तुत किया। मार्च, 2019 में उत्तर मध्य रेलवे और डीएफसीसीआईएल द्वारा अनुमोदित इंजीनियरिंग स्केल योजना प्रस्तुत की गई। अंतिम स्थान सर्वेक्षण और पुलों की सामान्य व्यवस्था ड्राइंग परामर्शदाता द्वारा तैयार की जा रही है।
- वन्यजीवों के लिए राष्ट्रीय बोर्ड की स्थायी समिति ने दिनांक 15.05.2017 को हुई अपनी बैठक में वाराणसी में काशी टर्टल वाइल्ड लाइफ सैंकचुअरी के माध्यम से अंतर्देशीय जलयानों के आवागमन और संचालन के लिए अनुमति देने की सिफारिश की थी, बशर्ते कि भाअजप्रा, भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा मानक शमन उपायों और राज्य मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करें। भाअजप्रा ने निर्धारित किए गए इन शमन उपायों का अनुपालन किया है।

(ii) साहिबगंज में मल्टीमॉडल टर्मिनल का निर्माण :

- साहिबगंज के समदानाला गाँव में दो चरणों में 3.03 एमपीटीए की टर्मिनल क्षमता के साथ मल्टीमॉडल टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री ने दिनांक 06.04.2017 को इस मल्टीमॉडल टर्मिनल की आधारशिला रखी थी। टर्मिनल का दिनांक 12.09.2019 को उद्घाटन हुआ था।
- अजप टर्मिनल के लिए और टर्मिनल से राष्ट्रीय राजमार्ग-80 तक सड़क संपर्क के लिए 192.37 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है और भूमि पूर्णतया भाअजप्रा के कब्जे में है। अजप टर्मिनल सड़क के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्ग-80 से जुड़ा है और सकरीगली रेलवे स्टेशन तक रेल से जोड़ा जाएगा।
- 485 परियोजना प्रभावित परिवारों (पीएफएस) के लिए पुनर्वास और पुनःस्थापन का कार्य जिला प्रशासन, साहिबगंज

द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। भाअजप्रा ने आर एण्ड आर के कार्यान्वयन हेतु जिला प्रशासन को रु. 67.63 करोड़ ट्रांसफर किया है। 485 परियोजना प्रभावित परिवारों में 417 परियोजना प्रभावित परिवारों को पुनर्वास और पुनःस्थापन सहयता दी गई। समदानाला और पल्टनगंज गाँवों में 32.28 एकड़ भूमि पर सभी आवश्यक बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं के साथ दो पुनर्वास कॉलोनियों को विकसित किया जा रहा है। दोनों कॉलोनियों के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया है; समदानाला कॉलोनी की प्लॉटिंग का कार्य पूरा किया गया और पति – पत्नी के संयुक्त नामों में 288 परिवारों को भूखण्ड आवंटित किए गए; पल्टनगंज पुनर्वास कॉलोनी में प्लॉटिंग का कार्य पूरा हो चुका है। जिला प्रशासन द्वारा रु 5.93 लाख प्रति घर की अनुमोदित लागत पर आवास निर्माण किया जाएगा और परिवारों को सौंपा जाएगा। जिला प्रशासन साहिबगंज द्वारा 417 घरों के निर्माण का ठेका दे दिया गया है। 25 घरों के निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है और 25 परियोजना प्रभावित परिवार परियोजना भूमि से आर एण्ड आर कॉलोनी में शिफ्ट हो गये हैं। चाहरदीवरी के साथ प्राथमिक विद्यालय भवन, दो सामुदायिक केंद्र और दो मंदिरों के निर्माण का कार्य आर एण्ड आर कॉलोनी में पूरा हो चुका है।

- मल्टीमॉडल टर्मिनल के चरण—। के लिए निर्माण कार्य दिनांक 27.10.2016 को मैसर्स लार्सन एण्ड टुब्रो को रु. 280.90 करोड़ की लागत पर मई, 2019 तक पूरा होने की समय सीमा के साथ सौंपा गया, जिसमें दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार 99.50% का भौतिक लक्ष्य रु. 242.73 करोड़ वित्तीय प्रगति के साथ प्राप्त किया गया।
- रेल कनेक्टिविटी : दिनांक 25.07.2018 को टर्मिनल से सकरीगली रेलवे स्टेशन तक रेल कनेक्टिविटी के विकास के लिए परामर्शदाता के रूप में मैसर्स राइट्स को नियुक्त किया गया है। परामर्शदाता ने अगस्त 2018 में क्षेत्र सर्वेक्षण पूरा किया और 3 वैकल्पिक संरेखणों में से, शुरू में विकसित 1 संरेखण व्यवहार्य पाया गया, जिसे दिनांक 19.09.2018 को पूर्वी रेलवे डिवीजन, मालदा द्वारा सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित भी किया गया था। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भी एनएच -80, साहिबगंज में आरओबी के लिए दिनांक 29.11.2018 को पूर्व रेलवे द्वारा किए गए अवलोकनों पर मुख्य अनुमोदन में अवगत कराया, मैसर्स राइट्स ने साइट को फिर से शुरू किया और संरेखण की लागत को नाले पर पुल सहित और बिना पुल के साथ लेआउट योजना प्रस्तुत की। लेआउट भाअजप्रा द्वारा अनुमोदित किया गया है और परामर्शदाता से व्यवहार्यता रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(iii) हल्दिया में मल्टीमॉडल टर्मिनल का निर्माण :

- हल्दिया में मल्टीमॉडल टर्मिनल का निर्माण, 3.18 एमपीटीए की क्षमता के साथ, 30 वर्ष की अवधि के लिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट (केओपीटी) से हल्दिया डॉक कॉम्प्लेक्स में पट्टे पर ली गई 61 एकड़ भूमि पर दो चरणों में किया जा रहा है।
- चरण—। के लिए निर्माण कार्य दिनांक 30.06.2017 को मैसर्स आईटीडी सीमेंट्स को रु. 517.36 करोड़ की लागत पर दिसम्बर, 2019 तक पूरा होने की समय सीमा के साथ सौंपा गया। दिनांक 31.12.2018 की स्थिति के अनुसार 25.01% का भौतिक लक्ष्य रु. 110.50 करोड़ वित्तीय प्रगति के साथ प्राप्त किया गया।



विश्व बैंक टीम ने हल्दिया स्थित भाअजप्रा, एमएमटी आईडब्ल्यूटी टर्मिनल का दौरा किया

- एमओईएफ एण्ड सीसी ने दिनांक 06.11.2017 को टर्मिनल के लिए तटीय विनियमन क्षेत्र (सीआरज़ेड) की अनुमति प्रदान की, बशर्ते कि भाअजप्रा, निर्धारित मानक शमन उपायों का अनुपालन सुनिश्चित करे। भाअजप्रा ने निर्धारित किए गए इन शमन उपायों का अनुपालन किया है।

(iv) फरकका में नौचालन संबंधी लॉक:

- दिनांक 02.03.2016 को एफबीपी से हस्तांतरण पर ली गई फरकका बैराज परियोजना (एफबीपी) में 14.86 हेक्टेयर भूमि पर नए नौचालन लॉक का निर्माण किया जा रहा है।
- मल्टी मोडल टर्मिनल के चरण—I के लिए निर्माण कार्य दिनांक 24.11.2016 को मैसर्स लार्सन एण्ड टुब्रो को रु. 359.19 करोड़ की लागत पर जून, 2021 तक पूरा होने की समय सीमा के साथ सौंपा गया। दिनांक 30.11.2020 की स्थिति के अनुसार 74.46% (नवंबर 2020) का भौतिक लक्ष्य रु. 250.00 करोड़ वित्तीय प्रगति के साथ प्राप्त किया गया।
- फरकका में मौजूदा नौचालन लॉक, 7.155 हेक्टेयर भूमि माप के साथ, एफबीपी द्वारा दिनांक 06.04.2018 को भाअजप्रा को सौंप दिया गया था। भाअजप्रा ने अपने आधुनिकीकरण और पुनर्वास की कार्रवाई नए नौचालन लॉक के चालू करने के साथ—साथ शुरू की है।
- कार्य पूरा होने पर, दोनों लॉक फरकका बैराज के पार जलयानों को दो—तरफा मार्ग प्रदान करेंगे, जिससे रा.ज.—1 पर जलयानों के सुचारू और निर्बाध आवागमन की सुविधा होगी।

(v) कालूघाट में इंटरमॉडल टर्मिनल :

- बिहार के सारण जिले के कालूघाट में 5.159 हेक्टेयर (12.80 एकड़) भूमि पर राष्ट्रीय राजमार्ग—19 के लिए सड़क संपर्क के साथ टर्मिनल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। भूमि के अधिग्रहण के लिए जिला प्रशासन, सारण को

दिनांक 29.12.2016 को आवेदन किया गया था। भूमि के मानचित्रण / सत्यापन का कार्य पूरा हो चुका है, लेकिन भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को अभी पूरा किया जाना है। भाजप्रा ने दिनांक 9.11.2019 को भूमि अधिग्रहण के लिए राज्य सरकार को ₹. 17.83 करोड़ अंतरित किया। जिला प्रशासन, सारण ने सिन्हा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज, पटना को ₹. 7.57 लाख की लागत पर प्रस्तावित भूमि के एसआईए अध्ययन हेतु आवंटित किया है। भाजप्रा ने राज्य सरकार को उक्त राशि जारी की है। एसआईए अध्ययन पूरा हो गया है रिपोर्ट दिनांक 6.12.2019 को डीएम, सारण को सौंपी गई है। डीएम सारण की जनसुनवाई की कार्यवाही को शामिल करने के बाद, एसआईए की रिपोर्ट को टिप्पणियों और पुनरीक्षण के लिए एक विशेषज्ञ समिति को भेजा गया था और समिति ने भूमि अधिग्रहण की सिफारिश की थी। दिनांक 8.02.2020 को 13.17 एकड़ भूमि के लिए प्रारंभिक अधिसूचना जारी की गई थी।

- टर्मिनल के लिए डीपीआर और निविदा दस्तावेज अंतिम रूप दिए जाने के चरण में हैं।
- टर्मिनल से नेपाल जाने वाले मुख्यतः कंटेनर यातायात को संभालने की योजना बनाई जा रही है।

(vi) गाजीपुर में इंटरमॉडल टर्मिनल :

- उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में 8.917 हेक्टेयर भूमि पर टर्मिनल का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। 4.386 हेक्टेयर भूमि पहले ही अधिग्रहित और पंजीकृत हो चुकी है। शेष 4.531 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित किए जाने के अंतिम चरण में हैं।
- माननीय पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री ने 25 जनवरी, 2018 को टर्मिनल की आधारशिला रखी थी।
- टर्मिनल के लिए डीपीआर अंतिम रूप दिए जाने के चरण में है।

(vii) रो—रो टर्मिनल :

- 5 जोड़े रो—रो टर्मिनल के लिए राजमहल और मानिकचक; समदाघाट और मनिहारी, कहलगांव और टिनटंगा; हसनापुर और बख्तियारपुर तथा बक्सर और सरायकोटा में स्थल पहचाने गए।
- भूमि की आवश्यकता का अनुमान इस प्रकार लगाया गया था कि : राजमहल— 1.764 हेक्टेयर; मानिकचक— 2.288 हेक्टेयर; समदाघाट— 19.2 हेक्टेयर; मनिहारी— 2.257 हेक्टेयर; कहलगांव— 2.376 हेक्टेयर; और टिनटंगा— 2.038 हेक्टेयर। शेष 4 टर्मिनलों के लिए भूमि की पहचान की जा रही है।
- सभी दस रो—रो टर्मिनलों के लिए मसौदा डीपीआर इंजीनियरिंग परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत की गई हैं और अंतिम रूप दिए जाने के चरण में हैं।
- टर्मिनलों के लिए स्थलाकृति सर्वेक्षण पूरा हो गया है।
- राजमहल, मानिकचक और मनिहारी रो—रो टर्मिनलों के लिए भू—तकनीकी जांच पूरी कर ली गई है।
- परामर्शदाता को उन टर्मिनलों के लिए कम लागत वाले समाधान प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है जो अब जेएमवीपी के अर्थ गंगा कार्यक्रम के विचाराधीन हैं।

(viii) एकीकृत जलयान मरम्मत और रखरखाव परिसर :

एकीकृत जलयान मरम्मत और रखरखाव परिसर साहिबगंज और गायघाट (पटना) में स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

(क) गायघाट परिसर की स्थिति

- मैसर्स होवे इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड द्वारा मसौदा डीपीआर मई, 2018 में प्रस्तुत की गई है। भाअजप्रा में इसकी विस्तृत जांच की गई थी और भाअजप्रा की टिप्पणियां मई, 2018 में परामर्शदाता को भेज दी गई। परामर्शदाता द्वारा संशोधित डीपीआर और निविदा दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।
- परियोजना के लिए सिविल निर्माण की अनुमानित लागत रु. 5.60 करोड़ है।

(ख) साहिबगंज परिसर की स्थिति

- मैसर्स होवे इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से मसौदा व्यवहार्यता रिपोर्ट नवम्बर, 2016 में प्राप्त की गई है।
- सिविल निर्माण की अनुमानित लागत रु. 140 करोड़ है।
- अधिग्रहित की जाने वाली भूमि का अनुमानित क्षेत्रफल 19.35 हेक्टेयर है। दिनांक 05.11.2018 को जिला प्रशासन, साहिबगंज को आवेदन प्रस्तुत किया गया था।
- भाअजप्रा ने सलाहकार से साहिबगंज में जलयान की मरम्मत की सुविधा के लिए रिपोर्ट तैयार करने का अनुरोध किया और इसे परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत किया गया है और यह जेएमवीपी की जांच के अधीन है।

III. संस्थागत सुदृढीकरण और इंवेस्मेंट क्लाइमेट सुधार; जलयान डिजाइन और अधिप्राप्ति; और सिविल निर्माण ढांचा।

इस घटक के तहत निम्नलिखित परामर्श और अधिप्राप्ति संबंधी कार्य शुरू किए गए थे और पर्याप्त प्रगति हासिल की गई थी:

(I) अंतर्देशीय जलमार्ग जलयानों का डिजाइन

- मैसर्स डीएसटी, जर्मनी, अंतर्देशीय जलमार्ग जलयानों के डिजाइन के लिए लगे परामर्शदाताओं ने अंतर्देशीय जलमार्ग जलयानों के 13 डिजाइन प्रस्तुत किए। इन मॉडलों का परीक्षण जर्मनी के नुरेम्बर्ग में परामर्शदाताओं की सुविधाओं पर किया गया था। भावी जलयान बिल्डरों के लिए सार्वजनिक सूचना हेतु अनुमोदित डिजाइन भाअजप्रा की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं।
- इस बीच, बाजार की स्थितियों के समुचित मूल्यांकन के बाद भाअजप्रा इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भाअजप्रा को कम—से—कम एक जलयान का मालिक होना चाहिए, जो इन डिजाइनों के अनुरूप हो, जलयान निर्माण गतिविधि शुरू करने के लिए और निजी जलयान बिल्डरों / शिपर्स के लिए अपनी प्रभावशीलता प्रदर्शित करे। तदनुसार, भारत में इन

जलयानों के निर्माण की प्रक्रिया शुरू की गई है।

(ii) रा.ज.-1 पर व्यावसायीकरण

- मैसर्स हैम्बर्ग पोर्ट कंसल्टिंग, रा.ज.-1 पर व्यावसायीकरण की योजना और कार्यान्वयन के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए लगे परामर्शदाताओं ने भाअजप्रा द्वारा रा.ज.-1 पर कार्गो जलयानों की 20 प्रायोगिक ढुलाई की व्यवस्था करने की सिफारिश की थी। इनमें से 14 प्रायोगिक ढुलाई का आयोजन किया गया और भाअजप्रा द्वारा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया गया।
- भारत के कंटेनर अंतर्देशीय जलयान एमवी रबींद्रनाथ टैगोर द्वारा शुरू की गई प्रायोगिक ढुलाई में से एक था, जिसमें कंटेनर कार्गो के परिवहन में भोजन और स्नैक्स के 16 (16 ट्रक लोड के बराबर) कंटेनर कार्गो को कोलकाता से वाराणसी के लिए परिवहन किया गया था। यह कंटेनर जलयान 12 नवम्बर, 2018 को वाराणसी में माननीय प्रधानमंत्री द्वारा रिसीव किया गया था।

(iii) रा.ज.-1 पर फेरी सेवाओं का विकास

- मैसर्स थॉम्पसन डिजाइन ग्रुप और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी /आईएएल, रा.ज.-1 पर फेरी सेवाओं के विकास हेतु परामर्श सेवाएं प्रदान करने के लिए परामर्शदाता वाराणसी, पटना, मुंगेर, भागलपुर, कोलकाता और हल्दिया में फेरी सेवाओं के लिए उपयुक्त स्थानों की पहचान करने के लिए लगाए गए थे। इन शहरों में सड़क यातायात को कम करने के लिए वाराणसी और पटना में घाटों के लिए प्री-फिजिबिलिटी रिपोर्ट, योजनाबद्ध डिजाइन और मसौदा विनिर्देश आरेख परामर्शदाताओं द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं।

(iv) संचार और आउटरीच कार्यक्रम

- मैसर्स एएमएस कंसल्टिंग (पी) लिमिटेड, लखनऊ, जेएमवीपी के लिए कम्युनिकेशंस नीड्स असेसमेंट स्टडी को कार्यान्वयन करने के लिए परामर्शदाताओं ने कई उपायों के लिए सिफारिश की थी। इन सिफारिशों के अनुसार उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के विभिन्न स्थानों पर 16 जुलाई से 09 अगस्त, 2018 तक 26 दिन का आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया गया था।

(v) रा.ज.-1 में डॉल्फिन पर नौचालन गतिविधियों के प्रभाव पर अध्ययन के लिए परामर्श सेवाएं।

- दिनांक 20.12.2017 को अध्ययन करने के लिए लगे मैसर्स इक्यूएमएस ने जुलाई, 2018 में अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस संबंध में अध्ययन अंतिम चरण में है।

(vi) रा.ज.-1 के लिए जोखिम मूल्यांकन और आपदा प्रबंधन योजना।

- मैसर्स किटको लिमिटेड, कोच्चि को दिनांक 04.04.2018 को रु. 69.47 लाख की लागत पर रा.ज.-1 के लिए जोखिम मूल्यांकन और आपदा प्रबंधन योजना हेतु परामर्श सेवा का कार्य सौंपा गया। अध्ययन अपने अंतिम चरण में है और अंतिम रिपोर्ट परामर्शदाता द्वारा प्रस्तुत की गई है।

(vii) रा.ज.-1 के लिए परिसंपत्ति प्रबंधन ढांचे का विकास



- मैसर्स केपीएमजी एडवाइजरी सर्विसेज प्रा. लि. के संयुक्त उद्यम; मैसर्स मैरीटाइम और ट्रांसपोर्ट बिजनेस सॉल्यूशंस बी.वी; और मैसर्स अद्वैत लीगल को दिनांक 13.02.2018 को रु. 7.95 करोड़ की लागत पर रा.ज.-1 के लिए परिसंपत्ति प्रबंधन ढांचे के विकास हेतु परामर्शी सेवा का कार्य सौंपा गया।
- परामर्शदाता ने पीपीपीपी के तहत मल्टी-मोडल टर्मिनल, वाराणसी के संचालन, रखरखाव और विकास के लिए आरएफक्यू, आरएफपी और समझौता प्रस्तुत किया है। वाराणसी में मल्टी-मोडल टर्मिनल के प्रचालन, प्रबंधन और आगे के विकास का कार्य सौंपे जाने की प्रक्रिया पूरी होने के अग्रिम चरण में है।
- वाराणसी एमएमटी के संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) के लिए प्रारंभिक आरएफक्यू को 8 जून 2018 को परियोजना की ओर निजी क्षेत्र के हित में रोल आउट किया गया। इसके बाद, 22 जून 2018 को प्री-एप्लिकेशन मीटिंग आयोजित की गई जिसमें परियोजना के हिस्से के रूप में विस्तार चरण को शामिल करने के लिए इच्छुक निजी पार्टियों द्वारा सुझाव दिया गया था। भाअजप्रा इस अनुरोध पर सहमत हुआ क्योंकि इससे सरकार से विस्तार चरण का वित्तीय बोझ कम हो जाएगा।
- आरएफक्यू को तदनुसार संशोधित किया गया था और लेन देन मॉडल को “प्रचालन, रखरखाव और स्थानांतरण” से “प्रचालन, प्रबंधन और विकास” में बदल दिया गया था। इसलिए एक संशोधित आरएफक्यू 11 जुलाई 2018 को प्रकाशित किया गया था जिसके विरुद्ध प्रस्तुतियाँ आमंत्रित की गई थीं।
- संभावित बोलीदाताओं के साथ पूर्व-बोली बैठकें 19.08.2019 और 03.10.2019 को आयोजित की गईं।
- 15 जनवरी 2020 को बोली की तिथि पर वाराणसी एमएमटी ओएमडी परियोजना के लिए कोई बोली प्राप्त नहीं हुई।
- 22 जनवरी 2020 को पोत परिवहन मंत्रालय के सचिव के साथ बैठक के दौरान आंतरिक विचार-विमर्श के बाद, यह निर्णय लिया गया कि एक वैकल्पिक मॉडल अर्थात् वाराणसी एमएमटी के लिए इक्विपमेंट, ऑपरेट एंड ट्रांसफर (ईओटी) को अपनाया जा सकता है। इसके बाद वैकल्पिक मॉडल के प्रति बाजार की रुचि को कम करने के लिए 31 जनवरी 2020 को एक कार्यशाला आयोजित की गई और भाअजप्रा को विभिन्न भावी बोलीदाताओं द्वारा सकारात्मक प्रतिक्रिया और अच्छी भागीदारी मिली।

(viii) जेएमवीपी के तहत सिविल कार्य के निष्पादन हेतु तकनीकी सहायता सेवाएँ :

- मैसर्स इंजिस इंडिया कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्रा. लि. के संयुक्त उद्यम और एंजिस फ्रांस इंटरनेशनल को दिनांक 22.01.2018 को वाराणसी-साहिबगंज प्रखण्ड पर सिविल कार्यों के लिए तकनीकी सहायता सेवाओं हेतु परामर्शी अनुबंध सौंपा गया।
- मैसर्स आर्किटेक्नो कंसल्टेंट्स (इ.) प्रा. लि., भुवनेश्वर के संयुक्त उद्यम और मैसर्स आईआर क्लास सिस्टम्स एण्ड स्ट्रक्चर्स प्रा. लि., मुंबई को दिनांक 08.11.2017 को फरक्का-हल्दिया प्रखण्ड पर सिविल कार्यों के लिए तकनीकी सहायता सेवाओं हेतु परामर्शी अनुबंध सौंपा गया।
- जेएमवीपी के तहत निर्कषण अनुबंधों के लिए तकनीकी सहायता सेवाओं हेतु एक परामर्शदाता को तैनात करने हेतु निविदा प्रक्रिया पूरी होने के अग्रिम चरण में है।

- (ix) साहिबगंज के लिए पुनर्वास कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए गैर सरकारी संगठन का चयन
एनजीओ मेसर्स क्रेडल 16 दिसंबर 2019 को साहिबगंज में पुनर्वास कार्य योजना (आरएपी) के कार्यान्वयन के लिए कार्य कर रहा है। एनजीओ ने प्रारंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत की है।
- (x) जेएमवीपी में अतिरिक्त हस्तक्षेप के लिए ईएसआईए, ईएमपी और आरएपी
ईएसआईए, ईएमपी और आरएपी के लिए परामर्शी मेसर्स इको-केमिकल सेल्स एंड सर्विसेज को 27.02.2019 को सम्मानित किया गया और अध्ययन प्रगति पर है।

राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016

भारत सरकार ने दिनांक 12.04.2016 को अधिनियमित राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के द्वारा 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया। ये इस प्रकार हैं :—

क्र. सं.	राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या	लंबाई (कि.मी. में)	जलमार्गों का विवरण	राज्य
1	राष्ट्रीय जलमार्ग –1	1620	गंगा—भागीरथी—हुगली नदी प्रणाली (हल्दिया—इलाहाबाद)	उ.प्र., बिहार, झारखण्ड और पश्चिम बंगाल
2	राष्ट्रीय जलमार्ग –2	891	ब्रह्मपुत्र नदी (धुबी—सदिया)	असम
3	राष्ट्रीय जलमार्ग –3	205	पश्चिम तट कैनाल (कोट्टापुरम—कोल्लम), चंपाकारा और उद्योगमंडल कैनाल	केरल
		170	पश्चिम तट कैनाल (कोट्टापुरम—कोझीकोड़)	
4	राष्ट्रीय जलमार्ग –4	50	काकीनाडा कैनाल (काकीनाडा से राजमुंद्री)	आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडू, कर्नाटक, तमिलनाडू पांडिचेरी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र
		171	गोदावरी नदी (भद्राचलम से राजमुंद्री)	
		139	इलुरु कैनाल (राजमुंद्री से विजयवाड़ा)	
		157	कृष्णा नदी (वज़ीराबाद से विजयवाड़ा)	
		113	कोम्मासुर कैनाल (विजयवाड़ा से पेद्वागंजम)	
		316	उत्तरी बविकंघम कैनाल (पेद्वागंजम से चेन्नई का सेंट्रल स्टेशन)	
		110	दक्षिण बविकंघम कैनाल (चेन्नई का सेंट्रल स्टेशन से माराकानम)	
		22	मराकानम से पुदुचेरी वाया कालूवेल्ली टेंक	
		1202	गोदावरी नदी (भद्राचलम—नाशिक) महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़	
		636	कृष्णा नदी (वज़ीराबाद—गलागली) कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश	
5	राष्ट्रीय जलमार्ग –5	256	पूर्वी तट कैनाल और मताई नदी	ओडिशा और पश्चिम बंगाल
		265	ब्राह्मणी—खरसुआ—धमरा नदी	
		67	महानदी डेल्टा नदियाँ (हसुआ नदी, नुनानाला, गोबरीनाला, खरनासी नदी और महानदी नदी को शामिल करते हुए)	
6	राष्ट्रीय जलमार्ग –6	68	आई नदी	असम
7	राष्ट्रीय जलमार्ग –7	90	अजॉय (अजय) नदी	पश्चिम बंगाल
8	राष्ट्रीय जलमार्ग –8	29	अलप्पुझा—चंगानेशरी कैनाल	केरल
9	राष्ट्रीय जलमार्ग –9	40	अलप्पुझा—कोट्टायम—अथिरामपुझा कैनाल	केरल
10	राष्ट्रीय जलमार्ग –10	45	अम्बा नदी	महाराष्ट्र
11	राष्ट्रीय जलमार्ग –11	99	अरुणावति — अरण नदी प्रणाली	महाराष्ट्र
12	राष्ट्रीय जलमार्ग –12	6	असि नदी	उत्तर प्रदेश

क्र. सं.	राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या	लंबाई (कि.मी. में)	जलमार्गों का विवरण	राज्य
13	राष्ट्रीय जलमार्ग -13	11	एवीएम कैनाल	केरल और तमिलनाडु(8.5 किमी)
14	राष्ट्रीय जलमार्ग -14	48	बैतरणी नदी	ओडिशा
15	राष्ट्रीय जलमार्ग -15	135	बकरेश्वर – मयूराक्षी नदी प्रणाली	पश्चिम बंगाल
16	राष्ट्रीय जलमार्ग -16	121	बराक नदी	असम
17	राष्ट्रीय जलमार्ग -17	189	ब्यास नदी	हिमाचल प्रदेश और पंजाब
18	राष्ट्रीय जलमार्ग -18	69	बेकी नदी	असम
19	राष्ट्रीय जलमार्ग -19	67	बेतवा नदी	उत्तर प्रदेश
20	राष्ट्रीय जलमार्ग -20	95	भवानी नदी	तमिलनाडु
21	राष्ट्रीय जलमार्ग -21	139	भीमा नदी	कर्नाटक और तेलंगाना
22	राष्ट्रीय जलमार्ग -22	156	बिरुपा – बड़ी गेंगुटी – ब्राह्मणी नदी प्रणाली	ओडिशा
23	राष्ट्रीय जलमार्ग -23	56	बूढ़ा बलंगा	ओडिशा
24	राष्ट्रीय जलमार्ग -24	61	चंबल नदी	उत्तर प्रदेश
25	राष्ट्रीय जलमार्ग -25	33	चपोरा नदी	गोवा
26	राष्ट्रीय जलमार्ग -26	51	चेनाब नदी	जम्मू और कश्मीर
27	राष्ट्रीय जलमार्ग -27	17	कुम्भरजुआ नदी	गोवा
28	राष्ट्रीय जलमार्ग -28	45	दाखोल क्रीक – वशिष्ठी नदी प्रणाली	महाराष्ट्र
29	राष्ट्रीय जलमार्ग -29	132	दामोदर नदी	पश्चिम बंगाल
30	राष्ट्रीय जलमार्ग -30	109	देहिंग नदी	असम
31	राष्ट्रीय जलमार्ग -31	114	धनसिरि / कैथी	असम
32	राष्ट्रीय जलमार्ग -32	63	दिखु नदी	असम
33	राष्ट्रीय जलमार्ग -33	61	दोयांस नदी	असम
34	राष्ट्रीय जलमार्ग -34	137	डीवीसी कैनाल	पश्चिम बंगाल
35	राष्ट्रीय जलमार्ग -35	108	द्वारकेश्वर नदी	पश्चिम बंगाल
36	राष्ट्रीय जलमार्ग -36	119	द्वारका नदी	पश्चिम बंगाल
37	राष्ट्रीय जलमार्ग -37	296	गंडक नदी	बिहार और उत्तर प्रदेश
38	राष्ट्रीय जलमार्ग -38	62	गंगाधर नदी	असम और पश्चिम बंगाल
39	राष्ट्रीय जलमार्ग -39	49	गनोल नदी	मेघालय
40	राष्ट्रीय जलमार्ग -40	354	घाघरा नदी	बिहार और उत्तर प्रदेश
41	राष्ट्रीय जलमार्ग -41	112	घाटप्रभा नदी	कर्नाटक
42	राष्ट्रीय जलमार्ग -42	514	गोमती नदी	उत्तर प्रदेश
43	राष्ट्रीय जलमार्ग -43	10	गुरुपुर नदी	कर्नाटक

क्र. सं.	राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या	लंबाई (कि.मी. में)	जलमार्गों का विवरण	राज्य
44	राष्ट्रीय जलमार्ग -44	63	इचामती नदी	पश्चिम बंगाल
45	राष्ट्रीय जलमार्ग -45	650	इंदिरा गाँधी कैनाल	पंजाब, हरियाणा और राजस्थान
46	राष्ट्रीय जलमार्ग -46	35	इंडस नदी	जम्मू और कश्मीर
47	राष्ट्रीय जलमार्ग -47	131	जलंगी नदी	पश्चिम बंगाल
48	राष्ट्रीय जलमार्ग -48	615	ज्वाई – लूनी – कच्छ का रण नदी प्रणाली	गुजरात और राजस्थान
49	राष्ट्रीय जलमार्ग -49	110	झेलम नदी	जम्मू और कश्मीर
50	राष्ट्रीय जलमार्ग -50	43	जिंजीराम नदी	असम और मेघालय
51	राष्ट्रीय जलमार्ग -51	23	काबिनी नदी	कर्नाटक
52	राष्ट्रीय जलमार्ग -52	53	काली नदी	कर्नाटक
53	राष्ट्रीय जलमार्ग -53	145	कल्याण–थाणे–मुम्बई जलमार्ग, वसई क्रीक और उल्हास नदी प्रणाली	महाराष्ट्र
54	राष्ट्रीय जलमार्ग -54	86	करमनासा नदी	विहार और उत्तर प्रदेश
55	राष्ट्रीय जलमार्ग -55	311	कावेरी–कोल्लीडैम नदी प्रणाली	तमिलनाडु
56	राष्ट्रीय जलमार्ग -56	22	खेरकई नदी	झारखण्ड
57	राष्ट्रीय जलमार्ग -57	50	कोपिली नदी	असम
58	राष्ट्रीय जलमार्ग -58	233	कोसी नदी	विहार
59	राष्ट्रीय जलमार्ग -59	19	कोट्टयम–वयकॉम कैनाल	केरल
60	राष्ट्रीय जलमार्ग -60	80	कुमारी नदी	पश्चिम बंगाल
61	राष्ट्रीय जलमार्ग -61	28	किंशी नदी	मेघालय
62	राष्ट्रीय जलमार्ग -62	86	लोहित नदी	असम और अरुणाचल प्रदेश
63	राष्ट्रीय जलमार्ग -63	336	लूनी नदी	राजस्थान
64	राष्ट्रीय जलमार्ग -64	426	महानदी नदी	ओडिशा
65	राष्ट्रीय जलमार्ग -65	80	महानन्दा नदी	पश्चिम बंगाल
66	राष्ट्रीय जलमार्ग -66	247	माही नदी	गुजरात
67	राष्ट्रीय जलमार्ग -67	94	मलाप्रभा नदी	कर्नाटक
68	राष्ट्रीय जलमार्ग -68	41	मंडोवी नदी	गोवा
69	राष्ट्रीय जलमार्ग -69	5	मणिमुथरू नदी	तमिलनाडु
70	राष्ट्रीय जलमार्ग -70	245	मंजरा नदी	महाराष्ट्र और तेलंगाना
71	राष्ट्रीय जलमार्ग -71	27	मपुसा / मोईद नदी	गोवा
72	राष्ट्रीय जलमार्ग -72	59	नाग नदी	महाराष्ट्र
73	राष्ट्रीय जलमार्ग -73	226	नर्मदा नदी	महाराष्ट्र और गुजरात
74	राष्ट्रीय जलमार्ग -74	79	नेत्रवती नदी	कर्नाटक

क्र. सं.	राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या	लंबाई (कि.मी. में)	जलमार्गों का विवरण	राज्य
75	राष्ट्रीय जलमार्ग -75	142	पलार नदी	तमिलनाडु
76	राष्ट्रीय जलमार्ग -76	23	पंचागंगावलि (पंचागंगोली) नदी	कर्नाटक
77	राष्ट्रीय जलमार्ग -77	20	पझयार नदी	तमिलनाडु
78	राष्ट्रीय जलमार्ग -78	262	पेनगंगा—वर्धा नदी	महाराष्ट्र और तेलंगाना
79	राष्ट्रीय जलमार्ग -79	28	पेन्नार नदी	आंध्र प्रदेश
80	राष्ट्रीय जलमार्ग -80	126	पोन्नियार नदी	तमिलनाडु
81	राष्ट्रीय जलमार्ग -81	35	पुनपुन नदी	बिहार
82	राष्ट्रीय जलमार्ग -82	58	पुथीमारी नदी	असम
83	राष्ट्रीय जलमार्ग -83	31	राजपुरी क्रीक	महाराष्ट्र
84	राष्ट्रीय जलमार्ग -84	44	रावी नदी	जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब
85	राष्ट्रीय जलमार्ग -85	31	रेवदंदा क्रीक—कुंदालिका नदी प्रणाली	महाराष्ट्र
86	राष्ट्रीय जलमार्ग -86	72	रूपनारायण नदी	पश्चिम बंगाल
87	राष्ट्रीय जलमार्ग -87	210	साबरमती नदी	गुजरात
88	राष्ट्रीय जलमार्ग -88	14	साल नदी	गोवा
89	राष्ट्रीय जलमार्ग -89	45	सावित्री नदी (बैंकट क्रीक)	महाराष्ट्र
90	राष्ट्रीय जलमार्ग -90	29	शरावती नदी	कर्नाटक
91	राष्ट्रीय जलमार्ग -91	52	शास्त्री नदी — जयगाद क्रीक प्रणाली	महाराष्ट्र
92	राष्ट्रीय जलमार्ग -92	26	सिलबाती नदी	पश्चिम बंगाल
93	राष्ट्रीय जलमार्ग -93	63	सिमसैंग नदी	मेघालय
94	राष्ट्रीय जलमार्ग -94	141	सोन नदी	बिहार
95	राष्ट्रीय जलमार्ग -95	106	सुबंसिरि नदी	असम
96	राष्ट्रीय जलमार्ग -96	311	सुवर्णरेखा नदी	झारखण्ड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा
97	राष्ट्रीय जलमार्ग -97	172	सुंदरबन जलमार्ग	पश्चिम बंगाल
		56	बिद्या नदी	पश्चिम बंगाल
		15	छोटा कालागाची (छोटो कालेरगाची) नदी	पश्चिम बंगाल
		7	गोमर नदी	पश्चिम बंगाल
		16	हरिभंगा नदी	पश्चिम बंगाल
		37	होगला (होगल) — पठानखली नदी	पश्चिम बंगाल
		9	कालिंदी (कालंदी) नदी	पश्चिम बंगाल
		22	कटाखली नदी	पश्चिम बंगाल
		99	मट्टा नदी	पश्चिम बंगाल
		28	मूरी गंगा (बराताला) नदी	पश्चिम बंगाल
		53	रायमंगल नदी	पश्चिम बंगाल
		14	साहिबखली (साहेबखली) नदी	पश्चिम बंगाल

क्र. सं.	राष्ट्रीय जलमार्ग की संख्या	लंबाई (कि.मी. में)	जलमार्गों का विवरण	राज्य
		37	सप्तमुखी नदी	पश्चिम बंगाल
		64	थाकुरन नदी	पश्चिम बंगाल
98	राष्ट्रीय जलमार्ग -98	377	सतलज नदी	हिमाचल प्रदेश और पंजाब
99	राष्ट्रीय जलमार्ग -99	62	टमरापरानी नदी	तमिलनाडु
100	राष्ट्रीय जलमार्ग -100	436	तापी नदी	महाराष्ट्र और गुजरात
101	राष्ट्रीय जलमार्ग -101	42	टीझु-जुंगकी नदी	नागालैंड
102	राष्ट्रीय जलमार्ग -102	87	त्लौंग (धलेश्वरी नदी)	असम और मिजोरम
103	राष्ट्रीय जलमार्ग -103	73	टोन्स नदी	उत्तर प्रदेश
104	राष्ट्रीय जलमार्ग -104	232	तुंगभद्रा नदी	कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश
105	राष्ट्रीय जलमार्ग -105	15	उदयवारा नदी	कर्नाटक
106	राष्ट्रीय जलमार्ग -106	20	उमंगॉट (दाउकी) नदी	मेघालय
107	राष्ट्रीय जलमार्ग -107	46	वैगई नदी	तमिलनाडु
108	राष्ट्रीय जलमार्ग -108	53	वरुणा नदी	उत्तर प्रदेश
109	राष्ट्रीय जलमार्ग -109	166	वेनगंगा - प्राणहिता नदी	महाराष्ट्र और तेलंगाना
110	राष्ट्रीय जलमार्ग -110	1081	यमुना नदी	दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश
111	राष्ट्रीय जलमार्ग -111	50	जुआरी नदी	गोवा

17. वित्तीय कार्य-निष्पादन

आय और व्यय

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार से रु. 52676.92 लाख की राशि प्राप्त हुई थी और रु. 31088.79 लाख की राशि अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) के जरिए जुटाई गई थी। रु. 2995.98 लाख की राशि प्राधिकरण द्वारा अल्पावधि जमा पर ब्याज, टेंडर फार्मों की बिक्री, बड़े आकार के कार्गों/सामान्य कार्गों की ढुलाई, बर्थिंग/पायलटेज प्रभार आदि से अर्जित की गई थी। मुख्य योजनावार व्यय नीचे दिया गया है :—

क्र.सं.	योजना का नाम	(लाख रु. में)	
		व्यय पूर्व वर्ष 2018-19	चालू वर्ष 2019-20
1	राष्ट्रीय जलमार्ग सं.-1		
(i)	नदी संरक्षण कार्य	6128.38	4642.00
(ii)	कार्गो बर्थ/टर्मिनल का निर्माण	13255.07	6497.56
(iii)	डीजीपीएस स्टेशन की स्थापना	12.75	0.00
(iv)	आरआईएस स्टेशन की स्थापना	214.81	143.40
(v)	आरओ-पैक्स जलयान का अधिग्रहण	594.00	3776.72
(vi)	निनी	246.87	219.06
(vii)	अजप को बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियां	657.55	231.91
	उप-योग	21109.43	15510.65
2	राष्ट्रीय जलमार्ग सं.-2		
(i)	नदी संरक्षण कार्य	2059.56	2214.72
(ii)	टर्मिनलों का निर्माण एवं रखरखाव	744.58	550.43
(iii)	रो-रो टर्मिनल का निर्माण	0.00	
(iv)	आरओ-पैक्स जलयान का अधिग्रहण	2280.00	2086.31
(v)	कार्गो जलयान का निर्माण	1802.61	0.00
(vi)	तट रक्षण कार्य	0.80	
(vii)	डीजीपीएस स्टेशन की स्थापना	0.00	0.13
(viii)	सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी व्यय	23.57	1.97
(ix)	प्रोटोकॉल मार्ग का विकास	239.30	270.63
(x)	टर्मिनल के लिए भूमि	0.05	0.00
(xi)	कार्गो जलयान का प्रचालन एवं प्रबंधन और अजप को बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियां	561.49	304.23
(xii)	राष्ट्रीय जलमार्ग (एनईआर) के लिए टीईएफ / डीपीआर / सीआरजेड / अध्ययन	2648.43	248.86
(xiii)	परामर्शी शुल्क और पीएमयू व्यय	0.00	164.79

	उप—योग	10360.39	5842.07
3	राष्ट्रीय जलमार्ग सं.—3		
(i)	नदी संरक्षण कार्य	929.57	399.67
(ii)	टर्मिनलों का निर्माण	217.02	114.80
(iii)	लॉक का निर्माण एवं मरम्मत	0.00	796.66
(iv)	आरओ—पैक्स जलयान का अधिग्रहण	351.00	1295.82
	उप—योग	1497.59	2606.95
4	राष्ट्रीय जलमार्ग सं.—4		
(i)	विकास कार्य	1734.66	413.43
	हरिशचंद्रपुर में भूमि अधिग्रहण	0.00	0.00
	मुक्तयाला में भूमि अधिग्रहण	41.73	
	फ्लोटिंग स्टील पांटून का निर्माण	303.52	27.81
	उप—योग	2079.91	441.24
5	राष्ट्रीय जलमार्ग सं.—5		
(i)	विकास कार्य	223.81	329.60
	उप—योग	223.81	329.60
6	जलमार्ग विकास परियोजना		
(i)	पट्टा भूमि हल्दिया	0.00	1365.82
(ii)	परामर्शी व्यय तथा पीएमयू व्यय	2941.99	2617.16
(iii)	टर्मिनल सुविधा खर्च	0.00	0.00
(iv)	भूमि अधिग्रहण—साहिबगंज	144.00	0.00
(v)	रा.ज.—1 के फरक्का कहलगांव में नौचालनात्मक अनुरक्षण	0.00	6170.48
(vi)	कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य प्रबंधन हेतु न्यास की स्थापना	90.37	0.00
(vii)	टर्मिनल पर भू—तकनीकी अन्वेषण	0.00	0.00
(viii)	हल्दिया मल्टी—मोडल टर्मिनल का निर्माण	16457.80	20191.15
(ix)	मल्टी—मोडल का निर्माण—साहिबगंज	5964.62	4573.81
(x)	मल्टी—मोडल का निर्माण—वाराणसी	7444.34	756.69
(xi)	नए नौचालनात्मक लॉक फरक्का का निर्माण	8169.37	8732.07
(xii)	भूमि अधिग्रहण—वाराणसी	1880.48	0.00
(xiii)	कालूघाट टर्मिनल हेतु अध्ययन	0.00	1775.58
	उप—योग	43092.97	46182.76
7	आई.टी. गतिविधियों का खर्च	94.41	45.69
8	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास	403.20	0.00
9	अजप विकास निधि	166.36	221.60
10	स्थापना	6739.51	4380.88

11	परियोजना प्रबंधन परामर्शी	-	-
12	बॉण्ड संबंधित खर्च	7652.34	7643.34
13	मॉर्मुगाव पत्तन न्यास		815.04
14	इनको मेकेल प्रा. लि.		71.78
15	फ्रेट विलेज		78.80
16	नए राष्ट्रीय जलमार्ग	1636.71	1144.35
	उप—योग	16692.53	14401.48
	सकल योग	95056.63	85314.75

18. प्राधिकरण में संघ की राजभाषा नीति का कार्यान्वयन:

प्राधिकरण अपने सभी कार्यकलापों में संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु प्रगामी रूप में कार्य करने के लिए कठिबद्ध है। प्राधिकरण के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में समय—समय पर हिन्दी कार्यशालाएं और अन्य संबंधित कार्यकलाप आयोजित किए गए। प्राधिकरण के मुख्यालय एवं क्षेत्रीय कार्यालयों में हिन्दी दिवस/सप्ताह/ पखवाड़ा आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी कार्यालयों में विभिन्न प्रकार की हिन्दी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा प्राधिकरण को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) (कार्यालय), नौएडा के सभी सदस्य कार्यालयों में संघ की राजभाषा नीति को कार्यान्वित कराने का अतिरिक्त दायित्व भी सौंपा गया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष नराकास (कार्यालय), नौएडा के अध्यक्ष हैं। नराकास (कार्यालय), नौएडा के विभिन्न सदस्य कार्यालयों में राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं पर विचार—विमर्श करने के लिए अद्वैतार्थिक बैठकें नियमित रूप से आयोजित की गईं। सदस्य कार्यालयों के कार्मिकों को राजभाषा हिन्दी में अधिक से अधिक काम करने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु समय—समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, कार्यशालाएं और अन्य संबंधित गतिविधियाँ नराकास (कार्यालय), नौएडा के तत्वावधान में आयोजित की गईं। इसके अतिरिक्त, सदस्य कार्यालयों के कार्मिकों के बच्चों को 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में हिन्दी विषय में उत्कृष्ट अंक प्राप्त करने पर प्रत्येक वर्ष 'हिन्दी प्रतिभा पुरस्कार' से सम्मानित किया जाता है।

19. कार्मिक और प्रशासन :

यथा दिनांक 31.03.2020 को मुख्यालय में 29 अधिकारी एवं 58 स्टाफ तथा क्षेत्रीय कार्यालयों में 31 अधिकारी एवं 183 स्टाफ कार्यरत थे।

आभारोक्ति

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, कर्मचारियों द्वारा सभी स्तरों पर दिए गए अमूल्य सहयोग एवं योगदान के लिए कृतज्ञता सहित आभार व्यक्त करता है।

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पोत परिवहन मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और अन्य सरकारी विभागों / अभिकरणों द्वारा दिए गए सहयोग के लिए भी आभार व्यक्त करता है।

कृते एवं भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के निमित्त



(डॉ. आमिता प्रसाद)
अध्यक्ष

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण

20. 31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रूपए में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
I. निधि के स्रोत			
(i) आधारभूत निधि / पूँजी	3		
(क) भारतीय अधिनियम की धारा 11(1)(ग) के तहत पूँजी		9,437,244.00	9,437,244.00
(ख) भारतीय अधिनियम की धारा 19 के तहत भारतीय निधि		17,764,289,668.00	15,751,695,114.00
(ii) आरक्षित निधियां एवं अधिशेष	4	-	-
(iii) निर्धारित / अक्षय निधि	5	-	-
(iv) गैर चालू देयताएं एवं प्रावधान			
(क) दीर्घावधि उधार राशियां	6	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
(ख) अन्य गैर चालू देयताएं	7	723,049,770.00	405,273,225.00
(ग) दीर्घावधि प्रावधान	8	16,557,618.00	17,847,070.00
(v) चालू देयताएं एवं प्रावधान			
(क) अल्पावधि उधार राशियां	9	251,627,916.00	250,966,575.00
(ख) विविध जमाकर्ता	10	1,839,268,669.00	112,255,237.00
(ग) अन्य चालू देयताएं	11	808,390,903.00	1,730,220,997.00
(घ) प्रावधान	12	10,791,641.00	6,484,145.00
कुल		31,423,413,429.00	28,284,179,607.00
II. निधि का प्रयोग			
(i) स्थायी परिसंपत्तियां	13		
(क) मूर्त परिसंपत्तियां सकल ब्लॉक		16,734,760,431.00	13,709,283,525.00
घटाएँ : मूल्यहास		(3,210,981,476.00)	(2,879,909,948.00)
(ख) अमूर्त परिसंपत्तियां सकल ब्लॉक		14,740,301.00	13,617,225.00
घटाएँ : मूल्यहास		(12,338,199.00)	(11,538,022.00)
(ग) चालू पूँजीगत कार्य	14	11,498,146,365.00	9,315,225,032.00
(घ) विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियां	14	-	
(ii) गैर चालू परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम			
(क) गैर चालू निवेश	15	104,235,203.00	104,235,203.00
(ख) जमाएं, ऋण एवं अग्रिम	16	1,718,748,100.00	1,860,288,233.00
(ग) अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां	17	180,913,276.00	84,107,864.00
(घ) विविध व्यय (जिस सीमा तक बढ़ते खाता नहीं डाला गया या समायोजित नहीं किया गया)			
(iii) चालू परिसंपत्तियां, ऋण तथा अग्रिम			
(क) चालू निवेश	18	21,373,281.00	-
(ख) माल सूची	19	22,291,414.00	49,863,992.00

(ग) विविध देनदार	20	119,532,070.00	123,884,856.00
(घ) नकद तथा नकद समतुल्य	21	2,710,216,410.00	4,929,182,213.00
(ङ) जमाएं, ऋण एवं अग्रिम	22	1,511,575,773.00	967,580,815.00
(च) अन्य चालू परिसंपत्तियां	23	10,200,480.00	18,358,619.00
कुल		31,423,413,429.00	28,284,179,607.00
टिप्पणी :	1	-	-
(क) महत्वपूर्ण लेखाकान नीति			
(ख) लेखा संबंधी टिप्पणियां वित्तीय विवरणियों का एक अभिन्न भाग हैं	2		

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(ए.के. गुप्ता)
निदेशक (वित्त एवं लेखा)

(राजेश कुमार पाठक)
सदस्य (वित्त)

(प्रवीर पाण्डेय)
उपाध्यक्ष

(डॉ. अमिता प्रसाद)
अध्यक्ष

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण

21. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु आय और व्यय लेखा

(राशि रूपए में)

विवरण	अनुसूची	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
I. आय			
(क) राजस्व अनुदान / सहायता			
– केंद्रीय सरकार से		1,201,765,000.00	1,587,102,000.00
– राज्य सरकारों से			
– अंतर्राष्ट्रीय संगठन			
– अन्य (विनिर्दिष्ट करें)			
(ख) भारतीय निधि से अंतरित		321,576,653.00	270,004,071.00
(ग) अन्य आय (प्रकृति : विनिर्दिष्ट करें)			
कुल आय (क)		1,523,341,653.00	1,857,106,071.00
II. व्यय			
(क) प्रचालनात्मक एवं रखरखाव खर्च	24	1,747,673,373.00	1,914,413,324.00
(ख) कार्मिक एवं प्रशासनिक खर्च	25	420,016,647.00	578,024,205.00
(ग) वित्त प्रभार	26	764,423,890.00	763,052,369.00
(घ) मूल्यांकन	13	321,576,653.00	270,004,071.00
(ङ) सहायता		-	-
(च) अनुदान, सहायता आदि पर व्यय		-	-
कुल व्यय (ख)		3,253,690,563.00	3,525,493,969.00
व्यय से अधिक आय/अधिक व्यय यदि यह आय से अधिक हो (क-ख)		(1,730,348,910.00)	(1,668,387,898.00)
घटाएं/जोड़ें : पूर्व अवधि मद	27	(1,167,889.00)	684,745,277.00
घटाएं/जोड़ें : असाधारण मद			
घटाएं/जोड़ें : विशेष आरक्षित निधि को/से अंतरण (प्रकृति : विनिर्दिष्ट करें)		-	-
घटाएं/जोड़ें : सामान्य आरक्षित निधि को/से अंतरण			
शेष के अधिशेष/(कमी) होने के कारण भारतीय निधि में अंतरित		(1,731,516,799.00)	(983,642,621.00)
टिप्पणी :			
(क) महत्वपूर्ण लेखांकन नीति	1		
(ख) लेखा संबंधी टिप्पणियां वित्तीय विवरणियों का एक अभिन्न भाग हैं	2		

(ए.के. गुप्ता)
निदेशक (वित्त एवं लेखा)

(राजेश कुमार पाठक)
सदस्य (वित्त)

(प्रवीर पाण्डेय)
उपाध्यक्ष

(डॉ. अमिता प्रसाद)
अध्यक्ष

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

22. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष हेतु प्राप्ति एवं भुगतान लेखा

(राशि रूपए में)

विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
प्राप्तियां		
(I) प्रारंभिक शेष		
(क) उपलब्ध नकद		
—भारतीय रुपए	33,876.00	27,723.00
—विदेशी मुद्रा	-	
(ख) उपलब्ध स्टाम्प	1,940.00	
(ग) बैंक में जमा नकद	(9,300,176.09)	588,961,394.00
(घ) बैंक में अत्यावधि जमा	4,940,708,362.89	5,116,196,763.00
(ङ) मार्गस्थ विप्रेषण	-	-
(II) प्राप्त अनुदान		
(क) केन्द्र सरकार से	5,330,072,454.00	4,205,400,000.00
(ख) राज्य सरकार से	-	-
(ग) अंतर्राष्ट्रीय संगठन	-	-
(घ) अन्य अनुदान (प्रकृति : विनिर्दिष्ट करें)	-	-
(III) उदार राशियों से प्राप्ति		
(क) बॉण्ड/प्रतिभूतियों से प्राप्ति		-
(ख) ऋण से प्राप्ति	-	-
(ग) अन्य से प्राप्ति (भाऊजप्रा फण्ड एवं अन्य)	2,218,996,738.67	4,654,657,509.00
(IV) आंतरिक प्राप्ति		
(क) प्राप्त किराया		
— किराया आय (भवन)	8,565,773.00	19,682,057.00
— किराया आय (अन्य विनिर्दिष्ट करें)	534,885.00	-
(ख) प्राप्त ब्याज आय		
— अत्यावधि जमाओं पर ब्याज	203,631,213.17	80,487,337.00
— स्टाफ अग्रिम पर ब्याज	2,256.00	-
— संग्रहण अग्रिम पर ब्याज	-	-
— प्राप्त अन्य ब्याज (विनिर्दिष्ट करें)	6,545,152.75	23,656,284.00
(ग) अन्य आंतरिक प्राप्तियां (प्रकृति : विनिर्दिष्ट करें)		
—निवेदों से आय	-	-
—परामर्शी खर्च	3,647.00	-
—जलमार्ग प्रयोग प्रभार	4,047,523.00	5,126,430.00
—बर्तिंग प्रभार	2,079,000.00	-
—अनुकरण प्रभार	-	-
—पायलटेज प्रभार	803,581.00	-
—टर्मिनल प्रभार	74,306,079.64	-
—ट्रॉजिट शेड प्रभार		
—बड़े आकार के सामान (ओडीसी) की ढुलाई	-	-
—क्रेन (पट्टन क्रेन सहित) किराया प्रभार	-	-
—कंटेनर क्रेन प्रभार	-	-
—फोर्क लिफ्ट प्रभार		-
—जलयान को विद्युत आपूर्ति		-
—वार्फेज	-	-
—डेमरेज	-	-

-निवादा प्रपत्र की बिक्री	384,624.02	63,000.00
-प्रोटोकॉल शुल्क	3,662.24	1,500.00
-नौचालन चार्ट की बिक्री	68,350.00	-
-जलयान किराया प्रभार	-	-
-हॉस्टल आदि प्रभार	-	-
-ट्रायशन शुल्क	-	-
-वर्दी शुल्क	-	-
-स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री से प्राप्तियां	-	211,694.00
-प्राप्त सुख्खा जमा	12,355,718.00	20,000,137.00
-प्राप्त बयाना राशि	27,327,851.36	26,058,640.00
-अग्रिमों की वसूली	11,244,823.61	95,203,746.00
-देनदार से प्राप्त	-	-
-एनपीएस ट्रस्ट से वसूली	-	-
-विविध प्राप्तियां	106,828,585.00	11,905,006.00
-	-	-
कुल	12,939,245,920.26	14,847,639,220.00
विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
भुगतान		
(I) व्यय		
(क) प्रचालनात्मक तथा रखरखाव खर्च	4,081,965,972.94	70,827,810.00
(ख) कार्मिक खर्च	227,482,746.00	399,455,221.00
(ग) वित्त प्रभार	359,510.40	75,829.00
(घ) पूर्व अवधि खर्च	-	142,045.00
(II) उधार राशियों की चुकौती		
(क) बैंड / प्रतिभूतियों की चुकौती	-	-
(ख) ऋण की चुकौती	-	-
(III) किए गए निवेश एवं जमा		
(क) निश्चित निधि में से	-	-
(ख) निजी निधि में से	-	-
(IV) स्थायी परिसंपत्तियों एवं चालू पूँजीगत कार्य पर व्यय		
(क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	29,214,662.00	709,206,801.00
(ख) चालू पूँजीगत कार्य व्यय	408,300,000.00	9,554,363.00
-	-	-
(V) ऋण एवं अग्रिम का भुगतान		
(क) गृह निर्माण अग्रिम	1,206,371.00	3,706,024.00
(ख) विभागीय अग्रिम	6,913,937.00	7,671,500.00
(ग) यात्रा अग्रिम	2,452,926.00	8,130,468.00
(घ) एलटीसी अग्रिम	29,614.00	3,405,882.00
(ङ) स्टाफ को मेडिकल अग्रिम	454,822.00	25,000.00
(च) पर्सनल कंप्यूटर (पीसी) अग्रिम	-	38,440.00
(छ) स्टाफ को अन्य अग्रिम	7,627,891.00	174,302.00
(ज) आपूर्तिकर्ताओं एवं संविदाकर्ताओं को अग्रिम	342,890,537.00	1,152,993,148.00

(VI) अप्रयुक्त अनुदान/अनुदान की वापसी		
(क) भारत सरकार को	-	
(ख) राज्य सरकार को	-	
(ग) अन्य निधि प्रदाताओं को	-	
(VII) अन्य भुगतान		
(क) प्रतिभूति जमा की वापसी	256,922,642.00	246,544,926.00
(ख) बयाना राशि की वापसी	41,877,961.00	2,929,695.00
(ग) प्रदत्त प्रतिभूति जमा	500,000.00	1,177,337.00
(घ) प्रदत्त शुल्क तथा कर	312,074,430.91	512,395,266.00
(ङ) पूर्वप्रवर्त्त व्यय	-	30,462.00
(च) पोत परिवहन मंत्रालय को भुगतान (आंतरिक प्राप्ति)	173,890,019.00	247,250,021.00
(छ) पेंशन अंशदान भुगतान		-
(ज) तीसरी पार्टी के एवज में भुगतान		-
(झ) जीपीएफ अंशदान को भुगतान	4,364,440.00	42,657,725.00
(ञ) जीपीएफ अग्रिम वसूली को भुगतान	78,432.00	-
(ट) रुके हुए करों का भुगतान	625,544,297.00	7,830.00
(ठ) ठेकेदार एवं आपूर्तिकर्ता को भुगतान	203,012,034.00	5,567,246,126.00
(ड) बॉण्ड संबंधित व्यय को भुगतान	41,986.00	625,177,225.00
(ण) संबंधित विभागों को विभिन्न वसूली का भुगतान	(7,209,539.00)	11,824,802.00
(त) प्रावधानों के लिए भुगतान	46,471,178.00	295,562,836.00
(थ) अन्य व्यय	97,174,390.52	292,492.00
(द) सहायता निधि को दान	-	43,428.00
(VIII) अंतिम शेष		
(क) उपलब्ध नकद		
—भारतीय रुपए	27,492.00	35,819.00
—विदेशी मुद्रा	-	-
(ख) उपलब्ध स्टाम्प	-	-
(ग) बैंक में जमा नकद	3,365,388,249.27	1,009,984,233.00
(घ) बैंक में अत्यावधि जमा	2,710,188,918.22	3,919,162,164.00
(ङ) मार्गस्थ विप्रेषण		
कुल	12,939,245,920.26	14,847,729,220.00

(ए.के. गुप्ता)
निदेशक (वित्त एवं लेखा)

(राजेश कुमार पाठक)
सदस्य (वित्त)

(प्रवीर पाण्डेय)
उपाध्यक्ष

(डॉ. अमिता प्रसाद)
अध्यक्ष

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

अनुसूची-1

23. "महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां"

1. वित्तीय विवरणियों की तैयारी का आधार :

वित्तीय विवरणियों को भारत के सामान्य स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के आधार पर तैयार किया गया है। ये सिद्धांत प्रोद्भूत आधार पर ऐतिहासिक कॉस्ट कन्वेंशन तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा अन्यथा सूचित के अलावा जारी प्रयोज्य लेखा मानकों के आधार पर तैयार किए गए हैं, इन लेखांकन नीतियों और मानकों को नियमित रूप से लागू किया गया है।

2. निधि में जमा और निकासी :

निधि में निम्नलिखित को जमा किया जाएगा अर्थात :—

- क. परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करने, विकसित करने तथा अवसंरचना सुविधा के रखरखाव के लिए सरकार (रों) से प्राप्त कोई अनुदान।
- ख. प्राधिकरण द्वारा प्राप्त सभी शुल्क, प्रभार और अन्य आंतरिक प्राप्तियां।
- ग. केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अन्य स्रोतों से प्राधिकरण को प्राप्त सभी राशियाँ।
- घ. प्राधिकरण द्वारा प्राप्त कोई अन्य अनुदान।
- ड. आय तथा व्यय लेखा का कोई अधिशेष।

निधि से निम्नलिखित को नामे डाला जाएगा अर्थात :—

- क. भारत सरकार को उनके अनुदेशों के अनुसार देय कोई राशि।
- ख. अनुदान में से खरीदी गई स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यहास के बराबर राशि।
- ग. स्थायी परिसंपत्तियों का बही मूल्य जो वर्ष के दौरान बेची / बट्टे खाते डाली जाती हैं तथा वे परिसंपत्तियां जो पूर्व में अनुदान में से खरीदी गई थी।
- घ. 'आय तथा व्यय' लेखा का कोई घाटा।

3. अनुदान का प्रबंधन :

- क. राजस्व से संबंधित सरकारी अनुदान कार्मिक तथा सामान्य प्रशासन के व्यय और राजस्व अनुदान के रूप में विनिर्दिष्ट कोई अन्य अनुदान को 'आय तथा व्यय लेखा' में राजस्व अनुदान के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी।
- ख. सरकारी अनुदानों के संबंध में, जो परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, अवसंरचना के विकास और रखरखाव तथा इनसे संबंधित गतिविधियों से संबंधित हैं, को निधि में जमा किया जाएगा और ऐसे अनुदानों के लेखांकन की आस्थगीत आय विधि को अपनाया जाएगा।

4. स्थायी परिसंपत्तियों के लेखांकन की विधि :

स्थायी परिसंपत्तियों के लेखांकन की निम्नलिखित विधि को अपनाया जाएगा, अर्थात :—

- क. किसी स्थायी परिसंपत्ति, संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को प्रारंभिक तौर पर अधिग्रहण या निर्माण की लागत पर मापा जाएगा जिसमें परिसंपत्तियों को स्थल पर लाने या इच्छित ढंग से प्रचालन योग्य बनाने के लिए आवश्यक स्थिति के संबंध में आई कोई प्रत्यक्ष लागत शामिल होगी।

- ख. संचयी मूल्यहास या परिशोधन और संचयी हानियाँ यदि कोई है, को स्थायी परिसंपत्ति की प्रारंभिक निर्धारित लागत से कटौती के बाद, शुद्ध लागत को अगले वर्ष में अग्रेनीत किया जाएगा।
- ग. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण को स्वामित्व के अंतरण की तारीख में अथवा उपयोग में लाने की तारीख में, जो भी पहले हो, से पूंजीकृत किया जाएगा।
- घ. सामग्री की लागत, निर्माण या स्थापना पर खर्च तथा स्थायी सम्पत्ति के निर्माण पर आए अन्य खर्चों को पूंजीगत कार्य प्रगति पर है के रूप में पूंजीकृत होने की तिथि तक दर्शाया जाता है, जो कि निर्माण की प्रगति या स्थापना कार्य पर आधारित है।
- ड. मूल्यहास होगा :
- मूल्यहास की सीधी रेखा प्रणाली के अनुसार प्रभारित।
 - यह कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट दरों तथा विधि से प्रदान किया जाता है। यह उपयोगी जीवन के उपयोग तथा अवशेष मूल्यों के आधार पर लाया जाता है जिसमें परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन को प्राधिकरण द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट किया जाता है।
 - वर्ष के दौरान नई अधिगृहीत अथवा निपटान की गई परिसंपत्तियों के मामले में मूल्यहास अनुपातिक समय समानुपात आधार पर प्रदान किया जाता है।
 - अमूर्त परिसंपत्तियों को सीधी रेखा प्रणाली पर उनसे संबंधित वैयक्तिक अनुमानित उपयोगी जीवन पर परिशोधित किया जाता है, इसका प्रारंभ प्राधिकरण को उसके उपयोग हेतु उपलब्ध परिसंपत्ति की तारीख से होता है, परंतु दस वर्षों से अधिक अवधि के लिए नहीं।

5. सामान सूची मूल्यांकन :

सामान सूची अर्थात भंडारों, कलपुर्जों तथा औजारों (मशीनरी कलपुर्जों सहित) की लागत पर मूल्यांकन किया जाता है।

6. राजस्व निर्धारण :

समस्त राजस्व का निर्धारण प्रोटोकॉल आधार पर किया गया है।

7. निवेश :

“दीर्घावधि निवेश” के रूप में वर्गीकृत निवेश को लागत पर किया जाता है और अस्थायी को छोड़कर, इस तरह के निवेश की लागत को वहन करने के लिए कमी का प्रावधान किया गया है।

8. पट्टा :

पट्टा शर्तों के अनुसार पट्टा किराया को व्यय के रूप में रखा जाएगा।

9. सेवानिवृत्ति लाभ :

सभी कार्मिकों के लाभ हेतु प्रावधान प्रयोज्य लेखांकन मानक-15 के अनुसार प्रयोज्य किए जाते हैं।

10. पूर्व अवधि मद :

पूर्व अवधि मद का विवरण आय और व्यय के रूप में ₹. 25,000/- से अधिक होने पर एक या एक से अधिक पूर्व अवधि के वित्तीय विवरण को तैयार करने में त्रुटियों या चूकों के परिणामस्वरूप मौजूदा अवधि में उत्पन्न होता है तो आय और व्यय लेखे के विवरण में इस प्रकार अलग से प्रकट किया जाएगा कि प्रयोज्य लेखांकन मानक के प्रावधानों

के अनुसार मौजूदा अधिशेष अथवा घाटे में उनका प्रभाव देखा जा सकता है।

11. व्यय का प्रबंधन :

- क. जलीय सर्वेक्षण, अध्ययनों (अर्थात् व्यवहार्यता अध्ययन, डीपीआर, ईआईए, एसआईए आदि), बंडालिंग, सतह-पैनलिंग, निकर्षण, प्रचालन एवं टर्मिनलों का प्रचालन एवं रखरखाव, चैनल मार्किंग में अस्थायी संरचना जलयानों के अनुरक्षण और ऐसे अन्य व्यय को राजस्व व्यय के रूप में माना जाएगा।
- ख. चैनल मार्किंग, टर्मिनल निर्माण तथा भूमि, जलयानों की लागत, सर्वेक्षण लॉन्च, टर्ग्स, बार्ज, निकर्षकों और ऐसे अन्य व्यय को पूँजीगत व्यय के रूप में माना जाएगा।
- ग. जलमार्गों की विभिन्न परियोजनाओं पर हुए प्रशासन संबंधी व्यय, वेतन, मजदूरी, परिनियोजन के अनुसार संबंधित जलमार्गों को आबंटित किए जाते हैं।

12. अशोध्य या संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान

प्रबंधन के अनुमान के आधार पर अशोध्य और संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान स्वीकृत किए जाएंगे जो कि प्रबंधन के पूर्व अनुभव और देनदारों के साथ हुए किसी विवाद या घटना पर आधारित होंगे।

13. आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक परिसंपत्तियां

- क. कोई प्रावधान तब स्वीकृत किया जाएगा यदि, पूर्व घटना के परिणामस्वरूप, प्राधिकरण के पास मौजूदा कानूनी दायित्व हो जिसका अनुमान विश्वसनीय आधार पर लगाया जा सकता है, और यह संभावित है कि आर्थिक लाभ का बहिर्गमन दायित्व के निपटान के लिए अपेक्षित होगा।
- ख. प्रावधानों का निर्धारण रिपोर्टिंग तिथि के समय दायित्वों के निपटान के लिए अपेक्षित आर्थिक लाभों के बहिर्गमन के सर्वोत्तम अनुमान द्वारा किया जाएगा।
- ग. जहां कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता हो वहां आकस्मिक देयताओं के रूप में प्रकटन किया जा सकता है।
- घ. आकस्मिक देयताओं का प्रकटन तब भी किया जाता है जब एक संभव देयता या एक मौजूदा देयता हो किंतु संभवतः संसाधनों का बहिर्गमन अपेक्षित नहीं हो सकेगा।
- घ. आकस्मिक परिसंपत्तियां वित्तीय विवरणों में न तो मानी जाती हैं और न ही प्रकट की जाती हैं।

14. विदेशी मुद्रा अंतरण :

विदेशी मुद्रा अंतरण की गणना स्थायी परिसंपत्तियों, वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में या उनकी खरीद या अधिग्रहण के संबंध में अंतरण की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों के अनुसार की जाती है।

(ए.के. गुप्ता)
निदेशक (वित्त एवं लेखा)

(राजेश कुमार पाठक)
सदस्य (वित्त)

(प्रवीर पाण्डेय)
उपाध्यक्ष

(डॉ. अमिता प्रसाद)
अध्यक्ष

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(डॉ. अमिता प्रसाद)
अध्यक्ष

- 24. 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार लेखा टिप्पणियां वित्तीय विवरणियों का अभिन्न भाग हैं**
1. (i) वित्तीय वर्ष 2019–20 में, प्राधिकरण ने मुख्य प्रबंधन कार्मिक (केएमपी) तथा पूर्णकालिक सदस्यों के संबंध में निम्नलिखित खर्च किए हैं :–

(आंकड़े रूपए में)

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	अवधि (से—तक)	परिलब्धियां	यात्रा खर्चे	योग
1.	डॉ. अमिता प्रसाद	अध्यक्ष	अगस्त 19 से मार्च 20	3127500	505592	3633092
2.	श्री जलज श्रीवास्तव	पूर्व अध्यक्ष	अप्रैल 19 से जून 19	1017414	235439	1252853
3.	श्री प्रवीर पाण्डेय	उपाध्यक्ष	अप्रैल 19 से मार्च 20	3026613	2688362	5714975
4.	श्री आलोक रंजन	सदस्य (वित्त)	अप्रैल 19 से मार्च 20	3329164	541130	3870294
5.	श्री शशि भूषण शुक्ल	सदस्य (यातायात और प्रचालन)	अप्रैल 19 से मार्च 20	2781654	1241687	4023341
6.	श्री संजय कुमार गंगवार	सदस्य (तकनीकी)	अप्रैल 19 से मार्च 20	2940666	1351815	4292481
	योग			16223011/-	6564025/-	22787036/-
	योग (पूर्व वर्ष)			17780082/-	6522352/-	24302434/-

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, भारतीय प्राधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों ने निम्नलिखित विदेशी दौरे किए :

पीआईडब्ल्यूटीटी के तहत स्थायी समिति की भारत बांग्लादेश पोत परिवहन सचिव स्तर की बैठक और चत्तगांव तथा मोंगला पोर्ट के उपयोग की अन्तर्राष्ट्रीय समिति की बैठक में भाग लेने के लिए अध्यक्ष ने दिनांक 04 से 05 दिसंबर 2019 तक बांग्लादेश का दौरा किया। पूर्व अध्यक्ष ने सुधार के लिए नेतृत्व संचार पर एसएआर प्रशिक्षण कार्यशाला हेतु दिनांक 20–24 अप्रैल, 2019 तक बैंकॉक का दौरा किया।

उपाध्यक्ष ने मिसीसीपी नदी प्रणाली और जलमार्ग संबद्धता के अध्ययन हेतु दिनांक 22–24 अप्रैल 2019 तक न्यू ओरलीन, संयुक्त राज्य अमेरिका का दौरा किया और भारत–नेपाल संधि में संशोधन हेतु समेकन दस्तावेज विनिमय हेतु दिनांक 26–27 नवंबर, 2019 तक नेपाल का दौरा किया।

सदस्य (तकनीकी) ने आशुगंज—जकीगंज / करीमगंज और सिराजगंज—दैखोवा खण्ड के निकर्षण हेतु दिनांक 13–14 जून, 2019 तक बांग्लादेश का दौरा किया। इन्होंने परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता के चयन के लिए और आशुगंज—जकीगंज / करीमगंज और सिराजगंज—दैखोवा खण्ड के निकर्षण कार्य की देखरेख तथा पर्यवेक्षण हेतु दिनांक 18–20 फरवरी, 2020 तक बांग्लादेश का दौरा किया। साथ ही, इन्होंने 30 सितंबर से 4 अक्टूबर, 2019 तक वाटर बोर्न ट्रांसपोर्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु वर्ल्ड एसोसिएशन पर पीआईएएनसी सेमिनार में भाग लिया।

सदस्य (याताया एवं प्रचालन) ने पीआईडब्ल्यूटीटी के तहत स्थायी समिति की भारत बांग्लादेश सचिव स्तर की बैठक और चटगांव तथा मोंगला पोर्ट के उपयोग की अन्तर—सरकारी समिति की बैठक में भाग लेने के लिए दिनांक 4–5 दिसंबर 2019 तक बांग्लादेश का दौरा किया।

(ii) भाअजप्रा बोर्ड के किसी सदस्य पर कर्ज / ऋण / अग्रिम बकाया नहीं हैं।

2. आर्थिक कार्य विभाग ने अपने दिनांक 03.10.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ.15(4)—बी(सीडीएन) / 2015 के तहत भाअजप्रा को वर्ष 2016–17 के दौरान ₹. 1,000.00 करोड़ की सीमा तक ईबीआर को अर्जित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया था।

दिनांक 20.10.2016 के कार्यालय ज्ञापन सं. एफ.15(4)—बी(सीडीएन) / 2015 के अनुसार, “अतिरिक्त बजटीय संसाधनों को अर्जित करने के लिए बॉण्ड जारी करने हेतु पृथक सरकारी गारंटी की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये बॉण्ड सामान्य बजट के जरिए भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित (ब्याज का सिद्धांत) होंगे”।

पोत परिवहन मंत्रालय उपयुक्त रूप से अर्धवार्षिक ब्याज के भुगतान हेतु बजटीय प्रावधान करता है तथा बॉण्ड की अवधि के दौरान खर्चों तथा अन्य विविध खर्चों को जारी करता है तथा परिपक्वता के समय मूलधन की चुकौती करता है।

भाअजप्रा ने इलेक्ट्रॉनिक बोली के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2016–17 में दिनांक 01.03.2017 को प्राइवेट प्लेसमेंट मोड में “भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड” के जरिए 10 वर्षों की अवधि के लिए 7.90 प्रतिशत (अर्द्ध वार्षिकी) कूपन दर पर ₹. 340.00 करोड़ के ईबीआर सफलतापूर्वक अर्जित किए। वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्राधिकरण ने पोत परिवहन मंत्रालय से वित्तीय वर्ष 2016–17 में अनुमोदित ₹. 1000.00 करोड़ में से ₹. 660.00 करोड़ के लिए पूर्व नियम एवं शर्तों पर ईबीआर अर्जित करने की अनुमति हेतु अनुरोध किया। पोत परिवहन मंत्रालय ने दिनांक 27.07.2017 के पत्र सं. अजप/45/2016–अजप(खण्ड-II) पार्ट, द्वारा सूचित किया कि मंत्रिमंडल ने वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए ₹. 660.00 करोड़ के लिए अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) अर्जित करने के लिए अनुमति के पुनर्वैधीकरण के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। अनुमोदन प्राप्त होने के बाद भाअजप्रा ने इलेक्ट्रॉनिक बोली प्लेटफार्म पर दिनांक 11.10.2017 को प्राइवेट प्लेसमेंट मोड में “भारत सरकार द्वारा पूर्णतः सेवित बॉण्ड” के जरिए कूपन दर 7.47 प्रतिशत (अर्धवार्षिकी) पर 10 वर्ष की अवधि के साथ ₹. 660.00 करोड़ के ईबीआर सफलतापूर्वक अर्जित किए। वित्तीय वर्ष 2019–20 में प्राधिकरण ने कोई अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) अर्जित नहीं किया और अर्जित ईबीआर निधि का पूर्णतः उपयोग किया।

3. माननीय वित्त मंत्री द्वारा उनके जुलाई, 2014 के बजट भाषण में घोषित जल मार्ग विकास परियोजना (जेएमवीपी) में मूल रूप से रा.ज.-1 के समग्र प्रखंड (गंगा—भागीरथी—हुगली नदी प्रणाली—1620 कि.मी. के हल्दिया – इलाहाबाद प्रखंड) को विश्व बैंक की तकनीकी तथा निवेश समर्थन से ₹. 4200 करोड़ की अनुमानित लागत पर छह वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किए जाने हेतु विचार किया गया था। उसके बाद, विश्व बैंक की अनुशंसा पर, हल्दिया—वाराणसी खंड पर परियोजना को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया था।

पोत परिवहन मंत्रालय ने दिनांक 15.10.2014 की राजपत्र अधिसूचना के जरिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण (भाअजप्रा) को जेएमवीपी की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के साथ नामित किया था। परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए निम्नलिखित संस्थागत व्यवस्थाएं की गई हैं :—

(i) भाअजप्रा मुख्यालय में पीएमयू की अध्यक्षता उपाध्यक्ष द्वारा परियोजना निदेशक के रूप में की गई। परियोजना निदेशक की सहायता मुख्य अभियंता एवं परियोजना प्रबंधक, निदेशक (वित्त एवं लेखा) और प्रशासन, वित्त एवं लेखा, इंजीनियरिंग, प्रापण, विपणन एवं कारोबार विकास, पर्यावरण, सामाजिक विकास तथा संचार के क्षेत्र में प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा की जाती है।

(ii) विवेचनात्मक परामर्श प्रदान करने तथा परियोजना का मूल्यांकन करने के लिए भाअजप्रा के अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिकारीगण, पोत परिवहन मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल सरकारों के प्रतिनिधि परियोजना पर्यवेक्षण समिति में शामिल हैं।

(iii) पटना, कोलकाता, वाराणसी, साहिबगंज, फरक्का और हल्दिया में संबंधित निदेशकों के प्रभार के तहत परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों को इंजीनियरिंग, भूमि अधिग्रहण, जीवन—यापन प्रबंधन, सामाजिक विकास आदि के क्षेत्र में प्रमुख विशेषज्ञों द्वारा सहायता दी गई।

पूर्व—निवेश गतिविधियों के रूप में, इंजीनियरिंग, फीड तथा सहायक कार्यों; ईएसआईए; तथा विपणन एवं कारोबार विकास के क्षेत्र में परामर्शदाताओं ने हल्दिया—वाराणसी प्रखण्ड पर अध्ययन किया। इन परामर्शदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर, परियोजना के हल्दिया—वाराणसी प्रखण्ड संबंधी जेएमवीपी की अनुमानित लागत को संशोधित कर रु. 5369.18 करोड़ कर दिया गया था। अब प्रस्तावित हस्तक्षेपों में 2.2 मी. से 3 मी. एलएडी तथा संपूर्ण प्रखण्ड के लिए 45 मीटर की सतह चैनल चौड़ाई प्रदान करने के लिए फेयरवे विकास; 5 मल्टीमॉडल / इंटरमॉडल टर्मिनलों का निर्माण; फरक्का में नये नौचालन लॉक का निर्माण; रो—रो टर्मिनलों के 5 पेयर का निर्माण; 2 एकीकृत जलयान मरम्मत एवं रखरखाव परिसर आदि शामिल हैं।

निम्नलिखित स्रोतों के जरिए परियोजना लागत को वित्त पोषित किया जा रहा है :—

- (i) रु. 2512.00 करोड़ (यूएस डॉलर 375.00 मिलियन) का आईबीआरडी ऋण।
- (ii) भारत सरकार प्रतिरूप निधियां (बॉण्ड जारी करके बजटीय संवितरण तथा प्राप्ति) : रु. 2556.00 करोड़ (यूएस डॉलर 380.00 मिलियन) और
- (iii) पीपीपी मोड के तहत निजी क्षेत्र की भागीदारी: रु. 301.00 करोड़ (यूएस डॉलर 45.00 मिलियन)।

दिनांक 27.09.2016 को आर्थिक कार्य विभाग द्वारा आईबीआरडी ऋण घटक का मूल्यांकन किया गया था; विश्व बैंक तथा भारत सरकार के बीच दिनांक 15.03.2017 को ऋण वार्ता आयोजित हुई थी; तथा अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आईबीआरडी) के कार्यकारी निदेशकों के बोर्ड ने दिनांक 12 अप्रैल 2017 को ऋण (ऋण संख्या 8752—आईएन) अनुमोदित कर दिया था। आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति ने दिनांक 03.01.2018 को रु. 5639.18 करोड़ की अनुमानित लागत पर परियोजना कार्यान्वयन को अनुमोदित किया। विश्व बैंक और आर्थिक मामले विभाग एवं भाअजप्रा के बीच दिनांक 02.02.2018 को 375.00 मिलियन यूएस डॉलर के आईबीआरडी ऋण से संबंधित ऋण करार तथा परियोजना करार हस्ताक्षरित किए गए और 23 मार्च, 2018 से ये दोनों दस्तावेज प्रभावित हो गए। ऋण समझौते के सक्रिय वित्त पोषण नियम के तहत, जेएमवीपी ने सीएए को रु. 661.00 करोड़ का दावा प्रस्तुत किया। इस रु. 656.42 करोड़ की राशि, जिसमें पूर्वव्यापी और परियोजना तैयारी अग्रिम भी शामिल है, को भारत के संचित कोष में मार्च, 2020 के अंत तक जमा किया गया है। उपरोक्त परियोजना के लिए प्राधिकरण को उक्त परियोजना हेतु बनाए गए बजट शीर्ष के तहत बजटीय संसाधनों के माध्यम से निधि प्राप्त हुई। वित्त वर्ष 2019–20 में पोत परिवहन मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार द्वारा जारी किए गए रु. 230.00 करोड़ का स्वीकृत बजट प्राधिकरण को मिला।

जेएमवीपी की मुख्य परियोजनाएं जो चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादन के अधीन हैं, इस प्रकार हैं : वाराणसी में

रु. 169.59 करोड़ की लागत पर मल्टीमॉडल टर्मिनल का निर्माण; साहिबगंज में रु. 280.90 करोड़ की लागत पर मल्टीमॉडल टर्मिनल का निर्माण; तथा फरक्का में रु. 359.19 करोड़ की लागत पर नए नौचालन लॉक का निर्माण। उपर्युक्त के अलावा, क्रमशः फरक्का—कहलगांव, सुल्तानगंज—महेन्द्रपुर और महेन्द्रपुर—बाढ़ के बीच के प्रखण्डों के लिए रु. 150 करोड़, रु. 159.30 करोड़ और रु. 182.10 करोड़ की लागत पर एलएडी निकषण का कार्य संविदा पर सौंपा गया है। परियोजना के सभी व्यय को पूंजीगत व्यय के रूप में माना गया है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में मल्टी—मोडल टर्मिनल, वाराणसी के निर्माण पर रु. 18243.92 लाख की राशि पूंजीकृत की गई। परियोजना की शुरुआत से यथा दिनांक 31 मार्च, 2020 तक कुल रु. 169048.37 लाख (पिछले वर्ष रु. 122865.63 लाख) का व्यय किया गया जिसमें से वित्तीय वर्ष 2019–20 में रु. 46182.74 लाख (पिछले वर्ष रु. 43389.75 लाख) का व्यय किया गया।

4. 11 टर्मिनलों के लिए भूमि सहित संपर्क सड़क और संकरी कैनाल को चौड़ा करने हेतु भूमि की लागत के रूप में रु. 5282.22 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 5271.22 लाख) की राशि केरल सरकार को अग्रिम के रूप में प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में, मरडु टर्मिनल में संपर्क रोड के लिए भूमि अर्जन हेतु रु. 480.62 लाख की राशि जिला समाहर्ता द्वारा वापस की गई। उपर्युक्त जमा में से, 12.3589 हेक्टेयर भूमि को दिनांक 31.03.2020 तक रु. 2144.51 लाख के लिए पूंजीकृत किया गया। कैनाल को चौड़ा करने के लिए, रु. 1779.45 लाख की लागत पर 21.5305 हेक्टेयर भूमि अधिगृहीत की गई है। दिनांक 31.03.2020 तक जलमार्गों को चौड़ा करने के बाद भूमि जलमग्न हो जाती है, इसलिए रु. 1617.09 लाख की राशि राजस्व व्यय में डाली गई है। यदि केरल के विभिन्न न्यायालयों के आदेशों के तहत ऐसा निर्देश मिलता है तो प्राधिकरण अधिगृहीत भूमि पर ब्याज तथा लागत में वृद्धि को अदा करने के लिए जिम्मेदार है। रु. 877.64 लाख की राशि केरल के विभिन्न जिला कलेक्टरों के पास उपलब्ध थी जिसमें मरडु टर्मिनल के लिए नई संपर्क सड़क हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए जमा रु. 849.76 लाख शामिल है।

5. रु. 6.79 लाख की वापसी सहित सीपीडब्ल्यूडी को टर्मिनलों के निर्माण के लिए अग्रिम के रूप में रु. 3440.02 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 3446.81 लाख) की राशि प्रदान की गई है। अभी तक रु. 2679.38 लाख की राशि को पूंजीकृत (टर्मिनल और भवन) तथा राजस्व व्यय के रूप में रु. 101.52 लाख को दिखाया गया है। अभी तक रु. 603.98 लाख कायमकुलम टर्मिनल, संपर्क सड़क (रु. 389.00 लाख) तथा चावड़ा संपर्क सड़क एवं परिसर दीवार (रु. 214.98 लाख) के निर्माण हेतु चालू पूंजीगत कार्य के तहत दर्शाया गया है।

6. बोलघाटी तथा विलिंगटन द्वीप समूह में जेट्टी के निर्माण के लिए कोचीन पोर्ट ट्रस्ट (सीपीटी) के पास जमा के रूप में रु. 1660.00 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 1660.00 लाख) की राशि भुगतान की गई है। इसमें से आज तक रु. 1575.02 लाख को पूंजीकृत किया गया है तथा शेष रु. 84.98 लाख सीपीटी के पास उपलब्ध है।

7. कार्यकारी अभियंता, हार्बर अभियांत्रिकी प्रभाग, असरामम, कोल्लम, केरल सरकार को कोविलथोड्स, चावड़ा में पूरे राष्ट्रीय जलमार्ग—3 में एकल लाइन पुल के निर्माण हेतु अग्रिम के रूप में 138.75 लाख रुपए (पूर्व वर्ष रु. 138.75 लाख) की राशि प्रदान की और उसे पूंजीगत अग्रिम के रूप में दर्शाया गया।

8. निदेशक अंतर्देशीय नौवहन निदेशालय, असरामम, कोल्लम, केरल सरकार को राष्ट्रीय जलमार्ग—3 के निकुनापुञ्जा में नौचालन लॉक के पुनर्निर्माण हेतु रु. 111.97 लाख के ब्याज सहित रु. 2411.97 लाख रुपए (पूर्व वर्ष में रु. 1300.00 लाख) जमा किए गए। उसे पूंजीगत अग्रिम के रूप में दर्शाया गया। वर्ष के दौरान रु. 536.32 लाख (पूर्व वर्ष रु. 162.29 लाख) का किया गया व्यय चालू पूंजीगत कार्य के रूप में और शेष को पूंजीगत अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।

9. रा.ज.—3 के लिए 02 रो—रो जलयान के निर्माण हेतु मेसर्स कोचीन शिपयार्ड लि. को लागत के रूप में रु. 1638 लाख (पूर्व वर्ष रु. 258.00 लाख) जारी किए गए और उसे चालू पूंजीगत कार्य के रूप में दर्शाया गया है। वर्ष के दौरान रु. 228.00 लाख (पूर्व वर्ष शून्य) का पूंजीगत कार्य प्रगति पर है।

10. गायघाट, पटना में कार्यालय भवन, चाहरदीवारी, जनरेटर कक्ष, तथा कार्यालय स्थल के पार्टिशन आदि के निर्माण के लिए सीपीडब्ल्यूडी, पटना के पास रु. 706.22 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 706.22 लाख) की राशि जमा कर दी गई है। इसमें से, कार्य की वित्तीय प्रगति के अनुसार, रु. 674.72 लाख की राशि को पूंजीकृत कर दिया गया है तथा शेष रु. 31.50 लाख सीपीडब्ल्यूडी को अग्रिम के रूप में दिखाए गए हैं।

11. मल्टी-मोडल टर्मिनल, साहिबगंज के निर्माण हेतु भूमि अर्जन के लिए जिला भूमि अर्जन अधिकारी और उपायुक्त, साहिबगंज को अग्रिम के रूप में रु. 9353.24 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 9352.24 लाख) की राशि अग्रिम रूप में जारी की गई है। उपर्युक्त में से रु. 11719.36 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 11719.36 लाख) की 184.685 एकड़ भूमि ली गई जिसे रु. 2367.12 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 2463.96 लाख) दिनांक 31.03.2020 को भूमि लेने के विरुद्ध बकाया के लिए देयता के रूप में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, परियोजना के प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्स्थापन हेतु जिला भूमि अर्जन अधिकारी और उपायुक्त, साहिबगंज को रु. 6767.22 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 6767.22 लाख) की राशि जारी की गई। उपर्युक्त में से रु. 4216.51 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 3744.19 लाख) की राशि को चालू पूंजीगत कार्य और शेष रु. 2550.71 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 3023.03 लाख) को अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है।

12. भाअजप्रा के स्टाफ के लिए दीप स्तम्भ एवं दीप पोत महानिदेशक (डीजीएलएल), पोत परिवहन मंत्रालय से दिसम्बर, 2002 में सेक्टर-34, नौएडा में 53 फ्लैट कुल अंतरण मूल्य रु. 225.28 लाख सहित अंतरण फीस, स्टाम्प शुल्क आदि पर लिए गए थे। शीर्ष विलेख अभी निष्पादित किया जाना है।

घरों की मुख्य मरम्मत करने के बाद, रु. 307.33 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 307.33 लाख) की राशि पूंजीकृत की गई है। तथापि, भाअजप्रा के नाम में फ्लैटों का अंतरण पंजीकृत नहीं हो सका था क्योंकि उन फ्लैटों का पंजीकरण प्रथम स्वामी डीजीएलएल के नाम में नहीं हुआ है। नौएडा को भूमि किराया आदि के भुगतान करने के लिए डीजीएलएल के साथ बातचीत के बाद, नौएडा के साथ प्रारंभिक पंजीकरण किया जाएगा। पंजीकरण के समय, फ्लैटों के पंजीकरण हेतु वास्तविक देयता पर ध्यान दिया जाएगा।

13. विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार ने मार्च, 2009 में एक करार के जरिए प्राधिकरण को कालादान नदी पर म्यांमार में सितवे और पलेतवा के बीच मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन सुविधा के कार्यान्वयन के लिए परियोजना विकास परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया था। इसे ‘कालादान मल्टीमॉडल परियोजना’ के रूप में जाना जाता है।

उपर्युक्त परियोजना दो चरणों में कार्यान्वित की जा रही है। चरण- I का कार्य दो भागों यथा (i) प्रारंभिक कार्य (ii) अतिरिक्त कार्य में निष्पादित किया गया है। पोर्ट एवं अजप घटक का प्रारंभिक तौर पर दिया गया कार्य पूरा हो गया है। चरण- II के तहत कुछ अतिरिक्त कार्य जैसे- स्टाफ क्वार्टर्स, ढलान संरक्षण कार्य, तट रक्षण कार्य, ईंधन बंकरिंग स्टेशन, कार्यशाला आदि कार्य पूरे हो चुके हैं।

चरण- II के कार्यों में सितवे तथा पलेतवा में कंटेनर टर्मिनल का निर्माण, दो रेकों को हटाना चरण- I के कार्यों के तहत पूर्ण परिसंपत्तियों का ओएंडएम शामिल है। रेक हटाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। चरण- II के तहत पोर्ट और केएमटीटीपी के आईडब्ल्यूटी घटकों के पूरे हुए परिसंपत्तियों को म्यांमार सरकार के विभागों द्वारा नियुक्त ऑपरेटर को दिनांक 31.01.2020 को सुपुर्द किया गया और कार्य 01.02.2020 को प्रारंभ हुआ। सितवे और पलेतवा के कंटेनर टर्मिनल का निर्माण कार्य व्यवहार्य मापदंडों के आधार पर प्रस्तावित है।

करार के अनुसार उपर्युक्त परियोजना विकास परामर्शदाता खर्च विदेश मंत्रालय से प्राप्त परामर्शी शुल्क (परियोजना लागत का 6%) से वहन किया जाता है। चूंकि उपर्युक्त परियोजना पर प्राप्तियां तथा व्यय भाअजप्रा द्वारा प्राप्त अनुदान का हिस्सा नहीं है, परियोजना पर वार्षिक अधिशेष / घाटा भाअजप्रा निधि में नहीं लिया जा सकता है। कालादान परियोजना से संबंधित आय और व्यय परियोजना की स्थापना के बाद से भाअजप्रा के वार्षिक खातों में शामिल नहीं थे चूंकि अगर इसे शामिल किया जाता है, तो इससे आय और व्यय खाते के दोनों तरफ आंकड़े बढ़ जाएंगे और इसके वार्षिक अधिशेष / घाटे का

हस्तांतरण होगा। यह भाअजप्रा फंड के लिए उचित नहीं है। प्राधिकरण पृथक रूप से परियोजना संबंधी लेखा बही अनुरक्षित करता है तथा स्वतंत्र सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा उस पर वार्षिक लेखों को विधिवत लेखा—परीक्षित करके प्रमाणित किया गया है। वित्त वर्ष 2019–20 में पूँजी आरक्षित और अचल संपत्ति को छोड़कर परिसंपत्तियों और देनदारियों के ऑडिट घटकों को सुनिश्चित किया गया है, क्योंकि यह प्राधिकरण के पूँजीगत अनुदान को प्रभावित करेगा, इसे वित्त वर्ष 2019–20 के लिए भाअजप्रा के वार्षिक खातों में शामिल किया गया है।

प्राधिकरण को विदेश मंत्रालय से रु. 3387.04 लाख प्राप्त हुए जिसमें रु. 2258.03 लाख का पीडीसी शुल्क, रु. 2904.98 लाख सेवाकर, रु. 211.44 लाख, जीएसटी रु. 171.75 लाख तथा दिनांक 31.03.2020 तक रु. 98.87 लाख के जलीय सर्वेक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति शामिल है। इसके अलावा, मुख्य रूप से परियोजना पर उत्पन्न बैंक ब्याज रु. 256.04 लाख की आंतरिक प्राप्तियां हैं। उपर्युक्त में से रु. 2985.32 लाख का व्यय किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान रु. 226.17 लाख की राशि (पूर्व वर्ष में रु. 208.41 लाख) का व्यय हुआ और रु. 18.55 लाख की राशि (पूर्व वर्ष में रु. 6.50 लाख) परियोजना पर आंतरिक प्राप्ति के रूप में प्राप्त हुई।

उपर्युक्त परियोजना पर स्वतंत्र सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा लेखा—परीक्षित एवं प्रमाणित वार्षिक लेखों को अनुबंध 'क' के रूप में संलग्न किया गया है।

14. प्राधिकरण ने भाअजप्रा के कर्मचारियों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम से पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी के नकदीकरण हेतु तीन पॉलिसी ली हैं। एलआईसी ने सभी तीनों पॉलिसी के लिए बीमांकिक मूल्यांकन प्रदान किया है। यथा दिनांक 31.03.2020 को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार, पेंशन हेतु रु. 13725.00 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 13380.00 लाख), ग्रेच्युटी हेतु रु. 1870.94 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 1730.30 लाख) तथा छुट्टी नकदीकरण हेतु रु. 1220.06 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 1157.88 लाख) की राशि अपेक्षित है।

प्राधिकरण ने दिनांक 25.03.2003 से प्राधिकरण के कार्मिकों के संबंध में पेंशन / ग्रेच्युटी निधि के प्रबंध एवं व्यवस्था के लिए "भाअजप्रा—कर्मचारी पेंशन निधि" के नाम से एक न्यास की स्थापना की है। भाअजप्रा कर्मचारी पेंशन निधि तथा छुट्टी नकदीकरण का प्रबंध भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है। भाअजप्रा—कर्मचारी पेंशन निधि खाता के अनुसार, क्रमशः रु. 16355.84 लाख तथा रु. 1856.75 लाख की निधि पेंशन तथा ग्रेच्युटी के लिए न्यास के पास उपलब्ध है तथा रु. 1253.08 लाख छुट्टी नकदीकरण निधि के लिए एलआईसी के पास उपलब्ध है। वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान पेंशन, ग्रेच्युटी, छुट्टी नकदीकरण हेतु प्रावधान नहीं दिया गया है क्योंकि पेंशन पॉलिसी में अधिशेष धन उपलब्ध हैं और ग्रेच्युटी के तहत आवश्यक घाटा वित्त वर्ष 2020–21 में पेंशन पॉलिसी से स्थानांतरित किया जाएगा।

बीमांकिक मूल्यांकन हेतु पूर्वानुमान हैं :—

मृत्यु दर	:	आईएएलएम (2006-08) अंततः
आहरण दर	:	सभी आयु हेतु 1% से 3%
छूट दर	:	7.25% प्रति वर्ष
वेतन में बढ़ोतरी	:	7% प्रति वर्ष

15. प्राधिकरण ने, उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, जिन्होंने प्राधिकरण से चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करने का विकल्प लिया था, को सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ (पीआरएमबी) संबंधी मूल्यांकन प्रदान करने के लिए बीमांकिक मूल्यांकनकर्ता नियुक्त किए हैं। प्राधिकरण के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ हेतु बीमांकिक मूल्यांकन प्रमाण पत्र देयता के अनुसार यथा दिनांक 31.03.2020 को रु. 206.97 लाख अपेक्षित है। वित्त वर्ष 2019–20 में रु. 41.39 लाख

(पूर्व वर्ष में ₹. 64.51 लाख) की राशि उपलब्ध कराई गई।

16. प्राधिकरण, तीन कंपनियों जिनके नाम हैं (i) मैसर्स रॉयल लॉजिस्टिक्स (शिप) लि., कोलकाता (ii) मैसर्स एसकेएस वाटरवेज लि., कोलकाता और (iii) मैसर्स विवादा लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लि., कोलकाता के साथ तीन संयुक्त उद्यम परियोजनाओं में शेयरधारकों के करार में शामिल हुआ था। मैसर्स रॉयल लॉजिस्टिक्स (शिप) लि., कोलकाता तथा मैसर्स एसकेएस वाटरवेज लि., कोलकाता, के साथ शेयरधारकों के करार के अनुसार, प्रत्येक कंपनी की प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूँजी ₹. 5.00 लाख थी तथा संयुक्त उद्यम भागीदारों के द्वारा 70 प्रतिशत तथा भाअजप्रा द्वारा 30 प्रतिशत के अनुपात में अंशदान किया जाना अपेक्षित था। तदनुसार, प्राधिकरण ने मैसर्स रॉयल लॉजिस्टिक्स (शिप) लि., कोलकाता तथा मैसर्स एसकेएस वाटरवेज लि., कोलकाता में प्रारंभिक अधिकृत शेयर पूँजी के रूप में प्रत्येक में ₹. 1.50 लाख के अपने शेयर का अंशदान कर दिया था।

मैसर्स रॉयल लॉजिस्टिक्स (शिप) लि., कोलकाता तथा मैसर्स एसकेएस वाटरवेज लि., कोलकाता जैसी फर्मों से दिनांक 22.8.2016 के पत्र तथा दिनांक 17.01.2017 की ई-मेल द्वारा उनके पास रोकी गई इकिवटी राशि के लेखों के निपटारे के लिए शीघ्र कार्रवाई करने तथा संयुक्त उद्यम के समापन का निर्णय लेने के लिए अनुरोध किया गया था क्योंकि कोई प्रगति नहीं हुई थी।

प्रत्युत्तर में, मैसर्स शाही शिपिंग लि. (पूर्व में एसकेएस लॉजिस्टिक्स लि.) ने अपने दिनांक 16.06.2017 के पत्र द्वारा सूचित किया कि वे रॉयल लॉजिस्टिक्स तथा एसकेएस वाटरवेज जैसी संयुक्त उद्यम फर्मों को बंद करना चाहते हैं जिसके लिए उनकी ओर से आवश्यक औपचारिकताएं की जा रही हैं। तथापि, लेखों का निपटारा प्रतीक्षित है।

17. यथा दिनांक 31.03.2020 को भाअजप्रा पर आकस्मिक देयता वाले तथा भाअजप्रा द्वारा दावा मध्यस्थों के समक्ष चार मध्यस्थता के मामले लंबित हैं। ये हैं : i) रा.ज.-3 में निर्कषण कार्य ii) रा.ज.-5 में निर्कषण कार्य iii) रा.ज.-2 में स्लिपवे कार्य iv) जलयानों का निर्माण। वर्तमान में आकस्मिक देयता वाला एलएआर / एलएए से संबंधित एक मामला उप न्यायालय, केरल के पास लंबित है। लंबित न्यायालय मामलों की सूची उन पर देयता सहित निम्नलिखित सारणी के रूप में दर्शाए गए हैं :-

न्यायालय	मामले की सं.	भाअजप्रा पर देयता	भाअजप्रा द्वारा दावा
माननीय उच्चतम न्यायालय	04	-	-
एनजीटी, दिल्ली	02	-	-
एनजीटी, दक्षिणी अंचल चेन्नई	02	-	-
माननीय उच्च न्यायालय, दिल्ली	03	-	-
माननीय उच्च न्यायालय, केरल	13	-	-
माननीय उच्च न्यायालय, पटना	02	15.2	-
माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	13	7.65	-
माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता	12	0.18	3.97
माननीय उच्च न्यायालय, गुवाहाटी	07	0.29	-
माननीय उच्च न्यायालय, हैदराबाद	02	0.03	-
माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास	01	-	-
जिला न्यायालय, वाराणसी	01	-	-
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जांगीपुर, मुर्शीदाबाद	01	-	-
ऋण वसूली अधिकरण, बैंगलोर	00	-	-
लोअर कोर्ट, बालासोर	01	-	-
सीजीआईटी सह श्रम न्यायालय, गुवाहाटी	01	-	-
एलसी का कार्यालय, गुवाहाटी	02	-	-
उप-न्यायालय, पटना	01	-	-
सिटी कोर्ट, कोलकाता	02	-	-

सीजीआईटी सह श्रम न्यायालय, कोलकाता	05	-	-
अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, विशाखापत्तनम	01	-	-
मुंसिफ न्यायालय, केरल	03	-	-
मजिस्ट्रेट न्यायालय, केरल	01		
मानव अधिकार आयोग, केरल	01	-	-
भाअजप्रा बनाम डीडीसीएल के बीच मध्यस्थता	01	-	-
भाअजप्रा बनाम मैसर्स नैचून मेरीटाइम के बीच मध्यस्थता	01	29.81	21.04
उप-न्यायालय, केरल (एलएआर / एलएए केस)	01	1.17	0.00
जिला न्यायालय, एर्नाकुलम	02		
भाअजप्रा, दिल्ली बनाम आरडीएल के बीच मध्यस्थता	01		
भाअजप्रा, इलाहाबाद बनाम योजाका के बीच मध्यस्थता	01	12.89	13.60
योग	88	67.22	38.61

18. प्राधिकरण को विभिन्न बजट शीर्षों के तहत अनुदान के रूप में रु. 52676.92 लाख प्राप्त हुए। वित्तीय वर्ष 2017–18 में बॉण्ड के निर्गमन द्वारा अर्जित निधि के एवज में रु. 31088.79 लाख की निधि प्राधिकरण के पास उपलब्ध थी। वर्ष के दौरान, प्राधिकरण द्वारा रु. 55981.93 लाख का पूंजीगत व्यय तथा रु. 29332.81 लाख का राजस्व व्यय किया गया था। वर्ष के दौरान, प्राधिकरण ने रु. 2995.98 लाख की आंतरिक प्राप्तियां सुजित की थी। इसे तब तक देयता के रूप में दर्शाया गया है जब तक पोत परिवहन मंत्रालय के तारीख 06.12.2013 के उनके पत्र संख्या जी–20017 / 7 / 2013–अजप के तहत दिए गए निदेशों के अनुसार भारत सरकार को वह राशि देय होती है। संक्षिप्त व्योरा इस प्रकार हैः—

वित्त वर्ष 2019–20 में प्राप्त निधि तथा व्यय का सार

(राशि लाख में)

विवरण

कुल

प्राप्त अनुदान / ईबीआर

(क) योजना	52676.92
(ख) बॉण्ड (ईबीआर)	31088.79
(ग) वित्त वर्ष 2018–19 का घटा	(2228.71)

81537.00

घटाएँ : किया गया व्यय

(क) राजस्व व्यय	29332.81
(ख) पूंजीगत व्यय	55981.93

85314.74

19. प्राधिकरण ने प्रधान कार्यालय नौएडा में सरकारी पीएसयू/विभाग को भवन के 4 तल किराए पर दिए थे। वित्त वर्ष 2013–14, 2014–15, 2015–16, 2016–17, 2017–18 तथा 2018–19 हेतु क्रमशः रु. 64.65 लाख, रु. 200.06 लाख, रु. 258.16 लाख, रु. 290.94 लाख, रु. 297.36 लाख तथा रु. 245.75 किराए के रूप में प्राप्त हुए जिसे भारत की संचित निधि में जमा करा दिया गया। वर्ष के दौरान मुख्यालय भवन के दो तल खाली हुए। वित्त वर्ष 2019–20 से संबंधित रु. 141.44 लाख की राशि अभी जमा की जानी है।

20. वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, रु. 2995.98 लाख (पूर्व वर्ष रु. 3712.88 लाख) की आंतरिक प्राप्तियां सुजित की गई

हैं। पोत परिवहन मंत्रालय के दिनांक 06.12.2013 के पत्र सं0 जी–20017 / 7 / 2013–अजप के अनुसार उसे सरकारी खाते में जमा किया जाना है। आंतरिक प्राप्तियों की राशि को भारत सरकार की देयता के रूप में दर्शाया गया है। आंतरिक प्राप्तियों का विवरण निम्नानुसार है :–

क्र. सं.	आंतरिक प्राप्तियाँ	राशि (रु. में)
1.	पायलटेज प्रभार	662999
2.	बर्थिंग प्रभार	8146090
3.	बड़े आकार के कार्गो से आय	2656607
4.	अन्य आय	8456317
5.	प्रोटोकॉल फीस	2106062
6.	विविध प्राप्तियाँ	2086321
7.	टर्मिनल से किराए की प्राप्ति	865018
8.	निविदा प्रपत्र की बिक्री	387124
9.	नौचालन चार्ट की बिक्री	236350
10.	पाठ्यक्रम फीस एवं हॉस्टल प्रभार निनी	5162907
11.	शुष्क कार्गो	1947917
12.	पंटून भाड़ा प्रभार	245813
13.	जलयानों का किराया	31986048
14.	जलमार्ग प्रयोग प्रभार	4330195
15.	जमा राशि / निवेश पर ब्याज	203084391
16.	संग्रहण अग्रिम पर ब्याज	11490137
17.	किराया—भवन	14144332
18.	भंडारण और प्रचालन प्रभार	12298
19.	टोएज प्रभार	649450
20.	एचबीए इत्यादि पर ब्याज	941860
योग		299598237

21. नौएडा तथा हल्दिया में पट्टा आधारित भूमि को प्रारंभिक भुगतान के आधार पर अधिगृहीत किया गया है। विशिष्ट वित्तीय वर्ष से संबंधित पट्टा किराये की राशि को संबंधित वित्तीय वर्ष में राजस्व व्यय के लिए प्रभारित किया गया है।

22. एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा वाटर एरोड्रोम की स्थापना के लिए हाइड्रोग्राफिक सर्वे का काम डिपॉजिट बेसिस पर कार्य करने के लिए लिए सौंपा गया है।

कार्य व्यापकता के अनुसार, निम्नानुसार 5 स्थान प्राधिकरण को सौंपे गए हैं :

- (i) शत्रुंजय बांध – गुजरात
- (ii) सरदार सरोवर बांध – स्टैच्यू ऑफ यूनिटी – गुजरात
- (iii) सावरमती रिवर फंट – गुजरात

- (iv) गुवाहाटी रिवर फ्रंट – असम
- (v) उमरंगो जलाशय – असम

उपरोक्त कार्य के लिए, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) को रुपये 1183.70 लाख की अनुमानित राशि भेजी गयी थी और उसी पर सहमति बनी। उपरोक्त कार्य के लिए रु. 1003.14 लाख की राशि भाअजप्रा को जारी की गई हैं और कार्य प्रगति पर है। एएआई से प्राप्त राशि को वित्त वर्ष 2019–20 में अग्रिम के रूप में दिखाया गया है।

23. अनुसूचियों के साथ–साथ तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखों को शामिल करते हुए पोत परिवहन मंत्रालय के तारीख 28.02.2005 के उनके पत्र सं. जी–25020 / 1 / 2004–अजप के तहत अनुमोदित प्रपत्र में प्राधिकरण वार्षिक लेखा तैयार कर रहा था। लेखों का प्रपत्र संशोधित हो गया है तथा उसे भाअजप्रा बोर्ड की 164वीं प्राधिकरण बैठक में स्वीकार कर लिया गया है। तुलन पत्र, आय एवं व्यय लेखा, अनुसूचियों तथा लेखा नीति सहित प्राप्तियां एवं भुगतान लेखा को रखते हुए लेखों के संशोधित प्रपत्र को दिनांक 07.05.2018 के भाअजप्रा के पत्र सं. भाअजप्रा / वित्त / 3442 / 98 / 16–17 के तहत सीएंडएजी कार्यालय से परामर्श करके अनुमोदन हेतु पोत परिवहन मंत्रालय को भेजा गया था। खातों के संशोधित प्रारूप को सीएंडएजी कार्यालय ने अपने पत्र क्रमांक डीडी–1 / मुख्या. / भाअजप्रा / ए / एसी / 1–2 / 2018–19, दिनांक 12.04.2019 के द्वारा विधिवत रूप से निरीक्षित किया है। संशोधित लेखा प्रपत्र अनुमोदित किया गया है और इसे दिनांक 13.07.2020 को सरकारी गजट में अधिसूचित किया गया है। वित्त वर्ष 2019–2020 के लिए वार्षिक लेखा अधिसूचित प्रपत्र में तैयार किया गया है।

24. संविदा पर सौंपी गई पूँजी की देयता, मार्च, 2020 के अंत में रु. 79993.33 लाख होने की उम्मीद है।

25. दिनांक 31 मार्च, 2020 तक ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से उन्हें प्रदान किए गए कार्यों/ठेकों के एवज में सुरक्षा जमा, बयाना राशि तथा संग्रहण अग्रिम के लिए रु. 31135.84 लाख (पूर्व वर्ष में रु. 30849.48 लाख) पर मूल्यांकित बैंक गारंटी प्राप्त हुई हैं।

26. दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण के कब्जे में स्थान–वार भूमि/पट्टा भूमि का विवरण “अनुबंध–ख” में संलग्न है।

27. दिनांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में स्थित स्थायी परिसंपत्तियों एवं उन पर मूल्यहास का विवरण “अनुबंध–ग” में संलग्न है।

28. भाअजप्रा ने मार्च, 2017 में स्वरूपगंज, नदिया जिला (पश्चिम बंगाल) में लिए गए सेपरेट लैंड पार्सल के अग्रिम पट्टे किराए हेतु 30 वर्षों के लिए दीर्घावधि पट्टे पर रु. 2.17 करोड़ का भुगतान किया। इसे अग्रिम के रूप में दर्शाया गया है और अभी पट्टा करार केपीटी के साथ निष्पादित किया जाना है।

29. नेमाती में रु. 3,91,246/- कीमत की 7 बीघा, 2 कठा, 14 लेस्स भूमि का कटाव और इसी तरह से हत्सिंगमारी में रु. 5,86,229/- की कीमत की 12 बीघा, 4 कठा, 9 लेस्स भूमि का कटाव हुआ। जल संसाधन विभाग और ब्रह्मपुत्र बोर्ड द्वारा क्रमशः नेमाती और हत्सिंगमारी में कटाव–रोधी कार्य को ध्यान में रखते हुए भूमि को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। राजस्व विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, भूमि को 15 वर्ष के भीतर पुनः प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए, कटाव हुई भूमि को बही खातों में नहीं लिया जाता है।

30. (i) आयकर अपीलीय अधिकरण (आईटीएटी), नई दिल्ली ने जुलाई, 2006 में निर्धारण वर्ष 1988–1989 से 1997–1998 (निर्धारण वर्ष 1990–91 को छोड़कर) के लिए निर्णय किया कि प्राधिकरण को मिलने वाले अनुदान राजस्व की प्रकृति के नहीं हैं और इसलिए कर योग्य नहीं हैं। आईटीएटी के आदेश को अमल में लाते समय, एसीआईटी, नौएडा ने नवम्बर, 2010 में नया निर्धारण आदेश जारी किया जिसमें प्राधिकरण की विविध प्राप्तियों को आय के रूप में माना गया है तथा शास्ति लगाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। शास्ति सहित देय कर वसूल कर लिया गया है। उसके बाद, प्राधिकरण ने लगातार मामले को आईटीएटी, नई दिल्ली में अपील तथा काउंटर अपील के जरिए उठाया; सीआईटी (अपील), गाजियाबाद ने



प्राधिकरण द्वारा विविध प्राप्तियों को आय के रूप में समझे जाने संबंधी एसीआईटी, नौएडा के आदेश को यथावत मानते हुए अपीलों को खारिज कर दिया था।

प्राधिकरण ने सीआईटी (अपील) के आदेश के विरुद्ध आईटीएटी, नई दिल्ली में एक अपील दाखिल की। आईटीएटी, नई दिल्ली ने अपने दिनांक 21.11.2014 के आदेश के तहत इस विचार के साथ आदेश पारित किया था कि अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में अनुदान जारी करने के दौरान विविध प्राप्तियों को सरकार की ओर समायोजित / वापिस किया जाता है। इसलिए, उसे प्राधिकरण की आय के रूप में नहीं माना जा सकता। आईटीएटी, नई दिल्ली के आदेश को लागू करने के लिए मामला डीसीआईटी (छूट), गाजियाबाद के पास लम्बित है।

(ii) एसीआईटी, नौएडा ने नवम्बर, 2010 के नए निर्धारण आदेश में शास्ति लगाई तथा रु. 11.80 करोड़ की मांग की, जिसकी वसूली आयकर विभाग द्वारा कर ली गई है। आयकर विभाग द्वारा वसूल की गई राशि को उस विशेष वित्त वर्ष में प्राप्त अनुदान से प्रभारित किया गया था।

इसके पश्चात् एसीआईटी, नौएडा ने इस आशय के साथ आदेश जारी किया था कि आईटीएटी के निदेश को ध्यान में रखते हुए धारा-271 (1)(सी) के तहत शास्ति के नए अधिनिर्णय की आवश्यकता नहीं है। एसीआईटी, नौएडा के कथित आदेश के खिलाफ प्राधिकरण ने धारा-154 के तहत आईटीएटी, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार मामले की समीक्षा करने के लिए एसीआईटी, नौएडा / गाजियाबाद में एक आवेदन दाखिल किया था। प्राधिकरण द्वारा मामले को विभाग के उच्चाधिकारियों के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है और वर्तमान में यह मामला डीसीआईटी, गाजियाबाद के पास लंबित है।

(iii) प्राधिकरण दिनांक 01.04.1998 से धारा 12ए के तहत पंजीकृत है और इसे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23सी) (iv) और (v) के तहत छूट प्राप्त है।

31. भारत—बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग (आईबीपी)

(i) भारत तथा बांग्लादेश के बीच अंतर्देशीय जल पारगमन तथा व्यापार प्रोटोकॉल नामक एक प्रोटोकॉल करार है जिसके तहत किसी भी देश के जलयान प्रत्येक देश के नदी मार्गों के विनिर्दिष्ट मार्गों के जरिए आवागमन कर सकते हैं। इन प्रोटोकॉल मार्गों के तहत प्रत्येक देश में 6 पोर्ट्स ऑफ काल हैं। यह करार जून, 2020 तक वैध है और भारत—बांग्लादेश व्यापार समझौते के अनुसार स्वतः नवीकरणीय है।

(ii) बांग्लादेश और भारत के पोत परिवहन सचिवों की 6–7 दिसम्बर, 2016 को ढाका में आयोजित बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया था कि भारत तथा बांग्लादेश के बीच लागत को 80:20 के अनुपात में साझा करते हुए “प्रोटोकॉल मार्गों के दो प्रखंडों में अर्थात् ज़ाकीगंज / करीमगंज से आशुगंज तथा सिराजगंज – दैखोवा के 470 कि.मी. में 2.5 मी. गहराई बनाए रखने हेतु निर्कषण किया जाना है”। निविदा को सभी करों सहित बीडीटी 322.95 करोड़ की कुल लागत पर बांग्लादेश सरकार द्वारा मैसर्स धरती – बंगा जेवी को 7 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया गया है। विदेश मंत्रालय द्वारा पीएमसी को नियुक्त करने का प्रस्ताव भी विचाराधीन है। कार्य 31 मार्च, 2019 से शुरू हुआ और प्रगति पर है। उपर्युक्त प्रोटोकॉल मार्ग के विकास से राष्ट्रीय जलमार्ग-2 के जरिए रा.ज.-1 पर वाराणसी से सदिया (असम) तक तथा पटना (बिहार), साहिबगंज (झारखंड), हल्दिया (पश्चिम बंगाल) के रास्ते राष्ट्रीय जलमार्ग-16 के जरिए लखीपुर (असम) तक निर्बाध कनेक्टिविटी हो जाएगी।

भारत की ओर से भाअजप्रा इस परियोजना को नोडल एजेंसी के रूप में देख रहा है। संयुक्त निगरानी समिति (जेएमसी) का गठन भारत सरकार द्वारा किया गया है, जिसमें सदस्य (तकनीकी), भाअजप्रा, मुख्य अभियंता (प्रौद्योगिकी), भाअजप्रा, निदेशक (अजप), पोत परिवहन मंत्रालय, प्रथम सचिव, आईएचसी, ढाका शामिल हैं।

32. वर्ष 2019–20 के दौरान चालू वर्ष के अनुसूची –14 कॉलम में पूँजीकृत परिसंपत्तियां के तहत डीएफओ, काशी वन्यजीव प्रभाग को कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य शताब्दी ट्रस्ट की स्थापना के लिए के लिए रु. 9,36,97,387 /—का भुगतान

किया गया, जिसे वित्त वर्ष 2018–19 में चालू पूंजीगत कार्य में दिखाया गया है, को वसूली योग्य दावा में अंतरित किया गया है और सिंचाई विभाग, केरल सरकार के कार्यकारी अभियंता को रु. 285.00 लाख की राशि का भुगतान त्रिकुणापुङ्गा में 40 फीट के नौचालन लॉक की मरम्मत के लिए भुगतान किया गया है और इसे वित्त वर्ष 2018–19 में चालू पूंजीगत कार्य के रूप में दर्शाया गया है, को लॉक गेट के मरम्मत और अनुरक्षण के रूप में राजस्व व्यय में अंतरित किया गया है।

33. वार्षिक लेखों को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखाकार मानकों के अनुसार यथासंभव तैयार किया गया है।

34. जहाँ कहीं आवश्यक समझा गया, वहाँ उनका पुनर्संमूहन तथा पुनर्वर्गीकरण कर दिया गया है।

35. सभी आंकड़ों को निकटतम रूपए में पूर्णांकित किया गया है तथा कोष्ठक () में ऋणात्मक आंकड़े दर्शाए गए हैं।

(ए.के. गुप्ता)
निदेशक (वित्त एवं लेखा)

(राजेश कुमार पाठक)
सदस्य (वित्त)

(प्रवीर पाण्डेय)
उपाध्यक्ष

(डॉ. अमिता प्रसाद)
अध्यक्ष

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(अनिल)

अध्यक्ष



ATUL K. GARG & CO.
 Chartered Accountants
(A Peer Reviewed Firm)

25. लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

1. हमने भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण कालादान परियोजना के 31 मार्च, 2020 के संलग्न तुलन पत्र और इस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु इसके साथ संलग्न आय एवं व्यय लेखा का भी अंकेक्षण किया है। परियोजना प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों के प्रति उत्तरदायी है। हमारा उत्तरदायित्व अंकेक्षण पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करना है।
2. हम अपना अंकेक्षण भारत में सामान्यतया स्वीकृत अंकेक्षण मानकों के अनुसरण में संचालित करते हैं। इन मानकों के संदर्भ में यह आवश्यक है कि हम इस प्रकार अंकेक्षण करें कि यह तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि क्या वित्तीय विवरणों की सामग्री त्रुटि मुक्त है। अंकेक्षण में, जांच आधारित परीक्षण, राशि के समर्थन में साक्ष्य और वित्तीय विवरणों का प्रकटन शामिल है। अंकेक्षण में, उपयोग में लाए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलन के निर्धारण के साथ ही संपूर्ण वित्तीय विवरण प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमें विश्वास है कि हमारा अंकेक्षण हमारी राय को एक औचित्यपूर्ण आधार प्रदान करता है।
3. हम सूचित करते हैं कि:
 - (i) हमने सभी जानकारी एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमें विश्वास है कि हमारी जानकारी में अंकेक्षण के प्रयोजन से आवश्यक थे;
 - (ii) हमारी राय में, जहां तक हमारे परीक्षण से दृष्टिगोचर होता है, परियोजना स्तर पर विधि द्वारा यथा अपेक्षित उचित लेखा बही रखी गई है।
 - (iii) इस रिपोर्ट से संबद्ध तुलन पत्र और आय एवं व्यय लेखा, परियोजना के लेखा बही के अनुरूप है।
 - (iv) हमारी राय में और हमारी जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त लेखों के साथ पठित महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों तथा अनुसूची एवं लेखों में अन्यथा मौजूद लेखों पर टिप्पणियां, भारत में सामान्यतया स्वीकृत अंकेक्षण सिद्धांतों की पुष्टि में सही और उचित मत देते हैं:
 - (क) यथा दिनांक 31 मार्च, 2020 के अनुसार परियोजना के मामलों की दशा के तुलन पत्र के मामले में;
 - (ख) उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु अधिशेष / घाटा के आय और व्यय लेखा के मामले में।

कृते अतुल के. गर्ग एंड कंपनी

सनदी लेखाकार
 (एफआरएन 15668एन)



सीए. डी. डी. गोयल
 सहभागी

एम. नं. 90332

यूडीआईएन 20090332एएएबीपी6660

स्थान: नौएडा
 दिनांक : 24.07.2020

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण
यथा दिनांक 31.03.2020 के अनुसार तुलन पत्र

(राशि रुपए में)

पूर्व वर्ष	देयता	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	आस्ति	चालू वर्ष
362,150 322,301	पूंजीगत आरक्षित निधियाँ अचल परिसंपत्तियों हेतु पूंजी घटाएँ— प्रतिस्थापन आरक्षित निधियाँ	362,150 326,051	362,150 322,301	अचल परिसंपत्तियाँ सकल ब्लॉक घटाएँ: मूल्यहास निवल ब्लॉक (अनुसूची I के संदर्भ में)	362,150 326,051
39,849		36,099	39,849	नकद एवं बैंक शेष सिडिकेट बैंक, नौएडा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, नौएडा	36,099
3,832,388 4,667,978	पूंजीगत आरक्षित निधियाँ ब्यय / देय दावा विदेश मंत्रालय से प्रतिधारण निधि (अनुसूची II के नोट 1 के संदर्भ में) जीएसटी पर देय टीडीएस	4,485,152 48,601,160	12,146 500,644	3,276,325 500,154 अल्पावधि जमाएँ सिडिकेट बैंक, नौएडा यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, नौएडा	3,276,325 500,154
0		198,708	722,000 1,027,000	2,280,000 44,106,000	
			14,645 6,223,931	0 3,122,541	
8,540,215		53,321,119	8,540,215		53,321,119

अनुसूची-I से II लेखों का एक अभिन्न हिस्सा है
समाप्तियों की संलग्न लेखा परिक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते अपुल के गण एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 01566845न)



सीए डी.डी. गोयल
सहभागी
एम. नं. 090332
यूडीआईएन 20090332एएबीपी6660
स्थान: नौएडा
दिनांक : 24.07.2020

मा. वी. के. रेड्डी
मुख्य अधिकारी

(ए.के. गुप्ता)
निदेशक (वित्त एवं लेखा)

कृते तथा भारतीय कालादान परियोजना के निमित्त

माओजप्रा—कालादान परियोजना
 यथा दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु आय एवं व्यय लेखा

(राशि रुपए में)

पूर्व वर्ष	व्यय	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	आय	चालू वर्ष
19,330,526	परामर्शी प्रभार	22,011,833		649,527	बैंक ब्याज
8,947	डाक, टेलीग्राम एवं टेलीप्राम	6,004	20,191,636		परामर्शी शुल्क
613,899	यात्रा खर्च – निदेशी	442,480			(अनुसूची II के नोट 2 के संदर्भ में)
19,004	लेखा परीक्षा शुल्क	20,807	12,852		प्रति के अनुसार प्रतिस्थापन आरक्षित निधि
157,962	बैंक शुल्क	8,519			3,751 (प्रति के अनुसार मूल्यहास)
237,262	जीएसटी पर ब्याज	0			विविध प्राप्तियाँ
98,630	विविध प्रभार	3,751			
12,852	मूल्यहास	127,421			
374,933	विशेषज्ञों को पारिश्रमिक				
20,854,015		22,620,815		20,854,015	22,620,815

अनुसूची-I से II लेखों का एक अभिन्न हिस्सा है
 समातिथि की संलग्न लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
 कृते अनुल के गर्ग एंड कंपनी
 सनदी लेखाकार
 (एफआरएन 0156684न)



सीए डी.डी. गोयल
 सहभागी
 एम. नं. 090332
 यूडीआईएन 20090332एएएवीपी6660
 स्थान: नौएडा
 दिनांक : 24.07.2020

कृते तथा माओजप्रा कालादान परियोजना के निमित्त

(ए.के. गुप्ता)
 निदेशक (वित्त एवं लेखा)

(ए.के. पटेल)
 मुख्य अधिकारी

अनुसूची— 1

माआज्यप्रा—कालादान परियोजना
यथा दिनांक 31.03.2020 को अचल परिसंपत्तियों हेतु अनुसूची

क्र. सं.	विवरण	यथा 31.03.2019 को सकल ब्लॉक	वर्ष के दौरान बुद्धि	समायोजन	यथा 31.03.2020 को सकल ब्लॉक	मूल्यहास	वर्ष में मूल्यहास	कुल	यथा 31.03.2020 को निवल ब्लॉक
1	फर्नीचर एवं फिक्सचर	103,334	-	-	103,334	75,657	3,751	79,408	23,926
2	कंप्यूटर	243,452	-	-	243,452	231,279	-	231,279	12,173
3	अस्थायी सरकार	15,364	-	-	15,364	15,364	-	15,364	-
	कुल	362,150	-	-	362,150	322,300	3,751	326,051	36,099

अनुसूची—I से II लेखों का एक अभिन्न हिस्सा है
समतिथि की संलग्न लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुसार
कृते अतुल के गर्म एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 015668एन)



सीए डी.डी. गोयल
सहमानी
एम. नं. 090332
यूडीआईएन 20090332एएवीपी6660
स्थान: नौएडा
दिनांक : 24.07.2020

(ए.क. गुप्ता)
निदेशक (वित्त एवं लेखा)

कृते तथा माआज्यप्रा कालादान परियोजना के निमित्त

 (एस.वी.के. रेशी)
मुख्य अधियंता

अनुसूची-II
यथा दिनांक 31.03.2020 के अनुसार लेखों का टिप्पणी अंश

1. भारत सरकार और म्यांमार सरकार के बीच मुख्य भूमि भारत और उत्तर पूर्वी राज्य, विशेषकर मिज़ोरम के बीच एक वैकल्पिक परिवहन संबद्धता के विकास हेतु दिनांक 02.04.2008 के फ्रेमवर्क करार के अनुसार म्यांमार में कालादान मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन परियोजना कार्यान्वित की जानी है। मल्टीमॉडल परिवहन प्रणाली द्वारा म्यांमार के जरिए पारगमन प्रस्तावित संबद्धता का महत्वपूर्ण भाग है। विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने नोडल एजेंसी के रूप में परियोजना के कार्यान्वयन हेतु दिनांक 19.03.2009 के करार एवं दिनांक 28.04.2016 के पूरक अनुबंध द्वारा भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को परियोजना विकास परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है। वर्तमान में परियोजना विकास परामर्शदाता के रूप में भाअजप्रा की जिम्मेदारी केवल पत्तन एवं अजप संघटकों के कार्यान्वयन की है। भाअजप्रा, परियोजना के कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित प्रभावी अनुमानित लागत अथवा वास्तविक / निविदा लागत (जो भी कम हो) तथा अन्य सांविधिक करों के 6 प्रतिशत परामर्शी/प्रबंधन शुल्क के साथ परियोजना विकास परामर्शदाता होगा। परियोजना के विशिष्ट मील के पथर/प्रदेय के अनुसार भाअजप्रा को किश्तों में धन—राशि जारी की जाएगी। यह परियोजना पूरी तरह से विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित की जानी है।

यथा दिनांक 31.03.2020 को परामर्शी शुल्क हेतु विदेश मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम की स्थिति इस प्रकार है:—

विवरण	राशि (रु.)
दिनांक 01.04.2019 को प्रारंभिक शेष	46,67,978.00
जमा: वर्ष के दौरान विदेश मंत्रालय से प्राप्त निधि	6,46,95,300.00
परामर्शी शुल्क हेतु कुल निधि	6,93,63,278.00
घटा: वर्ष के दौरान प्रयुक्त (अनुसूची II के नोट 2 का संदर्भ ले)	2,07,62,118.00
विदेश मंत्रालय से अग्रिम शेष	4,86,01,160.00

- वित्तीय वर्ष के दौरान उपगत व्यय की मात्रा हेतु परामर्शी शुल्क का हिसाब रखा गया है और उसे परामर्शी शुल्क हेतु “विदेश मंत्रालय से प्राप्त अग्रिम” से समायोजित किया गया है।
- अचल परिसंपत्तियों पर मूल लागत के पाँच प्रतिशत अवशिष्ट मूल्य के दृष्टिगत कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्धारित उपभोग अवधि पर एसएलएम पद्धति पर मूल्यहास दिया गया है। कंपनी ने परिसंपत्तियों की उपभोग अवधि को कंपनी अधिनियम, 2016 के अनुसार माना है। मूल्यहास पूरे क्रय वर्ष के लिए प्रभारित किया गया है और परिसंपत्ति के प्रशमन/विक्रय वर्ष में कोई मूल्यहास प्रभारित नहीं किया जाएगा।

हमारी समतिथि रिपोर्ट के अनुसार
कृते अतुल के गर्ग एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 015668एन)
सीए डॉ.डी. गोयल
सहभागी
एम. नं. 090332
यूडीआईएन 20090332एएएबीपी66660
स्थान: नौएडा
दिनांक : 24.07.2020


(ए.के. गुप्ता)
निदेशक (वित्त एवं लेखा)

कृते तथा भाअजप्रा कालादान परियोजना के निमित्त

(एस.वी.के. रेड्डी)
मुख्य अभियंता

मारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

26. 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार कार्यालय—वार मूभि विवरण

क्र. सं.	मूभि की अवधिति	आधिगृहीत मूभि (प्रति वर्ष मीट्र)	कब्जे में भूमि (प्रति वर्ष)	भाइजप्रा के नाम में निषादित स्वतंत्र लिखेख	क्या परिवर्तन किया गया	अतिक्रमण (दृष्टि कोई)	भूमि स्वतंत्रिकार	दिपणी
क	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
कोलकाता कार्यालय								
1	हालिया पूर्वा जिला मिदनपुर (प.बं.)	103.19	103.19	दिनांक 04.03.1994 से 02.02.2021 तक प्रभारी पट्टा आधार	नहीं	शून्य	136817 (भासिक)	यह लैंडिस 02 फरवरी 2021 को समाप्त हो जाएगी। हालांकि, खासी / दीर्घकालिक रूप से भूमि पर कब्जा करने का प्रस्ताव है अर्थात् 30 साल के आधार पर भाइजप्रा ने आरआईएस स्टेशन, सड़क विकास, पारामर्श शब्द, पलाई ऐश की लोडिंग के लिए 3 गोवरे जोहियों की सुविधा दी है।
2	बीआईएसएन जीआरजे—1 जिला कोलकाता(प.बं.)	30409.64	30409.64	दिनांक 31.10.2018 को सौंपा गया और लिया गया और दिनांक 08.02.2020 को विक्री लिखेख का पंजीकरण निषादित किया गया प्रक्रिया होगी	लौंगडाउन हटने के बाद म्प्रेटेशन की प्रक्रिया होगी	शून्य	क्रय की गई	जर्मन को फर्ते ही कोंपोर्टी से भाइजप्रा को हस्तांतरित कर दिया गया है और विक्री लिखेख दिनांक 08.02.2020 को निषादित की गई है।
3	जी.आर. जेटटी—11 जिला कोलकाता(प.बं.)	14557	14557	दिनांक 31.10.2018 को सौंपा गया और लिया गया और दिनांक 08.02.2020 को विक्री लिखेख का पंजीकरण निषादित किया गया	वही	शून्य	क्रय की गई	वही
4	हालिया पूर्वा जिला मिदनपुर (प.बं.)	246858.155 (61एकड़)	246858.155 (61एकड़)	दिनांक 23.04.2018 से 22.04.2018 को लौज डीड तेयार की गई	नहीं	शून्य	291292 (वार्षिक ^{लाप से लगाए गए शुल्क})	भूमि दीर्घकालिक अर्थात् 30 साल के आधार पर पटे पर लेने का प्रत्याहार है। हालांकि, इस भूमि को खासी हस्तांतरण के आधार पर लेने का प्रत्याहार है ताकि तीसरे पक्ष टर्मिनल सेवा अनुबंध दिया जा सके।
5	हालिया (खेलवे साइडिंग हेटु) पूर्वा जिला मिदनपुर प. बंगाल	43341.832 (10.71एकड़)	43341.832 (10.71एकड़)	अनुमोदन मुख्यालय से प्रतीक्षारत	नहीं	शून्य	36304 (भासिक)	मुख्यालय से अनुमोदन की प्रतीक्षा है। हालांकि, इस भूमि को खासी हस्तांतरण के आधार पर लेने का प्रत्याहार है ताकि उनकी पार्टी टर्मिनल सेवा अनुबंध दिया जा सके।
6	स्वरूपगंज स्टोर नादिया, जिला प. बंगाल	290	290	18.08.2001 से प्रभावी पट्टा आधार	नहीं	शून्य	36304 (भासिक)	मासिक विसरण के आधार पर, हालांकि भाइजप्रा, नौएडा ने दिनांक 31.03.2017 को 30 वर्षों की लंबी अवधि के आधार पर पटे को विनियमित करने के लिए, रु.2,08,16,329/- जारी किए हैं। लेकिन कई अनुसरक के बाद बोर्ड से अनुमोदन प्राप्त नहीं होने के कारण आज तक नियमित नहीं किया गया है।
7	स्वरूपगंज स्टोर नादिया, जिला प. बंगाल	22.5	22.5	18.08.2002 से प्रभावी पट्टा आधार	नहीं	शून्य	2401 (भासिक)	

क्र. सं.	भूमि की अवधिति	अधिगृहीत भूमि (प्रति वर्ग मीट)	कब्जे में भूमि (प्रति वर्ग मीट)	भाइजप्रा के नाम में निषादित स्वत्व विलेख	क्या परिवर्तन किया गया	अतिक्रमण (यदि कोई)	भूमि स्वत्वाधिकार	टिप्पणी
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
8	स्वरक्षणजं रस्टोर नारिया, जिला प. बंगाल	25	25	01.01.2003 से प्रभावी पट्टा आधार	नहीं	शून्य	26667 (मासिक)	
9	खीटीपुर, जिला कोलकाता में कार्यालय भवन	941	941	01.07.2005 से प्रभावी पट्टा आधार	नहीं	शून्य	92638 (मासिक)	कार्यालय भवन की भूमि 11 महीने के किरण के आधार पर है। हालांकि, 30 साल की लंबी अवधि के पहुंच स्थायी हस्तांतरण के आधार पर भूमि को लेने का प्रस्ताव है ताकि कार्यालय भवन का निर्माण शुरू किया जा सके।
10	प्रिंसप घाट	446.75	446.75	नहीं	शून्य	लागू नहीं	पर्यटक जेही, तीमा शुटक और आवाजन कार्यालय के निर्माण के लिए व्यापी हस्तांतरण के आधार पर भूमि लेने के लिए केंओपीटी को प्रस्ताव भेजा गया।
पट्टना कार्यालय								
1		11868.23	11868.23		हाँ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	निम्न तल जेटी, टर्मिनल
2	गायथ्राट, पट्टना, जिला पट्टना	4046.86	4046.86	07.10.2013	हाँ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	उच्च तल जेटी, डीजीपीएस स्टेशन, आरआईएस टर्मिनल
3		17401.50	17401.50	नहीं, लेकिन 27.01.1987 से भूमि भाइजप्रा के कब्जे में है	नहीं	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	राष्ट्रीय अन्तर्राष्ट्रीय नौवहन स्थान, निर्मी निर्मी का विस्तार
4		5539.34	5539.34	07.10.2013	हाँ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	डीजीपीएस स्टेशन, आरआईएस स्टेशन
5	बाई खंजपुर, भगलपुर, जिला भगलपुर	15620.87	15620.87	16.03.2013	हाँ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	
6	खास महल गिर्द किला, मुग्रे, जिला मुग्रे	13759.31	13759.31	नहीं, लेकिन 19.06.1995 से भूमि भाइजप्रा के कब्जे में है	नहीं	40%	पूर्ण स्वामित्व	आरआईएस स्टेशन
7	झुंगरपुर, जल्लापुर, जिला गाजीपुर	43860	43860	21.09.2017, 17.10.2017, 17.11.2017, 18.11.2017, 01.12.2017, 18.01.2018, 16.02.2018, 17.02.2018, 22.02.2018, 26.02.2018, 27.02.2018, 21.03.2018, 23.03.2018	हाँ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	टर्मिनल, संपर्क सड़क
8	मिल्किपुर जिला, चंदोली	9740.67	9740.67	भूमि भाइजप्रा के कब्जे में	हाँ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	भाइजप्रा फ्रेट विलेज
9	लावेन खुट्ट, इलाहाबाद, जिला इलाहाबाद	87590	87590	25.01.2004	हाँ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	अजप टर्मिनल के लिए भूमि
10	समदानाला, साहिबगंज, जिला साहिबगंज	741099.64	741099.64	04.01.2019	हाँ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	भाइजप्रा मट्टीमॉडल टर्मिनल

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण



क्र. सं.	भूमि की अवधिति	अधिगृहीत भूमि (प्रति वर्ग मीट्रो)	भाऊजपा के नाम में निष्पादित स्वत्व विलेख	व्या परिवर्तन किया गया	अतिक्रमण (यदि कोई)	भूमि स्वत्वाधिकार	टिप्पणी
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11	मनिहारी मस्कान, (मनिहारी), जिला कटिहार	743.49	743.49	नहीं	नहीं	पट्टाधृत	29 वर्ष 11 माह के लिए पट्टे के आधार पर श्रीमती चारदकान्ता बाई, केयर ऑफ श्री प्रदीप नारायण सिंह, गांव – मनिहारी, मस्कान, पी.ओ.–मनिहारी, जिला–कटिहार से ली गई। दिनांक 07.02.2017 को पट्टा विलेख पंजीकृत।
12	मार्ची, हथियाह, जिला पटना	743.49	743.49	नहीं	नहीं	पट्टाधृत	29 वर्ष 11 माह के लिए पट्टे के आधार पर श्री हरिश प्रसाद सिंह, केयर ऑफ श्री विनोद सिंह, गांव+पी.ओ. + पीएस – मार्ची, जिला–पटना से ली गई। दिनांक 03.05.2016 को पट्टा विलेख पंजीकृत।
13	नवादा, बाड़, जिला पटना	662.64	662.64	03.05.2016 से पट्टाधृत भाऊजपा के कब्जे में है	नहीं	पट्टाधृत	29 वर्ष 11 माह के लिए पट्टे के आधार पर श्री अमिषेक कुमार सिंह, केयर ऑफ श्री रविचंद्र सिंह, गांव–नवादा, पी.ओ.–मोहम्मदपुर, जिला–पटना से ली गई। दिनांक 03.05.2016 को पट्टा विलेख पंजीकृत।
14	मोजम्पुर, आरा, जिला भाजपुर		797.03	797.03	नहीं	पट्टाधृत	29 वर्ष 11 माह के लिए पट्टे के आधार पर श्री देव बल्लव सिंह, केयर ऑफ स्क. रामचंद्र सिंह, गांव–मोजम्पुर, पी.ओ.–मार्दुलीघाट, जिला–भाजपुर से ली गई। दिनांक 31.08.2017 को पट्टा विलेख पंजीकृत।
15	गोविंदपुर खास, भरोली, जिला बलिया	743.49	743.49	22.12.2016 से पट्टाधृत भाऊजपा के कब्जे में है	नहीं	पट्टाधृत	29 वर्ष 11 माह के लिए पट्टे के आधार पर श्री कुमार राय, केयर ऑफ श्री युगल किशोर राय, गांव – भरोली, पी.ओ. – भरोली, जिला–बलिया से ली गई। दिनांक 22.12.2016 को पट्टा विलेख पंजीकृत।
ग्राहार्थी कार्यालय							
1	पांडु कामरूप मेट्रो जिला	77870	77870	भारत सरकार की भूमि (रेलवे) स्वत्व विलेख भाऊजपा के नाम में निष्पादित नहीं किया गया	नहीं	सरकारी भूमि (रेलवे)	सीआईडब्ल्यूटीसी से सरकारी भूमि ली गई। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पांडु स्थित भूमि रेल विभाग के नाम पर है। हालांकि भूमि भाऊजपा के कब्जे में है।
2	जोगीघोपा (टर्मिनल), जिला बोगर्हाङंव	164700	164700	भारत सरकार की भूमि स्वत्व विलेख भाऊजपा के नाम में निष्पादित नहीं किया गया	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	स्वत्व विलेख निषादित नहीं किया गया। भाऊजपा के नाम पर नाम परिवर्तन करने के लिए आवेदन किया गया। सरकाल आफिसर बैंटिमरी ने नाम परिवर्तन के अनुमति देने के लिए डीरेक्टर स्प्रिंट प्रस्तुत की है। जोगीघोपा भूमि का यह नाम अतिक्रमण से मुक्त है और भाऊजपा के कब्जे में है।
				असम सरकार से अधिगृहीत			भूमि कुछ रीपा तक नहीं हो चुकी है। एडीसी जोरहाट से नद द्वारा चुकी भूमि की स्थिर प्राप्त हुई ढंच पिलर किविसा द्वारा 12.11.2018 को सीमांकन कूपा हुआ। भाऊजपा अब इस स्थान पर रोने सुविधाओं के लिए

क्र. सं.	भूमि की अवधिति	अधिगृहीत भूमि (प्रति वर्ग मीट)	कब्जे में भूमि (प्रति वर्ग मीट)	भाऊजपा के नाम में निषादित स्वत्व विलेख	व्या परिवर्तन किया गया	अतिक्रमण (यदि कोई)	भूमि स्वत्वाधिकार	टिप्पणी
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
3	निमाई, जिला जोरहट	20000	20000	15.05.2018 को टेलीफोन वार्तालाप के अनुसार स्वत्व विलेख भाऊजपा के नाम में निषादित	हाँ	हाँ	पूर्ण स्वामित्व	बुनियादी ढाँचा तैयार कर रखा है। रो-रो सेवा एवं से ही नेमाटी से कमलाबड़ी तक पहले ही युक्त कर दी गई है। हालांकि अतिक्रमण के कारण भाऊजपा के लिए विकास गतिविधियों की योजना बनाना मुश्किल हो गया है। असम सरकार से अनुरोध है कि भाऊजपा की जमीन को जल्द से जल्द खाली कराया जाए।
4	हसिंगमारी, जिला ध्रुबी	17240	17240	असम सरकार से अधिगृहीत स्वत्व विलेख भाऊजपा के नाम में निषादित नहीं किया गया	नहीं	—	पूर्ण स्वामित्व	उपायुक्त, दक्षिण सलमारा, मनकाचर, हसिंगमारी के पत्र संख्या एकाउंट-1 / 2017-21 दिनांक 20.09.2018 के अनुसार भूमि पूर्णतया नष्ट हो गई।
5	जिक्राड, जिला डिक्षुड	40190	40190	दिनांक 18.10.2012 को भाऊजपा के नाम में निषादित	हाँ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	अजप टर्मिनल और झीजीएप्स स्टेशन। ट्रैच पिलर फिलिसा द्वारा 20.02.2019 को टर्मिनल भूमि का सीमाकान प्रक्रियाधीन है। सर्कल अधिकारी द्वारा निकॉर्ड सुधार प्रस्तुत किया गए। सर्वाधिक दस्तावेज सीमाकान के समय
6	सिलघाट, जिला नागोन	20070	20070	दिनांक 24.01.2013 को भाऊजपा के नाम में निषादित	हाँ	—	पूर्ण स्वामित्व	एडीसी, नागोन के पत्र संख्या एनआएस-65 / 2014 / 63, दिनांक 18.09.2018 के अनुसार भूमि पूर्णतया नष्ट हो गई।
7	बिशवानाथ घाट, जिला सोनितपुर	6300	6300	दिनांक 16.03.2013 को भाऊजपा के नाम में निषादित	हाँ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	भाऊजपा टर्मिनल चालू है।
8	ध्रुबी, जिला ध्रुबी	32500	32500	दिनांक 18.07.2013 को भाऊजपा के नाम में निषादित	हाँ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	टर्मिनल चालू है।
				17501	17501	प्रक्रियाधीन	नहीं	भाऊजपा के पत्र में नाम परिवर्तन प्रक्रिया में है।
9	ओसिम घाट, जिला धमाजी	26000	26000	असम सरकार से अधिगृहीत स्वत्व विलेख भाऊजपा के नाम में निषादित नहीं किया गया	नहीं	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	भूमि का नाम परिवर्तन नहीं किया गया दूर्विक एसडीओ (सी), जोनाइ ने 80 प्रतिशत गलती से रजत्य में जमा हो गई। मामले को डीसी धमाजी के समक्ष उठाया गया। राज्य एक्सचेकर में जमा की गई आकस्मिक धनराशि के साथ मुआवजा राशि को जारी करने के लिए एसडीओ जोनाइ ने अयुक्त एवं सवित्र, असम सरकार, दिसपुर का पत्र संख्या जेएनआई-3 / 2013 / 16 / 1150-552, दिनांक 20.12.2018 को एक पत्र लिखा। कृपया देखें चालान सं. 2015 / 08 / 00562, दिनांक 17.08.2015 धनराशि। समलाल सचिव, दिसपुर के समक्ष उठाया गया है और अभी तक निपटन के लिए लवित है।

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण



क्र. सं.	भूमि की अवधिति	आधिगृहीत भूमि (प्रति वर्ग मीट्रो)	भाइजप्रा के नाम में निष्पादित स्वत्व विलेख	कब्जे में भूमि (प्रति वर्ग	भाइजप्रा के नाम में निष्पादित स्वत्व विलेख	क्या परिवर्तन किया गया	अतिक्रमण (विदि कोई	भूमि	स्वत्वाधिकार	टिप्पणी
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
10	ओल्ड जोगीघोपा पोर्ट	416826	शून्य	भारत सरकार की भूमि स्वत्व विलेख भाइजप्रा के नाम में निष्पादित नहीं किया गया	नहीं	हाँ	पूर्ण स्वामित्व	जोगीघोपा पत्तन की 15। एकड़ भूमि का आधिगृहण एसडीओ (सिविल) गोलपाड़ा, भूमि आधिगृहण शाखा वर्ष 1965-66 में केस नं. 26एल/65-66 के आधार पर किया और विकास के लिए एसडीओ (पीडब्ल्यूडी) अभ्युपुर्ये को सौंप दिया। पत्त परिवहन और ट्रांसपोर्ट मञ्चालय, भारत सरकार (जब पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मञ्चालय) से प्राप्त निर्देश के अनुसार विकास के बाद, दिनांक 18 अगस्त, 1970 के पत्र संख्या 3-जूजप (10)/ 69 के द्वारा भारत संघ ने सीआईडब्ल्यूटीसी को केयर टेकर के रूप में एजेंसी के आधार पर दो तरानों (जोगीघोपा और पार्डु) के अनुस्थान के लिए अनुदंड दिए। दिनांक 17.01.2004 को पारकज्ञा ने 40।10 एकड़ भूमि सीआईडब्ल्यूटीसी लिमिटेड से अधिगृहीत की। यह पूरी तरह से सरक्षित है। जोगीघोपा भूमि का यह भाग अतिक्रमण से छुकता है। दिनांक 26.04.2017 को 103 एकड़ भूमि का एक और भाग सीआईडब्ल्यूटीसी से लिया गया था। जोगीघोपा की इस भूमि पर अनिवार्यत लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया है। लोकेन अनिवार्यकृत रूप से अतिक्रमण करने वाले 68 लोगों द्वारा माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय में डब्ल्यूपी (सी) सं. 6230/2017 दायर करने के कारण उन्हें भूमि से बेदखल नहीं किया जा सका। जोगीघोपा और भाइजप्रा के प्रभावित भू-स्वामियों ने मुआवजे के लिए माननीय उच्च न्यायालय में एक और डब्ल्यूपी (सी) 6299/2017 दायर की। जोगीघोपा में भूमि के नाम परिवर्तन की प्रक्रिया जारी है। 9 जुलाई, 2018 को एसडीओ (सिविल) अभ्युपुर्ये ने अनन्त पत्र सख्ता एनएसआरपी/एलए/भाइजप्रा/27/2017/75 द्वारा संकरत अधिकारी बोइलामरी को डीसी बोगाइंगांव के लोस्सा (लोगमा 7। एकड़), भाइजप्रा के पक्ष में करने का परमर्श दिया। केस सं. डब्ल्यूपी (सी) 230/2017 के विरुद्ध माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय में परिवाद टिप्पणी/हलफनामा प्रस्तुत किया गया और केस सं. डब्ल्यूपी (सी) 6299/2017 के विरुद्ध एसडीओ सिविल संसदीय बुनाव के बाव अदालत के मामले को निपटाने के लिए भू-स्वामियों के साथ एक बेठक करेंगे। सुनवाई की अंतिम तिथि 18/03/2019 थी।	सीआईडब्ल्यूटीसी से भूमि ली गई। नाम परिवर्तन हो गया। शाखा कार्यालय चालू।	
11	दिक्षुगाड़ में एजेंसी बंगला	6314	6314	दिनांक 07.11.2017 को भाइजप्रा के नाम में निष्पादित	हाँ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व			

क्र. सं.	भूमि की अवधिति	अधिगृहीत भूमि (प्रति वर्ग मीट)	कब्जे में भूमि (प्रति वर्ग मीट)	भाइजप्रा के नाम में निष्पादित स्वत्व विलेख	क्या परिवर्तन किया गया	अतिक्रमण (यदि कोई)	भूमि स्वत्वाधिकार	टिप्पणी
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
12	करीगंज, रसीमर घाट	7237	7237	दिनांक 30.01.2018 को भाइजप्रा के नाम में निष्पादित हॉ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	सीआईडब्ल्यूटीसी से भूमि ली गई। नाम परिवर्तन हो गया।	
13	बदशुर, रसीमर घाट	4361	4361	दिनांक 29.01.2018 को भाइजप्रा के नाम में निष्पादित हॉ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	सीआईडब्ल्यूटीसी की पट्टा भूमि ली गई। नाम परिवर्तन हो गया।	
14	उजगांवालार	1258	1258	दिनांक 26.04.2018 को भाइजप्रा के नाम में निष्पादित हॉ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	नाम परिवर्तन हो गया। बांडी फैसिंग हो गई।	
15	फेंसी बाजार, गुवाहाटी	2157.4	2157.4	सप्तकारी भूमि स्वत्व विलेख भाइजप्रा के नाम में निष्पादित नहीं किया गया। सीआईडब्ल्यूटीसी ने भाइजप्रा को संस्कर के रूप में भूमि को हस्तांतरित किया।	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	मंत्रालय के साथ मामला उठाने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा मुख्यालय, नौएजा को सभी दस्तावेज काल क्रमानुसार भेजे गए। इस संबंध में नियंत्रण जल्दी तिया जा सकता है।	
कोची कार्यालय								
1	कोटद्युम टर्मिनल, जिला त्रिसूर	5823	5823	कब्जा और इंजायमेंट प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया	हॉ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	भाइजप्रा के नाम पर भूमि हस्तांतरित
2	आतुरा टर्मिनल, जिला एनाकुलम	13310	13310	कब्जा और इंजायमेंट प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया	हॉ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	वही
3	मरडु टर्मिनल, एनाकुलम जिला	20085	20085	कब्जा और इंजायमेंट प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया	हॉ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	वही
4	काकानाड टर्मिनल, एनाकुलम जिला	12205	12205	प्रक्रियाधीन	नहीं	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	भाइजप्रा के नाम पर भूमि हस्तांतरण प्रक्रियाधीन
5	वेयकेम टर्मिनल, कोटद्यम जिला	5184	5184	कब्जा और इंजायमेंट प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया	हॉ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	भाइजप्रा के नाम पर भूमि हस्तांतरित
6	लिकुपापुजा टर्मिनल, अलपुजा जिला	5057	5057	कब्जा और इंजायमेंट प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया	हॉ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	वही
7	थानिमुकोम टर्मिनल, अलपुजा जिला	9170	9170	कब्जा और इंजायमेंट प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया	हॉ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	वही
8	अलपुजा टर्मिनल, अलपुजा जिला	22550	22550	कब्जा और इंजायमेंट प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया	हॉ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	वही
9	कायमचुरम टर्मिनल, कोल्लम जिला	16332	16332	कब्जा और इंजायमेंट प्रमाणपत्र प्राप्त किया गया	हॉ	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	वही

क्र. सं.	भूमि की अवधिति	अधिगृहीत भूमि (प्रति वर्ग मीट्रो)	कब्जे में भूमि भारतज्ञा के नाम में निषादित स्वत्व विलेख	व्या परिवर्तन किया गया	अतिक्रमण (यदि कोई	भूमि	स्वचालिकार	टिप्पणी
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
10	चावडा टर्मिनल, कोल्हम जिला	8061	8061	प्रक्रियाधीन	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	भारतज्ञा के नाम पर भूमि हस्तांतरण प्रक्रियाधीन	
11	कोल्हम टर्मिनल, कोल्हम जिला	5812	5812	प्रक्रियाधीन	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	भारतज्ञा के नाम पर भूमि हस्तांतरण प्रक्रियाधीन	
12	नहर के चौड़ीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण							*182995 वर्धमान भूमि दिनांक 31.03.2019 को नहर में सम्मिलित और लागत राजस्व व्यय में बुक की गई।
1)	अलपुजा जिला	113147	113147	तृृकि जलमार्ग चौड़ीकरण के लिए अधिगृहीत भूमि नहर में जलमान हो गई है। और भौमिक रूप से कोई भूमि उपलक्ष नहीं है। इसलिए इसके नाम परिवर्तन हेतु कार्रवाई नहीं की गई	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	गांव के रिकार्ड में राष्ट्रीय जलमार्ग पुरकार के नाम पर ^{भूमि हस्तांतरित}	
2)	कोल्हम जिला	102178	102178		नहीं	पूर्ण स्वामित्व	गांव के रिकार्ड में राष्ट्रीय जलमार्ग पुरकार के नाम पर ^{भूमि हस्तांतरित करने की प्रिया चल रही है।}	
उप-योग		338914						
कोरीन पोर्ट ट्रस्ट से पृष्ठा आधार पर नई भूमि का विवरण								
1	रो-रो टर्मिनल	3000	3000	दिनांक 15.06.2016 को 23.04.2010 से प्रभागी 30 वर्ग के लिए भारतज्ञा और कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के बीच पड़ा विलेख निषादित किया गया	नहीं	पूर्ण स्वामित्व	नहीं	नहीं

मारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण

27. 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार अचल परिसंपत्तियों की अनुसूची

	विवरण	यथा दिनांक 31.3.2019 को सकल ब्लॉक	वर्ष के दोस्रान वृद्धिया	समायोजन/ कटौतियां	यथा दिनांक 31.3.2020 को सकल ब्लॉक (3+4+5)	यथा दिनांक 31.3.2019	वर्ष हेतु	मूल्यहास / परिशोधन	बेची परिसंपत्तियाँ हेतु समायोजन	यथा दिनांक 31.3.2020 को कुल मूल्यहास (7 + 8 + 9)	यथा दिनांक 31.3.2020 को निवल ब्लॉक (6 - 10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
नीरजा	सर्वेक्षण उपकरण	2,561,260	-	-	2,561,260	2,387,936	3,679	-	2,391,615	169,645	
वाहन		2,258,620	-	-	2,258,620	1,357,194	234,689	-	1,591,883	666,737	
फर्नीचर एवं किक्सवर	7,334,031	233,850	-	7,567,881	4,785,588	404,883	-	5,190,471	2,377,410		
कार्यालय उपकरण	12,212,530	34,790	-	12,247,320	6,931,520	1,420,353	-	8,351,873	3,895,447		
विद्युत संधापन	11,719,138	-	-	11,719,138	5,709,597	1,008,677	-	6,718,274	5,000,864		
एयर कंडीशनर	21,260,451	-	-	21,260,451	10,858,218	1,861,493	-	12,719,711	8,540,740		
वाटर कूलर एवं रेफिजरेटर	182,751	-	-	182,751	173,614	-	-	173,614	9,137		
पंखे एवं एयर कूलर	1,187,013	-	-	1,187,013	1,116,887	3,295	-	1,120,182	66,831		
जनरेटर सेट	7,047,195	-	-	7,047,195	3,087,197	360,284	-	3,447,481	3,599,714		
साइकिल	27,771	-	-	27,771	26,112	268	-	26,380	1,331		
अस्थायी संरचना	710,114	-	-	710,114	710,114	-	-	710,114	-		
पुस्तकालय पुस्तकें	1,394,547	61,924	-	1,456,471	1,394,547	61,924	-	1,456,471	-		
कंप्यूटर	26,273,981	3,072,884	-	29,346,865	20,926,047	3,059,032	-	23,985,079	5,361,786		
कंप्यूटर (सर्वेक्षण)	2,990,000	87,350	-	3,077,350	12,970	947,819	-	90,789	2,116,561		
कंप्यूटर (एफवी)		139,981	-	139,981	-	32,061	-	32,061	107,920		
संचार उपकरण	1,523,420	-	-	1,523,420	1,305,708	141,540	-	1,447,248	76,172		
भवन	110,197,880	-	-	110,197,880	34,620,716	1,846,153	-	36,466,869	73,731,011		
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	2,250,247	475,375	-	2,725,622	1,718,575	305,615	-	2,024,190	701,432		
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (सर्वेक्षण)		418,621	-	418,621		34,906	-	34,906	383,715		
आवासीय क्वार्टर	30,857,003	-	-	30,857,003	8,407,380	474,684	-	8,832,064	21,974,939		
कार पार्किंग	23,392,491	-	-	23,392,491	3,584,079	338,921	-	3,923,000	19,469,491		
पट्टा भूमि	17,951,542	-	-	17,951,542	271,655	-	-	543,310	17,408,232		
यात्री लिपट	4,612,400	-	-	4,612,400	706,689	66,826	-	773,515	3,838,885		
चोप (क)	287,944,325	4,524,775	-	292,469,100	110,092,343	12,878,757	-	122,971,100	169,498,000		

विवरण	यथा दिनांक 31.3.2019 को सकल लाँक	वर्ष के दौरान वृद्धियाँ	समायोजन/ कठोरियाँ	यथा दिनांक 31.3.2020 को सकल लाँक (3+4+5)	मूल्यहास / परिशोधन			बेची हेतु समायोजन	यथा दिनांक 31.3.2020 को कुल मूल्यहास (7+8+9)	यथा दिनांक 31.3.2020 को निवल लाँक (6-10)
					यथा दिनांक 31.3.2019	वर्ष हेतु	परिसंपत्तियाँ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कालकाता	टमिन्टल	469,553,981	403,200	469,357,181	85,621,461	13,884,052	-	99,505,513	370,451,668	
	वाहन	1,184,049	-	-	1,184,049	595,451	108,409	-	703,860	480,189
	फर्नीचर एवं फिक्सचर	1,580,731	1,600	1,582,331	1,186,654	82,900		1,269,554	312,777	
कार्यालय उपकरण	876,819	174,026	-	1,050,845	671,813	62,260		734,073	316,772	
विद्युत संशाधन	67,889	-	-	67,889	59,986	2,014	-	62,000	5,889	
सर्वेक्षण औंजार	26,022,845	1,244,900		27,267,745	19,244,120	1,264,627	-	20,508,747	6,758,998	
पुस्तकालय पुस्तके	135,388	8,498		143,886	135,388	8,498		143,886	-	
स्पीड बोट	2,833,266	-		2,833,266	2,658,928	19,655	-	2,678,583	154,683	
सामान्य जलयान	219,718,583	-		219,718,583	101,197,812	5,574,465	-	106,772,277	112,946,306	
पंखे एवं एपर कूलर	91,073	-		91,073	70,483	3,518		74,001	17,072	
संचार नेटवर्क	4,099,567	-		4,099,567	913,453	577,783		1,491,236	2,608,331	
बार्ज	116,331,102			17,830,905	134,162,007	36,313,424	2,802,706	563,098	39,679,228	94,482,779
साइबिनेट	5,975	-		5,975	4,718	297		5,015	960	
जलयान निकषण इकाई	206,693,296	-		206,693,296	71,738,628	6,411,831	-	78,150,459	128,542,837	
कंप्यूटर	2,931,454	483,928		3,415,382	2,668,208	144,328		2,812,536	602,846	
कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	2,562,108	-		2,562,108	1,750,598	279,403		2,030,001	532,107	
राजि नौचालन उपकरण	59,181,599	3,314,247	-	62,495,846	26,544,595	2,911,235	345,248	29,801,078	32,694,768	
एयर कंडीशनर	728,854	185,016	-	913,870	426,285	71,434	-	497,719	416,151	
जनरेटर सेट	1,185,869	-		1,185,869	534,493	75,728	-	610,221	575,648	
आखाईएस संरचना	19,869,240			19,869,240	1,017,982	314,973		1,332,965	18,536,275	
आरआईएस उपकरण	140,667,890			140,667,890	28,801,579	8,908,966		37,710,545	102,957,345	
टमिन्टल-भूमि	1,150,000,000	-		1,150,000,000	-			-	1,150,000,000	
डीजीपी स्टेशन	14,215,359	-		14,215,359	5,746,606	750,255		6,496,861	7,718,498	
योग (ख)	2,440,536,937	5,815,415	17,830,905	2,464,183,257	387,902,675	44,259,337	908,346	433,070,358	2,031,112,899	
पट्टा भूमि	21,920,100	-		21,620,100	-			-	21,620,100	
वाहन	2,620,377	-		2,620,377	881,328	224,325	-	1,105,653	1,514,724	
फर्नीचर एवं फिक्सचर	2,623,735	61,365	-	2,685,100	1,219,457	198,633	-	1,418,090	1,267,010	
कार्यालय उपकरण	380,623	306,379	-	687,002	216,981	46,378		263,359	423,643	
विद्युत संशाधन	2,573,508	-		2,573,508	287,254	244,628		531,882	2,041,626	
एयर कंडीशनर	1,354,325	281,160	-	1,635,485	599,980	144,980	-	744,960	890,525	
वाटर कूलर एवं	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

	विवरण	यथा दिनांक 31.3.2019 को सकल लाँक	वर्ष के दौरान वृद्धियां	समायोजन/ कठोरियां	यथा दिनांक 31.3.2020 को सकल लाँक (3+4+5)	मूल्यहास / परिशोधन		बेची वर्ष हेतु समायोजन	यथा दिनांक 31.3.2020 को कुल मूल्यहास (7+8+9)	यथा दिनांक 31.3.2020 को निवल लाँक (6-10)
						यथा दिनांक 31.3.2019	वर्ष हेतु			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
रेफिजरेटर	70,950	36,250	-	107,200	52,429	13,247	-	65,676	41,524	
जनरेटर सेट	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
सर्वेक्षण औंजार	32,200,605	5,074,600	-	37,275,205	15,612,707	1,820,925	(32,536)	17,401,096	19,874,109	
जलयान : निकर्षण इकाई	804,999,581	-	804,999,581	456,985,255	13,470,873	-	470,456,128	334,543,453		
जलयान : सामान्य	107,275,723	437,071,860	-	544,347,583	47,774,731	3,876,143	-	51,650,874	492,696,709	
स्पीड बोट	2,662,309	-	2,662,309	1,881,506	72,486	-	1,953,992	708,317		
बार्ज	92,233,341	-	92,233,341	42,934,924	1,667,873	-	44,602,797	47,630,544		
अस्थायी संरचना	-	424,845	-	424,845	-	21,747	-	21,747	403,098	
कंप्यटर	4,550,079	209,824	-	4,759,903	4,051,879	187,201	-	4,239,080	520,823	
पुस्तकालय पुस्तकें	107,521	9,943	-	117,464	107,521	9,943	-	117,464	-	
सर्वेक्षण उपकरण (कंप्यटर)	4,857,317	455,629	-	5,312,946	4,604,441	80,087	-	4,684,528	628,418	
सर्वेक्षण संभ	649,995	-	649,995	438,738	22,368	-	461,106	188,889		
संचार उपकरण	1,345,844	-	-	1,345,844	1,135,736	43,117	-	1,178,853	166,991	
फ्रीहोल्ड भूमि पर भवन	57,087,430	-	57,087,430	3,234,858	904,262	-	4,139,120	52,948,310		
लैंगिहोल्ड भूमि पर भवन	22,416,797	3,292,179	-	25,708,976	464,479	394,558	-	859,037	24,849,939	
चारदीवारी	6,393,000	-	6,393,000	303,027	101,009	-	404,036	5,988,964		
टर्मिनल एवं भवन	602,909,758	-	602,909,758	220,762,453	16,296,603	-	237,059,056	365,850,702		
रात्रि नौकातन एवं शोल विश्लेषण	9,277,200	-	9,277,200	5,063,261	494,680	-	5,557,941	3,719,259		
डीजीपीएस स्टेशन	32,245,501	-	32,245,501	14,033,222	1,640,687	-	15,673,909	16,571,592		
बीकन टावर	15,895,321	-	15,895,321	7,894,318	1,029,866	-	8,924,184	6,971,137		
आरआईएस स्टेशन	102,149,566	-	-	4,926,846	4,680,503	-	4,680,503	246,343		
सीधेज उपचार संयंत्र	10,888,000	-	(36,000)	10,852,000	1,718,078	699,294	-	2,447,372	8,434,628	
क्रेन	46,326,824	-	46,326,824	36,763,981	4,974,602	-	41,738,583	4,588,241		
योग (ग)	1,992,632,176	447,224,034	(36,000)	2,439,830,210	881,998,447	54,487,481	(32,536)	936,453,392	1,503,376,818	
युवाहाटी संचार उपकरण	1,504,388	-	1,504,388	1,135,349	81,255	-	1,216,604	287,784		
वाहन	1,576,029	-	-	1,576,029	429,662	124,892	-	554,554	1,021,475	

विवरण	यथा दिनांक 31.3.2019 को सकल लाँक	वर्ष के दौरान वृद्धियां	समायोजन/कठोरियां	यथा दिनांक 31.3.2020 को सकल लाँक (3+4+5)	मूल्यहास / परिशोधन		बेची हेतु परिसंपत्तियां समायोजन	यथा दिनांक 31.3.2020 को कुल मूल्यहास (7+8+9)	यथा दिनांक 31.3.2020 को निवल लाँक (6 - 10)
					यथा दिनांक 31.3.2019	वर्ष हेतु			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
फर्नीचर एवं फिक्सचर	1,487,039	223,870	वर्ष 1,710,909	830,882	100,265		931,147	779,762	
कार्यालय उपकरण	770,252	47,415	-	817,667	497,823	66,655	-	564,478	253,189
विद्युत संशापन	50,819	-		50,819	39,153	2,542		41,695	9,124
पंखे एवं एयर कूलर	51,180	6,600		57,780	33,126	3,772		37,198	20,582
सर्वेक्षण औजार	15,454,689	5,665,876	-	21,120,565	10,388,107	940,836		11,328,943	9,791,622
साइकिल	680	-		680	646	-		646	34
पुस्तकालय पुस्तके	44,175	3,709		47,884	44,175	3,709		47,884	-
जलयान स्पीड बोट	4,021,123			4,021,123	3,002,340	183,890		-	3,186,230
जनरेटर सेट	119,500	-		119,500	42,568	5,281		47,849	71,651
कंप्यूटर	5,660,851	561,571	-	6,222,422	4,309,227	326,068		4,635,295	1,587,127
टमिनल-पांडु	1,782,458,492	51,073,086	-	1,833,531,578	337,203,613	53,394,962		-	390,598,575
रात्रि नोचालन उपकरण	15,617,252	-		15,617,252	10,122,121	951,148		-	11,073,269
बांर्ज	133,745,241	-		133,745,241	58,016,557	3,912,531		-	61,929,088
जलयान-सामान्य	1,047,604,543	436,190,400	-	1,483,794,943	112,253,598	33,237,318		145,490,916	1,338,304,027
भूमि टर्मिनल	128,549,213	-		128,549,213	-			-	128,549,213
जलयान निकषण इकाई	1,504,254,532	-		1,504,254,532	504,634,560	37,930,476		542,565,036	961,689,496
क्रेन	44,969,796			44,969,796	33,504,148	4,621,240		-	38,125,388
एयर कंडीशनर	798,000	-		-	798,000	266,271	75,520	-	341,791
आत्माइप्रस उपकरण	4,207,723	-		4,207,723	541,751	266,488		808,239	3,399,484
भवन	-	-		-	-	-		-	-
योग (घ)	4,692,945,517	493,772,527	-	5,186,718,044	1,077,295,977	136,228,848	-	1,213,524,825	3,973,193,219
चाहिनगंज	54,467			54,467	51,744	-		51,744	2,723
वाहन	1,388,939	-		1,388,939	334,226	117,484		451,710	937,229
फर्नीचर एवं फिक्सचर	276,402	-		276,402	188,473	13,276		201,749	74,653
कार्यालय उपकरण	182,810	-		182,810	113,278	22,204		135,482	47,328
विद्युत संशापन	3,227			3,227	3,066	-		3,066	161
पंखे एवं एयर कूलर	25,819			25,819	13,592	1,829		15,421	10,398
सर्वेक्षण औजार	2,606,603	2,527,800		5,134,403	2,170,857	68,119		2,238,976	2,895,427
बांर्ज	561,255	(561,255)	-	561,255	-	(561,255)	-	-	-
साइकिल	701			701	666	-		666	35
पुस्तकालय पुस्तके	25,805	-		25,805	25,805	-		25,805	-

	विवरण	यथा दिनांक 31.3.2019 को सक्रिय लांच	वर्ष के दोषण वृद्धियाँ	समायोजन/ कठोरियाँ	यथा दिनांक 31.3.2020 को सक्रिय लांच (3+4+5)	मूल्यहास / परिशोधन	बेची हेतु		यथा दिनांक 31.3.2020 को कुल मूल्यहास (7 + 8 + 9)	यथा दिनांक 31.3.2020 को निवाल लांच (6 - 10)
							यथा दिनांक 31.3.2019	वर्ष हेतु समायोजन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
संचार उपकरण	157,026		157,026	149,175	-				149,175	7,851
भूमि	36,734			36,734	-				-	36,734
कंयूटर	237,197			237,197	225,338	-			225,338	11,859
डिजिटाइज स्टेशन	18,320,308		-	18,320,308	9,190,056	1,028,893			10,218,949	8,101,359
टमिनल	4,570,826		-	4,570,826	757,811	81,884	-		839,695	3,731,131
एयर कंट्रीशनर	20,000		-	20,000	9,563	1,923			11,486	8,514
योग (₹)	28,468,119	2,527,800	(561,255)	30,434,664	13,794,905	1,335,612	(561,255)	14,569,262	15,865,402	
कोची	फर्नीचर एवं फिल्मसचर	1,341,190	-	1,341,190	831,145	67,649			838,794	442,396
कार्यालय उपकरण	532,621	386,885		919,506	209,225	80,935	-		290,160	629,346
पंखे एवं एयर फ्लूटर	54,890	4,956		59,846	39,046	2,309	-		41,355	18,491
एयर कंट्रीशनर	83,200	-		83,200	45,610	4,085			49,695	33,505
सर्वेक्षण औजार	8,216,131	1,604,250		9,820,381	4,867,133	485,571	-		5,352,704	4,467,677
संचार उपकरण	1,478,437	1,820		1,480,257	868,837	148,895			1,017,732	462,525
जनरेटर	354,969			354,969	273,815	22,481			236,296	58,673
कंयूटर	2,276,469	-		2,276,469	1,724,790	226,163	-		1,950,953	325,516
सर्वेक्षण लॉन्च	5,624,584	-		5,624,584	3,918,552	156,737			4,075,289	1,549,295
स्पीड बोट	1,120,418			1,120,418	1,009,945	70,960			1,030,905	39,513
भूमि (टमिनल)	212,276,630	2,174,821	-	214,451,451	-	-			-	214,451,451
भूमि को चौड़ा करना	17,169,491	171,905	(1,105,057)	16,236,339	-	-			-	16,236,339
पुरस्तकालय पुरस्तके	19,847			19,847	19,847	-			19,847	-
भवन	8,390,016			8,390,016	1,446,101	132,842			1,578,943	6,811,073
टमिनल एवं भवन	346,552,315	96,368,855		442,921,170	131,037,584	11,333,671			142,371,255	300,549,915
निकर्षक	139,823,701	-		139,823,701	55,011,173	4,334,142			59,345,315	80,478,386
रात्रि नौचालन	46,829,294	2,421,927	(5,452,672)	43,798,549	26,946,545	1,767,962	(3,790,602)		24,923,905	18,874,644
फुट ओवर ब्रिज थाटापल्टी	2,188,615			2,188,615	1,139,479	69,306			1,208,785	979,830
फोर्क लिफ्ट	6,370,925			6,370,925	5,002,815	403,492			5,406,307	964,618
जलीय क्रेन	68,945,177			68,945,177	53,066,297	4,366,528			57,432,825	11,512,352
विद्युत संशापन	1,266,828		-	1,266,828	265,097	120,349	-		385,446	881,382
अस्थायी टर्मिनल	1,236,195	-		1,236,195	1,236,195	-			1,236,195	-
कंयूटर सॉफ्टवेर	2,316,621	209,080		2,525,701	2,018,807	114,147			2,132,354	392,747
योग (₹)	874,468,564	103,344,499	6,557,729	971,255,334	290,978,038	23,908,224	(3,790,602)	311,095,660	660,159,674	

विवरण	यथा दिनांक 31.3.2019 को सक्रिय कार्यक्रम	वर्ष के दोषण वृद्धियाँ	समायोजन/ कार्यालय	यथा दिनांक 31.3.2020 को सक्रिय कार्यक्रम (3+4+5)	मूल्यहास / परिशोधन			परिसंपत्तियाँ बेची हेतु समायोजन	यथा दिनांक 31.3.2020 को कुल मूल्यहास (7 + 8 + 9)	यथा दिनांक 31.3.2020 को निवाल ब्लॉक (6 - 10)
					यथा दिनांक 31.3.2019	वर्ष का सक्रिय कार्यक्रम	वर्ष का समायोजन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
इलाहाबाद	कंच्चूटर	660,471	163,880	-	824,351	468,217	143,371	-	611,588	212,763
	फर्नीचर एवं फिक्सचर	154,339	-	-	154,339	146,622	-	-	146,622	7,717
	कार्यालय उपकरण	135,464	17,540	-	153,004	90,923	16,823	-	107,746	45,258
	पंखे एवं एयर कूलर	12,155	-	-	12,155	11,547	-	-	11,547	608
	पुस्तकालय पुस्तकें	58,784	-	-	58,784	58,784	-	-	58,784	-
	विद्युत संशापन	1,074,339	-	-	1,074,339	453,336	105,986	-	559,322	515,017
	एयर कंडीशनर	-	93,900	-	93,900	-	9,653	-	9,653	84,247
	भूमि	2,405,763	-	-	2,405,763	-	-	-	-	2,405,763
	टर्मिनल	5,882,942	-	-	5,882,942	1,532,322	184,431	-	1,716,753	4,166,189
	बोयाज	3,613,680	-	-	3,613,680	47,027	116,780	-	163,807	3,449,873
	डब्बूसी एंड बाथरूम (टर्मिनल)	634,118	-	-	634,118	21,684	291,705	-	313,389	320,729
	सर्वेक्षण उपकरण	2,440,667	2,508,800	-	4,949,467	2,242,088	57,016	-	2,299,104	2,650,363
योग (छ)	17,072,722	2,784,120	-	19,856,842	5,072,550	925,765	-	-	5,98,315	13,858,527
वाराणसी	फर्नीचर एवं फिक्सचर	176,607	767,888	121,112	1,065,607	138,967	46,795	-	185,762	879,845
	कंच्चूटर	706,742	-	-	706,742	346,461	62,957	-	409,418	297,324
	कार्यालय उपकरण	379,218	-	-	379,218	112,373	100,764	-	213,137	166,081
	पंखे एवं एयर कूलर	7,225	40,000	-	47,225	6,356	2,096	-	8,452	38,773
	एयर कंडीशनर	-	626,500	-	626,500	-	24,304	-	24,304	602,196
	विद्युत संशापन	52,550	-	-	1,583,642	432,268	144,250	-	2,499	50,051
	वाहन	1,583,642	-	-	1,583,642	-	-	-	576,518	1,007,124
	संचार उपकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	पुस्तकालय पुस्तकें	10,909	-	-	10,909	-	-	-	10,909	-
	डीजीपीएस रसेशन	12,558,612	-	-	12,558,612	986,038	400,225	-	1,386,263	11,172,349
	भूमि- फ्रेट विलेज	111,682,138	64,293,773	(95,441,788)	80,534,123	-	-	-	-	80,534,123
	मावन	2,155,414	-	(121,112)	2,034,302	148,409	985,212	-	1,133,621	900,681
	सर्वेक्षण उपकरण	3,060,383	2,527,800	-	5,588,183	2,254,504	361,758	(425,898)	2,190,364	3,397,819
योग (ज)	132,320,890	68,308,511	(95,441,788)	105,187,613	4,436,285	2,130,860	(425,898)	6,141,247	99,046,366	
निर्माण	फर्नीचर एवं फिक्सचर	4,988,261	557,743	-	5,546,004	4,031,825	167,346	-	4,199,171	1,346,833
	जनरेटर सेट	657,371	766,210	-	1,423,581	624,502	1,994	-	626,496	797,085
	कंच्चूटर	1,885,002	107,750	-	1,992,752	1,532,353	132,186	-	1,684,539	328,213

	विवरण	यथा दिनांक 31.3.2019 को सक्रिय भाँक	वर्ष के दोषन दृष्टियां	समायोजन/ कठोरियां	यथा दिनांक 31.3.2020 को सक्रिय भाँक (3+4+5)	मूल्यहास / परिशोधन	वेची परिसंपत्तियां हेतु समायोजन		यथा दिनांक 31.3.2020 को कुल मूल्यहास (7 + 8 + 9)	यथा दिनांक 31.3.2020 को निवाल भाँक (6 - 10)
							यथा दिनांक 31.3.2019	वर्ष हेतु		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
कार्यालय उपकरण	1,397,909	492,456	-	1,890,365	1,219,247	57,644	-	1,276,891	613,474	
एयर कंडीशनर	1,444,881	211,800	-	1,656,681	1,053,863	111,045	-	1,164,908	491,773	
भवन / कार्यालय	113,739,075	-	-	113,739,075	18,368,841	1,774,901	-	20,143,742	93,595,333	
हास्टल एवं रसोई	606,957	-	-	606,957	576,610	-	-	576,610	30,347	
कार्यालय उपकरण	402,778	-	-	402,778	204,023	26,579	-	230,602	172,176	
फायर मोकअप उपकरण	5,237,144	-	-	5,237,144	4,975,288	-	-	4,975,288	261,856	
ओबीएम सहित एफआरपी नौका	528,962	-	-	528,962	232,667	30,121	-	262,788	266,174	
वाटर कूलर एवं रेफिजरेटर	542,542	90,600	-	633,142	365,742	24,898	-	390,640	242,502	
अस्थायी संरचना	1,661,542	-	-	1,661,542	1,661,542	-	-	1,661,542	-	
पाठ्यक्रम सामग्री एवं उपकरण	529,999	-	-	529,999	529,999	-	-	529,999	-	
सिमुलेटर	31,731,375	-	-	31,731,375	30,144,804	-	-	30,144,804	1,586,571	
पुस्तकालय पुस्तकें	1,665,159	-	-	1,665,159	1,665,159	-	-	1,665,159	-	
कंयूटर सॉफ्टवेयर	6,002,388	-	-	6,002,388	5,702,269	-	-	5,702,269	300,119	
विद्युत संभापन	494,676	-	-	494,676	238,101	50,033	-	238,134	206,542	
पंखे एवं एयर कूलर	90,545	-	-	90,545	40,281	8,929	-	49,210	41,335	
सर्वेक्षण उपकरण	5,256,165	-	-	5,256,165	4,990,607	-	-	4,990,607	265,558	
जलयान (बक्सर, घोगरा)	65,000	-	-	65,000	-	-	-	-	65,000	
भूमि	165,881,542	-	-	165,881,542	-	-	-	-	165,881,542	
योग (झ)	344,809,273	2,226,559	-	347,035,832	78,157,723	2,385,676	-	80,543,399	266,492,433	
जेएमपी	फर्नीचर एवं फिक्सचर	6,184,846	-	6,184,846	2,329,618	587,239	-	2,916,857	3,267,989	
फर्नीचर एवं फिक्सचर-पीआईपी	पटना	279,770	19,863	(204,970)	94,663	47,132	7,506	(32,901)	21,737	72,926
फर्नीचर एवं फिक्सचर-पीआईपी	साहिबगंज	-	-	204,970	204,970	-	19,467	32,901	52,368	152,602
कंयूटर	-	-	-	2,735,505	2,217,024	214,781	-	2,431,805	303,700	

विवरण	यथा दिनांक 31.3.2019 को सक्रिय ब्लॉक	वर्ष के दोषण वृद्धिया	समायोजन/ कठोरिया	यथा दिनांक 31.3.2020 को सक्रिय ब्लॉक (3+4+5)	मूल्यहास / परिशोधन		वेची परिसंपत्तियाँ हेतु समायोजन	यथा दिनांक 31.3.2020 को कुल मूल्यहास (7 + 8 + 9)	यथा दिनांक 31.3.2020 को निवाल ब्लॉक (6 - 10)
					यथा दिनांक 31.3.2019	वर्ष हेतु			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
कंयूटर-पीआईयू पटना	280,875	- (81,676)	199,199	111,505	55,604	(427)	166,682	32,517	
कायालय उपकरण उपकरण-साहिबंज	2,129,154	99,850	2,229,004	1,448,350	408,078		1,856,428	372,576	39,878
कायालय उपकरण-वाराणसी	43,650	43,650			3,772			3,772	
पुस्तकालय पुस्तके	17,363	17,363			3,990			3,990	13,373
एयर कंडीशनर- पीआईयू-पटना	14,000	-	14,000	14,000	-		14,000	-	
एयर कंडीशनर- साहिबंज-पीआईयू	408,000	- (408,000)			77,485	- (77,485)			
कम्प्यूटर सोफ्टवेयर	485,861	20,000	408,000	408,000	38,739	77,485	116,224	291,776	
अस्थायी संरचना	9,037,112		505,861	347,773	66,106		413,879	91,982	
विद्युत संरचना वाराणसी- पीआईयू	2,549,577		9,037,112	9,037,112	-		9,037,112	-	
विद्युत संरचना- साहिबंज-पीआईयू	11,619,270	11,619,270	2,549,577	968,839	242,210		1,211,049	1,338,528	
रसायनिक उपकरण	8,720		32,999,567	32,999,567	1,305,691		1,305,691	31,693,876	
वाटर कूलर एवं रेफ्रिजरेटर	27,800	- (27,800)			8,720	4,907	1,657	6,564	2,156
वाटर कूलर एवं रेफ्रिजरेटर-साहि.						8,412	- (8,412)		-
पंखे एवं एयर कूलर फर्नीचर एवं फिल्सवर-कोलकाता	15,525	7,505	27,800	27,800	5,281	8,412	13,693	14,107	
पटा मूमि-कोलकाता	401,888,022	-	23,030	6,965	4,020		10,985	12,045	
भूमि-फरक्ता- कोलकाता	23,580,160		321,484	89,704	30,541		120,245	201,239	
कंयूटर-कोलकाता	411,342	17,565	- (401,888,022)	401,888,022	14,574,399	14,571,126	-	29,145,525	372,742,497
कंयूटर-वाराणसी- पीआईयू		81,676	81,676		23,580,160	-			23,580,160
					39,010	427	39,437	42,239	

	विवरण	यथा दिनांक 31.3.2019 को सक्रिय जलांक	वर्ष के दोषण वृद्धियाँ	समायोजन/ कार्यालयों	यथा दिनांक 31.3.2020 को सक्रिय जलांक (3+4+5)	मूल्यहास / परिशोधन	वेची परिसंपत्तियाँ हेतु समायोजन		यथा दिनांक 31.3.2020 को कुल मूल्यहास (7 + 8 + 9)	यथा दिनांक 31.3.2020 को निवल ज्ञाक (6 - 10)
							यथा दिनांक 31.3.2019	वर्ष हेतु		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	कंयूटर-साहिबांज- पीआईयू		187,133		187,133		25,426		25,426	161,707
	सचार उपकरण	861,858	2,685,882		3,547,740	92,868	569,722		602,590	2,885,150
	सामाच्य जलयान-पटना	63,343,800	-		63,343,800	3,950,483	2,005,887		5,956,370	57,387,430
	सामाच्य जलयान- कोलकाता	63,343,800	-		63,343,800	3,811,185	2,006,376		5,817,561	57,526,239
	टर्मिनल-वाराणसी		1,824,392,265		1,824,392,265		35,042,286		35,042,286	1,789,349,979
	शूमि-वाराणसी-टर्मिनल	992,124,969	28,106,491	95,441,788	1,115,673,248	-			-	1,115,673,248
	शूमि-गांधीपुर-टर्मिनल	147,670,289	-		147,670,289				-	147,670,289
	शूमि-साहिबांज-टर्मिनल	1,171,935,919			1,171,935,919				-	1,171,935,919
	योग (अ)	2,889,638,388	1,900,216,394	95,441,788	4,885,296,570	39,266,017	57,371,975	-	96,637,992	4,788,658,578
रा.ज-4	कंयूटर	535,163	205,562		740,745	273,061	109,998	-	333,059	357,686
	फर्नीचर एवं फिक्सचर	745,107	138,584	-	883,691	237,670	75,753	-	313,423	570,268
	पुस्तकालय पुस्तके	4,910	7,598		12,508	4,910	7,598		12,508	-
	कार्यालय उपकरण	188,850	160,493		349,343	688	45,796		46,484	302,859
	वाटर कूलर	7,999	-		7,999	4	1,520		1,524	6,475
	स्प्रिङ बोट (पी.बी. फाल्कोन-1)	1,120,418	-	1,120,418	1,047,742	70,960	(82,686)	1,036,016	84,402	
	सर्वेक्षण उपकरण		2,489,800		2,489,800		49,116		49,116	2,440,684
	एयर कंडीशनर	213,000	-		213,000	41,418	20,236	-	61,654	151,346
	योग (ट)	2,815,447	3,002,057	-	5,817,504	1,605,483	380,977	(82,686)	1,903,784	3,913,720
रा.ज-5	कंयूटर	770,660			770,660	139,396	69,698		209,094	561,566
	फर्नीचर एवं फिक्सचर	341,042			341,042	68,008	34,004		102,012	239,030
	वाटर कूलर एवं रोफिजरेटर	34,000			34,000	34,000	-		34,000	-
	कार्यालय उपकरण	81,345	8,275		89,620	16,908	8,964		25,872	63,748
	पंखे एवं एयर कूलर	10,100			10,100	746	373		1,119	8,981
	बार्जेज एंड पंटून	17,830,905	(17,830,905)	-	563,098	(563,098)			-	-
	एयर कंडीशनर	170,340	-		170,340	25,361	12,883		38,244	132,096

विवरण	यथा दिनांक 31.3.2019 को सकल लाँक	वर्ष के दैरान दृष्टिया	समायोजन/ कर्तौतिया	यथा दिनांक 31.3.2020 को सकल लाँक (3+4+5)	मूल्यहास / परिशोधन		बेरी परिसंपत्तियाँ हेतु समायोजन	यथा दिनांक 31.3.2020 को कुल मूल्यहास (7 + 8 + 9)	यथा दिनांक 31.3.2020 को निवल लाँक (6 - 10)
					यथा दिनांक 31.3.2019	यथा दिनांक 31.3.2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
योग (ट)	19,238,392	8,275	(17,830,905)	1,415,762	847,517	125,922	(563,098)	410,341	1,005,421
सकल योग	13,722,900,750	3,033,754,966	(7,154,984)	16,749,500,732	2,891,447,970	336,419,434	(4,547,729)	3,223,319,675	13,526,181,057
(क+ख+ग+ঘ+ড+ চ+ছ+জ+য+়+ +ট)									
पूर्ण वर्ष	10,482,876,091	901,656,140	(22,152,532)	13,722,900,750	2,380,073,050	229,445,434	(846,661)	2,608,671,823	8,753,707,879

कुर्ते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(डॉ. अमिता प्रसाद)
अध्यक्ष

(प्रवीर पাণ্ডেয)
उपाध्यक्ष

(राजेश कुमार पाठक)
सदस्य (वित्त)

(ए.के. गुप्ता)
निदेशक (वित्त एवं लेखा)

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

28. यथा दिनांक 31 मार्च 2020 के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची अंश

(राशि रूपए में)

विवरण		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुसूची-3 "पूंजी"			
1	भाजप्रा अधिनियम की धारा 11(1)(ग) के तहत पूंजी	9,437,244.00	9,437,244.00
2	भाजप्रा अधिनियम की धारा 19 के तहत भाजप्रा निधि		
	निधि का प्रारंभिक शेष	15,751,695,114.00	9,986,030,748.00
	जोड़े:		
	भारत सरकार से प्राप्त पूंजी अनुदान	4,065,927,000.00	7,032,900,000.00
	आंतरिक प्राप्तियां (सूची के अनुसार)	299,598,237.30	371,287,654.71
	प्राप्त अन्य अनुदान (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		
	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		
	घटाएं:		
	भारत सरकार को देय राशि	(299,598,237.30)	(371,287,654.71)
	भारत सरकार को देय अव्ययित अनुदान	-	(13,960,000.00)
	आय एवं व्यय लेखों में अतिरित	(321,576,653.00)	(270,004,071.00)
	वर्ष के दौरान बेची गई/बटटे खाते में डाली गई अचल परिसंपत्तियों का बही मूल्य	(238,994.00)	371,058.00
	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		
	-मूल्यहास का समायोजन		-
	जोड़े/घटाएं: आय एवं व्यय लेखों से अंतिरित अधिशेष/घाटा	(1,731,516,799.00)	(983,642,621.00)
	भाजप्रा निधि का अंतिम शेष	17,764,289,668.00	15,751,695,114.00
	योग		
अनुसूची-4 "आरक्षित निधि एवं अधिशेष"			
1	पूंजीगत आरक्षित निधि		
	प्रारंभिक शेष		-
	वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
	वर्ष के दौरान कटौती	-	-
	अंतिम शेष	-	-
2	सामान्य आरक्षित निधि		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
	वर्ष के दौरान कटौती	-	-
	अंतिम शेष	-	-
3	अन्य कोई आरक्षित निधि/निधि (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि	-	-
	वर्ष के दौरान कटौती	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	योग (1+2+3)	-	-
अनुसूची-5 "निर्धारित/अक्षय निधि"			
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान दान/अनुदान से वृद्धि	-	-
	निधि संबंधित निवेश से आय	-	-
	अन्य वृद्धि (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	-	-
	वर्ष के दौरान कटौती	-	-
	अंतिम शेष	-	-

(राशि रूपए में)

विवरण		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुसूची-6 "दीर्घावधि उधार राशियाँ"			
क	सुरक्षित		
1	भारत सरकार से ऋण		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
2	वित्तीय संस्थानों से ऋण		
(क)	मीयादी ऋण		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
3	बैंकों से ऋण		
(क)	मीयादी ऋण		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
4	अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से ऋण		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
5	बॉण्ड / डिबेंचर्स		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
6	अन्य ऋण (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-

(राशि रूपए में)

	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
ख	असुरक्षित		
1	भारत सरकार से ऋण		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
2	वित्तीय संस्थानों से ऋण		
	(क) भियादी ऋण		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
3	बैंकों से ऋण		
	(क) मीयादी ऋण		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
4	अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से ऋण		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
5	बॉण्ड / डिबंचर्स		
	प्रारंभिक शेष	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो		-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00

(राशि रुपए में)

	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
6	अन्य ऋण (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	योग (अनुसूची-6)	10,00,00,000.00	10,00,00,000.00
	(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
3	बैंकों से ऋण		
	(क) मीयादी ऋण		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
4	अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से ऋण		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
5	बॉण्ड/डिल्विं चर्स		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
6	अन्य ऋण (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
ख	असुरक्षित		
1	भारत सरकार से ऋण		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-



(राशि रूपए में)

	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
2	वित्तीय संस्थानों से ऋण		
	(क) मीयादी ऋण		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
3	बैंकों से ऋण		
	(क) मीयादी ऋण		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
4	अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से ऋण		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
5	बॉण्ड / डिबेंचर्स		
	प्रारंभिक शेष	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00
6	अन्य ऋण (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	योग (अनुसूची-6)	10,000,000,000.00	10,000,000,000.00

(राशि रूपए में)

विवरण		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुसूची-7 "अन्य गैर-चालू देयताएं"			
1	प्राप्त प्रतिभूति जमा	355,759,794.00	269,048,701.00
2	प्राप्त बयाना राशि	1,718,322.00	3,066,354.00
3	प्राप्त मार्जिन राशि		
4	रोके गए कर	153,888,438.00	2,860,215.00
5	व्यय हेतु देयताएं	88,745,815.00	5,956,308.00
6	देय शुल्क तथा कर	-	1,918,238.00
7	भारत सरकार को देय आंतरिक प्राप्ति	-	
8	ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	1,562,307.00	
9	प्रतिधारण राशि	-	
10	अन्य <ul style="list-style-type: none"> — अवकाश नकदीकरण हेतु देयताएं — देय दावा 	103,935,203.00 17,439,891.00	103,935,203.00 18,488,206.00
	योग	723,049,770.00	405,273,225.00
अनुसूची-8 "दीर्घावधि प्रावधान"			
1	ग्रेचुटी का प्रावधान	-	-
2	अवकाश वेतन एवं पेशन अंशादान का प्रावधान (प्रतिनियुक्ति के कार्मिकों हेतु)	-	-
3	पेशन अंशादान का प्रावधान	-	-
4	अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	-	-
5	नयी पेशन योजना का प्रावधान	-	-
6	बोनस का प्रावधान	-	-
7	शुल्क तथा कर का प्रावधान	-	-
8	बॉण्ड/डिबंचर पर ब्याज का प्रावधान (यानी उपचित किंतु देय नहीं)	-	-
9	अशोध्य और संदिग्ध कर्ज का प्रावधान	-	-
10	अन्य प्रावधान	16,557,618.00	17,847,070.00
	योग	16,557,618.00	17,847,070.00
अनुसूची-9 "अल्प-अवधि उधार राशियाँ"			
क	सुरक्षित		
1	भारत सरकार से ऋण <ul style="list-style-type: none"> प्रारंभिक शेष वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो वर्ष के दौरान किए गए भुगतान प्रोद्भूत ब्याज एवं देय अंतिम शेष 		
2	वित्तीय संस्थानों से ऋण <ul style="list-style-type: none"> (क) मीयादी ऋण <ul style="list-style-type: none"> प्रारंभिक शेष वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो वर्ष के दौरान किए गए भुगतान प्रोद्भूत ब्याज एवं देय अंतिम शेष (ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें) <ul style="list-style-type: none"> प्रारंभिक शेष वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो वर्ष के दौरान किए गए भुगतान प्रोद्भूत ब्याज एवं देय अंतिम शेष 		

(राशि रूपए में)

विवरण		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
3	बैंकों से ऋण		
	(क) मीयादी ऋण		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
4	अन्य संस्थानों एवं एजेंसियों से ऋण		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
5	बॉण्ड/डिबंचर्स		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
6	अन्य ऋण (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
ख	असुरक्षित		
1	भारत सरकार से ऋण		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
2	वित्तीय संस्थानों से ऋण		
	(क) मीयादी ऋण		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-

(राशि रूपए में)

	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
3	बैंकों से ऋण		
	(क) मीयादी ऋण	-	-
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	(ख) अन्य ऋण (विनिर्दिष्ट करें)	-	-
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
4	अन्य संस्थानों एवं एर्जेसिर्यों से ऋण		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
5	बॉण्ड / डिबंचर्स		
	प्रारंभिक शेष	250,966,575.00	249,615,830.00
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	(250,966,575.00)	(249,615,830.00)
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	251,627,916.00	250,966,575.00
	अंतिम शेष	251,627,916.00	250,966,575.00
6	अन्य ऋण (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		
	प्रारंभिक शेष	-	-
	वर्ष के दौरान वृद्धि, यदि कोई हो	-	-
	वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	-	-
	प्रोद्भूत ब्याज एवं देय	-	-
	अंतिम शेष	-	-
	योग (अनुसूची-9)	251,627,916.00	250,966,575.00
अनुसूची-10 "विविध लेनदार"			
1	आपूर्तिकर्ता एवं ठेकदार	548,954,438.00	73,382,231.00
2	पेशेवर	1,280,922.00	31,171,897.00
3	अन्य	1,289,033,309.00	7,701,109.00
	योग	1,839,268,669.00	112,255,237.00
अनुसूची-11 "अन्य चालू देयताएं"			
1	प्राप्त प्रतिभूति जमा	78,764,663.00	195,415,224.00
2	प्राप्त बयाना राशि	8,090,032.00	24,500,240.00
3	प्राप्त मार्जिन राशि	-	-
4	रोके गए कर	75,500,933.00	241,075,860.00
5	व्यय हेतु देयताएं	138,283,481.00	815,262,391.00

(राशि रुपए में)

विवरण		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
6	देय शुल्क तथा कर	10,470,857.00	29,351,362.00
7	भारत सरकार को देय आंतरिक प्राप्ति	299,598,237.00	371,287,655.00
8	भारत सरकार को देय अव्ययित अनुदान	-	13,960,000.00
9	ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम	51,443,777.00	11,985,589.00
10	प्रतिधारण राशि	6,800.00	-
11	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)	146,232,123.00	27,382,676.00
	योग	808,390,903.00	1,730,220,997.00
अनुसूची-12 "प्रावधान"			
1	ग्रेच्युटी का प्रावधान	-	-
2	अवकाश वेतन एवं पेंशन अंशदान का प्रावधान (प्रतिनियुक्ति के कार्मिकों हेतु)	5,118,990.00	3,649,332.00
3	पेंशन अंशदान का प्रावधान	-	-
4	अवकाश नकदीकरण का प्रावधान	-	-
5	नयी पेंशन योजना का प्रावधान	-	-
6	बोनस का प्रावधान	1,533,577.00	1,553,725.00
7	शुल्क तथा कर का प्रावधान	-	-
8	बॉण्ड/डिबेंचर पर ब्याज का प्रावधान (यानी उपचित किंतु देय नहीं)	-	-
9	अशोध्य और संदिग्ध कर्ज का प्रावधान	-	-
10	अन्य प्रावधान (चिकित्सा)	4,139,074.00	1,281,088.00
	योग	10,791,641.00	6,484,145.00

(ए.के. गुप्ता)
निदेशक (वित्त एवं लेखा)

(राजेश कुमार पाठक)
सदस्य (वित्त)

(प्रवीर पाण्डेय)
उपाध्यक्ष

(डॉ. अमिता प्रसाद)
अध्यक्ष

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

29. 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार अचल परिसंपत्तियों की अनुसूची

अनुसूची-13

विवरण	सकल लंबाई				मूल्यांक/परिशोधन			निवाल लंबांक (राशि रुपए म)
	01.04.2019 की स्थिति के अनुसार	वृद्धि	कटौती	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि/ कटौते	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	स्थिति के अनुसार	
1	2	3	4	5 = (2+3+4)	6	7	8	9 = (6+7+8) 10 = (2 - 6)
(क) मूर्त परिसंपत्तियाँ								
भूमि एवं भवन								
भूमि								
(क) पूर्ण स्वामित्व								
—भूमि (चौड़ा करना)	17,169.491	171,905 (1,105,057)	16,226,339	-	-	-	16,236,339	17,169,491
—भूमि टर्मिनल	3,830,528,794	94,575,085	3,925,103,879	-	-	-	3,925,103,879	3,830,528,794
—भूमि -फ्रेट विलेज	16,240,350		16,240,350				16,240,350	16,240,350
—भूमि (निर्मि)	152,450,100	-	152,450,100	-	-	-	152,450,100	152,450,100
(ख) पट्टाघृत								
—भूमि (चौड़ा करना)	-	-	-	-	-	-	-	-
—भूमि टर्मिनल	401,888,022	-	401,888,022	14,574,399	14,571,126	-	29,145,525	37,742,497
—भूमि (नांगड़ा कार्यालय)	17,951,542	-	17,951,542	271,655	271,655	-	543,310	17,408,232
भवन								
(क) पूर्ण स्वामित्व भूमि								
—भवन	86,886,023	- (121,112)	86,764,911	5,448,465	1,532,671	-	6,981,136	79,783,775
—कार एप्किंग		-	-	-	-	-	-	81,437,558
—कार्यालय	113,739,075	-	113,739,075	18,368,841	1,774,901	-	20,143,742	93,595,333
—अशायी सरचना	10,698,654	-	10,698,654	10,698,654	-	-	10,698,654	-
—सिविल संरचना (नदी सूखना प्रणाली)	74,951,957	-	74,951,957	2,488,434	-	-	2,488,434	72,463,523
—सिविल संरचना (डिजिटल जनरेटर प्रोटेक्शन)	-	-	-	-	-	-	-	-
—अन्य (विसेंटेट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-
(ख) पट्टाघृत भूमि पर								
—भवन	119,754,514	3,292,179	- 123,046,693	35,798,991	3,861,231	-	39,660,222	83,386,471
—कार एप्किंग	23,392,491	-	23,392,491	3,584,079	338,921	-	3,923,000	19,469,491
—कार्यालय	-	-	-	-	-	-	-	-
—अशायी सरचना	-	-	-	-	-	-	-	-
—सिविल संरचना (नदी सूखना प्रणाली)	19,869,240	-	19,869,240	1,017,992	314,973	-	1,332,965	18,536,275
—सिविल संरचना (डिजिटल जनरेटर प्रोटेक्शन)	-	-	-	-	-	-	-	-
—अन्य (अशायी संरचना -नेपाल)	710,114	-	710,114	-	-	-	710,114	-
(ग) आवासीय क्षेत्र								
नोड्डी	30,857,003	-	30,857,003	8,407,380	474,684	-	8,882,064	21,974,939
योग (0)	4,917,087,370	98,039,169 (1,226,169)	5,013,900,370	101,369,004	23,140,162	-	124,509,166	4,889,391,204 4,815,717,366
टर्मिनल								
—सिविल संरचना	3,340,472,527	1,972,237,406	- 5,312,709,933	776,915,244	130,509,594	-	907,424,838	4,405,285,095 2,563,557,283
—अन्य (अशायी टर्मिनल)	1,870,313	424,845	- 2,295,158	1,258,563	44,115	-	1,302,678	992,480 611,750
योग (0)	3,342,342,840	1,972,662,251	- 5,315,005,091	778,173,807	130,533,709	-	908,727,516	4,406,277,575 2,564,169,033

विवरण	सकल कॉफ़ि				मूल्यहास/परियोग्यता				निवल लाईक
	01.04.2019 की स्थिति के अनुसार	वृद्धि	कटौती	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि/कटौति	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	वृद्धि/कटौति	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	
1	2	3	4	5 = (2+3+4)	6	7	8	9 = (6+7+8)	10 = (2 - 6)
पुल, पुलिया, बंकर आदि									
-पृष्ठ ओवर ब्रिज थोटापल्टी	2,188.615	-	-	2,188.615	1,139.479	69,306	-	1,208.785	97,9830
-अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
चांट एवं मशीनरी	योग (III)	2,188.615	-	2,188.615	1,139.479	69,306	-	1,208.785	97,9830
-यांत्री लिपट्टस	4,612.400	-	-	4,612.400	706.689	66,826	-	773.515	3,838,885
-फोर्क लिपट्टस	6,370.925	-	-	6,370.925	5,002.815	403.492	-	5,406.307	964,618
-एयर कंडीशन	26,481.051	1,398.376	-	27,879.427	13,404.054	2,376.295	-	15,780.349	12,099,078
-रिति नौवालन उपकरण	150,414.346	5,736.174	(5,452.672)	150,897.848	75,568.001	6,241.805	(3,445.354)	78,384.452	72,313,396
-नदी सूचना प्रणाली स्टेशन	177,054.535	-	-	177,054.535	39,261.818	14,982.420	-	54,244.238	122,810,297
-डिजिटल जनरेटर प्राटेक्शन स्टेशन	77,339.780	-	-	77,339.780	30,576.647	3,820.060	-	34,396.707	42,943.073
-जलीय केन्द्र	160,241.797	-	-	160,241.797	113,738.586	4,366.528	-	118,105.114	42,136,663
-जनरेटर सेट	9,364.904	766.210	-	10,131.114	4,952.575	465.768	-	5,028.343	5,102,771
-कार्यशाला उपकरण	402,774	-	-	402,774	204,023	26,579	-	230,602	172,176
-फायर मार्फेंट्र उपकरण	5,237.144	-	-	5,237.144	4,975.288	-	-	4,975.288	261,856
-सर्वेक्षण डाक्टरण/ओजार	103,326.660	24,099.455	-	127,426.115	69,202.841	5,161.855	(458,434)	73,906.262	53,519.833
-अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-रसोई उपकरण	8,720	-	-	8,720	4,907	1,657	-	6,564	2,156
-सीरेज प्रक्रिया संयंत्र	10,888,000	-	(36,000)	10,852,000	1,778,078	699,294	-	2,417,372	8,434,628
योग (IV)	731,743.040	32,000.215	(5,488.672)	758,254.583	358,946.322	38,612,579	(3,903,788)	393,655.113	364,599.470
फर्मीचर एवं फिटिंग्स									
-हॉर्टल एवं रसोई	606.957	-	-	606.957	576.610	-	-	576,610	30,347
-फर्मीचर एवं फिटिंग्स	27,834.584	2,004.763	121,112	29,960.459	16,131,745	1,836,257	-	17,968,002	11,702,839
-अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
मोटर वाहन	योग (V)	28,441,541	2,004,763	121,112	30,567,416	16,708,355	1,836,257	-	18,544,612
-मोटर वाहन	10,611,656	-	-	10,611,656	4,030,129	954,049	-	4,984,178	5,627,478
-साइकिल	35,067	-	-	35,067	32,142	565	-	32,707	2,360
-अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
जहाज एवं जलयान	योग (VI)	10,646,723	-	10,646,723	4,062,271	954,614	-	5,016,885	5,629,938
-सामाच्य जलयान	1,506,976,033	873,262,260	-	2,380,238,293	272,906,361	46,856,926	-	319,763,287	2,06,475,006
-स्प्रिङ बोट	12,286,496	-	-	12,286,496	9,803,008	417,951	(82,636)	10,138,273	2,483,488
-जलयान निकरण इकाई	2,655,771,110	-	-	2,655,771,110	1,088,391,300	62,147,322	-	1,150,538,622	1,567,379,810
-बांध तथा पट्टन	360,701,844	-	(561,255)	360,140,589	147,985,098	17,978,952	(561,255)	165,402,795	194,737,794
-अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	योग (VII)	4,535,735,483	873,262,260	(561,255)	5,408,436,488	1,519,085,767	127,401,151	(643,941)	1,645,842,977
-चाटर कूलर एवं रेफ्रिजरेटर	866,042	126,850	-	992,892	634,201	44,946	-	679,147	313,745
-प्लेट एवं एयर कूलर	1,545,525	59,061	-	1,604,586	1,339,329	30,141	-	1,369,470	235,116
-अन्य (प्रिंटर/फैक्स/कॉम्प्यूटर, आदि)	19,267,595	1,789,122	-	21,056,717	11,621,997	2,344,616	-	13,966,613	7,090,104
योग (VIII)	21,679,162	1,975,033	-	23,654,195	13,595,527	2,419,703	-	16,015,230	7,638,965

भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण



विवरण	सकल लंबांक			मूल्यहास/परिशोधन			निवल लंबांक 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	निवल लंबांक 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार
	01.04.2019 की स्थिति के अनुसार	वृद्धि	कटौती	31.03.2020 की स्थिति के अनुसार	01.04.2019 की स्थिति के अनुसार	वर्ष के दौरान वृद्धि/कटौती			
1	2	3	4	5 = (2+3+4)	6	7	8	9 = (6+7+8)	10 = (2 - 6)
कंप्यूटर तथा डेटा प्रोसेसिंग यूनिट									
-कंप्यूटर	52,905,791	5,237,438	-	58,143,229	39,140,881	5,893,163	-	45,034,044	13,109,185
-संचार उपकरण	10,970,540	2,687,702	-	13,658,242	5,058,258	1,562,312	-	7,070,570	6,587,672
-सिमुलेटर्स	31,731,375	-	-	31,731,375	30,144,804	-	-	30,144,804	1,586,571
-अन्य (विनिर्दित करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (IX)	95,607,706	7,925,140	-	103,532,846	74,793,943	7,455,475	-	82,249,418	20,813,763
विद्युत संरचनाएं एवं उपकरण									
-विद्युत संशापन	19,800,001	44,671,387	-	64,471,388	8,024,429	3,084,629	-	11,109,058	53,362,330
-अन्य (विनिर्दित करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (X)	19,800,001	44,671,387	-	64,471,388	8,024,429	3,084,629	-	11,109,058	53,362,330
पुस्तकों एवं प्रक्रियाएं									
-पुस्तकों एवं पुस्तकों	3,481,045	91,672	-	3,572,717	3,481,045	91,672	-	3,572,717	-
-प्राप्तयक्रम सामग्री एवं उपकरण (जिनी)	529,999	-	-	529,999	-	-	-	529,999	-
-अन्य (विनिर्दित करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग (XI)	4,011,044	91,672	-	4,102,716	4,011,044	91,672	-	4,102,716	-
कुल - (क) मूर्त परिसंपत्तियां (I-XI)	13,709,283,525	3,032,631,890	(7,154,984)	16,734,760,431	2,879,909,948	335,619,257	(4,547,729)	3,210,981,476	13,523,778,955
(ख) अमूर्त परिसंपत्तियां									10,829,373,577
आंतरिक रूप से विकसित									
-संपर्कवेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-अन्य (विनिर्दित करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बाहर से लाए गए	13,617,225	1,123,076	-	14,740,301	11,538,022	800,177	-	12,338,199	2,402,102
-संपर्कवेयर	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-अन्य (विनिर्दित करें)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल - (छ) अमूर्त परिसंपत्तियां	13,617,225	1,123,076	-	14,740,301	11,538,022	800,177	-	12,338,199	2,402,102
कुल योग (क+ख)	13,722,900,750	3,033,754,966	(7,154,984)	16,749,500,732	2,891,447,970	336,419,434	(4,547,729)	3,223,319,675	13,526,181,057
पूर्व वर्ष	11,362,379,702	901,656,140	(22,152,532)	12,241,883,310	2,891,447,970	229,445,434	(846,661)	3,120,046,743	8,753,707,879

नोट :- वर्ष के लिए 14842781/- के परिशोधन सहित रु. 3223319675/- के सकल लंबांक पर रुपये 336419434/- का गूँजहास परिशोधन में शामिल है, जिसमें नोरडा कार्यालय में लोग भूमि के सर्वेष में रुपये 24484916/- और रु. 434253632/- हल्केंया टारिकल के लोज लेव टारिकल के सर्वेष में है।

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(ए.के. गुप्ता)
निदेशक (पित्त एवं लेखा)

(राजेश कुमार पाठक)
सदरम (पित्त)

(पर्वीर पाण्डेय)
उपाध्यक्ष

(जॉ. अमिता प्रसाद)
अध्यक्ष

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
30. 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची अंश
अनुसूची 14: "चालू पूंजीगत कार्य"
(राशि रूपए में)

क्र.सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष (यथा दिनांक 31.03.2019 के अनुसार)	वर्ष 2019–20 के दौरान वृद्धियां	वर्ष 2019–20 के दौरान पूंजीगत परिसम्पत्तियां	अंतिम शेष (यथा दिनांक 31.03.2020 के अनुसार)
1	नौएडा कार्यालय				
1	मेसर्स एबी डिजाइन हैबिट एण्ड कं.	स्थुजियम का डिजाइन, देखरेख	3474805	0	0
2	मेसर्स इनको मेकेल प्रा. लि.	सोनिया विहार और जगतपुर को दो पांठून की आपूर्ति		7178295	0
3	मेसर्स मर्मुगाव पत्तन न्यास			12873434	0
	योग – नौएडा कार्यालय		3474805	20051729	0
	रा.ज.-1 कोलकाता कार्यालय				
1	मेसर्स नालंदा इंजीनियरिंग इन्टरप्राईजेज	हल्दिया टर्मिनल में बीआईएसएन गैंगवे का निर्माण	2122241	0	2122241
2	मेसर्स क्लेगोर्न बैन्यूफैक्चरिंग कं. लि.	स्टील पांठून विछाना	4819500	0	4819500
	योग – कोलकाता कार्यालय		6941741	0	6941741
	पटना कार्यालय				
1	मेसर्स एल्कॉम इंटीग्रेटेड सर्विसेज प्रा. लि.	पटना, वाराणसी, मौजमपुर एवं गोविंदपुर में आरआईएस उपकरण	14995864	0	0
2	मेसर्स कोचीन शिपयार्ड्स लि.		59400000	356400000	415800000
3	मेसर्स शिव चन्द्र कुमार	रामनगर, जमानिया और मौजमपुर में आरआईएस	7414490	858011	3292179
4	मेसर्स इंडियन रजिस्टरार शिपिंग	जलयान के पर्यवेक्षण कार्य		881460	881460
5	मेसर्स लिब्रा शिप मैनेजमेंट प्रा. लि.	रो-पैक्स जलयान का परिवहन		20390400	20390400
	योग – पटना कार्यालय		81810354	37852987	419092179
	जलमार्ग विकास परियोजना				19976186
1	मेसर्स एफकॉन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	वाराणसी में मल्टी-मोडल टर्मिनल का निर्माण	1736539760	87,852,505.00	1824392265
2	मेसर्स लार्सन एंड ट्रॉबो लि.	साहिबांज में मल्टी-मोडल टर्मिनल का निर्माण	1916685243	510762028	0
		फरक्का में नए नैविगेशनल लॉक का निर्माण	1217863319	997,951,237.00	0
3	डीएफओ, काशी वाइल्डलाइफ डिविजन	कछुआ बन्यजीव अभ्यारण्य प्रबंधन के लिए ट्रस्ट का गठन	93697387		93697387
4	मेसर्स आईटीडी सिमेंटेशन इंडिया लि.	हल्दिया में मल्टी-मोडल टर्मिनल का निर्माण	2188647251	1977957353	0
5	मेसर्स अदानी पोर्ट्स एण्ड एसईजेड लि.		217544062	345647603	0
6	सीडब्ल्यूआईपी-अनुक्षण एवं रखरखाव	जोएमवीपी-पीएमयू	894124162.1	233636662.6	0
					1127760825

7	सीडब्ल्यूआईपी—अनुरक्षण एवं रखरखाव	पटना—पीआईयू	30921901.41	-23285896.31		7636005.1
8	सीडब्ल्यूआईपी—अनुरक्षण एवं रखरखाव	कोलकाता—पीआईयू	20588678.2	25781580.67	0	46370258.87
9	सीडब्ल्यूआईपी—अनुरक्षण एवं रखरखाव	वाराणसी—पीआईयू		6117123.26	0	6117123.26
10	सीडब्ल्यूआईपी—अनुरक्षण एवं रखरखाव	साहिबगंज—पीआईयू		42369234	0	42369234
11	कार्यपालक अभियंता, वाराणसी	पंप कैनाल प्रणाली की प्रतिस्थापन लागत	39000000		0	39000000
12	जिला भूमि अर्जन अधिकारी	साहिबगंज भूमि के लिए आर एण्ड आर	374419000		0	374419000
13	डी. सी. सारण	जिला भूमि अर्जन अधिकारी, सारण, कालूघाट टर्मिनल के लिए एसआईए अध्ययन हेतु		757103		757103
14	मेसर्स अदानी पोर्ट्स एण्ड एसईजेड लि.	एलएडी—महेन्द्रोर—बाढ़		23030963	0	23030963
15	मेसर्स अदानी पोर्ट्स एण्ड एसईजेड लि.	एलएडी—सुल्तानगंज—महेन्द्रपुर		46652198	0	46652198
16	आर एंड आर—जिला प्रशासन, साहिबगंज	साहिबगंज भूमि के लिए आर एंड आर		47232230		47232230
17	योग — जेएमवीपी		8730030764	4,322,461,924.25	1918089652	11134403036.00
	राष्ट्रीय जलमार्ग — 2					
1	सीपीडब्ल्यूडी—गुवाहाटी	धुब्री में टर्मिनल का निर्माण	0			0
2	मेसर्स योजाका इंडिया प्रा. लि.	रिलपवे मरम्मत सुविधा का निर्माण	4913896	0		4913896
3	कोचीन शिपयार्ड लि.	रो—पैक्स जलयानों का निर्माण	228000000	208190400	436190400	0
4	मेसर्स रानू नन्दी	धुब्री में कर्स्टम एंड इमिग्रेशन कार्यालय के लिए भवन का एक्सटेंशन एण्ड इलेक्ट्रीकल संरचना	646418	0	646418	0
5	आई. आर. एस.	जलयानों का पर्यवेक्षण कार्य		440730		440730
	योग — राष्ट्रीय जलमार्ग—2		233560314	208631130	436836818	5354626
	राष्ट्रीय जलमार्ग—3					
1	सीपीडब्ल्यूडी—केरल	अलापुङ्गा, कायमकुलम, चावड़ा में टर्मिनल और पहुंच सड़क का निर्माण	156,046,313	721195	96368855	60,398,653
2	मेसर्स कोचीन शिपयार्ड लि.		35,100,000	128700000	0	163,800,000
3	मेसर्स आईआरएस	जलयानों का पर्यवेक्षण कार्य		881460		881,460
3	मेसर्स द बीसी इंफोटेक	लोकल एरिया नेटवर्क कार्य	0	0	0	0
4	कार्यकारी अभियंता सिंचाई, केरल सरकार	थर्नरमुक्कम में 40 फीट नैविगेशनल लॉक का मरम्मत कार्य	22800000	5700000	28500000	0

5	निदेशक, अन्तर्रेशीय नैविगेशन निदेशालय	त्रिकुणापुड़ा में नैविगेशनल लॉक का पुनर्निर्माण	16228741	37403388		53632129
	योग— राष्ट्रीय जलमार्ग—3		230,175,054	173,406,043	124,868,855	278,712,242
	राष्ट्रीय जलमार्ग—4					
1	मेसर्स मार्टरवेज शिपयार्ड प्रा. लि.	कृष्णा नदी—रा.ज.—4 पर फ्लोटिंग पांटून्स	29232000	0	0	29232000
	योग— राष्ट्रीय जलमार्ग—4		29,232,000	0	0	29,232,000
	राष्ट्रीय जलमार्ग—5					
1	मेसर्स मेरोलिन इंजीनियरिंग वर्क्स प्रा. लि.	गैंगवे सहित स्टील पांटून का डिजाइन निर्माण	0	0	0	0
	योग— राष्ट्रीय जलमार्ग—5		0	0	0	0
1	इंटैंगजीबल परिसम्पत्ति प्रगति पर					
	सकल योग		9,315,225,031.75	5,103,080,697.25	2,898,887,504.00	11,498,146,365.00

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(ए.के. गुप्ता)
निदेशक (वित्त एवं लेखा)

(राजेश कुमार पाठक)
सदस्य (वित्त)

(प्रवीर पाण्डेय)
उपाध्यक्ष

(डॉ. अमिता प्रसाद)
अध्यक्ष

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
31.03.2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची अंश

अनुसूची 15: “गैर-चालू निवेश”

(राशि रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियां	वर्ष के दौरान निपटाए गए / अवलिखित	अंतिम शेष
क	निर्धारित निधि में से निवेश				
1	सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-	-	-
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-	-	-
3	शेयर	-	-	-	-
4	डिबेंचर और बॉण्ड	-	-	-	-
5	सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम	300,000.00	-	-	300,000.00
6	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	-	-	-
उप-योग (क)		300,000.00	-	-	300,000.00
ख	स्वाधिकृत निधि में से निवेश				
1	सरकारी प्रतिभूतियों में				-
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	-	-	-	-
3	शेयर	-	-	-	-
4	डिबेंचर और बॉण्ड	-	-	-	-
5	सहायक कंपनी और संयुक्त उद्यम	-	-	-	-
6	अन्य (भारतीय जीवन बीमा निगम)	103,935,203.00	-	-	103,935,203.00
उप-योग (ख)		103,935,203.00	-	-	103,935,203.00
योग (क+ख)		104,235,203.00	-	-	104,235,203.00

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(ए.के. गुप्ता)
निदेशक (वित्त एवं लेखा)

(राजेश कुमार पाठक)
सदस्य (वित्त)

(प्रवीर पाण्डेय)
उपाध्यक्ष

(डॉ. अमिता प्रसाद)
अध्यक्ष

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
31.03.2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची अंश

(राशि रूपए में)

विवरण		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुसूची-16 “जमा राशियां, ऋण एवं अग्रिम”			
1	संविदाकर्ताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम		
	—पूँजीगत अग्रिम	1638497094	1770283964
	—राजस्व अग्रिम	24994285	29225553
2	स्टाफ को अग्रिम	6275551	6283935
3	विभागीय अग्रिम		
4	प्रदत्त प्रतिभूति जमा	41084101	39571460
5	प्रदत्त अग्रिम शुल्क एवं कर	7804524	14804293
6	प्रोद्भूत एवं देय व्याज	92545	119028
7	अन्य	0	
	कुल	1718748100	1860288233
अनुसूची-17 “अन्य गैर चालू परिसंपत्तियां”			
1	पूर्वदत्त खर्च	831778	1262850
2	वसूली योग्य दावे	180081498	82845014
3	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल	180913276	84107864

(ए.के. गुप्ता)
निदेशक (वित्त एवं लेखा)

(राजेश कुमार पाठक)
सदस्य (वित्त)

(प्रवीर पाण्डेय)
उपाध्यक्ष

(डॉ. अमिता प्रसाद)
अध्यक्ष

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण
31.03.2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची अंश

अनुसूची 18: "चालू निवेश"

(राशि रूपए में)

क्रम सं.	विवरण	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्धियाँ	वर्ष के दौरान निपटाए गए / अवलिखित	अंतिम शेष
1	सरकारी प्रतिभूतियों में	-	-	-	-
2	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ	-	-	-	-
3	शेयर	-	-	-	-
4	डिबेंचर और बॉण्ड	-	-	-	-
5	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	-	21,373,281.00	-	21,373,281.00
	योग	-	21,373,281.00	-	21,373,281.00

(ए.के. गुप्ता)
निदेशक (वित्त एवं लेखा)

(राजेश कुमार पाठक)
सदस्य (वित्त)

(प्रवीर पाण्डेय)
उपाध्यक्ष

(डॉ. अमिता प्रसाद)
अध्यक्ष

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

भारतीय अंतर्रेशीय जलमार्ग प्राधिकरण
31.03.2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची अंश

(राशि रूपए में)

विवरण		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुसूची 19: "माल सूची"			
1	मरीन के अतिरिक्त पुर्जे	10388218	29511914
2	स्थायी भंडार	615786	6331347
3	उपयोग की जाने वाली वस्तुएं एवं स्टेशनरी	470072	449539
4	पीओएल स्टॉक	10817338	13571192
5	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		0
	कुल	22291414	49863992
अनुसूची 20: "विविध देनदार"			
1	छह माह से ज्यादा	107966869	104052028
2	अन्य (अर्थात् छह माह से कम)	11565201	19832828
	कुल	119532070	123884856
अनुसूची 21: "नकद और नकद समतुल्य"			
1	उपलब्ध नकद		
	—भारतीय रूपए	27492	35816
	—विदेशी मुद्रा		
2	उपलब्ध स्टाम्प		
3	बैंक में जमा नकद		
	—चालू खाता	86010	94261940
	—बचत खाता	138408978	915722293
4	बैंक में अल्पावधि जमा	2571693930	3919162164
5	मार्गस्थ विप्रेषण		0
	कुल	2710216410	4929182213
अनुसूची-22 "जमा राशि, ऋण एवं अग्रिम"			
1	संविदाकर्ताओं एवं आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम		
	—पूंजीगत अग्रिम	1468926385	929347898
	—राजस्व अग्रिम	9958118	14824206
2	स्टाफ को अग्रिम	731049	1068159
3	विभागीय अग्रिम	1074237	660331
4	प्रदत्त प्रतिभूति जमा	2594389	1103766
5	प्रदत्त अग्रिम शुल्क एवं कर	27491789	13302747
6	प्रोद्भूत एवं देय ब्याज	799806	7273708
7	अन्य (प्रकृति विनिर्दिष्ट करें)		
	कुल	1511575773	967580815

विवरण		चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुसूची 23: "अन्य चालू परिसंपत्तियां"			
1	उपचित आय	0	0
(क)	निवेश पर		
(ख)	ऋण एवं अग्रिम पर		
2	अन्य (वसूली योग्य दावे सहित)		
	-वसूली योग्य दावे	9139697	17901828
	-पूर्वदत्त खर्च	1060784	456791
	कुल	10200480	18358619

(ए.के. गुप्ता)
निदेशक (वित्त एवं लेखा)

(राजेश कुमार पाठक)
सदस्य (वित्त)

(प्रवीर पाण्डेय)
उपाध्यक्ष

(डॉ. अमिता प्रसाद)
अध्यक्ष

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

Dr. Amita Prasad

अध्यक्ष

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण
31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु आय और व्यय लेखा का अनुसूची अंश

(राशि रुपए में)

विवरण	मुख्यालय	रा.ज.-1	रा.ज.-2	रा.ज.-3	रा.ज.-4	रा.ज.-5	नये जलमार्ग पटना-निनी जलमार्ग विकास परियोजना	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुसूची-24 "प्रचालनात्मक तथा अनुरक्षण खर्च"									
(i) सर्वेक्षण	132112906	32924368	2177553	2785066	48397567		0	218397460	156664792
(ii) निकर्षण	110701130	44994718	21368108	28038945	0			205102901	523501731
(iii) बंडलिंग	54086535	65576866						119663401	115473666
(iv) नौचालन एवं चैनल मार्किंग संबंधी सहायता	11945309	22848941	11208317		174038673			220041240	41280986
(v) टमिनल सुविधाएं	81724132	55055968	11480253	0	121125		0	148381478	190548687
(vi) जलयानों की मरम्मत तथा रखरखाव	72085661	13452760	3509925	141364	0			89189710	80715375
(vii) राजि नौचालन	83270155	48618221	35818657					167707033	111063536
(viii) प्रोटोकॉल खर्च	27062508	0						27062508	23929717
(ix) नदी तट रक्षण		181710183	9591176					191301359	5290669
(x) प्रशिक्षण खर्च		21906281						21906281	24686571
(xi) परामर्शी खर्च	63270043	21358000	7584000	0	1862760	324470	62732918	0	157132191
(xii) परियोजना प्रबंधन परामर्शी प्रभार	0		8895493	165048	5665021	1709164	33947534	0	51867260
(xiii) सरकारी निजी सहमानिता परियोजना खर्च	4569192	194400	196799	178020			\	0	5138411
(xiv) अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग परिवहन संबंधन खर्च	18821332	23191252	16970356	238813	0	0		59221753	117522531
(xv) वेतन, मजदूरी तथा अन्य प्रशासनिक खर्च						4763922		0	4763922
(xvi) अन्य - फेट विलोज	7880405	4395328						12275733	1981032
— बराक						35529785		35529785	250238041
— घाघरा						26315		26315	117661
— गंडक						12964633		12964633	24644643
योग	94540972	644033597	498828673	97220870	38493156	224590999	149965107	0	1747673373
									1914413324

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

(डॉ. अमिता प्रसाद)
 अध्यक्ष

(प्रवीर पाण्डेय)
 उपाध्यक्ष

(राजेश कुमार पाटक)
 सदस्य (वित्त)

(ए.के. गुप्ता)
 निदेशक (वित्त एवं लेखा)

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण
31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु आय और व्यय लेखा का अनुसूची अंश

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण



(राशि रूपए में)

विवरण	मुख्यालय	रा.ज.-1	रा.ज.-2	रा.ज.-3	रा.ज.-4	रा.ज.-5	नये जलमार्ग पटना-निरी	जलमार्ग निकास परियोजना	जलमार्ग चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
अनुसूची-25 "कार्मिक एवं प्रशासनिक खर्च"										
(क) कार्मिक खर्च										
(i) वेतन एवं भत्ते	129118335	111945071	24515579	18075761	4709988	2653898			291018632	280073508
(ii) मानदेय	0								0	0
(iii) शिक्षितसा युविधारण	11385133	2453659	492658	1076957	147259	19787			15575453	16478169
(iv) दैनिक मजदूरी							24440		24440	35230
(v) समयोपरि भत्ता	40413	48814	0						89227	169296
(vi) बोनस	435204	808237	163489	117436	27632	20724			1572722	1570419
(vii) प्रतिनिधित्व पर कार्मिकों हेतु अवकाश वेतन तथा पेंशन अंशदान	5118990								5118990	3808504
(viii) कार्मिकों को प्रदत्त आवास हेतु विराया	848433		0						848433	815903
(ix) वर्दी	0	22478	45000	7500					74978	88180
(x) ट्रॉफ्यन फीस	879200	788012	514456	398250	27000	27000			2633918	2460929
(xi) पेशन अंशदान	0	0	0	0	0	0			0	184869147
(xii) शेय्टी अंशदान	0	0	0	0	0	0			0	0
(xiii) अवकाश नकदीकरण	15345298	93067	0	49257	0	0			15487622	1724986
(xiv) नई पेशन योजना (एनपीएस) हेतु नियोक्ता का अंशदान	1153434	718160	545462	271091	218552	0			2906699	2651038
(xv) एकलीमी खर्च	1382764	676975	105092	158697	0	0			2323528	4551224
(xvi) कर्मचारी कल्याण खर्च	1735326	408722	90600	59492	25785	15266			2335191	2562125
(xvi) कर्मचारी भर्ती खर्च	3379253				0				3379253	7285844
(xvii) सेमिनार तथा प्रशिक्षण खर्च	3276479				0				3276479	727631
(xviii) अन्य खर्च (प्रक्रिया विनिर्दिष्ट करें)									0	-
योग	174098262	117963195	26472336	20214441	5156216	2761115	0	0	346665565	510003633
(ख) प्रशासनिक खर्च									0	0
(i) मरम्मत एवं रखरखाव	13589790	602015	81819	83560	276197	142463			14775844	14650119
(ii) सचार पर खर्च	1377434	347753	136172	161687	61031	61612			2145689	2135838
(iii) मुद्रण एवं स्टेशनरी	3742877	151417	85604	111133	20084	42755			4153870	4150747
(iv) वाहनों को चलाना एवं रखरखाव	9699599	625466	0	0	544797				10869862	10340589
(v) विज्ञापन एवं प्रचार	495000				7983	0	147134		650117	959819
(vi) सवारी खर्च की प्रतिपूति	431646	171576	7750	7424	4800	4950			628146	801812
(vii) यात्रा									0	-

विवरण	मुख्यालय	रा.ज.-1	रा.ज.-2	रा.ज.-3	रा.ज.-4	रा.ज.-5	नये जलमार्ग पटना-निरी	जलमार्ग विकास परियोजना	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
-अंतर्राष्ट्रीय	12065533	971364	0	14910	96720	392920		13541447	13839343	
-विदेशी	3771294	6772						3778066	2012168	
(viii) समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं	357311	129867	60479	54304	9315	2870		614146	487164	
(ix) उपयोग की जाने वाली वस्तुएं	292202	93175	10696	0	20840	13738		430651	496992	
(x) विद्युत एवं जल	5129032	627461	0	137058	146656	47645		6087852	6098728	
(xi) विधिक तथा पेशेवर प्रभार	3697560	43391		211203	0	0		3952154	2920722	
(xii) परिसंपत्तियों की किसी संकेत हिति							0			
(xiii) हिंदी की प्रो-न्यूनति	300089	238735	42232	27930	1000			609986	603033	
(xiv) लेखपरीक्षा शुल्क एवं खर्च	3060424							3060424	2707698	
(xv) प्रधानिकार की बैठकों के खर्च	140789				5726			146515	34494	
(xvi) बोना					26297			26297	6411	
(xvii) किराया, दरें एवं कर		1718156	0	0	20724			1738880	2341696	
(xviii) बद्दला खाता में डाला गया							0			
(xix) बैड ऋण							0			
(xx) विविध खाय	22456	4935	0	84654	15345	9265		136656	519525	
(xxi) बैंड संबंधी खाय	0						0	2182037		
(xxii) अत्य (स्वच्छ मारत अभियान)	5057704	406785	111990	116245	40102	0		5732826	459981	
-बद्दले खाते डाला गया पट्टा किराया	271655							271655	271655	
योग	63502395	6138868	536742	1018091	724112	1430873	0	0	73351082	68020571
सकल योग (कुल)	257600657	124102063	27009078	21232532	5880328	4191988	0	0	420016647	578024205
अनुसूची- 26 "वित्तीय प्रभाव"										
(i) बैंक प्रभार	49826	29776	6009	2585	1043	979	0	0	90219	81631
(ii) प्रदत्ता व्याज		764332001						764332001	762970738	
-बैंड / डिब्बेर पर					1670			1670		
(iii) कमीशन/दलाली								0		
योग	764381827	29776	6009	4255	1043	979	0	0	764423890	763052369

कृते तथा प्राधिकरण के निम्नत

(जॉ. अमिता प्रसाद)
अध्यक्ष

(पर्वेज़ गुप्ता)
उपाध्यक्ष

(राजेश कुमार पाठक)
सदस्य (वित्त)

निदेशक (वित्त एवं लेखा)

(ए.के. गुप्ता)

(हावा)

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण

32. 31.03.2020 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र का अनुसूची अंश

अनुसूची 27: "पूर्व अवधि के खर्च"

(राशि रूपए में)

विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
नौएडा कार्यालय		
नौएडा ऑटोमोबाइल्स	318590	
शरवन कुमार कनोजिया	36899	
मेसर्स फर्स्ट क्लास फोटोस्टेट	31457	
यूनाइटेड एसोसिएट्स	3609985	
एनपीसी	41193	
एनआईसीएसटी	726000	
जीएसटी	88789	
सिटी लिफ्ट (इंडिया) प्रा. लि.	956744	
एआईएमएस रायबरेली	49500	
पीसीडीए नई दिल्ली	17853	
अविनाश राउल	8736	
चरना गुप्ता कंसल्टेंसी प्रा. लि.	8850	
इंडिया मेरिटाइम यूनिवर्सिटी	17700	
मीना देवी	75465	
पी के श्रीवास्तव, पूर्व जलीय मुख्य	3402	
नौएडा	190969	
प्रकाशन नियंत्रक, नई दिल्ली	82500	
इंडियन कोर जैम्स जगुआर वेन्टीज	200000	
ओडल वर्ल्ड हॉस्पीटलिटी प्रा. लि.	46500	
फ्रेंड्स एक्जीविशन्स एंड प्रमोशन प्रा. लि.	88500	
तरुण कुमार से संबंधित एनपीएस	32041	
ईएमडी वापरी	32000	
इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स	(513000)	
कुल (क)	6150673	
पटना कार्यालय		
मेसर्स सैनिल डीजल इंजीनियर	(468701)	
राम लोचन, सहायक	9744	
मेसर्स बलराम सिंह	44800	
मेसर्स भुवनेश प्रताप सिंह	43484	

विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
डी एम पटना	(13997)	
मेसर्स हाई टेक इलास्टोमर लि.	(203100)	
सर्वे उपकरण अतिरेक मूल्यहास प्रभार	(32536)	
मेसर्स अभय कुमार सिंह	(11396)	
मेसर्स गुप्ता इंस्ट्रूमेंट वर्क्स	420147	
पुराना से. टैक्स बकाया समायोजन	(24365)	
कुल (क)	(235920)	
कोलकाता कार्यालय		
रमा शंकर	(25144)	
उन्नत नैविगेशन	(246500)	
एल्कम मेरिन	(9057)	
मॉडल निर्माण	(15100)	
उन्नत नैविगेशन	(229750)	
ए सी रॉय एंड क. जे958	(4750)	
ए सी रॉय एंड क. जे961	(4750)	
सबीता उद्योग जे990	(786)	
सिम क. जे59	(35853)	
लोकनाथ जे64	(1374)	
लोकनाथ जे65	(1291)	
जगदीप सिंह जे66	(1181)	
सिम क. जे82	(18912)	
मॉडल जे87	(18186)	
मो. वासिम जे151	(2691)	
लोकनाथ ट्रेवल्स जे152	(748)	
दास इंटरप्राइजेज	(1470)	
कैरिअन एअरकुलिंग जे180	(1540)	
पारबती जे203	(25093)	
दास इंटरप्राइजेज जे205	(2465)	
हरेराम शर्मा जे242	(18607)	
सिम क. जे243	(37825)	
एमटेक जे268	(62568)	
फ्रेंच जे282	(2088)	

विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
सिम कं. जे289	(2093)	
बार्ड रॉय इंफोटेक जे290	(9233)	
स्टॉटेक्स जे293	(3572)	
हरेराम शर्मा जे300	(1803)	
हरेराम जे302	(946)	
लोकनाथ ट्रेवल्स जे322	(1526)	
लोकनाथ कंस्ट्र. जे367	(737)	
सिन्हा एंड एसोसिएट्स जे371	(2175)	
दास इंटरप्राईजेज जे846	(1465)	
इलीगेन्ट जे384	(329)	
फ्रॅंच जे393	(431)	
फ्रॅंच जे394	(248)	
फ्रॅंच इंटरप्राईजेज जे429	(1220)	
दास इंटरप्राईजेज जे432	(2481)	
सिम कं. जे437	(39005)	
सिम कं. जे438	(30002)	
फ्रॅंच जे440	(1228)	
हरेराम जे460	(2940)	
फ्रॅंच जे462	(14410)	
एशियन जे463	(4854)	
लोकनाथ ट्रेवल्स जे475	(1067)	
रमा शंकर जे512	(70777)	
फ्रॅंच जे513	(548)	
हुगली मेरिन जे553	(36026)	
सर्वोनिक्स जे555	(2610)	
दास इंटरप्राईजेज जे562	(1114)	
सिम कं. जे573	(39004)	
सुबीर पॉल जे578	(856)	
दास इंटरप्राईजेज जे586	(1500)	
फ्रॅंच जे590	(5448)	
पारबती कंस्ट्रक्शन जे679	(3481)	
पारबती जे689	(11393)	

विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
लोकनाथ ट्रेवल्स जे697	(2261)	
एल्कम जे698	(29885)	
फ्रेंच जे700	(4740)	
सिम कं. जे709	(19502)	
फ्रेंच जे738	(913)	
फ्रेंच जे741	(8126)	
सिम कंपनी—जे—797	(19502)	
ए. बी. ट्रेडर्स जे—798	(2026)	
ए. बी. ट्रेडर्स जे—799	(68241)	
फ्रेंच इंटरप्राइजेज जे—810	(6063)	
फ्रेंच जे—812	(5325)	
फ्रेंच इंटरप्राइजेज जे—812	(4720)	
एमटेक सर्विस	(26777)	
पारबती जे816	(10638)	
लोकनाथ जे820	(519)	
सिम कं. जे855	(14456)	
सिम कं. जे856	(14070)	
सिम कं. जे857	(14070)	
सिम कं. जे858	(14070)	
सिम कं. जे861	(14070)	
सिम कंपनी जे—862	(15050)	
सिम कं. जे863	(14070)	
सिम कं. जे865	(7282)	
सिम कं. जे866	(14070)	
सिम कं. जे867	(10496)	
सिम कं. जे868	(14070)	
सिम कं. जे869	(14070)	
सिम कं. जे870	(14070)	
सिम कं. जे871	(14070)	
सिम कं. जे872	(7282)	
सिम कं. जे873	(20894)	
सिम कं. जे876	(31825)	

विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
दास इंटरप्राईजेज जे879	(168142)	
फ्रेंच जे882	(4325)	
फ्रेंच जे889	(14855)	
फ्रेंच जे890	(15146)	
फ्रेंच जे891	(8125)	
हरेराम शर्मा जे967	(8449)	
फ्रेंच इंटरप्राईजेज	(9186)	
हरेराम जे988	(12896)	
फ्रेंच जे1050	(19861)	
नालंदा इंजीनियरिंग	(9000)	
आर. कै. इंजीनियरिंग	(5800)	
आर. कै. इंजीनियरिंग	(34440)	
मोनशा वाटरलाइन्स	(4680)	
मॉडल कंस्ट्रक्शन	(5500)	
बोयाज के गुम होने पर दावा	(1194399)	
सीआईडब्ल्यूटीसी से वसूलनीय दावा	56950	
कुल (ग)	(2977328)	
वाराणसी कार्यालय	(14204)	
	(425898)	
	(1436248)	
कुल (घ)	(1876350)	
निनी कार्यालय		
फरहा टेलर्स	(39402)	
कुल (ड.)	(39402)	
कोची कार्यालय		
मेसर्स केएसईबी थकाइ	219461	
जलनिधि पाईप लाइन्स की शिपिटंग	9441	
कुल (च)	228902	

विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
विजयवाड़ा कार्यालय		
पी. बी. फालकन-1 का मूल्यहास	5693	
पी. बी. फालकन-1 का मूल्यहास	(88379)	
कुल (छ)	(82686)	
सकल योग (क+ख+ग+घ+ड+च)	1167889	(684745278)

(ए.के. गुप्ता)
निदेशक (वित्त एवं लेखा)

(राजेश कुमार पाठक)
सदस्य (वित्त)

(प्रवीर पाण्डेय)
उपाध्यक्ष

(डॉ. अमिता प्रसाद)
अध्यक्ष

कृते तथा प्राधिकरण के निमित्त

33. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लेखे पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अंकेक्षण रिपोर्ट

हमने भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (प्राधिकरण) की 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार, प्राधिकरण के संलग्न तुलन पत्र तथा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (भाअजप्रा अधिनियम, 1985) की धारा 23 तथा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली, 1986 (भाअजप्रा नियमावली, 1986) के नियम 28 (3) के तहत उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय लेखा / प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा का अंकेक्षण किया है। प्राधिकरण का प्रबंधन इन वित्तीय विवरणों के प्रति उत्तरदायी है। हमारा उत्तरदायित्व अंकेक्षण पर आधारित इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय व्यक्त करना है।

हमने अपना अंकेक्षण भारत में सामान्यतया स्वीकृत अंकेक्षण मानकों के अनुसरण में संचालित किया है। इन मानकों के संदर्भ में यह आवश्यक है कि हम इस प्रकार अंकेक्षण करें कि यह तर्कसंगत आश्वासन प्राप्त किया जा सके कि क्या वित्तीय विवरणों की सामग्री त्रुटि मुक्त हैं। अंकेक्षण में, जांच आधारित परीक्षण, राशि के समर्थन में साक्ष्य और वित्तीय विवरणों का प्रकटन शामिल हैं। अंकेक्षण में, उपयोग में लाए गए लेखांकन सिद्धांतों और प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आकलन के निर्धारण के साथ ही संपूर्ण वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल हैं। हमें विश्वास है कि हमारा अंकेक्षण हमारी राय को एक औचित्यपूर्ण आधार प्रदान करता है।

हमारे अंकेक्षण के आधार पर हम सूचित करते हैं कि :

- हमने सभी जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं, जो हमारी जानकारी और विश्वास में अंकेक्षण के प्रयोजन से आवश्यक थे;
- इस रिपोर्ट में दिए गए तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय लेखा / प्राप्तियां तथा भुगतान लेखा को लेखों के संशोधित प्रपत्र में तैयार किया गया है जिसे भाअजप्रा ने पोत परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार के अनुमोदन हेतु भेजा है तथा वह भाअजप्रा अधिनियम, 1985 की धारा 34(2)(छ) तथा भाअजप्रा नियमावली, 1986 के नियम 28(2) के तहत भारत सरकार के अनुमोदन की प्रक्रिया में था।
- हमारी राय में तथा भारत सरकार द्वारा संशोधित प्रपत्र के अनुमोदन के अधीन, प्राधिकरण द्वारा भाअजप्रा अधिनियम, 1985 की धारा 34(2)(छ) के तहत अपेक्षित उचित लेखा बहियों तथा अन्य संबंधित रिकॉर्ड को अपेक्षानुसार अनुरक्षित किया गया है, जहां तक ऐसी बहियों के हमारे परीक्षण से निम्न को छोड़कर प्रतीत होता है:

सामान्य

विदेश मंत्रालय (एमईए), भारत सरकार ने एक करार (मार्च, 2009) के जरिए म्यांमार में सितवे पोर्ट को भारत में मिजोरम राज्य के साथ जोड़ते हुए कालादान नदी पर मल्टीमॉडल पारगमन परिवहन सुविधा के कार्यान्वयन हेतु संचालित की जा रही कालादान परियोजना हेतु भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (भाअजप्रा) को परियोजना विकास परामर्शदाता (पीडीसी) के रूप में नियुक्त किया है। अभी तक इस परियोजना पर कार्य प्रगति में है।

वित्तीय विवरणियों के लिए टिप्पणियों के बिंदु सं. 13 में किए गए प्रकटन के अनुसार, प्राधिकरण ने 31 मार्च, 2020 तक विदेश मंत्रालय से ₹ 33.87 करोड़ प्राप्त किए जिसमें पीडीसी शुल्क ₹ 29.05 करोड़, सेवा कर ₹ 2.11 करोड़, वस्तु एवं सेवा कर ₹ 1.72 करोड़ और जलीय सर्वेक्षण व्यय ₹ 0.99 की प्रतिपूर्ति शामिल है। 31 मार्च 2020 तक बैंक ब्याज सहित ₹ 2.56 करोड़ की आंतरिक प्राप्तियां भी परियोजना में अर्जित की गई हैं। उपर्युक्त में से ₹ 29.85 करोड़ 31 मार्च, 2020 तक खर्च किए गए हैं।

उपर्युक्त टिप्पणी के तथ्यों एवं आंकड़ों को लेखापरीक्षा द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता चूंकि प्राधिकरण ने वर्ष 2019–20 हेतु कालादान परियोजना का अलग लेखा बही तैयार किया है और उक्त परियोजना के लेखे के घटक को प्राधिकरण के वर्ष 2019–20 के लेखे में शामिल नहीं किया गया है। वर्ष 2016–17, 2017–18 और 2018–19 के दौरान भी यह मुद्दा उठाया गया गया था लेकिन अभी तक प्रबंधन ने कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की।

- iv. पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में हमारी टिप्पणियों के अधीन हम सूचित करते हैं कि इस रिपोर्ट से संबद्ध तुलन पत्र तथा आय एवं व्यय खाता / प्राप्ति एवं भुगतान खाता, लेखा बही के अनुरूप है।
- v. हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरणियों के साथ पठित लेखांकन नीतियों एवं लेखा संबंधी टिप्पणियों और उपर्युक्त महत्वपूर्ण मामलों के अधीन तथा इस लेखा परीक्षा रिपोर्ट के अनुबंध में उल्लिखित अन्य मामले भारत में सामान्यतया स्वीकृत अंकेक्षण सिद्धांतों की पुष्टि में सही और उचित मत देते हैं:
- क) जहां तक 31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार प्राधिकरण के मामलों की स्थिति के तुलन पत्र से इसका संबंध है, और
- ख) जहां तक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष हेतु/घाटा के आय एवं व्यय लेखा से इसका संबंध है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निमित्त

(रीना एकोइजम)
प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा (इन्फ्रास्ट्रक्चर)
नई दिल्ली

स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : फरवरी, 2021

अनुबंध

(वर्ष 2019–20 के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लेखे से संबंधित लेखा परीक्षा रिपोर्ट)

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की एक फर्म द्वारा वर्ष 2019–20 के लिए आंतरिक लेखा परीक्षा किया गया।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता

गाजीपुर से पटना आते समय सीएल कस्टरबा जलयान के कुछ चालक दल सदस्यों ने 17.08.2019 को जलयान से लगभग 900–1000 लीटर डीजल बेचा। जलयान से 900–1000 लीटर डीजल की बिक्री के इस कदाचार के बारे में न तो खातों के नोट में बताया गया है और न ही वार्षिक खातों में कोई समायोजन किया गया है। भाअजप्रा ने 17 जुलाई 2020 को अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को दर्शाने वाली जलयानों की लॉग बुक को सही बनाए रखने के निर्देश जारी किए।

3. स्थायी परिसंपत्तियों की प्रत्यक्ष सत्यापन प्रणाली

वर्ष 2019–20 के लिए अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया गया है। हालाँकि, सामान्य वित्तीय नियमों की आवश्यकताओं के अनुसार अचल संपत्ति रजिस्टर का रखरखाव नहीं किया जा रहा था।

4. सामान सूची की प्रत्यक्ष सत्यापन प्रणाली

सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 211 (ii) (बी) के तहत निर्धारित प्रपत्र सामान्य वित्तीय नियमावली 23 के अनुसार उपभोग्य वस्तुओं के लिए इन्वेंटरी रजिस्टर तैयार नहीं किया गया है और वर्ष 2019–20 में उपभोग्य वस्तुओं का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है।

5. सांविधिक बकाया के भुगतान में नियमितता

वैधानिक देय राशि के भुगतान में देरी का कोई उदाहरण नहीं देखा गया।

34. 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण के खातों पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन के उत्तर।

1. सामान्य

विदेश मंत्रालय द्वारा म्यांमार में कालादान नदी परियोजना पर मल्टी-मोडल पारगमन परिवहन सुविधा के कार्यान्वयन के लिए भारतीय परियोजना विकास सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था और परामर्शदाता के रूप में केवल कालादान परियोजना के निष्पादन के पर्यवेक्षण पर खर्च को पूरा करने के लिए विदेश मंत्रालय से धन प्राप्त किया। परियोजना के लिए भारतीय परियोजना को सौंपा गया काम जब से पूरा हुआ है तब से और कोई फंड नहीं मिल रहा है। भारतीय परियोजना को इसके लिए भारत सरकार से कोई अनुदान नहीं मिल रहा है। भारतीय परियोजना के लिए एक अलग बही खाते का रखरखाव कर रहा है और एक स्वतंत्र चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के द्वारा इसकी लेखा परीक्षा और प्रमाणित किया जाता है। वित्तीय विवरणियों को खातों का अभिन्न अंग बनाने वाली टिप्पणियों में इस स्थिति का पर्याप्त रूप से प्रकटन किया गया है। (कृपया वित्त वर्ष 2019–20 के लिए वार्षिक खातों की अनुसूची 2 के नोट सं. 13 को देखें)।

इसके अलावा, चूंकि कालादान परियोजना पर प्राप्तियां और व्यय भारतीय परियोजना पर वार्षिक अधिशेष / घाटे को भारतीय अधिनियम, 1985 की धारा 19 के अंतर्गत भारतीय नियंत्रण में नहीं लिया जा सकता है। इसलिए, आय तथा व्यय और कालादान परियोजना से संबंधित आस्तियों और देयताओं को वित्तीय वर्ष 2018–19 के भारतीय परियोजना के वार्षिक खातों में शामिल नहीं किया गया था। अगर इसे भारतीय परियोजना खातों में शामिल किया गया होता, तो इसके पास केवल आय और व्यय और तुलन पत्र, दोनों के आंकड़े ही होते। इससे वार्षिक अधिशेष / घाटे के आंकड़े भी विकृत हो जाते जो भारतीय परियोजना को हस्तांतरणीय हैं। साथ ही, भारतीय अधिनियम, 1985 की धारा 19 के अनुसार भी यह उचित नहीं है।

हालाँकि, 2016–17, 2017–18 और 2018–19 के दौरान लेखा परीक्षा द्वारा इस मुद्दे को उठाया गया था, जैसा कि ऊपर कहा गया है, इस परियोजना का लेखा-जोखा अलग से रखा गया था। वित्त वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक लेखा परीक्षा करते समय नियंत्रक एवं महालेखाकार कार्यालय द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षा दल के साथ उपरोक्त अवलोकन पर चर्चा की गई थी। इस चर्चा से यह सामने आया कि कालादान परियोजना के वार्षिक खातों की परिसंपत्तियों और देनदारियों जैसे कुछ घटकों को भारतीय परियोजना के वार्षिक खातों में शामिल किया जा सकता है, जिससे उसका प्रभाव, भारतीय अधिनियम, 1985 की धारा 19 के तहत भारतीय नियंत्रण पर नहीं होगा। तदनुसार, प्राधिकरण ने आश्वासन दिया कि वित्त वर्ष 2019–20 के लिए भारतीय परियोजना के वार्षिक खातों में इस परियोजना के खातों को संभावित रूप से शामिल करने के लिए वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान मामले की जांच की जाएगी। जैसा कि आश्वासन दिया गया है, प्राधिकरण ने वित्त वर्ष 2019–20 के लिए आरक्षित पूँजी(रु. 0.36) और संबंधित संपत्तियों को छोड़कर, कालादान के अंकेक्षित खातों की संपत्ति और देनदारियों को भारतीय परियोजना के वार्षिक खातों में शामिल किया है।

भारतीय परियोजना के वार्षिक खाते में कालादान परियोजना की तुलन पत्र और आय व्यय खाते की सभी मदों को शामिल नहीं करने का कारण यह था कि यह भारतीय परियोजना के वित्तीय विवरणों / वार्षिक खातों की सही और निष्पक्ष तर्स्वीर विकृत होगी।

अनुबंध

(वर्ष 2019–20 के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के खातों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट)

1. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की उपयुक्तता

आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के क्रम में, भाअजप्रा के क्षेत्रीय और उप-कार्यालयों के संचालन की आवधिक आंतरिक जांच और लेखा परीक्षा करने के लिए, भाअजप्रा मुख्यालय, नोएडा ने वित्त और स्थापना से अधिकारियों को शामिल करते हुए विशेष लेखा परीक्षा दलों की तैनाती शुरू की है।

2. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता

लेखा परीक्षा के अवलोकन को अनुपालन के लिए नोट कर लिया गया है। भाअजप्रा मुख्यालय ने अपने दिनांक 07.09.2020 के पत्र क्रमांक भाअजप्रा/मुख्या./सतर्कता/45/अजय कुमार/डीजल/2020, (संलग्न प्रति) के द्वारा भाअजप्रा, पटना को इस संबंध में पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज करने का निदेश दिया है। पुलिस जांच परिणाम के बाद वित्त वर्ष 2020–21 हेतु भाअजप्रा के वार्षिक खातों में आवश्यक प्रकटन और खातों के प्रबंधन को निष्पादित किया जाएगा। इस संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए, भाअजप्रा के सभी पक्ष प्रमुखों को जलयान के लिए लॉग बुक के रखरखाव के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय करने के लिए निदेशित किया गया है और यह सुनिश्चित करना है कि प्रचालन कार्मिकों को रिकॉर्ड में हेरफेर करने का कोई अवसर न मिले, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो सकें। तदनुसार, भाअजप्रा के मेक–मरीन पक्ष के पत्र क्रमांक भाअजप्रा/एमडी/347/2020–21 दिनांक 10.08.2020 और इसके साथ ही भाअजप्रा, कोलकाता के पत्र क्रमांक भाअजप्रा/कोल/स्थापना/(01)/2018/288 दिनांक 12.08.2020 के द्वारा कार्रवाई की जा चुकी है।

आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली को और मजबूत बनाने के क्रम में, भाअजप्रा के क्षेत्रीय और उप-कार्यालयों के संचालन की आवधिक आंतरिक जांच और लेखा परीक्षा करने के लिए, भाअजप्रा मुख्यालय, नोएडा ने वित्त और स्थापना से अधिकारियों को शामिल करते हुए विशेष लेखा परीक्षा दलों का गठन किया है।

3. स्थायी परिसंपत्तियों की प्रत्यक्ष सत्यापन प्रणाली

प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रारूप में स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर तैयार किया गया है और यह शुरू से ही जारी है। परिसंपत्ति की प्रकृति के अनुसार विशेष शीर्ष बनाया गया है और मूल्यव्याप्ति के साथ–साथ अधिप्राप्ति का वर्ष–वार विवरण रजिस्टर में दिखाया गया है। हालांकि, लेखा परीक्षा के अवलोकन को अनुपालन के लिए नोट किया गया है और यह आश्वासन दिया गया है कि स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर को वित्त वर्ष 2020–21 से सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार बनाए रखा जाएगा।

4. सामान सूची की प्रत्यक्ष सत्यापन प्रणाली

प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित प्रारूप में स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर तैयार किया गया है और शुरू से ही जारी है। हालांकि, लेखा परीक्षा के अवलोकन को अनुपालन के लिए नोट किया गया है और यह आश्वासन दिया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020–21 से सामान्य वित्तीय नियमावली के अनुसार सामान सूची रजिस्टर बनाए रखा जाएगा।

5. सांविधिक बकाया के भुगतान में नियमितता

कोई टिप्पणी नहीं



भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण